पेपर मिल्स मे कार्यरत् श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन–म.प्र. के विशेष संदर्भ में

एकेएस विश्वविद्यालय,सतना के वाणिज्य विषय में

पीएच.डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबंध

शोधकर्त्ता

अजय कुमार पटेल

नामांकन नं. B2036P232

शोध निर्देशक

डॉ. धीरेन्द्र ओझा

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और वित्तीय अध्ययन संकाय

एकेएस विश्वविद्यालय, सतना–485001 (म.प्र.), भारत 485001

अगस्त, 2024

University established by M.P. legislature Act No. 44/2011 and duly recognized by UGC u/s 2(f).

AKS University, Satna

Sherganj, Panna Road, Satna (M.P.) Pin code 485001
Telephone No.: 0888-953-7776 Website: www.aksuniversity.ac.in

APPENDIX-2

Certificate By the Candidate

I certify that the thesis entitled **पेपर मिल्स में कार्यरत् श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन–म.प्र. के विशेष संदर्भ में** is my own work conducted under the supervision of **डॉ. धीरेन्द्र ओझा** (Supervisor / Co Supervisor) at AKS University Satna (M. P.) India approved by Research Degree Committee.

I further certify that to the best of my knowledge and belief the thesis does not contain any part of any work which has been submitted for the award of any degree either in this University or in this University or in any other University/Deemed University/Institutes.

Signature of Supervisor
Date: 30/12/24

Signature of Candidate
Date: 30/12/24

Forwarded and counter Signed by the Dean,
Faculty

Signature of Dean, Faculty
Faculty of Commerce & Financial Studies
AKS University, Satna (M.P.)
Date: 30/12/24

University established by M.P. legislature Act No. 44/2011 and duly recognized by UGC u/s 2(f).

AKS University, Satna

Sherganj, Panna Road, Satna (M.P.) Pin code 485001
Telephone No.: 0888-953-7776 Website: www.aksuniversity.ac.in

APPENDIX-3

CERTIFICATE THE SUPERVISOR

CERTIFICATE

This is to certify that the thesis entitled पेपर मिल्स में कार्यरत् श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन–म.प्र. के विशेष संदर्भ में is a piece of research work done by श्री अजय कुमार पटेल Under my/our guidance and supervision for the degree of Doctor of Philosophy of AKS University, Satna (MP) India. I certify that the candidate has put in an attendance of more than 240 days with me.

I also certify that to the best of my knowledge and belief,

(5) Embodies the work of the candidate himself/herself.

(6) Has duly been completed.

(7) Fulfills the requirement of the Ordinance to the Ph.D. degree of the University.

(8) Is upto the standard both in respect of contents and language for being referred to the examiner.

Signature of Supervisor

Date: 30/12/24

Signature of Candidate

Date: 30/12/24

Forwarded and counter Signed by the Dean, Faculty

Signature of Dean, Faculty

Faculty of Commerce & Financial Studies AKS University, Satna (M.P.)

Date: 30/12/24

University established by M.P. legislature Act No. 44/2011 and duly recognized by UGC u/s 2(f).

AKS University, Satna

Sherganj, Panna Road, Satna (M.P.) Pin code 485001
Telephone No.: 0888-953-7776 Website: www.aksuniversity.ac.in

ANNEXURE – D

CERTIFICATE OF THE SUPERVISOR

This is to certify that the Research work entitled पेपर मिल्स मे कार्यरत् श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन– म.प्र. के विशेष संदर्भ में is a piece of research work done by श्री अजय कुमार पटेल under my guidance and supervision for the partial fulfillment for the degree of Doctor of Philosophy of AKS University, Satna (MP).

We also certify that the executed research work done by the candidate is true to the best of my/ our knowledge and belief, the work:

(1) embodies the work of the candidate himself/ herself
(2) has duly been completed
(3) fulfills the requirement of the Ordinance to the Ph.D. degree of the University
(4) is up to the standard both in respect of contents and language for being referred to the examiner

Signature of Supervisor	Signature of Candidate
Dr. Dhirendra Ojha	Ajay Kumar Patel
Date: 30/12/24	Date : 30/12/24

Signature of Co supervisor

RAC Member 1: Dr. Aslam Sayeed

RAC Member 2: Dr. Kausik Mukherjee

आभार

शोध प्रबंध को पूर्ण करने के दौरान अनेक व्यक्तियों से सहयोग लिया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबंध की पूर्णता का मार्ग प्रशस्त किया इस शोध प्रबंध को पूर्ण करने में मैं सर्वप्रथम चेयरमैन इंजीनियर अनंत सोनी एकेएस वि.वि. सतना का आभारी हूं जिन्होने अपने विश्व विद्यालय में मुझे शोध कार्य के लिए प्रवेश दिया।

मैं सहृदय से आभारी हूं प्रो0 बी0 ए0 चोपड़े कुलपति एकेएस वि.वि. सतना का जिनके मार्गदशन में शोध कार्य हो पाया।

मैं आभारी हूँ डॉ. शेखर कुमार मिश्रा परीक्षा नियंत्रक एकेएस वि.वि. सतना का जिनके अथक मेहनत से हमें समय पर परीक्षाफल की प्राप्ति होती है।

मैं आभारी हूँ डॉ. हर्षवर्धन श्रीवास्तव, डीन वाणिज्य संकाय का जिनके सहयोग से मैं अपना शोधकार्य पूर्ण कर सका।

संस्था के डॉ. एस.एस. तोमर, शोध नियंत्रक का भी मैं आभारी हूं जिनके मार्गदर्शन में वाणिज्य विभाग में अपने शोध को अंतिम परिणाम तक पहुंचा पाया।

एकेएस विश्व विद्यालय के डिप्टी शोध नियंत्रक डॉ. नीरज वर्मा का आभारी जिनके अथक प्रयास से मैं शोध कार्य कर पाया।

मेरे आदरणीय शोध निर्देशक डॉ. धीरेन्द्र ओझा, सह–प्राध्यापक विभागाध्यक्ष, वाणिज्य, एकेएस वि.वि.सतना का हृदय से आभारी हूँ जिनके मार्गदर्शन में मैं अपना शोध कार्य पूर्ण कर पाया तथा जिनका मार्गदर्शन मुझे जीवन पर्यंत मिलता रहे ऐसा आदरणीय से प्रार्थना है।

मैं आभारी हूँ आर ए सी सदस्य डॉ0 असलम सईद एवं डॉ0 कौशिक मुखर्जी एसोसिएट डीन एवं विभागाध्यक्ष प्रबंधन विभाग का जिनके मार्गदर्शन में मेरा शोध प्रबंध का कार्य पूरा हो पाएगा।

सहृदय से आभारी हूँ डॉ0 एच0 एल0 मरावी विभागाध्यक्ष एम0बी0ए0 पंडित एस0 एन0 शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल का जिन्होंने मुझे विषय से संबंधित जानकारी के लिए सहयोग प्रदान किये।

मैं अपने पिता श्री रमेश प्रसाद पटेल एवं स्वर्गीय माता श्रीमती अनीता पटेल के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनके आर्शिवाद एवं प्रेरणा से इस कार्य को पूर्ण कर पाया। मेरे छोटे भाई कंचन पटेल तथा मेरी पत्नी श्रीमती वंदना पटेल के प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होने शोधकार्य के दौरान मुझे पारिवारिक दायित्व से मुक्त रखा।

मैं शोध प्रबंध के टंकनकर्ता श्री संजीत विश्वकर्मा एवं शोध को मूल आकार देने के लिए श्री लालन कुमार पाण्डेय को भी सहृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने शोध प्रबंध को बहुत ही सावधानीपूर्वक टंकित कर व्यवस्थित एवं सुसज्जित रूप प्रदान किया गया।

धन्यवाद

दिनांकः

शोधार्थी

अजय कुमार पटेल

(एम.कॉम, एम.फिल.)

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ क्र.
अध्याय–1	**प्रस्तावना एवं विषय परिचय**	**1–99**
	प्रस्तावना	
	पेपर मिल्स की पृष्ठभूमि	
	भारत में पेपर मिल्स की पृष्ठभूमि	
	शोध अध्ययन की आवश्यकता	
	विषय परिचय	
	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	
	भौगोलिक परिदृश्य	
	दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल	
	प्रशासनिक स्वरूप	
	आर्थिक परिदृश्य	
	यातायात के साधन	
	जलवायु की स्थिति	
	खनिज एवं उद्योग	
	जनजाति	
	शिक्षा एवं साक्षरता	
	संगठनात्मक संरचनाः–	
	ओरिएंट पेपर मिल्स	
	संगठन का स्वरूप (प्रारूप)	
	रेखीय एवं कर्मचारी संगठन	
	कार्यात्मक संगठन	
	समिति संगठन	
	अखबारी कागज मिल	
	मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थिति	
	भारत में औद्योगिक विकास	
अध्याय–2	**साहित्य समीक्षा**	**100–109**
अध्याय–3	**शोध प्रविधि**	**110–128**

अध्याय–4	**पेपर मिल्स में कार्यरत् श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति**	**129–176**
	श्रमिकों से आशय	
	श्रमिकों के प्रकार	
	संगठित श्रमिक	
	असंगठित श्रमिक	
	श्रमिकों से संबंधित सरकारी योजनाएँ	
	श्रमिक अधिनियम एवं नियमन	
	पेपर एवं अखबारी कागज मिलों में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति	
	दोनों मिलों में श्रमिक स्थिति	
	मजदूरी	
	शिक्षा	
	मासिक आय	
	पारिवारिक प्रति व्यक्ति औसत आय	
	आर्थिक विकास में उद्योगों की भूमिका	
	उद्योग में कार्यबल	
	श्रमिकों की सामाजिक स्थितिः–	
	आयु	
	सामाजिक क्षेत्र	
	मादक पदार्थ के उपयोग	
	व्यवसाय की प्रकृति	
	मनोरंजन	
	सामाजिक स्थिति	
	स्वास्थ्य स्थिति	
	पेपर एवं अखबारी कागज मिलों में असंगठित श्रमिकों की स्थितिः–	
	शैक्षणिक	
	सुरक्षा योजना	
	स्वास्थ्य व सुरक्षा की नीतियाँ	

अध्याय–5	**दोनों मिलों में कार्यरत् श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन**	**177–230**
	विभेदात्मक मजदूरी	
	मातृत्व स्थिति	
	शैक्षणिक स्थिति	
	आर्थिक स्थिति	
	म0प्र0 में श्रमिक स्थिति	
	सुरक्षा एवं सुविधाएँ	
	शहरी एवं ग्रामीण श्रमिक	
	संगठित श्रमिक	
	असंगठित श्रमिक	
अध्याय–6	**शोध परिकल्पनाओं का सत्यापन समस्याएँ, निष्कर्ष तथा सुझाव**	**231–240**
	परिकल्पनाओं का सत्यापन	
	समस्याएँ	
	निष्कर्ष	
	सुझाव	
	संदर्भ ग्रंथ सूची	**241–249**
	साक्षात्कार प्रश्नावली	**250–255**
	शोध पत्र	**256–273**
	पर्सनल प्रोफाईल	**274**

तालिका–सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.1	2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर	38
1.2	म.प्र. में रोजगार कार्यालयों की उपलब्धियाँ	64
1.3	म.प्र. में रोजगार कार्यालयों में आवेदकों की संख्या	65
1.4	मध्यप्रदेश में उद्योगों के विकास हेतु निर्मित संस्थाएँ	71–72
1.5	औद्योगिक कॉम्पलेक्स केन्द्र	73
1.6	केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य के औद्योगिक केन्द्र	73
1.7	औद्योगिक विकास केन्द्र	74
1.8	मध्यप्रदेश विकास आर्थिक क्षेत्र	75
1.9	मध्यप्रदेश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग	76–78
1.10	मध्यप्रदेश : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग	78–79
1.11	कृषि आधारित उद्योग	81
1.12	भारत में महत्वपूर्ण उद्योगों का उत्पादन	85
4.1	दोनों मिलों में श्रमिकों की वैवाहिक स्थिति	146
4.2	दोनों मिलों में मजदूरी के आधार पर वर्गीकरण	147
4.3	ओरिएंट पेपर मिल में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी–ओरिएंट पेपर मिल	147
4.4	ओरिएंट पेपर मिल में समांतर माध्य की गणना	148
4.5	ओरिएंट पेपर मिल में शिक्षा के आधार पर श्रमिक संख्या	148
4.6	ओरिएंट पेपर मिल में श्रमिकों की मासिक आय	149
4.7	पेपर मिलों में श्रमिकों को होने वाली बीमारियों का स्वास्थ्य सारणी	150
4.8	ओरिएंट मिल में श्रमिकों के परिवार के प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय	150
4.9	उद्योग में कार्यबल का वितरण	152

4.10	ओरिएंट पेपर मिल एवं अखबारी कागज मिल में कार्यरत श्रमिकों की आयु	154
4.11	सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आवंटन	156
4.12	कमजोर वर्गों के लिए बजट आवंटन	157
4.13	नशीली पदार्थ का प्रयोग दर्शक तालिका	158
4.14	दोनों मिलों में व्यवसाय की पृष्ठभूमि के आधार पर विभाजन	160
4.15	श्रमिकों की सिनेमा देखने की प्रवृति की दर्शक तालिका	161
4.16	दोनों मिलों में श्रमिकों द्वारा प्राप्त शिक्षा दर्शक तालिका	163
4.17	श्रमिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की स्थिति	165
4.18	दोनों मिलों में स्वास्थ्य परीक्षण तालिका	167
4.19	सर्वेक्षण के आधार पर श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति	170
4.20	श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी	171
4.21	सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी प्राप्त करने के स्त्रोत	172
5.1	दोनों मिलों में श्रमिकों की मजदूरी की स्थिति	178
5.2	समांतर माध्य की गणना (ओरिएंट पेपर मिल)	179
5.3	समांतर माध्य की गणना (अखबारी कागज मिल)	180
5.4	दोनों मिलों की महिला श्रमिकों की संख्या	181
5.5	दोनों मिल में महिला श्रमिकों का सहसंबंध गुणांक की गणना	182
5.6	दोनों मिलों में श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति	184
5.7	दोनों मिलों में आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन	189
5.8	दोनों मिलों में श्रमिकों के घरों में विद्युत की सुविधा	191
5.9	दोनों मिलों में श्रमिकों के भोजन सुविधा तालिका	193
5.10	दोनों मिलों में शहरी एवं ग्रामीण श्रमिक	196
5.11	दोनो मिलों में संगठित श्रमिकों की मासिक आय का विवरण	198
5.12	दोनो मिलों में संगठित श्रमिकों को प्राप्त सुविधाओं की स्थिति	200

5.13 औद्योगिक क्षेत्र में संगठित दोनों मिलो के श्रमिकों के स्वास्थ्य की स्थिति 201

5.14 औद्योगिक क्षेत्र में संगठित, दोनों मिलों में श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति 202

5.15 दोनों मिलों में पारिश्रमिक के आधार पर संगठित श्रमिकों की स्थिति 203

5.16 दोनों मिलों में असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति 205

5.17 पारिश्रमिक के आधार दोनों मिलों में असंगठित श्रमिकों की स्थिति 207

5.18 समय पर वेतन भुगतान न पाने वाले श्रमिक (समय के आधार पर) 218

5.19 समय पर वेतन भुगतान न पाने वाले श्रमिक (राशि के आधार पर) 219

5.20 मिलों में श्रमिकों के विवादों एवं विवाद निष्पादन का अध्ययन 225

5.21 पीड़ित श्रमिकों द्वारा पंजीबद्ध कराये गये मामलों में निर्णय 228

5.22 शोषण से पीड़ित श्रमिकों का आयु समूह 229

5.23 शोषण की अपराधवार स्थिति 230

रेखा–चित्र सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.14	जनगणना के अनुसार साक्षरता दर	37
1.17	मध्य प्रदेश में रोजगार कार्यालयों की उपलब्धियाँ	65
1.18	जिलों में बेरोजगार आवेदक	66
1.19	हितग्राहियों द्वारा किया गया आवेदन	68
1.20	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन	68
4.1	ओरिएंट पेपर मिल में श्रमिकों की मासिक आय का रेखाचित्र	149
4.2	दोनों मिलों में आयु के आधार पर श्रमिकों का विभाजन (पाई चार्ट)	155
4.3	मादक पदार्थ का प्रयोग दर्शक रेखा चित्र	159
4.4	व्यवसाय की पृष्ठभूमि दर्शक रेखा चित्र	160
4.5	श्रमिकों के मनोरंजन की स्थिति का रेखा चित्र	162
4.6	दोनों मिलों में शिक्षा की स्थिति का रेखा चित्र	164
4.8	दोनों मिलों में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण (विभागवार)	168
4.9	दोनों मिलों में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण (पाई चार्ट)	168
4.10	मिलों में श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति	170
4.11	श्रमिकों की समाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी	171
4.12	सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी के स्त्रोत	172
5.2	दोनों मिलों में श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति	185
5.3	दोनों मिलों में श्रमिकों की मासिक आय की तुलना	190
5.4	दोनों मिलों में श्रमिकों के घरों में विद्युत सुविधा	192

5.5	दोनों मिलों में भोजन प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या (प्रतिशत में)	193
5.6(क)	ओरिएंट पेपर मिल में शहरी एवं ग्रामीण श्रमिक	196
5.6(ख)	अखबारी कागज मिल में शहरी एवं ग्रामीण श्रमिक	197
5.7(क)	ओरिएंट पेपर मिल में संगठित श्रमिकों की मासिक आय का विवरण (पाई चार्ट)	199
5.7(ख)	अखबारी कागज मिल में संगठित श्रमिकों की मासिक आय का विवरण (पाई चार्ट)	199
5.8	दोनों मिलों में संगठित श्रमिकों की सुविधाएं	201
5.9	दोनों मिलों में संगठित श्रमिकों की शिक्षा	202
5.10	दोनों मिलों में पारिश्रमिक के आधार पर संगठित श्रमिकों की स्थिति (पाई चार्ट)	203
5.11	दोनों मिलों में असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति	206
5.12	दोनों मिलों में पारिश्रमिक के आधार पर असंगठित श्रमिको की स्थिति	207
5.13	श्रमिको के विवादों के प्रकार	209
5.14	विवादों के पक्ष	210
5.15	विवादों का व्यवसाय आधारित वर्गीकरण	211
5.16	विवाद और सामाजिक स्थिति	213
5.17	विवाद और कार्य स्थल	214
5.18	कानूनी पक्ष व जागरूकता	222
5.19	श्रम विभाग की जानकारी कानूनी मदद एवं सरकारी विभाग (पाई चार्ट)	223
5.20	लिखित अनुबन्ध व हिसाब (पाई चार्ट)	223
5.21	हिसाब के प्रकार	224

शब्दावली

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की कार्यप्रणाली से संबद्ध ई–सरल हिन्दी वाक्य कोश

क्र.सं.	हिन्दी में अर्थ	हिन्दी में वाक्य
1	अंतरण	लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा डिजिटल अंतरण प्रणाली के माध्यम से किए गए सभी भुगतान।
2	उन्मूलन	बाल श्रम का उन्मूलन।
3	बाल श्रम	बाल श्रमिकों के परिवारों के हित कि लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर बल।
4	अधीनस्थ	स्वच्छ भारत मिशन को इस कार्यालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में लागू करना।
5	सुनिश्चत करना	इससे विवादों का त्वरित निपटान सुनिश्चत होता है।
6	नियोजनीयता/रोजगारपरकता	युवाओं में नियोजनीयता/रोजगारपरकता को बढ़ाना।
7	सुदृढ़ीकरण	रोजगार सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।
8	सुरक्षा दशाएं	कामगारों की सुरक्षा दशाओं और सुरक्षा में सुधार लाना।
9	सामाजिक सुरक्षा	संगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
10	प्रवर्तन	केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का प्रर्वतन।
11	महिला सशक्तिकरण	महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।
12	बीमा	संगठित तथा असंगठित कामगारों के लिए बीमा योजनाएं।
13	कल्याण	संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं।
14	विवाद	औद्योगिक विवादों की रोकथाम और निपटान तथा श्रम कानून प्रवर्तन तंत्र का सशक्तीकरण

15	दिशा–निर्देश	यह कार्यालय देशभर में रोजगार सेवाओं के समन्वयन के लिए नीतियां, मानक, मानदण्ड और दिशा–निर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।
16	अर्द्ध–न्यायिक	अर्द्ध–न्यायिक कार्य।
17	सत्यापन	ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करना।
18	पंचाट	समझौते व पंचाट लागू करना।
19	पारदर्शिता	कार्य में पारदर्शिता को प्रोत्साहन देना।
20	जागरुकता	श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरुकता बढ़ाना।
21	निगरानी	विवादों की प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करता है।
22	बंधुआ मजदूर	बंधुआ मजदूरी प्रथा का उन्मूलन।
23	पुनर्वास	मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करना।
24	उन्मूलन	बाल श्रम का उन्मूलन
25	अनुसरण	राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अनुसरण में
26	उपबंध	इस कार्यालय को उपबंधो को लागू करने का काम सौंपा गया है।
27	पैमाना	श्रम दिवसों का नुकसान औद्योगिक अशांति के प्रभाव को मापने का एक सीधा पैमाना है।
28	जागरुकता	श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरुकता बढ़ाना।
29	सुनिश्चित	विवादों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करता है।
30	स्पष्ट	श्रमिकों के समझाने के लिए प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाया है।
31	संबंधित	प्रणाली से विवादों के संबंधित समाधान अधिकारियों के पास अंतरण स्वतः हो पाएगा।
32	अधिकार	केन्द्र सरकार को अधिनियम के तहत नियम बनाने का अधिकार है।

33	तदर्थ	श्रम के क्षेत्र में नियमित तथा तदर्थ प्रकाशन निकालना।
34	कृषि	कृषि संकट तथा आम तौर पर ग्रामीण श्रमिक एवं विशेष तौर पर महिला कृषि श्रमिक।
35	परिवर्तन	मजदूरी का प्रश्न और उत्तर औपनिवेशक भारत में औद्योगिक संबंधो में परिवर्तन।
36	प्रवासन	पूर्व और वर्तमान में अंतराष्ट्रीय श्रमिक प्रवासन
37	मानचित्रण	कामगारों की जीवनी का मानचित्रण
38	अभिलेखागार	भारतीय श्रम अभिलेखागार की उन्नत वेबसाइट का शुभारंभ।
39	कार्यप्रणाली	राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने की कार्यप्रणाली के निर्धारण पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट।
40	गतिशीलता	भारत में आंतरिक प्रवासन की बदलती गतिशीलता।
41	संगम ज्ञापन	संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है।
42	संरचना	अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रशासनिक न्यायाधिकरण की संरचना से संबंधित संकल्प।
43	आकस्मिक	मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय के संबंध में आकस्मिक बिलों का भुगतान।
44	निकासी	मूल योजना प्रमाण–पत्र यह पता लगाने के लिए आवश्यक है कि क्या किसी सदस्य ने अपने पेंशन दावे के निपटान से पहले निकासी लाभ का लाभ उठाया है।
45	जागरुकता	श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरुकता बढ़ाना।
46	विवाद	केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों का निवारण एवं उनका निपटान करना।
47	प्रवर्तन	केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों और उनके अंतर्गत बनाए नियमों का प्रवर्तन।

48	पंचाट	पंचाट लागू करना।
49	सत्यापन	सीटीयू की सदस्यता का सत्यापन करना।
50	अनुवीक्षण	केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधो का अनुवीक्षण करना।
51	समझौता	विवादों का निपटान करने के उद्देश्य से, औद्योगिक विवदों में हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना और समझौता करना।
52	तालाबंदी	हड़ताल और तालाबंदी टालने के लिए आशंकित हड़ताल और तालाबंदी की परिस्थितियों में हस्तक्षेप करना।
53	रिट याचिका	विभिन्न उच्च न्यायालयों में मंत्रालय के खिलाफ दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में श्रम और रोजगार मंत्रालय का बचाव करना।
54	शिकायत	श्रम और रोजगार मंत्रालय के निर्देशानुसार शिकायतों की जाँच करना।
55	निषेध	विभिन्न नौकरियों में अनुबंध श्रम के निषेध की जाँच करने के लिए विभिन्न उप–समितियों के संयोजक के रूप में केन्द्रीय सलाहकार अनुबंध श्रम की सहायता करना।
56	सहायता करना	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने में मंत्रालय की सहायता करना।
57	सलाह देना	अखिल भारतीय प्रकृति की हड़तालों और अन्य श्रम मामलों पर संघर्ष की स्थितियों में श्रम और रोजगार मंत्रालय को सलाह देना।
58	प्रतिनिधिमंडल	मंत्रालय की सलाह के अनुसार संसदीय समितियों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडलों में भाग लेना।
59	संपर्क	मंत्रालय के निर्देशानुसार सूचना के संग्रह के लिए राज्य सरकार के श्रम विभागों के साथ संपर्क रखना।

60	प्रदान करना	'केन्द्रीय श्रम सेवा' के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
61	त्वरित	विवादों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करता है।
62	प्रगति	विवादों की प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करता है।
63	जनसम्पर्क	जनसम्पर्क अधिकारी इस पद पर आसीन है
64	जारी करना	दिनांक 05.10.2019 को एक पत्र जारी किया गया था।
65	निकाय	एक त्रिपक्षीय निकाय का गठन किया गया।
66	प्रस्ताव देना	समिति ने एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया।
67	भागीदारी करना	सभी कर्मचारियों को कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
68	विवाद	औद्योगिक विवादों का निपटान समयोजित ढंग से किया जाता है।
69	निर्दिष्ट करना	कर्मचारियों को सलाह के लिए निर्देशित किया गया है।
70	बकाया	संबंधित अधिकारी को बकाया का भुगतान कर दिया गया है।
71	लक्ष्य	वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
72	आबंटन	योजना के लिए निधि का आबंटन किया गया है।
73	संचालन करना	अप्रवासी बच्चों के लिए एक बैठक का संचालन किया गया।
74	विकसित करना	बोर्ड द्वारा अध्ययन सामग्री तैयार की गई।
75	सहायता करना	अधिकारी अत्यावश्यक मामलों में स्टाफ की सहायता करता है।
76	कार्य–निष्पादन करना	संसदीय कार्य तात्कालिक आधार पर निष्पादित किया जाता है।

77	उपस्थित करना	कल समारोह में सभी कर्मचारी उपस्थित थे।
78	समर्पित करना	यह रिपोर्ट हमारे माननीय मंत्री जी को समर्पित है।
79	रोकथाम	यह बाल श्रम की रोकथाम के लिए की गई पहल है।
80	समृद्ध बनाना	रोजगार के अवसरों को समृद्ध बनाने के लिए समन्वित प्रयास करें।
81	प्रबंधन	प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन किया जा रहा है।
82	चुनौती	भारत अपने योजना कार्यान्वयन तंत्र में चुनौतियों का सामना कर रहा है।
83	अनुसंधान परियोजनाएं	वर्ष के दौरान पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं इस प्रकार हैं।
84	सुधार	कार्य की दुनिया में सुधार के मुद्दों पर कार्यवाही करें।
85	प्रदान करना	फेलोशिप, पुरस्कार तथाा वृत्तिकाएं प्रदान करना।
86	स्व–रोजगार	ग्रामीण औद्योगिकीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्व–रोजगार के विकल्प।
87	धुलाई स्थल	निजिता बनाए रखने के लिए महिलाओं हेतु अलग से शौचालय एवं धुलाई स्थलों का प्रावधान।
88	नियोजन	खतरनाक कार्यों वाले कतिपय कारखानों में भी मलिहाओं के नियोजन पर रोक है।
89	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निम्न हितलाभ उपलब्ध है।
90	कटौती	प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला की मजदूरी में से कटौती न किया जाना।
91	भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कामगार	भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कामगार कल्याण बोर्डों में एक महिला सदस्य का प्रतिनिधित्व।
92	यौन शोषण	महिला कामगारों के कार्य स्थलों पर यौन शोषण के विरुद्ध सुरक्षा संबंधी प्रावधान करना।

93	चिह्नित करना	मंत्रालय ने यह राशि वर्तमान वर्ष के लिए चिह्नित की है।
94	प्रवर्तन	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रर्वतन गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
95	जवाबदेही	यह मंत्रालय इस अधिनियम के उचित प्रवर्तन के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है।
96	विलय	इस योजना का विलय प्रधानमंत्री आवास योजना में कर दिया गया है।
97	व्यापक	व्यापक संशोधन तैयार करके मंत्रालय के पास भेज दिया है।
98	शिशुगृह	महिला कामगारों के हितलाभ के लिए शिशुगृहों का प्रावधान।
99	सतही स्तर	केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है।

अध्याय–1

प्रस्तावना एवं विषय परिचय

1. प्रस्तावना

2. पेपर मिल्स की पृष्ठभूमि

3. भारत में पेपर मिल्स की पृष्ठभूमि

4. शोध अध्ययन की आवश्यकता

5. विषय परिचय

    5.1 विषय परिचय
    5.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
    5.3 भौगोलिक परिदृश्य
    5.4 दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल
    5.5 प्रशासनिक स्वरूप
    5.6 आर्थिक परिदृश्य
    5.7 यातायात के साधन
    5.8 जलवायु की स्थिति
    5.9 खनिज एवं उद्योग
    5.10 जनजाति
    5.11 शिक्षा एवं साक्षरता

6. संगठनात्मक संरचना

    6.1 ओरियंट पेपर मिल्स

    6.2 संगठन के पारूप

        रेखीय संगठन

        रेखा एवं कर्मचारी संगठन

        कार्यात्मक संगठन

        समिति संगठन

6.3 अखबारी कागज मिल्स– नेपा लिमिटेड

6.4 मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थिति

6.5 भारत में औद्योगिक विकास

अध्याय–1
प्रस्तावना एवं विषय परिचय

1. प्रस्तावना

पेपर मिल्स भारत के प्रमुख उद्योगो में से एक है उद्योग में कार्यरत मशीनों के माध्यम से कागज की किस्मों का उत्पादन करते है जिसमें मुद्रण, लिखने वाले कागज, पैकेजिंग कागज, लेपित कागज और कुछ विशेष कागज की एक विस्तृत श्रृंखला है। भारत विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, अगर हम भारत में कुल कागज उद्योग की बात करें तो लगभग भारतवर्ष में 600 से अधिक कागज मिल्स है, इसी प्रकार हम अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में पहली स्वदेशी अखबारी कागज मिल्स नेपा नगर के बुरहानपुर जिले में है तथा मध्यप्रदेश में ही शहडोल संभाग अन्तर्गत अमलई में स्थित ओरियंट पेपर मिल्स है पूरे भारत में बात करे तो इन मिलों में लाखों की तादात् में श्रमिक कार्य करते है जिसमें कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल श्रमिक कार्य करते है जिसके अन्तर्गत संगठित एवं असंगठित श्रमिक भी शामिल है।

भारत की जनसंख्या में श्रमिक शक्ति का योगदान लगभग 70 प्रतिशत है जिसमें सभी प्रकार के श्रमिक सम्मिलित है। इन श्रमिकों में लगभग 60–70 प्रतिशत श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से आते है, लेकिन अगर पेपर मिल की बात करें तो मिल में अलग–अलग प्रकार के श्रमिको को शामिल किया जाता है। ऐसे श्रमिकों को अपनी आजीविका चलाने के लिए नजदीक शहरो की ओर रोजगार की तालाश में जाना पडता है। चूंकि मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहां श्रमिकों के लिए कुछ खास उद्योग या संस्थाएँ नही है। जिसमें उनको स्थायी तौर पर रोजगार दिया जा सके।

ओरियंट पेपर मिल्स प्राइवेट होने के कारण वहां भी मानक के आधार पर श्रमिक वर्ग कार्य करते है सभी को रोजगार नही दिया जाता है। अखबारी कागज मिल नेपानगर में भी उत्पादन के आधार पर श्रमिकों की भर्ती की जाती है, श्रमिकों को अगर किसी भी उद्योग में स्थायी रूप से भर्ती किया जाए तो हो सकता है मध्य प्रदेश ही नही भारत वर्ष मे भी श्रमिको की समस्या का हल निकल सकता है। कागज उद्योग भारत के प्राचीन उद्योगों मे से एक है। वर्तमान अध्ययन ने भारतीय कागज उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के आर्थिक विकास और प्रगति पर गहन शोध किया गया है।

कागज की खपत का उपयोग सभ्यता के बुनियादी मात्र के रूप में किया जाता है। प्रारम्भ में पत्थरों, मिट्टी, तांबे और ताड़ के पेड़ो आदि पर लेखन और नक्काशी की गई थी कागज बनाने की कला सबसे पहले चीन मे विकसित हुई थी जहां इसे शहतूत के पेड़ छाल और पत्तियों से बनाया गया था।

751ई. में अरबों ने चीनियों को बंदी बना लिया और उनसे कागज बनाने की कला मध्य पूर्व और यूरोप तक पहुंच गई। कागज बनाने की कला अरबों के माध्यम से भारत पहुँची, जिन्होंने शुरूआत में चीनी कैदियों से सीखा था।

पहले आर्यो ने भारी मात्रा में जानकारी को याद रखने के लिए ''ताबे की प्लेट'' (ताम्रपत्र), लौहपत्र (लोहे की चादरें), ताड़पात्र (ताड़ के पत्ते), भुजपत्र (बीच ताड़) और इसी तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया।

सूचनाओं के आदान–प्रदान और भंडारण के लिए धातुओं का उपयोग कुछ समस्याओं के साथ समाप्त हो गया है और इसके परिणामस्वरूप सूचना साझा करने और भंडारण के मानव के चिरस्थायी प्रयास को आसान बनाने के लिए कागज का आविष्कार हुआ है। फाइबर शीट की शुरूआत के साथ संचार के साझा के रूप में सीसा, तांबा और कांस्य का उपयोग काफी कम हो गया पुराने जमाने मे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हाथ से कागज उद्योग होने के प्रमाण मिलते थे। मुगल सामाज्य के दौरान कागज उद्योग ने अपनी गति प्राप्त की अकबर के शासनकाल के अंत में इसे पूरे भारत में सबसे आम उपयोग सामग्री के रूप में देखा गया था।

2. पेपर मिल्स की पृष्ठभूमि

पेपर मिल की उत्पत्ति की ऐतिहासिक जाँच आधुनिक विद्वानों की अलग–अलग परिभाषाओं और ढीली शब्दावली से जटिल है बहुत से आधुनिक विद्वान इस शब्द का उपयोग अधिक मात्रा में सभी प्रकार की मिलो को संदर्भित करने के लिए करते है, चाहे वे मनुष्यों द्वारा संचालित जानकारी द्वारा हो या पानी द्वारा पहली बार 13वीं शताब्दी के अंत में स्पेन का उल्लेख किसी भी प्राचीन कागज का निर्माण केन्द्र को मिल के रूप में संदर्भित करने की उनकी प्रवृत्ति, इसके सटीक शक्ति स्त्रोत को और निर्दिष्ट किए बिना, विशेष रूप से कुशल और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जल–संचालिक प्रकार की पहचान करने की कठिनाई को बढ़ा दिया है। पेपर मिल कारखाने है जहां लकड़ी के गूदे, पुराने लत्ता और अन्य सामग्री का उपयोग करके कागज का निर्माण किया जाता था। प्राचीन काल में उत्पादन के सभी साधन मानव कार्य बल की सहायता से ही किये जाते थे।

सर्वप्रथम मनुष्यों और पशु संचालित मिले थी। मानव और पशु संचालित मिलो का उपयोग मुस्लिम और चीनी कागज बनाने वालो के लिए जाना जाता था। इसके बाद पानी से चलने वाली मिलो का उद्‌गम हुआ। पानी से चलने वाली मिल के कुछ प्रमाण स्पेन के आरागाँन साम्राज्य 1282 से मिलते है। यह प्रारम्भिक हाइड्रोलिक पेपर मिल मुरीश में रहने वाले मुसलमानों द्वारा परिचालन की गई थी। पहली स्थाई पेपर मिल 1390 में जर्मनी के नूर्नवर्ग में स्थापित की गई थी। 14वीं शताब्दी के बाद से यूरोपीय पेपर मिलिंग में बहुत से

कार्य प्रक्रियाओं में तेजी से सुधार हुआ। 20वीं शताब्दी तक न्यू इंग्लैंड और शेष विश्व में पेपर मिलो की संख्या मे वृद्धि हुई।

पेपर शब्द ग्रीक भाषा से प्राचीन मिस्त्र के राइटिंग मैटेरियल से लिया गया है जिसे पेपिरस कहा जाता है, जो पेपिरस पौधों की पीटा स्ट्रिप्स से बना था। माना जाता है कि आधुनिक पेपर के तत्काल पूर्ववर्ती लगभग दूसरी शताब्दी सी ई में चीन में उत्पन्न हुए थे, हालांकि वहा इस तारीख से पहले इसके इस्तेमाल के कुछ सबूत मिले है। कागज बनाने को प्राचीन चीन के चार महान आविष्कारों में से एक माना जाता है। क्योंकि पहली कागज बनाने की प्रक्रिया चीन में धन कोर्ट यूनुच कै लुन द्वारा विकास की शुरुआत दूसरी शताब्दी में की गयी थी। चीन ने रेशम के लिए एक प्रभारी और सस्ते विकल्प के रूप में कागज का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें अधिक रेशम बेचने का मौका मिला, जिससे चीन स्वर्ण युग की ओर अग्रसर हुआ। इस्लामी दुनिया के माध्यम से चीन से फैले कागज का उपयोग और 12वी शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में उत्पादन प्रवेश किया। 19वीं शताब्दी की शुरूआत में कागज के मशीनीकृत उत्पादन ने विश्व भर में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन किए, जिससे पत्रों के रूप में सूचना के अपेक्षाकृत सस्ते आदान–प्रदान की अनुमति मिली। समाचार पत्रो और किताबे पहली बार 1844 में कनाड़ा के आविष्कार चार्ल्स फेनर्टी और जर्मन आविष्कारक एफ.जी.केलर ने कागज बनाने में उपयोग के लिए लकड़ी को गुदाने के लिए मशीन और प्रक्रिया का आविष्कार किया था। गूदें वाले लत्ता के लगभग 2000 वर्षो के उपयोग को समाप्त कर देगा और अखबारी कागज के उत्पादन के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा और अनतः लुगदी वाली लकड़ी से सभी कागज निकलेंगे।

चीनी पेपर मेकिंग तकनीक समय से कोरियन जल्दी पहुंच गई और वर्ष 610ई. में जापान में पेश की गई दोनों देशों में कागज अभी भी पुरानी पराम्परा में इन बड़े पैमाने पर हाथ से बनाया जाता है। अधिमानतः शहतूत के पेड़ के ताजा बस्ट फाइबर से (जापानी में कोजो) खाना पकाने की प्रक्रिया के बाद, लम्बे बिना कटे रेशों को केवल पीटकर तैयार किया जाता है, जो कागज को इसकी विशेषता और उत्कृष्ट गुणवत्ता देता है। उत्तरार्द्ध अन्य बातों के अलावा कई परत फाइबर मैट के कारण है।

बहुत जल्द पेपर मेकिंग का ज्ञान मध्य एशिया और तिब्बत और फिर भारत में फैल गया। जब अरब अपने पूर्वी विस्तार के दौरान समरकन के करीब पहुंचे तो वे भी कागज के उत्पादन से परिचित हो गए और बाद में मोरक्को, स्पेन और सिसिली में पेपर मिलो की स्थापना की गई। ताजे रेशो की कमी के कारण, अरबों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल लगभग पूरी तरह से लत्ता से बनाया गया हालाँकि उनके दोषपूर्ण और खराब तरीके से डिजाइन किए गए प्रसंस्करण उपकरण जैसे (ब्रेकर मिल) ने एक घटिया ग्राउड पल्प का उत्पादन किया लेकिन इस विधि का उपयोग करके जरूरतो से बने स्क्रीनों के

साथ पतली चादरे बनाई गई और फिर स्टार्च पेस्ट के साथ ''लेपित'' किया गया इसने अरब के कागज को इसके अच्छे लेखन गुण और अच्छी उपस्थिति दी। अरेबियन का निर्यात निर्मित कागज इसके उत्पाद के सेट के साथ है।

14वीं शताब्दी

14वीं शताब्दी में कागज बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी। देर से मध्य युग में व्यापार की तेजी से विस्तार के क्रम में अधिक से अधिक व्यापारियों ने कागज नामक वस्तु का कारोबार किया जो विद्यार्थियों और बौद्धिक जीवन के महत्व में बढ़ रहा था। 14वीं शताब्दी तक यूरोप में कई पेपर मिले मौजूद थी खासकर स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी में 1450 ई. के दशक में छपाई के आविष्कार ने कागज की मांग में भारी वृद्धि हुई। 18वीं शताब्दी के दौरान कागज बनाने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित रही जिसमें लिनन और कपास को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता था। पेपर मिलें तेजी से विकास कर रही थी लेकिन लिनन और कपास की कमी से त्रस्त थी। 18वीं शताब्दी में उन्होंने सार्वजनिक रूप से लत्ता के विज्ञापन के लिए योजना बनाई। यह स्पष्ट था कि अधिक प्रचुर मात्रा में सामग्री के उपयोग के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता थी। 1800 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसने कागज के निर्माण के लिए व्यावहारिक तरीके का विकास शुरु किया लकड़ी का गुदा और अन्य सब्जियों के गूदा। कई प्रमुख लुगदी प्रक्रियाओं को धीरे–धीरे विकसित किया गया जिससे कागज उद्योग को कपास और लिनन के लत्ता पर निर्भरता से राहत मिली और आधुनिक बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो गया। इन विकासों ने दो अलग–अलग रास्तों का अनुसरण किया, एक में रेशे और रेशे के टुकड़े यांत्रिक तरीके से लकड़ी की संरचना से अलग किए गए थे और दूसरे में लकड़ी को रासायनिक समाधानों के संपर्क में लाया गया था जो लिग्निन और अन्य लकड़ी के घटको को भंग कर देते थे और सेल्युलोज फाइबर को पीछे छोड़ देते थे।

यांत्रिक विधियों द्वारा निर्मित ग्राउंडवुड पल्प में लकड़ी के सभी घटक होते है। इसलिए यह उन कागजों के लिए उपयुक्त नही है जिनमें उच्च सफेदी और स्थायित्व की आवश्यकता होती है। ग्राउंडवुड पल्प को पहली बार जर्मनी में 1840 में बनाया गया था। लेकिन यह प्रक्रिया लगभग 1870 तक व्यापक उपयोग में नही आई थी। सोड़ा पल्प का निर्माण पहली बार 1852 में इंग्लैड में लकड़ी से किया गया था, और 1867 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सल्फाइट पल्पिंग के लिए पेटेंट जारी किया गया था। प्रक्रिया केवल सेल्युलोसिक फाइबर (वाटर लीफ) से बनी कागज की एक शीट पानी को सोखने वाली होती है। इसलिए पानी आधारित स्याही और अन्य जलीय तरल पदार्थ उसमें धुल जाएंगे और उसमें फैल जाएंगे। विभिन्न पदार्थ के साथ का संसेचन जो इस तरह के गीलापन और पैठ को रोकना कहलाता है। आकार देना सन 1800 से पहले, कागज की चादरें जानवरो के गोंद या वनस्पति गोद के साथ संसेचन द्वारा आकार दी जाती थी जो कि एक

महंगी और थकाऊ प्रक्रिया थी। 1800 ई. में जर्मनी में मोरिज फ्रेडरिक इलिग ने पाया कि कागज का आकार में वे सकता हैरेसिन और फिटकरी के साथ वत्स। हालांकि इलिग ने अपनी खोज 1807 ई. में प्रकाशित की, लेकिन यह विधि लगभग 25 वर्षो तक व्यापक रूप से उपयोग में नही आई।

1774 ई. में क्लोरीन तत्व की खोज ने पेपर स्टॉक को ब्लीच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उस समय रासायनिक ज्ञान की कमी के कारण घटिया विधि द्वारा कागज का उत्पादन हुआ, कुछ वर्षो के लिए इसे बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया। क्लोरीन ब्लीचिंग आज पेपर मेकिंग की एक साधारण तकनीक है।

18वीं सदी

18वीं शताब्दी के दौरान बड़े कार्यो में शिल्प गतिविधियों का कुछ संकेद्रण हुआ था, जो कारखाना शिल्प समूहो में संगठित कुशल कागज बनाने वालों पर निर्भर थे। जितना संभव हो सके उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास और मशीन द्वारा किए गए कार्य (आशिंक रूप से कागज बनाने वालो के शिल्प उपयोग के विवश नियमों को पूरा करने के लिए) 1798 ई. में पेपर मेकिंग मशीन के डिजाइन और निर्माण में परिणत हुए। यह था आगे इंग्लैड में ज्यादातर विकसित हुआ डोनिंग और फोरडिनियर भाइयों द्वारा कुछ ही समय बाद अन्य प्रकार दिखाई दिए, जैसे डिकिन्सन सिलेंडर मशीन, और मशीन जिसने बाचर मोल्ड्ज को एक अंतहीन श्रंखला पर ले जाया और शीट्स को एक निरंतर महसूस किया।

फ्लैट स्क्रीन और सिलेंडर मशीन, जिन्हे पहली बार 19वीं शताब्दी में देखा गया था। लगातार सुधार किया गया और ट्रायर अनुभाग को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया इसने जल्द ही पेपर वेब के काफी विस्तार हुआ, और उत्पादन की गति में वृद्धि हुई। इसने औद्योगीकरण की भी शुरुआत की इस नए युग मे छोटे ऑपरेटर जो मशीनों को खरीदने में असमर्थ या अनिच्छुक थे, उन्होंने पीस वर्क या विशेष ग्रेड का उत्पादन करके जीवित रहने की मांग की लेकिन देर–सवेर उन्हें अपनी गतिविधियों को बंद करने के लिए मजदूर होना पड़ा। दूसरो को अपनी मौजूदा इमारतों को अनुकूलित करना पड़ा या कहीं और नई मिले स्थापित करनी पड़ी।

19वीं और 20वीं सदी

19वीं और 20वीं शताब्दी मे कागज उद्योग के इतिहास को पांच आंशिक रूप से अतिव्यापी अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें प्रत्येक निश्चित प्रवृत्तियों द्वारा चिन्हित है। पहले चरण में लगभग (1800 से 1860 ई.) पहले हाथ से किए जाने वाले सभी कार्य क्रम यंत्रीकृत थे। इससे चीर की तैयारी भराव का उपयोग लुगदी की धड़कन दूसरे

विभिन्न भागों के साथ पेपर मशीन और कागज को खत्म करने के लिए आवश्यक मशीनें (हेडबॉक्स, वायर सेक्शन, प्रेस सेक्शन, ड्रायर सेक्शन, रीलिंग के लिए इकाइयां, चौरसाई और पैकेजिंगो दूसरे चरण (लगभग 1840 से 1880 ई.) के दौरान औद्योगिक पैमाने (ग्रांउडवुड पल्प और केमिकल पल्प) पर चीर के विकल्प प्राप्त करने के प्रयास किए गए और उपयुक्त औद्योगिक संयत्रो (ग्राउंडवुड और केमिकल पल्प मिल्स) का विकास किया गया तीसरे चरण (1860 से 1950 ई.) को वेब की चौड़ाई में वृद्धि, कार्य करने की गति में वृद्धि, इलेक्ट्रिक ड्राइव की शुरुआत और विभिन्न मशीन भागों मे और सुधार द्वारा चिहिंत किया गया था। विशेष रूप से कागज और बोर्ड ग्रेड उदाहरण के लिए यांकी सिलेंडर और सिलेंडर मशीन के उत्पादन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई मशीनों को भी विकसित किया गया था। वेब काम करने की चौड़ाई 85 से.मी. (1830 ई.) से बढ़कर 770 से.मी. (1930 ई.) हो गई, जबकि उत्पादन की गति 5 मीटर/मिनट से बढ़ गई (1820 ई.) से 500 मी./मिनट से अधिक 1930 चौथा चरण (1950 से 1980 ई.) जो अभी भी यांत्रिकी के संबंध में पुराने तरीके पर निर्भर था, पेपरमेकिंग में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया वेब की चौड़ाई और काम करने की गति में और वृद्धि के साथ–साथ, नई सामग्री (थमोमैकेनिकल पल्प, डीकेंड आई.एन.) का उपयोग किया गया था।

रिकवर पेपर, न्यू फिलर्स, प्रोसेस्ड केनिकल्स और डाईज नई शीट बनाने के विकास (जैसे ट्रविन–वाचर फॉमर्स द्वारा) न्यूट्रल साइजिंग, इकोलॉजी पर अधिक तनाव (क्लोज्ड लूप्स्म) और सबसे बढ़कर (ऑटोमेशन इन परिवर्तनों का परिचालन प्रभाव था कुछ कागज के प्रकारों में विशेषज्ञता नए पेपर ग्रेड LWC (लाइटवेट कोटेड पेपर) का विकास कार्पोरेट विलय अपने स्वयं के कच्चे माल की आपूर्ति और व्यापारिक संगठनो के कम्पनी समूह लाभहीन कार्यो को बंद करना।

1980 के बाद

पेपर मेकिंग में 1980 ई. के बाद पांचवा चरण भविष्य की ओर ले जाता है। नई शीट बनाने वाले सिद्धातों (कागज और गैर–बुने हुए कपड़ो के बीच द्रव सीमाओं के साथ) और रासायनिक लुगदी प्रक्रियाओं का विकास मुख्य प्रक्रिया सुधर रहा है। हालाँकि, वैश्विक बाजार में स्थिति (बढ़ी हुई मांग तीसरी दुनिया में सबसे ऊपर, रासायनिक लुगदी की कीमतो में सुझाव, स्थान की समस्याएँ), फिर से पूँजी की तीव्रता को बढ़ा रही है और 36 अन्तर्राष्ट्रीय संचालन के साथ बड़ी कम्पनी समूहो के गठन को प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही छोटी स्थानीय फर्मो के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निश्चित अवसर है। ब्लीचिंग चिपिंग कच्चा माल पल्पिंग एडिटित्स वाटर पेपर को हटा रहा है।

Paper Making Process

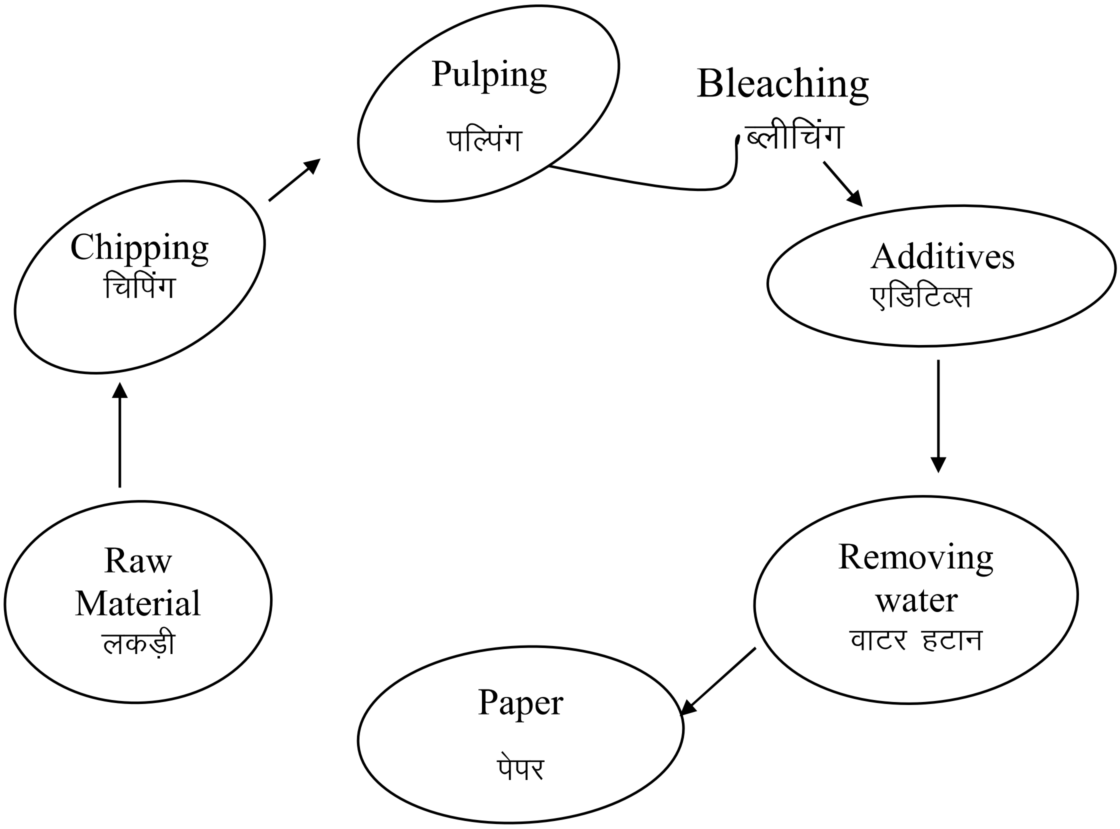

3. भारत में पेपर मिल्स की पृष्ठभूमि –

भारत में पहला मशीन निर्मित कागज 1812 ई. में प्रारम्भ हुआ था। इस समय 15 मिले थी, जिनका उत्पादन लाखो में था। भारत में नरम लकड़ी मुख्य कच्चा माल है जिसका उपयोग कागज बनाने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से अखबारी कागज और उच्च श्रेणी के मुद्रण कागज वर्तमान समय मे जनसंख्या के विस्तार एवं शिक्षा के विस्तार के साथ कागज की उपयोगिकता तथा सार्वभौमिक मांग में लगातार वृद्धि हो रही है।

बहुत कम वन संसाधनों के कारण लकड़ी के गूदे की कमी है। समशीतोष्ण जलवायु में नाम लकड़ी बढ़ने के कारण भारत में ऐसी लकड़ियों की आपूर्ति कम है।इस प्रकार ऐसी परिस्थितियाँ में बांस देश में कागज के निर्माण के लिए प्रमुख कच्चा माल बन गया क्योंकि यह काटने के बाद भी बहुत जल्दी बढ़ता है।

भारत में कागज उद्योग मुख्य रूप से वृक्षारोपण पर आधारित है और यह आवश्यक है कि कागज बनाने के लिए नीलगिरी और अन्य पेड़ो के वृक्षारोपण के तहत अधिक भूमि लाई जानी चाहिए। कागज उद्योग को भी भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है।

और समाचार पत्रों के लिए उपयोग किए जाने वाले कागज को अखबारी कागज कहा जाता है। इसकी आवश्यकता स्पष्ट रूप से बढ़ने के लिए बाध्य है। इन सभी मांगों को पूरा करने के लिए बुरहानपुर जिले में नेपानगर न्यूजप्रिंट (अखबारी कागज) प्लांट की स्थापना की गयी थी। वही ओरिएंट पेपर मिल की स्थापना की बात करे तो शहडोल जिले के अमलई में स्थापित किया गया था। भारतीय कागज उद्योग ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी अजीविका का निर्माण किया है और स्थानीय आबादी के लिए विशेष रूप से महिलाओं को अपनी अजीविका कमाने के लिए रोजगार पैदा करने में सहायता की है।

भारतीय कागज उद्योग एक विविध और विशिष्ट उद्योग के रूप में उभरा है जो कई प्रकार के कागजो का उत्पादन करता है जो विभिन्न उपयोगो में आते है जैसे वॉटरमार्क, फिल्टर पेपर, ड्राइंग भीट आदि।

पेपर बैग, पेपर डायरी, पेपर फोटो फ्रेम, ग्रीटिंग कार्ड सहित अन्य उत्पाद हस्तनिर्मित कागज के बक्से, कागज एल्बम आदि दुनिया भर में निर्मित और निर्यात किए जाते है। भारत में प्रति व्यक्ति कागज की खपत 18 kg से भी अधिक है जो वैश्विक औसत 60 kg से भी पीछे है।

कागज का इस्तेमाल तो आज पूरी दुनिया मे हो रहा है लेकिन क्या आपको कागज के इतिहास के बारे में पता है कि कागज का आविष्कार किसने, कब और कैसे किया। भारत में कागज का इस्तेमाल कब से शुरु हुआ इस अध्याय में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। आज कागज के बिना हमारे सभी काम अधूरे है, चाहे बच्चो की पढ़ाई हो या बैंक, व्यापार, आफिस आदि का काम सभी कागज बिना सम्भव नही है। कागज को बनाने में घास, फूंस, लकड़ी, कच्चे माल सेलुलोज–आधारित उत्पाद का इस्तेमाल होता है।

भारत में कागज बनाने की सबसे पहली मिल कश्मीर में लगाई गई थी जिसे वहां के सुल्तान जैनुल आबिदीन ने स्थापित किया था। सन् 1887 में भी कागज बनाने वाली मिल स्थापित की गई थी। जिसका नाम था टीटागढ़ कागज मिल्स, लेकिन ये मिल कागज बनाने में असफल रही। आधुनिक कागज का उद्योग कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर बाली नामक स्थान पर स्थापित किया गया।

वर्तमान में भारत में 16 पेपर मिले हैं जिनकी उत्पादन क्षमता एक लाख टन से अधिक लेखन, छपाई और रैपिंग पेपर और बोर्ड का उत्पादन करने की क्षमता है। लगभग 9 प्रमुख बोर्ड और स्ट्रा बोर्ड मिले है। पेपर मिलो में रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड, अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स लिमिटेड और गुजरात पेपर मिल्स लिमिटेड भी बोर्ड के निर्माता है। इनकी कुल उत्पादन क्षमता 50,000 टन से अधिक है। अभी तक भारतवर्ष में स्थापित पेपर उद्योगों का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है–

1. अपर इंडिया कूपर मिल्स लिमिटेड (उत्तरप्रदेश)

अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स लिमिटेड 1879 में स्थापित किया गया था जिसका उत्पादन कार्य 1882 से शुरू किया गया। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के गोमती नदी के तट पर स्थित यह उद्योग वर्तमान समय में कागज बनाने की विभिन्न ग्रेड उत्पादन करता है जिसमें सफेद प्रिटिंग, रंगीन कागजात, प्राचीन वस्तुएं, क्रीम लेड्स सरकारी पानी चिंहित कागज आदि। मिलो द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राथमिक कच्ची सामग्री है जिसमें चिथडे भांग, जूट, सवाई घास और रद्दी कागज है। ये प्राथमिक कच्ची सामग्री संयुक्त प्रांत, पंजाब, राजपूताना, मध्य प्रांत, नेपाल गंज वन, खेरी वन तथा देहरादून जंगल से लाए जाते है। तथा उत्पादन का कार्य किया जाता है मिल्स में स्थानीय लोगों को रोजगार की प्राथमिकता दी जाती है।

2. टीटागढ़ पेपर मिल्स

टीटीगढ़ पेपर मिल्स की स्थापना सन् 1882 में किया गया था। टीटागढ़ पेपर मिल्स की स्थापना पश्चिम बंगाल में किया गया है जो कि एक सार्वजनिक पेपर लिमिटेड कम्पनी है। इसे गैर–सरकारी कम्पनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और यह रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, कोलकाता में पंजीकृत है। इसकी अधिकृत शेयर पूंजी रूपये है। इसने अपना उत्पादन कार्य 28 जुलाई 1900 से प्रारम्भ किया था। तथा इस मिल्स से सबसे ज्यादा उत्पादन होता है।

3. द डेक्कन पेपर मिल्स

द डेक्कन पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड एक गैर–सरकारी कम्पनी है, जिसे 5 जनवरी 1885 में पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। यह एक सार्वजनिक गैर–सूचीबद्ध कम्पनी है। और इसे शेयरो, द्वारा सीमित कम्पनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डेक्कन पेपर मिल्स कम्पनी भारत वर्ष में पिछले 140 वर्षो से अपनी सेवाएं दे रही है।

4. बंगाल पेपर मिल्स (बंगाल)

बंगाल पेपर मिल्स रानीगंज की स्थापना 1947 में की गयी थी जो अपना उत्पादन कार्य सन् 1950 से शुरु किया गया पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कागज उद्योग के कारखाने है एवं उत्पादन भी ज्यादा पश्चिम बंगाल से ही होता है। यह एक सार्वजनिक असूचीबद्ध कम्पनी है और इसे शेयरो द्वारा सीमित कम्पनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कम्पनी की अधिकृत पूंजी 5.00 लाख रूपये है और इसमें 20% चुकता पूंजी है जो 1 लाख रूपये है। बंगाल पेपर मिल्स कम्पनी लि. पिछले 122 वर्षों से विनिर्माण कागज और कागज उत्पाद, प्रकाशन मुद्रण और रिकॉर्डेड मीडिया के पुनरुत्पादन व्यवसाय में प्रमुख रूप

से है और वर्तमान में कम्पनी के संचालन परिसमापन के अधीन है। कम्पनी कोलकाता (पश्चिम बंगाल) रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत है।

5. आंध्र पेपर मिल्स (आंध्रप्रदेश)

आंध्र पेपर मिल्स की स्थापना 1964 में की गई थी। आंध्र पेपर लिमिटेड भारत में सबसे बडे एकीकृत कागज और लुगदी निर्याताओं में से एक है। कम्पनी विदेशी और घरेलू बाजारों के लिए लेखन, छपाई और कॉपियर का उत्पादन करती है। 1921 में, राजमुदरी में पेपर मिल्स की स्थापना कर्नाटक पेपर मिल्स लिमिटेड के रूप में हुई थी। शुरुआती वर्षो के समय मिल कोई लाभ नही कर पाई थी। और अतंतः दिवालियापन के कारण मिल को बंद करना पड़ा। 1929 में कर्नाटक पेपर मिल्स लिमिटेड की सम्पति को लेने के लिए आंध्र पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड को शामिल किया गया था। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद आंध्रप्रदेश सरकार ने आंध्र पेपर मिल्स का अध्रिग्रहण किया।

6. मैसूर पेपर मिल्स(मैसूर)

मैसूर पेपर मिल्स की स्थापना 1936–37 में मैसूर राज्य के तत्कालीन महाराजा नलवाड़ी कृष्णराज्य थेडेयार द्वारा की गई थी। 1977 में कम्पनी एक सरकारी कम्पनी बन गई। कम्पनी ने सन् 2004 में आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र प्राप्त किया। कम्पनी कर्नाटक राज्य, भारत के शिमोगा जिले में भद्रावती में स्थित है। मैसूर पेपर मिल्स (MPM) ने 2016 में अपना उत्पादन कार्य बंद कर दिया। सरकार कम्पनी का निजीकरण करना चाहती है जबकि कम्पनी कर्मचारी चाहते है कि सरकार इसे पुर्नजीवित करे।

7. ओरिएंट पेपर मिल्स (शहडोल)

ओरिएंट पेपर मिल्स स्व. सी.के. बिड़ला ग्रुप द्वारा सन 1939 में स्थापित किया गया था पहले ओरिएंट पेपर मिल्स का नाम ओरिएंट पेपर एण्ड इंण्स्ट्रीज लिमिटेड का हिस्सा था जिसमें पोर्टलैंड सीमेंट और सीलिंग फैन के निर्माता शामिल थे, जो स्वंय सी. के. बिड़ला समूह की सहायक कंपनी है। ओरिएंट पेपर एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बहु–उत्पाद कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। मध्य–प्रदेश के शहडोल जिले में अमलई में स्थित ओरिएंट पेपर मिल्स जिसकी स्थापना सन 1965 में ओरिएंट पेपर प्लांट में किया गया था। अलग–अलग प्रकार के ग्रेड और पेपर बनाने के पेपर निर्माण की सुविधाएं है। ओरिएंट पेपर मिल में वर्तमान समय में संगठित एवं असंगठित तथा अनुबंध आधारित श्रमिक लगभग 4 से 5 हजार कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। जिसमें सभी प्रकार के श्रमिक शामिल है। ओरिएंट पेपर मिल्स का उत्पाद न केवल देश बल्कि विदेशों में निर्यात किया जाता है जिसमें अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी शामिल है। ओरिएंट पेपर मिल्स उत्पादों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल है। जिसमें महीन कागज, पल्प पेपर,

पेपर बोर्ड, लिखने का पेपर, छपाई के कागज आदि आते हैं। अमलाई, शहडोल में ओरिएंट पेपर मिल्स अपने ग्राहक की मांगों को सतोंषजनक ढंग से पूरा करने के लिए जाना जाता है। यह व्यवसाय 2014 में आस्तित्व में आया और तब से यह अपने उद्योग क्षेत्र में प्रसिद्ध नाम है। यह ओ.पी.एम अमलाई पेपर मिल्स, अमलाई– 484117 में स्थित है। 1978 में ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड का नाम परिवर्तन कर ओरिएंट पेपर मिल्स–इंडस्ट्रीज लि. कर दिया गया तब से ओरिएंट पेपर एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज, पेपर बोर्ड, सीमेंट और बिजली के पंखे बनाती है। कम्पनी कें पास कई वन–बगान है जहां पर बॉस, दृढ़ लकड़ी और लकड़ी के अन्य रूपी की खेती करती है जिनका उपयोग कम्पनी के उत्पाद के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है।

चित्र : 1.1
ओरिएंट पेपर मिल अमलई

स्त्रोत : https://thepulpandpapertimes.com

8. अखबारी पेपर मिल्स (नेपानगर)

अखबारी कागज मिल्स बुरहानपुर जिले के नेपानगर में स्थित है। जिसका नाम नेपा लिमिटेड भी है। नेपा लिमिटेड भारत की एक अग्रणी न्यूज प्रिंट कम्पनी है जो मध्य प्रदेश के नेपानगर जिला बुरहानपुर में स्थित है। इसका प्रशासनिक और पंजीकृत कार्यालय नेपानगर (म.प्र.) में स्थित है। आर्थिक राजधानी इंदौर से 170 कि.मी. दूरी खण्डवा एवं बुरहानपुर के मध्य में है। नेपानगर मिल एक कस्बा (नगर) है। नेपानगर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 29682 है, नेपा शब्द का अर्थ National Environment Protection Authority है। इस नगर की स्थापना 1948 में की गयी थी नेपानगर में 21164 आवासीय क्वाटर है। नेपा लिमिटेड अपना उत्पादन कार्य 1956 से शुरू किया। नेपानगर का कुल क्षेत्र 1869 एकड़ भूमि है जिसमें 107 एकड़ मिल का और 1762 एकड़ नगरीय क्षेत्र है। भारत वर्ष में रामायण काल से संबंधित कई कहानिया सुनने में आती है ऐसी ही नेपानगर में सीता नहानी की है। वनवास काल के समय श्रीराम का एक पड़ाव यहां भी था। यहाँ से जाते समय सीता माँ को जब प्यास लगी तो भगवान श्रीराम ने धरती में एक बाण चलाया तो वहॉ से एक जलधारा निकल पड़ी जलधारा से सीता मॉ ने अपनी प्यास बुझाई और यहीं मंदिर का निर्माण भी हो गया इस मंदिर में भगवान श्रीराम, हनुमान और भगवान शिव का मंदिर भी है। उसी समय में इस जगह पर एक अविरल जलधारा और मंदिर का नाम सीता नहानी हो गया यहाँ कई सुंदर धार्मिक स्थान है नगर पूरे साल धार्मिक उत्सवों से भरा रहता है। नेपानगर मध्य रेल्वे के खण्डवा जंक्शन और बुरहानपुर स्टेशन के मध्य स्थित है। पूरा नगर ताप्ती नदी से घिरा हुआ है। यह नगर अत्याधिक लुभावना और मनमोहक है। यहाँ कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी है और कई विद्यालय है स्वास्थ्य व्यवस्था नेपा हॉस्पिटल नेपा लि. द्वारा अनुरक्षित है। अखबारी कागज पेपर मिल्स में कच्चे माल के पुराने समाचार पत्र (घरेलू) का उपयोग कर रही है और आयातित ओवर इश्यू न्यूज पेपर (पीएस–09) आइटम नंबर–09 की छोटी मात्रा उपयोग कर रही है जो मुख्य रूप से खाड़ी मूल का है। इसके अलावा क्राफ्ट पेपर कोर पाइप्स आदि। वर्तमान में कम्पनी को 6000 मीट्रिक टन पुराने समाचार पत्र (घरेलू) और लगभग 5000 मीट्रिक टन आयात किए गये समाचार पत्रों की आवश्यकता रहती है। जो मुख्य रूप से खाड़ी मूल के है। कम्पनी बिजली के समान भी खरीदती है। अखबारी कागज मिल नेपा लिमिटेड का उत्पादन का कार्य सन् 2015–16 से बंद था, आर्थिक तंगी के कारण ये कदम उठाना पड़ा। लगभग 6 साल बाद नेपा लिमिटेड में 13 फरवरी 2022 से फिर से उत्पादन कार्य प्रारंभ कर दिया गया। नेपा लिमिटेड में देश विदेश की छः हजार से अधिक बड़ी कम्पनियाँ यहां काम कर रही है। दोनों मिलों में 4 से 5 हजार संगठित एवं असंगठित तथा अनुबंध आधारित श्रमिक कार्यरत् हैं।

चित्र : 1.2

नेपा लिमिटेड

स्त्रोत : https://www.linkedin.com

9. श्री गोपाल पेपर मिल्स (पंजाब)

श्री गोपाल पेपर मिल्स लिमिटेड को अबदुल्लापुर जिला, पंजाब पल्प एण्ड पेपर्स मिल्स के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1936 में की गयी थी अंबाला (तब पंजाब), रेलवे स्टेशन जगाधरी। 1947 के बाद अबदुल्लापुर को जमुनानगर और यमुनानगर (हरियाणा) के रूप में पहचाना जाना लगा श्री गोपाल पेपर मिल्स के पास लाईट रेलवे लाईन थी जो 1911 में खोला गया था। लगभग 5 कि.मी. लंबा जो जगाधरी स्टेशन अबदुल्लापुर को पंजाब जगाधरी शहर से जोड़ता है। पेपर मिल जंगली घास (बवबड़ घास) के कच्चे माल पर आधारित थी, जो शिवालिक तलहटी (पूर्व कलसिया राज्य) पर छचुरौली के पास कालेसर के जंगलो में पाई जाती थी। 1969 में श्री गोपाल पेपर मिल्स लिमिटेड का बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स लिमिटेड में विलय हो गया। इसने अपना नाम 1975 में बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (गौतम थापर के प्रसिद्ध अबला समूह का हिस्सा) में परिवर्तित कर दिया गया।

10. गुजरात पेपर मिल्स (अहमदाबाद)

गुजरात पेपर मिल्स लिमिटेड की स्थापना 28 जून 1933 को निगमित एक गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी है। इसे एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में विस्तारित किया गया है और यह अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है और यह वर्तमान में सक्रिय (चालू) अवस्था में है।

4. शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

शोधकर्ता द्वारा ओरिएंट पेपर मिल एवं नेपानगर पेपर मिल मे कार्यरत् श्रमिको की विकास का तुलनात्मक अध्ययन कर श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। किसी भी उद्योग में कार्यरत श्रमिको उस संगठन की मजबूत नींव रखने वाले होते है, कागज उद्योग मे लगें श्रमिकों का कार्य के घण्टें, उनकी सामाजिक पृष्ठ भूमि तथा दैनिक एवं वेतन भोगी श्रमिकों की आर्थिक विकास का अध्ययन कर शहरी एवं ग्रामीण श्रमिकों की रहन–सहन व्यवस्था तथा उनका समाज मे योगदान सामाजिक दायित्व, साथ–साथ स्थानीय एवं राज्य सरकारें द्वारा कौन–कौन से विकासात्मक योजनाएँ लागू करती है ये सभी बाते अनुसंधानकर्त्ता के मन में विचार एकत्रित कर शोध की तथा बहुत से शोधकर्त्ताओं का शोध प्रबंध का अध्ययन कर विषय का चयन किया गया है। अगर हम पेपर उद्योग की बात करें तों पेपर की आवश्यकता सभी सरकारी, गैर सरकरी, व्यवसायिक आदि सभी संगठनों में पड़ती है। कागज उद्योग में बहुत से श्रमिक ठेकेदारी व्यवस्था पर भी कार्य करते है जिनका कोई भविष्य नही है। जब तक उम्र है तब तक बस कार्य करते रहते है। पेपर (मिल) उद्योग मे निम्नांकित आवश्यकताओं कों ध्यान में रखकर शोध कार्य किया गया है:–

1. श्रमिकों की सामाजिक पृष्ठ भूमि।
2. पेपर मिल्स में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की स्थिति।
3. श्रमिक वर्ग की राजनीतिक में भागीदारी।
4. श्रमिक वर्ग की शिक्षा का स्तर

श्रमिक वर्ग का राष्ट्र में सर्वोपरी स्थान है, किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए श्रमिक वर्ग का अधिक से अधिक योगदान होता है।

शहडोल संभाग औद्योगिक रूप से विकासशील होने के कारण संभाग मे विकास की अपार संभावनाएँ बढ़ती जा रही है। पेपर मिल स्थापित होने से आस–पास के क्षेत्रों में लकड़ी की माँग बढ़ती जा रही है, जिससें लोगों को पेड़–पौधे लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है चूँकि श्रमिक वर्ग मिल में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते है

जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठते जाता है एवं वे विकास की मुख्य धारा में आते है तथा उनका सर्वांगीण विकास होता है।

पर्यावरण की दृष्टि से भी पेपर मिल का ज्यादा लाभप्रद समझा जा सकता है जिसके अन्तर्गत पेड़ो की कटाई तथा फिर उनका पुर्नजन्म होना भी एक नवीन क्रिया को उत्पन्न करता है तथा जब से पेपर मिल को शहडोल संभाग मे स्थापित हुआ है लगातार श्रमिक वर्ग की आर्थिक विकास की संभावनाएँ बढ़ती जा रही है। पेपर (कागज) उद्योग सें श्रमिकों में निम्न महत्व है:—

1- दैनिक मजदूरी का महत्व

2- परिवार की अन्य सदस्यों की आय

3- श्रमिकों की बचत प्रवृत्ति मे महत्व

4- अन्य

5. विषय परिचय

5.1 विषय परिचय

- **शहडोल संभाग—**

हजारों तालाबों के नाम से मशहूर शहडोल सम्भाग भारत के मध्यप्रदेश राज्य का 10 संभागों में से एक संभाग है जिसके अन्तर्गत शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिले आते हैं, आदिवासी व पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण शहडोल संभाग निरन्तर और लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है।

दक्षिण—पूर्व रेलवे के बिलासपुर—कटनी खण्ड पर स्थित शहडोल ने अपने मुख्यालय से इसका नाम व्युत्पन्न किया। यह मध्य प्रदेश राज्य के मध्य—पूर्वी भाग में स्थित है, जो कि मध्यप्रदेश का एक हिस्सा है। जिले की घोषणा वर्ष—1959 में की गयी थी जिसे बाद में सन्—2008 में संभाग घोषित किया गया। शुरूआत में शहडोल संभाग में चार जिलों को मिलाकर संभाग बनाया गया था जिसमें शहडोल, उमरिया, अनूपपुर एवं डिण्डौरी जिले शामिल थे लेकिन सन्—2012 को डिण्डौरी जिला को पुनः जबलपुर संभाग में शामिल किया गया।

शहडोल का नाम, मुख्यालय शहर शहडोल के नाम पर रखा गया है। प्राचीन मान्यता के आधार पर शहडोल जिले का नाम शहडोल अहीर के नाम पर रखा गया था। शहडोल पूर्व में 2.5 कि.मी. में स्थित सोहागपुर क्षेत्र गांव के नाम से भी जाना जाता था।

आइये जानते हैं शहडोल संभाग की आबादी एवं अन्य तथ्य :—

राजधानी	:	शहडोल
क्षेत्रफल	:	6205 कि.मी.^{2}
जनसंख्या (आबादी–2011)	:	1066063
घनत्व	:	170 कि.मी.^{2}
मुख्य भाषा	:	हिन्दी, बघेली
उप विभागों के नाम	:	ब्लॉक
तहसील	:	ब्यौहारी, जयसिंहनगर, सोहागपुर, जैतपुर (कुल–4)
विधानसभा क्षेत्र	:	ब्यौहारी, जयसिंहनगर एवं जैतपुर
लोकसभा क्षेत्र	:	शहडोल
साक्षरता	:	68.7%
लिंगानुपात	:	974

चित्र: 1.3

कलेक्टर कार्यालय शहडोल (म.प्र.)

स्त्रोत : https://m.mp.punjabkesari.in

विराट नगरी के नाम से जाना जाने वाला शहडोल वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करते जा रहा है। शहडोल संभाग में शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय तथा संस्कृत महाविद्यालय स्थित हैं।

1. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक।
2. पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल (म0प्र0)।
3. शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय शहडोल।
4. शासकीय मेडिकल कॉलेज कुदरी रोड शहडोल।
5. शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बुढ़ार।
6. शासकीय रामकिशोर शुक्लवाणिज्य महाविद्यालय ब्यौहारी।
7. शासकीय महाविद्यालय जैतपुर।
8. शासकीय महाविद्यालय जयसिंहनगर।
9. शासकीय अभयानन्द संस्कृत महाविद्यालय कल्याणपुर शहडोल।
10. बिसाहूलाल सराफ विधि महाविद्यालय शहडोल।
11. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल।
12. स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय कल्याणपुर शहडोल।
13. शासकीय इंजीनियरिंग यू.आई.टी. आर.जी.पी.वी. महाविद्यालय छतवई।
14. शासकीय इंदिरा गांधी गृह विज्ञान कन्या महाविद्यालय शहडोल।

उपरोक्त शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थी निरन्तर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शहडोल संभाग का नाम रोशन कर रहे हैं।

चित्र : 1.4

पंडित शम्भू नाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

स्त्रोत : https://ptsnsuniversity.ac.in

चित्र : 1.5

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (म.प्र.)

स्त्रोत : IGNTU Facebook Page

शोधकर्ता द्वारा ओरियंट पेपर मिल एवं अखबारी कागज मिल में कार्यरत श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। ओरियंट पेपर मिल अमलाई शहडोल में स्थित है जिसका आगे संक्षिप्त किया गया है तथा अखबारी कागज मिल नेपानगर, बुरहानपुर में स्थित है अखबारी कागज मिल का भी परिचय आगे किया गया है।

- **बुरहानपुर जिले का परिचय**

बुरहानपुर जिला भारत के मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के बुरहानपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है और यह जिला ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। बुरहानपुर की स्थापना सन् 1380 में हुआ था यहाँ ज्यादातर हिन्दी भाषा, गुजराती, खानदेशी व सिंधी भाषाएं बोली जाती है।

जिला	बुरहानपुर
राज्य	मध्य प्रदेश
स्थापना	1380
काल	मुगल काल में
जनसंख्या (2011)	756993
प्रचलित भाषाएँ	हिन्दी, गुजराती व सिंधी
क्षेत्रफल	3427
घनत्व	221
उपविभागों के नाम	ब्लॉक
उपविभागों की संख्या	2

चित्र : 1.6

कलेक्टर कार्यालय जिलाः बुरहानपुर

स्त्रोतः सोशल मीडिया : फेसबुक

5.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **शहडोल**

शहडोल संभाग का इतिहास महाभारत काल के राजा विराट से प्रारम्भ होता है, इसके पूर्व का इतिहास अप्राप्त है। यह कहा जाता है कि पाण्डवों ने अपने वनवास की कुछ अवधि यहाँ के तत्कालीन राजा विराट के पास बिताये थे। दूसरी ओर जब हम बांधवगढ़ के इतिहास पर दृष्टिकोण करते हैं तो इसका इतिहास सतपुड़ा से प्राप्त होता है। सतपुड़ा में बांधवगढ़, लक्ष्मण की राजधानी थी जो बाद में यहाँ से हटाकर दिल्ली ले जाया गया। वास्तविक रूप से इस क्षेत्र का इतिहास का अपना विशेष महत्व है। इतिहासकारों का कहना है कि मैकल श्रेणी के पास पुष्पमित्र नामक राजा थे जो महान पराक्रमी, धनी एवं शक्तिशाली थे। उन्होंने गुप्त वंश के शासकों को भी पराजित करने में सफल हुये। ऐसा माना जाता है कि शहडोल संभाग का कुछ भाग पुष्पमित्र के शासनाधीन था।

चित्र : 1.7

विराट मंदिर शहडोल

स्त्रोत : https://shahdol.nic.in

दशवीं–ग्यारहवीं सदी में शहडोल कलचुरी शासकों के आधीन था। सन 1233–34 ई. में रीवा के राजा व्याघ्रदेव के पुत्र कर्णदेव का विवाह रतनपुर के राजा की पुत्री पद्मा से हुआ। इसी विवाह में बांधवगढ़ का किला उन्हें दहेज में दिया गया था।

यह बांधवगढ़ वर्तमान में उमरिया जिले एवं शहडोल संभाग में आता है एवं आज के समय में पर्यटन स्थल भी है। 19 वीं शदी के प्रारम्भ अर्थात सन् 1908 में सोहागपुर तथा बांधवगढ़ के तहसील के अधिकांश भाग मराठा शासकों के पास चले गये, परन्तु अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित होने के कारण मराठा शासकों से यह क्षेत्र छिन गया और अंग्रेजों के अधीन हो गया तथा 1826 में ब्रिटिशों के हाथों में चला गया। रामगढ़ (मण्डला) में विद्रोहियों और अन्य स्थानों पर चर्चा करते हुए रीवा चीफ द्वारा दिए गए सहायता के बदले 1857 के उत्थान के बाद सोहागपुर और अमरकंटक जिलों को रीवा शासकों को दिया गया, उसके बाद से जिला वर्ष 1947 तक बघेल शासन के अधीन रहा। जब रीवा राज्य भारतीय संघ के साथ मिला दिया गया। जिले के बाहर और बाहर के सभी उपलब्ध पुरातात्विकों और सिक्कात्मक साक्ष्य ऐतिहासिक निर्माण के लिए तत्काल एक जांच जरूरत है।

चित्र : 1.8

महावीर संग्रहालय शहडोल

स्त्रोत : https://www.naidunia.com

शहडोल जिले के गठन का सही वर्ष आधिकारिक रिकार्ड पर न तो ज्ञात है और न ही उपलब्ध है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि 1935 में उमरिया में मुख्यालय के साथ जिला का गठन किया गया था। सोहागपुर तहसील का निर्माण जो कि वर्तमान स्वरूप से काफी अधिक है, को 1860 तक और बहरहाड़ी और बांधवगढ़ तहसीलों का गठन 1896 तक माना जाता है। वर्ष 1935 में पुरानी तहसीलों का पुनर्गठन काफी समय बाद जब नया तहसील पुष्पराजगढ़ था, सोहागपुर तहसील के दक्षिणी भाग से बने विंध्य प्रदेश के गठन तक इस नई तहसील की स्थापना जारी रही। विंध्य प्रदेश के गठन के बाद से कुछ गॉव ब्यौहारी तहसील को सतना जिले के अमरपाटन तहसील में स्थानान्तरित कर दिया गया।

हरे–भरे वन, आदिवासी आबादी, जिले में कोयला का विशाल भंडार, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों के साथ शहडोल जिला विंध्याचल की सीमा के बीच में स्थित है और विकास की पथ पर तेजी से बढ़ रहा है।

सोहागपुर में पूर्व शासक गोंड़ जाति के आदिवासी थे। इसी कारण इसे गोंडवाना भी कहा जाता है। सोहागपुर स्थित गढ़ी का निर्माण गोंड़ राजा ने ही कराया था जिसे युद्ध में हराकर वर्तमान सोहागपुर राजा के पूर्वजों ने प्राप्त किया था।

- **बुरहानपुर**

यह खानदेश की राजधानी थी। इसको 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा बसाया गया। अकबर ने 1599 ई. मे बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया तथा 1601 ई. में खानदेश यानी बुरहानपुर को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज की सन् 1637 में मृत्यु भी यहीं हुई थी।

चित्र : 1.9

बुरहानपुर की ऐतिहासिक इमारतें

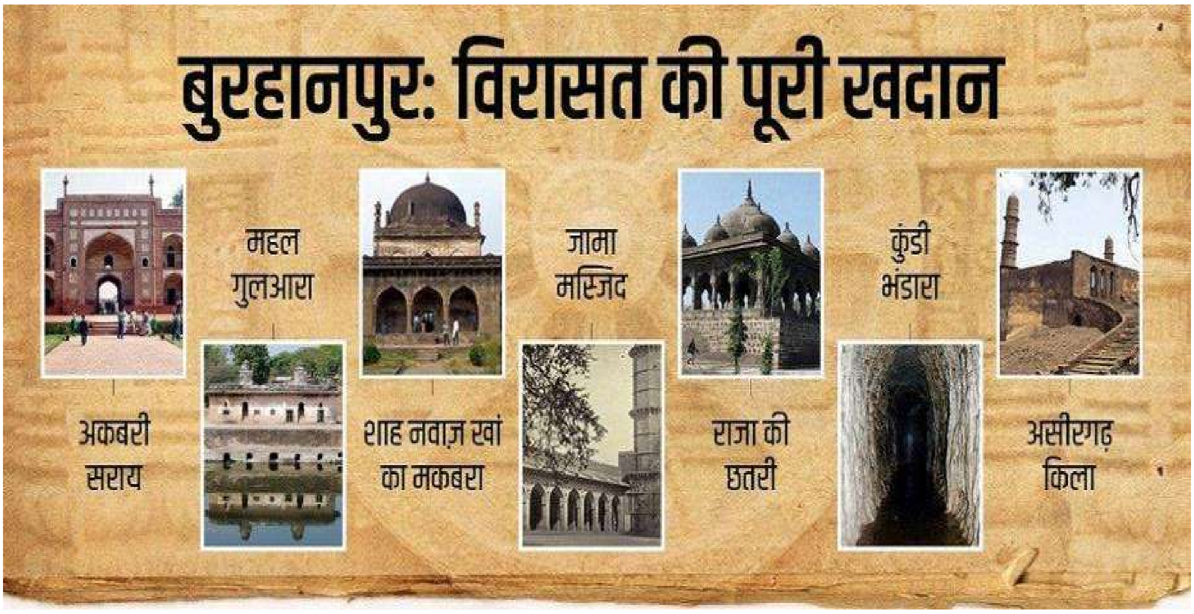

स्त्रोत : https://burhanpur.nic.in

मराठों ने कई बार बुरहानपुर पर आक्रमण किये एवं उनकी सम्पत्ति को क्षति कर लूटा और बाद में इस राज्य से चौथ वसूल करने का अधिकार भी मुगल साम्राज्य से प्राप्त कर लिया। बुरहानपुर कई वर्षो तक मुगलों और मराठों की झड़पों का गवाह रहा और इसे बाद में अंग्रेज शासक आर्थर वेलेजली ने 1803 ई में जीता सन् 1805 ई. मे इसे सिंधिया शासक को वापस कर दिया गया तथा और 1861 ई. में. यह ब्रिटिश सत्ता को फिर से हस्तातंरित कर दिया गया।

इस प्रकार से बुरहानपुर एक दीर्घजीवी वृक्ष की तरह अनेक ''पतझड़'' और बसंत देख चुका है। यह आज जिस नई–पुरानी बनावट की मिश्रित स्थिति से गुजर रहा है, एवं वर्तमान में विकास के पथ पर अग्रसर है।

5.3 भौगोलिक परिदृश्य

- **शहडोल संभाग की भौगोलिक स्थितिः–**

शहडोल संभाग मध्य प्रदेश के उत्तर–पूर्व पर स्थित है। शहडोल जिले का गठन वर्ष–1959 में किया गया था एवं बाद में यानी 14 जून 2008 को इसे संभाग बना दिया गया।

इसके दक्षिण में मण्डला, अनूपपुर एवं बिलासपुर पश्चिम में जबलपुर पूर्व में सरगुजा, कोरिया तथा उत्तर में सतना, सीधी एवं रीवा संभाग की सीमायें हैं। शहडोल संभाग पूर्व से पश्चिम में 100 कि.मी. तक फैला हुआ है। लम्बाई–चौड़ाई में 60 किमी. का अंतर होने के कारण इसका आकार चौकोर न होने के कारण कुछ भिन्नता लिए हुए है।

शहडोल संभाग $22–38^0$ उत्तरी अक्षांश से $24–20^0$ पूर्वी देशान्तर के मध्य में स्थित है। शहडोल संभाग का अधिकांश भाग पठारी है। इसलिए इसे बघेलखण्ड का पठार कहा जाता है। इसकी ऊॅंचाई 300 मीटर से भी अधिक है।

पठार को ऊॅंचाई–निचाई के दृष्टिकोण से निम्न तीन भागों में बांटा गया है–

1. पर्वतीय भाग
2. पठारी भाग
3. मैदानी भाग

शहडोल संभाग के दक्षिण भाग में सतपुड़ा पर्वत की ऊॅंची श्रेणियॉं हैं। संभाग मैकल की श्रेणी कहा जाता है। यह पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। इसी पर्वत पर अमरकंटक का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल स्थित है जिसकी समुद्र तल से ऊॅंचाई 1065 कि.मी. है, यह अनूपपुर में स्थित है।
अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। यह हिन्दुओं का पवित्र स्थान है। इसी पर्वत श्रेणी का मध्य भाग पठार कहलाता है जिसकी ऊॅंचाई 762 मीटर है।

शहडोल संभाग का मध्यवर्ती भाग पठारी है। उत्तरी भाग पर विन्ध्य पर्वत की कैमूर श्रेणियां हैं जो पूर्व से पश्चिम तक फैली है। इन पर्वत श्रेणियों की औसत ऊँचाई 610 मीटर है। संभाग के उत्तरी भाग में देवलोंद नामक स्थान पर पहाड़ी को काटती है। संभाग के मैदानी एवं पहाड़ी भागों के बीच में पठारी भाग फैला है। देवलोंद पर ही प्रसिद्ध बाणसागर बांध है जो रीवा–शहडोल मार्ग पर स्थित है। इस बहुउद्देशीय परियोजना बांध की ऊॅंचाई 67 मीटर (220 फिट) है।

▪ बुरहानपुर जिला की भौगोलिक स्थितिः–

जिले का क्षेत्रफल 3427 वर्ग कि.मी. है और यह क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य के सभी जिलो में 46वें स्थान पर है। जिला 21.5 से 21.37 उत्तरी अक्षांश और 75.57 से 76.48 पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। बुरहानपुर शहर का नाम खुल्दाबाद के सूफी संत बुरहानपुर गरीब के नाम पर रखा गया है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिमी सीमा में ताप्ती नदी के तट के पास स्थित है। ताप्ती नदी जिले से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जिले को उत्तर में खंडवा जिले से सतपुड़ा रेंज द्वारा विभाजित किया गया है, जो सन् 2003 में अस्तित्व में आया। जिले के उत्तर मे खंडवा पश्चिम में खरगोन और पश्चिम और दक्षिण की सीमाओं पर महाराश्ट्र राज्य से घिरा है।

5.4 दर्शनीय पर्यटन स्थल

शहडोल संभाग पूर्व काल से ही आदिवासियों का गढ़ एवं विराटनगर के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक एवं पर्यटन स्थल निम्न हैं :–

* बाणसागर बांध–देवलोंद गाँव में स्थित है।
* विराट मंदिर (शिव मंदिर) सोहागपुर बाण गंगा में स्थित है।
* माँ कंकालीदेवी मंदिर–ग्राम अंतरा (सोहागपुर क्षेत्र) 10वीं–11वीं शताब्दी
* क्षीरसागर सोनभद्र एवं मुड़ना नदी का संगम ग्राम बिजौरी में सोहागपुर जनपद में स्थित।
* पंचमठा मंदिर–सिंहपुर 17–18वीं शताब्दी।
* देवी मंदिर (खैरमाता की मढ़िया) मऊ, ब्यौहारी, 10–11वीं शदी
* प्राचीन शिवमंदिर एवं गुफाएँ कुल संख्या–13, लखवरिया बुढ़ार 16–17 वीं शदी।
* सरफा डैम
* जोहिला फाल
* विश्वनाथ मंदिर– मढ़ीबाग बांधवगढ़ – 14वीं शदी।
* सगरा मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर उमरिया बांधवगढ़, 10–11वीं शदी।
* सीतामढ़ी, मढ़ी, पाली (बिरसिंहपुर) प्रतिहारकाल
* विश्वनाथ मंदिर (ज्वालामुखी) रोहनिया, मानपुर 12–13वीं शदी।
* प्राचीन शिवमंदिर धरहाकला (पुष्पराजगढ़) 12–13वीं शदी।
* बांधवगढ़ किला उमरिया (रीवा विक्रमादित्य महाराजा–14वीं शदी)
* बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान–32 पहड़ियों से घिराहै।

* चंडीया देवी कालिका मंदिर–उमरिया कटनी रोड पर स्थित।
* शेष शैय्या–उमरिया, ग्राम ताला जिला उमरिया में स्थित।
* पनपथा वन्य जीव अभ्यारण्य उमरिया–1980
* वीरसिंहपुर पाली मंदिर देवी काली का
* बघेल प्राचीन वस्तु एवं कांच संग्रहालय–रीवा राज्य नरेश मार्तण्ड द्वारा मारा गया पहला सफेद बाघ का शरीर।
* बांधवगढ़ ऐतिहासिक गुफा का है। 10–11वीं शदी–तीनों देवों को समर्पित। बौद्ध काल में बनाई गई है।
* बेल्हामंदिर ग्राम बेल्हा में स्थित शिवमंदिर पर्वतारोही ज्वाइंट।
* बाणगंगा मेला विराटनगर शहडोल।
* संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र पाली, जिला उमरिया
* नर्मदा मंदिर, जिला–अनूपपुपर
* भगवान आदिनाथ की सबसे बड़ी अष्टधातुमंदिर है जो जैन धर्म का महाकुम्भ अमरकंटक जिला अनूपपुर में आयेजित किया जाता है।
* उचेहरा–नौरोजाबाद जिला उमरिया में स्थित है।

▪ बुरहानपुर जिला में पर्यटन स्थल

बुरहानपुर में कई पर्यटन स्थल है जो आकर्शक का केन्द्र बिन्दु है जिसमें निम्नांकित शामिल है –

1. शाही किला
2. रेणुका देवी मंदिर
3. असीरगढ़ का किला
4. गुरूवीर – साहित्य
5. कुंडा भंवरा
6. काला ताज महत्व
7. राजा जय सिंह की छत्री
8. रेणुका देवी मंदिर
9. अलौकिक किला

10. मुमताज महल का हमा

11. अकबरी सराय

12. इच्छा देवी मंदिर

13. कबीर निर्णय मंदिर

14. खूनी भंडारा

चित्र : 1.10
असीरगढ़ किला, बुरहानपुर

स्त्रोत : https://burhanpur.nic.in

चित्र : 1.11
इच्छा देवी मंदिर, बुरहानपुर

स्त्रोत https://burhanpur.nic.in

5.5 प्रशासनिक स्वरूप :–

- **शहडोल**

जब शहडोल जिला था तब शहडोल जिले में 07 विभिन्न तहसीलों में बांटा गया था जिन्हें क्रमशः ब्यौहारी, सोहागपुर, बांधवगढ़, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, कोतमा तथा जयसिंहनगर के नामों से जाना जाता था। कुछ वर्षों पूर्व तक शहडोल जिले को मात्र 04 तहसीलों में ही बांटा गया था जिन्हें क्रमशः ब्यौहारी, जयसिंहनगर, बांधवगढ़ एवं पुष्पराजगढ़ कहा जाता था। इन चारों तहसीलों में सबसे बड़ी तहसील पुष्पराजगढ़ ही था, जिसे प्रशासनिक दृष्टि से वर्तमान में 04 तहसीलों में बांटा गया है।

1. सोहागपुर
2. ब्यौहारी
3. जयसिंहनगर
4. अनूपपुर

वर्तमान में शहडोल संभाग मध्यप्रदेश के 10 संभागों में एक संभाग है। शहडोल मण्डल शहडोल संभाग के अन्तर्गत आता है और इसका मुख्यालय शहडोल में है। जिले में 04 उप–मण्डल, 05 ब्लाक, 04 तहसीलें हैं और 03 विधानसभा क्षेत्र जो कि शहडोल संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

- **बुरहानपुर**

2011 की जनगणना के अनुसार जिले मे कुल 263 गांव है, जिले में 3 तहसील है। तहसीलवार गांवो की संख्या बुरहानपुर (97), खकनार (81) और नेपानगर (85) है। जबकि केवल 2 सीडी ब्लॉक बुरहानपुर और खकनार है। जिले में कुल 3 वैधानिक शहर है और कोई जनगणना नही है। बुरहानपुर (एम. कार्योरेशन), शाहपुर (एन.पी.) और नेपानगर (एम) है। जिलों को खंडवा से 15 अगस्त 2003 को अलग किया गया था।

5.6 आर्थिक परिदृश्य

- **शहडोल :–**

किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था वहां की कृषि, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन के साधन, खनिज आदि पर निर्भर करता है। अतः शहडोल संभाग निम्न अर्थव्यवस्था पर पूरा क्षेत्र निर्भर है तथा अपनी आजीविका का मुख्य साधन बनाये हुये हैं :–

1. कृषि एवं सब्जी
2. उद्योग एवं व्यवसाय
3. परिवहन के साधन
4. खनिज संसाधन

1. कृषि एवं सब्जी :–

क्षेत्र की अर्थव्यवस्था लगभग कृषि एवं सब्जी पर आधारित है। संभाग के निवासियों का जीविका का लगभग 67 प्रतिशत कृषि पर आधारित है और उनके जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है लेकिन कुछ समय से सब्जी का व्यवसाय भी कुछ क्षेत्रों में आर्थिक साधन का एक माध्यम बन गया है। केवल कुछ लोग ही गैर कृषि कार्य जैसे निजी कंपनियों, सरकारी नौकरियों आदि में कार्यरत हैं एवं अपनी आर्थिक स्त्रोत बनाये हुये हैं।

2. उद्योग एवं व्यवसायः–

शहडोल संभाग की सम्पूर्ण भारत की तरह एक कृषि प्रधान संभाग है अर्थात यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं सब्जी है। उद्योग के क्षेत्र में यह संभाग अति पिछड़ा है, यद्यपि स्वतंत्रता के बाद यहाँ कुछ बड़े उद्योग जैसे –

1. ओरिएंट पेपर मिल अमलाई
2. रेशम उद्योग सोहागपुर टेक्नीकल स्कूल कैम्पस शहडोल
3. मत्स्य उद्योग
4. डेयरी उद्योग निपनिया
5. ऐश ब्रिक अमृता हॉस्पिटल
6. ऑरेंज फैक्ट्री
7. राइस मिल सिंहपुर
8. फिनायल फैक्ट्री, सिंहपुर रोड शहडोल
9. रिलाएंस ग्रुप द्वारा साइट उद्योग लालपुर
10. मिनरल वॉटर प्लाण्ट

लेकिन इनकी संख्या अल्प है, हाँ छोटे एवं मध्यम उद्योग आवश्य कुछ अधिक संख्या में कार्यरत हैं। परंतु संभाग की तुलना में इनकी संख्या बहुत कम हैं।

(क) कृषि एवं वनोपज पर आधारित कुछ उद्योग निम्न हैं :–

1. आटा चक्की उद्योग
2. राइस मिल
3. लकड़ी उद्योग–मुख्यतयः फर्नीचर बनाने का कार्य

4. बीड़ी उद्योग–तेंदूपत्ते पर आधारित वेंकटनगर में बीड़ी बनाई जाती है।
5. चमड़ा, लाख और गोंद उद्योग
6. अन्य वनोपज उद्योग–मौसमी उद्योगों को शामिल किया गया है, जैसे–फल–फूल, कन्दमूल, फूलों की खेती, झाड़ू बनाकर आदि को बेचकर आय का साधन बनाते हैं।

(ख) पशुओं पर आधारित उद्योग–

शहडोल संभाग में पर्याप्त मात्रा में पशु पालक जिसमें–गाय, भैंस, बैल, बकरी आदि पाये जाते हैं जिसे नायक जाति के लोग कृषि कार्य के लिए किसानों को खरीद बिक्री कार्य करते हैं एवं गाय एवं भैंस का दूध निकालने के लिए पालन पोषण किया जाता है जिसमें डेयरी उद्योग का जन्म होता है। बकरी का दूध भी बहुत पौष्टिक होता है। अतः इसका भी कुछ क्षेत्रों में पालन पोषण किया जाता है।

(ग) खनिजां पर आधारित उद्योग–

खनिज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होती है। शहडोल संभाग में पर्याप्त खनिज भण्डार हैं। शहडोल संभाग कोयलांचल के नाम से जाना जाताहै। अभी हाल ही में रिलायंस ग्रुप द्वारा सोहागपुर क्षेत्र के ग्राम लालपुर में यूरेनियम का पता चला है जो कि यूरेनियम खनिजों का भण्डार हो सकता है।

अतः यहां खनिजों से संबंधित भी कई छोटे उद्योग चलाये जा रहे हैं जिसमें कुछ इस प्रकार हैं–

1. चूना उद्योग–सोहागपुर क्षेत्र के ग्राम करकटी में चूने की मात्रा पायी जाती है।
2. ईंट बनाने का उद्योग–साधारणतः ईंट बनाने का कार्य तो आज न केवल नगरों में वरन् संभाग के कुछ गांवों शहरों में पर्याप्त मात्रा में बनाया जाता है।
3. मिट्टी का उद्योग–शहडोल संभाग के विभिन्न नगरों के आसपास मिट्टी उद्योग व्यापक पैमाने में चलाया जा रहा है। मोरम निकालने का काम केवल वेंकटनगर गांव (अनूपपुर तहसील) के आस पास होता है।

- **बुरहानपुरः–**

मुख्य केन्द्र

प्राचीन काल में शेरशाह के समय बुरहानपुर की सड़क का मार्ग सीधा आगरा से जुड़ा हुआ था। दक्षिण जाने वाली सेनाएं बुरहानपुर होकर जाती थी लेकिन वर्तमान समय

में अखबारी कागज मिल की स्थापित होने से ये पूरे भारत मे ही नही अपितु विश्व मे भी यहां जाना जाता है एवं आकषर्ण का केन्द्र बिन्दु है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिये भी जाना जाता है।

उद्योग एवं व्यवसाय

नगर यातायात की दृष्टि से आसपास के सभी बड़े शहरों से जुड़े होने के कारण व्यापारिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। पावरलूम, साईजिंग एवं जीनिंग आदि के उद्योग, कच्चे माल की सुलभता के कारण स्थापित है, इनके कारण नगर की अर्थव्यवस्था के विविधता प्राप्त होने के साथ–साथ नगर को वर्तमान आर्थिक एवं समाजिक परिवेश प्राप्त हुआ है। नगर में वाणिज्यिक परिवेश गतिविधियां लगभग सभी मुख्य मार्गो पर स्थित है। वाणिज्यिक गतिविधियां का प्रमुख केन्द्र गांधी चौक, सुभाष चौक, फूल चौक, लोड़ारमण्डी, अण्डा बाजार क्षेत्र है। थोक एवं फुटकर व्यापार नगर के विभिन्न मार्गो पर ही कार्यरत है। नगर के बाजार समूहो की सूची निम्न सारणी क्रमांक हैं :–

बुरहानपुर विशिष्ट बाजार –

1. सूखा मेवा , किराना खाद्यान	मंडी बाजार
2. लोहा सामग्री , इस्पात , उपस्कर	चौक बाजार
3. कपड़ा बाजार	गांधी चौक
4. व्यापारिक कार्यालय	सिंधी बाजार, शनिवारा रोड़, चौक बाजार
5. टिम्बर बाजार , लकड़ी का सामान	राजघाट, लालबाग

नगर की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपरेखा

1. सामाजिक रूपरेखा–

नगर का रूपरेखा निर्धारित करने के लिये इसकी सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्रियाओं पृष्ठभूमि का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका नागरिकों की जीवन विधि तथा जीवन–स्तर से घनिष्ठ संबंध होता है इस संदर्भ में नगर की मूल आबादी की आर्थिक दशा का भी अध्ययन आवश्यक है वर्तमान में यहां के मूल श्रमिकों की स्थिति दयनीय है। उन्हें रोजगार का अभाव है अत इन मूल निवासियों के उत्थान के लिए उपयुक्त प्रस्ताव विकास योजना में दिया जाना आवश्यक है।

2. सांस्कृतिक रूपरेखा–

नगर की प्राचीन संस्कृति जहाँ पूर्ण उन्नत तथा वैभवशाली थी, वहीं राजा–महाराजाओं के पतन एवं ब्रिटिश शासन के उदय के साथ ही सांस्कृतिक विकास की गति लगभग धीमी रह गयी या रुक सी गयी। उन्नत संस्कृति की पहचान के अवशेष ही नगर में बचे हैं। नगर के सांस्कृतिक पटल पर निम्नलिखित मेलों का आयोजन धूमधाम से किया जाता हैः–

1. बालाजी मेला : सितम्बर – अक्टूबर
2. गणपति मेला : दिसम्बर – जनवरी
3. महात्मा गांधी मेला : जनवरी – फरबरी
4. साहेबअली उर्स : फरवरी – मार्च

राजघाट के निकट ग्राम–देवता बालाजी के समय में 15 दिन तक धूमधाम से मेले का आयोजन किया जाता है।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की बुरहानपुर यात्रा की स्मृति को बनाये रखने की दृष्टि से ताप्ती नदी के तट पर मेले का आयोजन किया जाता है।

3. आर्थिक रूपरेखा–

नगर नियोजन का मुख्य उद्देश्य नगर में उपलब्ध संसाधनों के संतुलित उपयोग से नगरीय वसाहट के कल्याण की प्राप्ति है।

नगर के भावी विस्तार को मूर्त रूप देने में उपलब्ध साधन तथा उसके उचित उपयोग का विश्लेषण आवश्यक है। नगर मूल रूप से कृषकों तथा कृषि उत्पादनों से संबंधित व्यावसायियों जैसे बुनकर कपड़ा निर्माताओं, तेल उत्पादको, तेल व्यवसायियों आदि का नगर है।

व्यावसायिक फसलों के वृद्ध ज्यादा उत्पादन से समृद्ध यह नगर कृषि आधारित उद्योगो की प्रचूर संभावनाएँ अपने मे समेटे हुए है। नगर की अधिकांश आबादी इन्ही कृषि आधारित उद्योगो पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है।

5.7 यातायात के साधन

यातायात के साधनो को दोनो ही मिलो में जाने के लिए अलग–अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। सबसे पहले शोधकर्ता द्वारा नेपा लिमिटेड अखबारी कागज मिलो एवं ओरियंट पेपर मिल का अध्ययन किया है। परिवहन के साधन वे साधन कहलाते है

जिसके माध्यम से शोधकर्ता अध्ययन स्थान तक पहुँच सकता है एवं अपना शोधकार्य पूरा कर सकता है।

प्रत्येक राज्य एवं देश के आर्थिक विकास में यातायात के साधनों का विशेष महत्व होता है। अनुसंधानकर्ताओं ने सही ही कहा है कि यदि कृषि तथा उद्योग किसी देश की अर्थ–व्यवस्था में शरीर की हड्डियों के समान है तो परिवहन के साधन शिराएँ व धमनियों का कार्य करते है।

शहडोल संभाग में परिवहन संसाधन–शहडोल संभाग में आर्थिक परिदृश्य के रूप में रेल एवं सड़क दो प्रकार से परिवहन के साधन के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। अंग्रेजी शासनकाल से ही शहडोल संभाग का एक बहुत बड़ा भाग रेल साधन से लाभांवित हो रहा है, जिसका एक मात्र कारण शायद यहां कोयला खदानों का होना है।

शहडोल संभाग अब आकर्षण का केन्द्र है क्योंकि यहाँ संभाग का एक मात्र विश्वविद्यालय है एवं इसके साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेज भी संचालित है जिससे विद्यार्थियों के वजह से ऑटो चालकों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है।

चित्र : 1.12
रेलवे स्टेशन शहडोल

स्त्रोत : https://secr.indianrailways.gov.in

स्वतंत्रता के बाद यहाँ परिवहन के रेल माध्यम द्वारा अलग–अलग रूट के लिए रेल लाइन एवं रेल उपलब्ध हैं जिससे सभी व्यापारी वर्ग एवं आमजन काफी लाभांवित है। वर्तमान में

सड़क साधन में प्रत्येक छोटे से छोटे गांव एवं शहरों की दूरी कम हो गयी है तथा गांवो को शहरों से जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव के किसान, व्यापारी, मजदूर आदि सरल और कम समय में अपने काम को संचालित कर रहे हैं।

शहडोल संभाग में पर्याप्त मात्रा में रेल एवं सड़क परिवहन साधन उपलब्ध है।

- **रेल परिवहन–**

खण्डवा एवं बुरहानपुर जिलों के बीच (मध्य) में नेपा लिमिटेड स्थित है जिसकी दूरी 175 km है। खण्डवा जिला चूँकि अंतर्प्रातींय मार्गो से रेल व सड़क मार्गो से जुड़ा है। जिले में पक्की सड़क व रेल मार्ग बडी व छोटी दोनो का ही संयम है। जिला मुख्यालय से 50 km उत्तर–पूर्व में रेल मार्ग 50 km उत्तर–पश्चिम छोटी लाईन रेल मार्ग 60 km दक्षिण–पूर्व में तथा 40 km मीटर दक्षिण में रेल मार्ग है। जहां से मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, बैगलोर, गोवा, पूणे, सूरत आदि से सीधा संबंध है, वही छोटी लाईन के द्वारा इंदौर, उज्जैन, नीमच, चित्तौरगढ़, जयपुर एवं हैदराबाद तक सीधा सम्पर्क है। शोधकर्ता द्वारा इटारसी के रास्ते सीधे खण्डवा जक्शन तथा वहां से बुरहानपुर जिले से नेपा लिमिटेड में प्रस्थान किया गया तथा शोधकर्ता से संबंधित शोध सूचनायें एकत्रित किया गया।

चित्र : 1.13

बुरहानपुर रेलवे स्टेशन

स्त्रोत : https://indiarailinfo.com

ओरिएंट पेपर मिल शहडोल जिले के अमलई में स्थित है जो रेल मुख्यालय से लगभग 28 km बकहो नामक ग्राम में स्थित है जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर 20668 है। शहडोल रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के शहडोल शहर में एक रेलवे स्टेशन है। शहडोल का रेलवे स्टेशन का कोड SDL है। इसमें तीन प्लेटफॉर्म है। यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बिलासपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह इलाहाबाद–जबलपुर खण्ड पर है। शहडोल रेलवे में कई ऐसे न्यू लाइन के लिए परियोजना कार्य पगती पर है जो की आने वाले सालो में हमें देखने को मिलेंगे।

- **सड़क मार्ग–**

ओरिएंट पेपर मिल प्रादेशिक सड़क मार्ग क्रमांक 43 पर स्थित है। जो शहडोल मुख्यालय से लगभग 30 km की दूरी पर स्थित है। भारत में एक प्राथमिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह छत्तीसगढ़ के माध्यम से मध्य प्रदेश के गुलगंज से निकलती है और झारखड में चाईवासा में समाप्त होती है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश के कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, कोतमा से आपस में जोड़ती है वही छत्तीसगढ़ के कुछ जिले तथा झारखंड के कुपर जिले को आपस में जोड़ती है।

छोटी बस्ती बुरहानपुर और खंडवा के बीच आती है और कई छोटे गाँव से घिरी हुई है। यह स्थान भुसावल जंक्शन और इटारसी जंक्शन के बीच चलने वाली मेनलाइन रेलवे द्वारा पहुँचा जा सकता है। बुरहानपुर जाने वाले रास्ते से सड़क मार्ग से भी नेपानगर पहुँचा जा सकता है। असीरगढ़ में सड़क खराब वाली सड़क में विभाजित हो जाती है जो नेपानगर तक जाती है, जिसकी कुल दूरी 18 km है।

- **हवाई मार्गः–**

ओरिएंट पेपर मिल हवाई मार्ग से भी आया जा सकता है हवाई मार्ग के लिए शहडोल मुख्यालय से 10 km दूरी पर स्थित लालपुर हवाई पट्टी है जहां से सड़क मार्ग से ओरिएंट पेपर मिल जा सकते है।

नेपा अखबारी कागज मिल हवाई मार्ग से जाने के लिए सबसे नजदीक हवाई अड्डा इंदौर है जो कि खंडवा से 130 km दूरी पर है। खंडवा जिला मुख्यालय से एक हवाई पट्टी है जो छोटे हवाई जहाजों के योग्य है जो मुख्यालय से 5 km दूरी पर नागचून में स्थित है। यहां से भी बुरहानपुर से नेपानगर जाया जा सकता है।

5.8 जलवायुः–

जिले की जलवायु समशीतोष्ण है। जिले में पहाड़ी एवं मैदानों की ऊंचाई अधिक होने से और अधिक जंगल होने के कारण गर्मी मध्यम है। वर्ष भर तापमान सुखद रहता

है। शीत ऋतु में मौसम अच्छा रहता है एवं रात का तापमान हिमांश से नीचे गिरता है। जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्म हवा मार्च के अंत से पहले ही महसूस की जा सकती है। गर्मी के मौसम में रातें अपेक्षाकृत शांत और सुखद रहती है। मानसून के समय जलवायु बहुत नम रहती है। शीत ऋतु में ठंड के कारण कई दिनों तक आसमान में घने काले बादल छाये रहते है जिले का अधिकतम तापमान 2.6 डिग्री तक पहुंच जाता है।

शोधकर्ता द्वारा अपने शोध विषय से संबंधित बुरहानपुर जिले का भी अपने शोध प्रबंध में चर्चा की है। वह भूभाग जिसमें बुरहानपुर स्थित है, दक्कन के पठार का ऊपरी मैदान दक्षिण है।

बुरहानपुर की जलवायु शुष्क है और गर्मियों के दौरान अत्यधिक गर्म रहती है जहां दिन के समय तापमान 45^0c या उससे अधिक तक जा सकता है। सर्दियों में तापमान 8^0c से 29^0c तक महीनो के दौरान रहता है। नवम्बर से फरवरी तक 0 व इसमें जुलाई से अक्टूबर महीने के समय अरब सागर और हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम मानसून प्राप्त किया। 2020 में दर्ज वार्षिक वर्षा 687 % वर्षा रिकार्ड दर्ज की गयी है। वहीं दिनांक 01 जून 2020 से 29 अगस्त 2020 तक बुरहानपुर तहसील में 644.9 मि.मी. नेपानगर तहसील मे 640.0 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

5.9 खनिज एवं उद्योगः–

शहडोल संभाग में सोहागपुर क्षेत्र अपनी खनिज संसाधनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सोहागपुर क्षेत्र में कोयले की खदाने बहुतायत में है। हाल ही में सिंदुरी कोयला खदान का अनावरण एवं उत्पादन कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है तथा आने वाले समय में आस–पास के खदाने खुलने की सम्मभावनाएँ है। कोयला खदाने होने से राज्य के राजस्व में प्रमुख भूमिका के रूप में योगदान देता है। कोयला के अलावा यहां फायर, काले, लाल और पीली मेरू (मिट्टी) और पत्थर की खाने है। वही अगर बुरहानपुर जिले की बात करे तो रेत, पत्थर और मुरूम यहां पाया जाता है एवं पावरलूम उद्योग भी है। साथ ही बुरहानपुर में मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग स्थापित है जिले में 1906 में सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल स्थापित की गई थी।

5.10 जनजाति

बुरहानपुर जिले में भील जनजाति का निवास क्षेत्र है वही अगर शहडोल जिले की बात करे तो मुख्य रूप से गोंड, कोल, और बैगा जनजाति पाई जाती है।

5.11 शिक्षा और साक्षरता

2011 की जनगणना के अनुसार शहडोल संभाग की जनसंख्या 1066063 है साक्षरता 67.7 % है जिसमें पुरुष 78.5% एवं महिला 56.6% है इसके साथ ही शहडोल

जिले की साक्षरता 68.4 % जिसमें पुरूष 78.3% एवं महिला 58.2% है। शहडोल संभाग शिक्षा के लिए अच्छा क्षेत्र है पिछड़ा क्षेत्र होने के लिए अच्छा क्षेत्र है पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण भी यहाँ निजी एवं सरकारी स्कूलें है एवं उच्च शिक्षा के लिए कई महाविद्यालय व एक विश्वविद्यालय है। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी शिक्षा, चिकित्सा महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय भी शहडोल में स्थित है। जहाँ पर शहरी एवं ग्रामीण छात्र–छात्राएं विविध प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते है। इसके साथ ही अलग–अलग राज्यों से भी विद्यार्थी शहडोल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे है, जिससे शहडोल संभाग का नाम रोशन हो रहा है।

वहीं अगर बात करे बुरहानपुर जिले की जिसकी जनसंख्या 756993 है एवं साक्षरता दर काफी बेहतर है 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का साक्षरता 65.3 प्रतिशत है जिसमें महिला साक्षरता 57.1 प्रतिशत है।

चित्र : 1.14

2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर

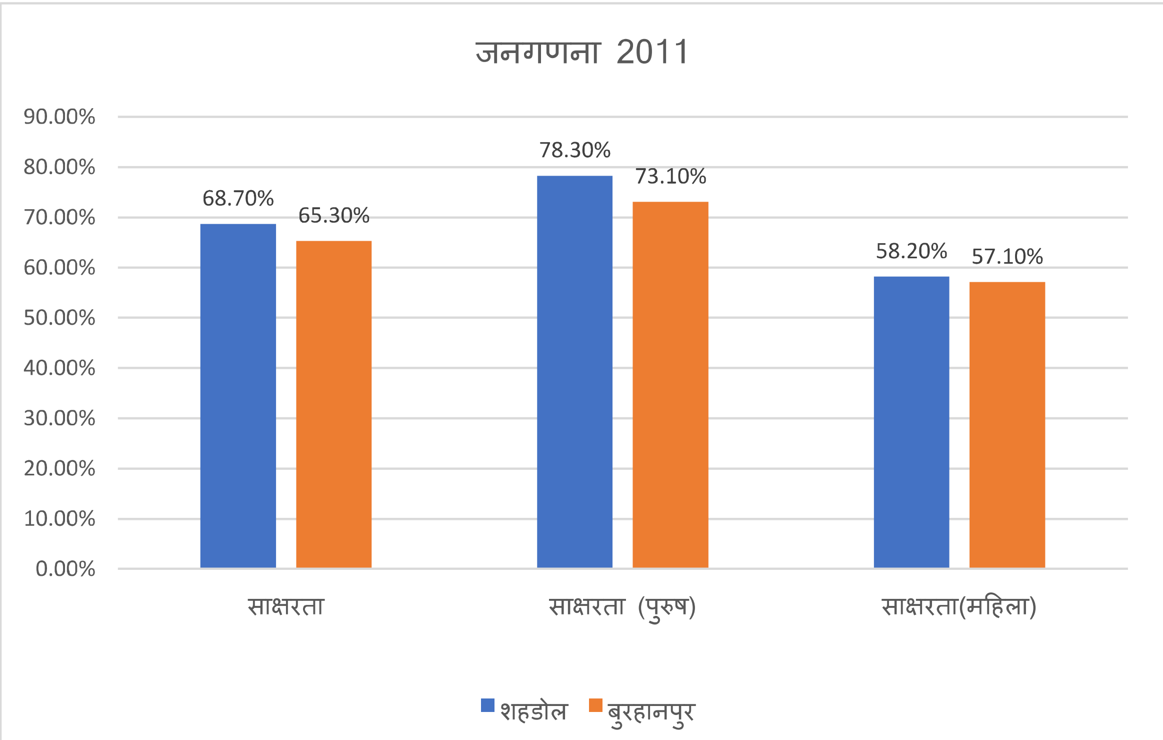

स्त्रोत: म.प्र. सामान्य ज्ञान 2023–24 –वैष्णवी प्रकाशन (मुकेश महेश्वरी) पृष्ठ क्र. 301–302

सारणी 1.1

2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर

विवरण	जनगणना 2011	
	शहडोल जिला	बुरहानपुर जिला
साक्षरता	68.7 %	65.3 %
साक्षरता (पुरूष)	78.3 %	73.1 %
साक्षरता (महिला)	58.2 %	57.1 %

स्त्रोतः म.प्र. सामान्य ज्ञान 2023–24, वैष्णवी प्रकाशन (मुकेश माहेश्वरी) (पृष्ठ क्र. 301–302)

5.12 बुरहानपुर की अर्थव्यवस्था

बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक मध्यम आकार का शहर है। यह ताप्ती नदी के तट पर बसा है। बुरहानपुर अपने कपड़ा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है।

यह मध्य प्रदेश में पावरलूम उद्योग का केंद्र भी है। इस क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग भी प्रचलित है, यहाँ पाइप और कृषि उपकरण दोनों का निर्माण किया जाता है। यहाँ कई कपास और तेल मिलें भी हैं।

यह मध्य प्रदेश में केले का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पेपर मिल भी है। यह यूनानी दवाओं का एक बड़ा बाजार है। कपड़ा उद्योग की भारी मांग को पूरा करने के लिए बुरहानपुर में बड़े पैमाने पर कपास की खेती की जाती है।

- **बुरहानपुर में कृषि और बागवानी** :

बुरहानपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। बुरहानपुर में कपास और केले की खेती मुख्य कृषि उत्पाद हैं। अधिकांश किसान इन दो प्रमुख फसलों के उत्पादन में लगे हुए हैं। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। इनके अलावा सोयाबीन और सोरघम की खेती भी अच्छी मात्रा में की जाती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलों में अरहर, गेहूँ, चना, मिर्च, धनिया, आम, संतरे आदि शामिल हैं।

• बुरहानपुर में औद्योगिक और आर्थिक विकास :–

बुरहानपुर का मुख्य आर्थिक स्रोत कपड़ा उद्योग है। यह मध्य प्रदेश में पावरलूम उद्योग का केंद्र है। इसमें एक एनटीसी (राष्ट्रीय वस्त्र निगम) परियोजना 'ताप्ती मिल्स' और कई अन्य कपड़ा कंपनियाँ हैं जैसे कमल टेक्सटाइल्स, अन्नपूर्णा कैलंडरिंग वर्क्स, पारस प्रोसेस, नील कमल प्रोसेसर्स, शिवम टेक्सटाइल्स, अम्बे प्रोसेस आदि। बुरहानपुर कैम्ब्रेकि, ब्लीच्ड धोती, इंटरलाइनिंग क्लॉथ, ग्रे मार्किंग, पावरलूम क्लॉथ बकरम और अन्य प्रकार के कपड़ों के लिए जाना जाता है। पाइप और कृषि उपकरण उद्योग भी बुरहानपुर की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। 'टेक्सम्पो पाइप्स', बालाजी उद्योग पाइप और कृषि उपकरण निर्माण उद्योग हैं। कई कपास और तेल मिलें भी बुरहानपुर की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले कारक हैं। लकड़ी और लकड़ी आधारित फर्नीचर उद्योग भी इस क्षेत्र में प्रचलित है। बुरहानपुर का कागज उद्योग मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है।

• बुरहानपुर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान :–

बुरहानपुर एक ऐतिहासिक स्थान है जिसका इतिहास बहुत बड़ा है। हमारे देश के गौरवशाली अतीत के बारे में अधिक जानने के लिए कई इतिहास प्रेमी और पुरातत्वविद बुरहानपुर आते हैं। बुरहानपुर मध्यकाल में विशेष रूप से मुगल और मराठा काल के दौरान एक महत्वपूर्ण शहर था। बुरहानपुर का नाम लिए बिना मुगल इतिहास अधूरा है। पर्यटन उद्योग बुरहानपुर का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। पर्यटकों के लिए यहाँ कई होटल, लॉज, गेस्टहाउस हैं। मुगल काल की पर्यटकों के लिए यहाँ कई होटल, लॉज, गेस्टहाउस हैं। मुगल काल की शानदार वास्तुकला को देखने और उसकी प्रशंसा करने के अलावा, बहुत से लोग यहाँ व्यवसाय के उद्देश्य से भी आते हैं। यह कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का घर है जहाँ देश भर से लोग आते हैं। इसे मुसलमानों और सिखों के तीर्थस्थल के रूप में भी जाना जाता है।

• बुरहानपुर में अर्थव्यवस्था के स्रोत के रूप में वन :–

वन के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्रफल 195321 हेक्टेयर है। हालाँकि बुरहानपुर में वन एक प्रमुख आर्थिक योगदानकर्ता नहीं हैं, लेकिन इन वनों की लकड़ी बुरहानपुर में कई लकड़ी आधारित फर्नीचर उद्योगों का आधार बनती है। बुरहानपुर में कई लकड़ी और लकड़ी आधारित फर्नीचर उद्योग हैं। इसके अलावा, लकड़ी का उपयोग ग्रामीण उद्योगों में भोजन पकाने के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। बुरहानपुर में एक बहुत बड़ा चमड़ा उद्योग भी है। जंगलों में जानवरों का शिकार उनके चमड़े के लिए किया जाता है। और इसलिए जंगल सीधे बुरहानपुर की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं करते हैं, लेकिन बुरहानपुर में कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत हैं।

6. संगठनात्मक संरचना

किसी भी औद्योगिक इकाई का सबसे मजबूत स्तंभ उसकी संरचना होती है। अगर संगठन या संगठनात्मक संरचना कुशल एवं प्रशिक्षण युक्त हो तो किसी भी औद्योगिक इकाई को सफलता की ऊँचाई तक ले जाया जा सकता है। संगठन प्रबंध तत्र है जिसके माध्यम से प्रबंधक अपना कार्य सम्पन करता है।

प्रो. हैने के शब्दों में–'किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगो का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है।

ओरिएंट पेपर मिल (Flow Chart)

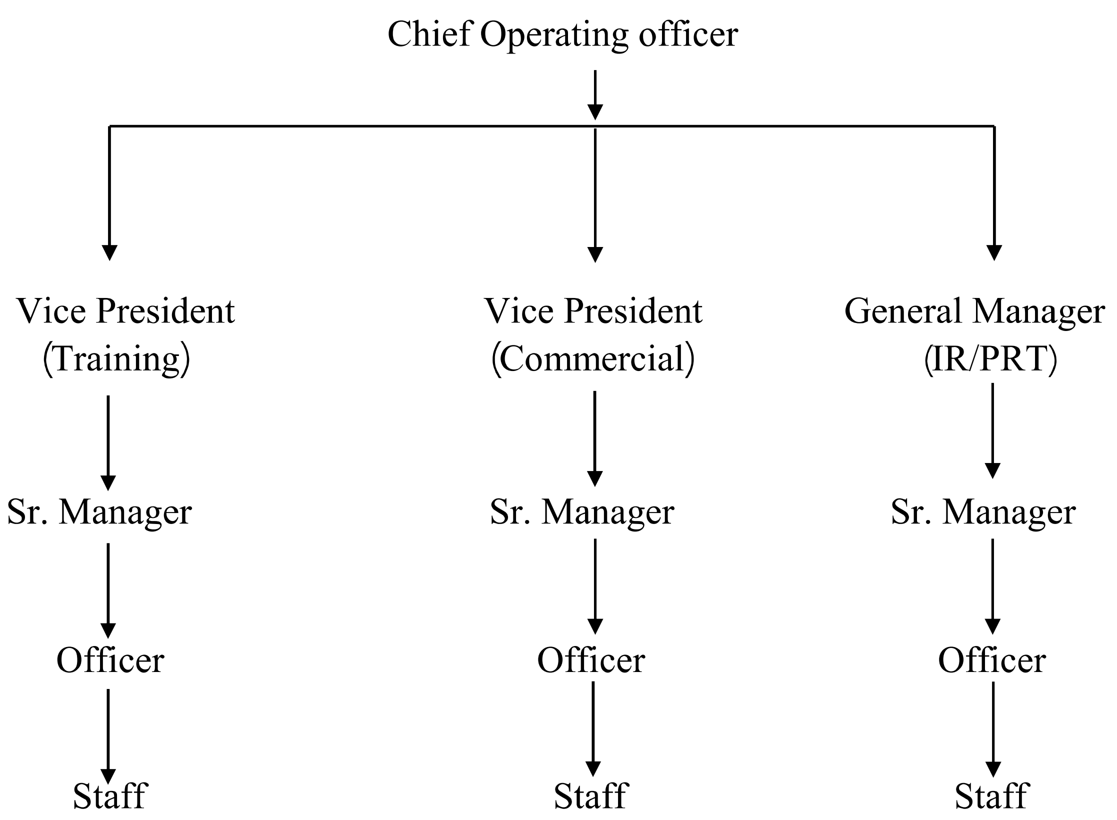

स्त्रोतः प्राथमिक आकड़े 2023–24 (https://orientpaper.in)

6.1 ओरिएंट पेपर मिल्स – इण्डस्टोज लि. की संगठनात्मक संरचना

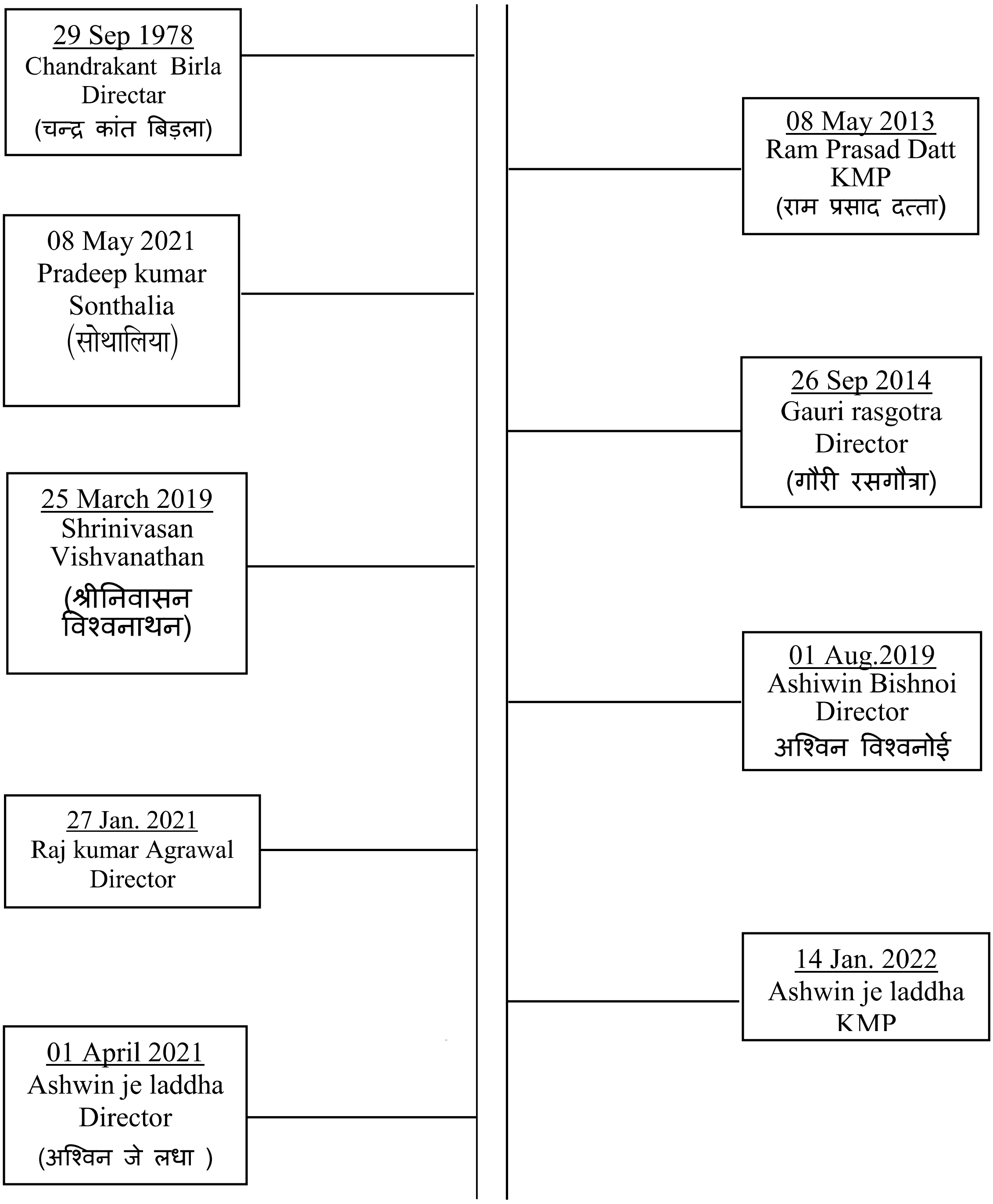

स्त्रोत : ओरिएंट पेपर मिल्स वेबसाइट (www.orientpaperindia.com)

6.2 संगठन के प्रारूपः–

औद्योगिक इकाईयों के संगठन के विभिन्न प्रारूपों की रचना की गई है जिनमें निम्न प्रारूप है–

1. रेखीय संगठन
2. रेखा एवं कर्मचारी संगठन
3. कार्यात्मक संगठन

1. रेखीय संगठन

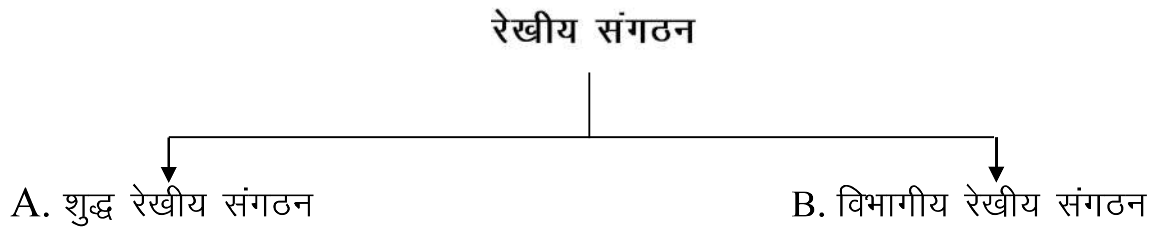

A. शुद्ध रेखीय संगठन–

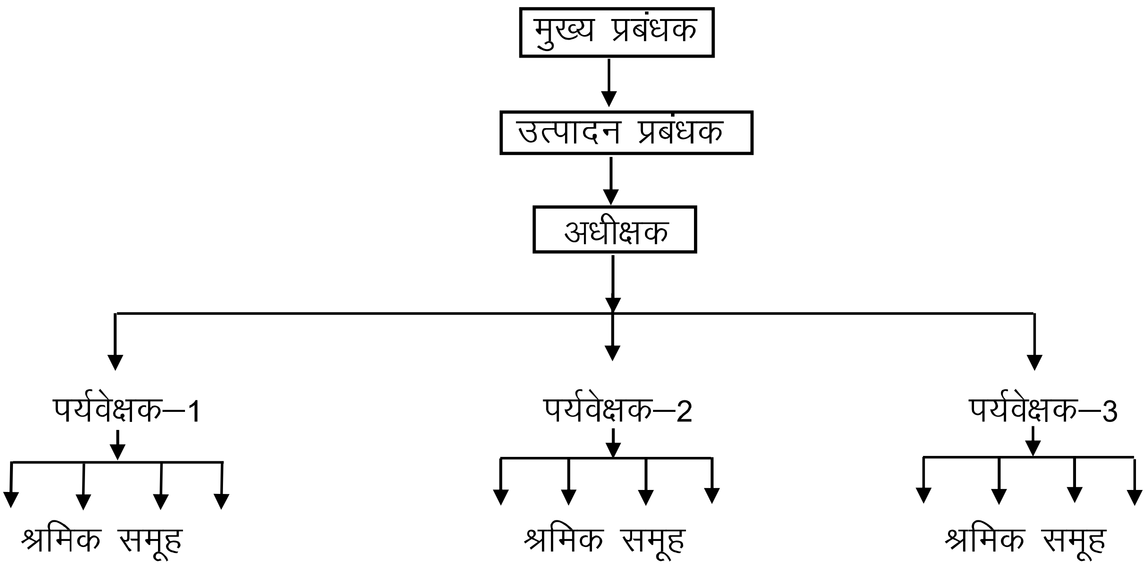

B. विभागीय रेखा संगठन– यह संगठन लघु एवं मध्यम स्तरीय फर्मों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इससे उपक्रम की समस्त क्रियाओं को प्रवृति के अनुसार अलग–अलग विभागों में बांटा जाता है।

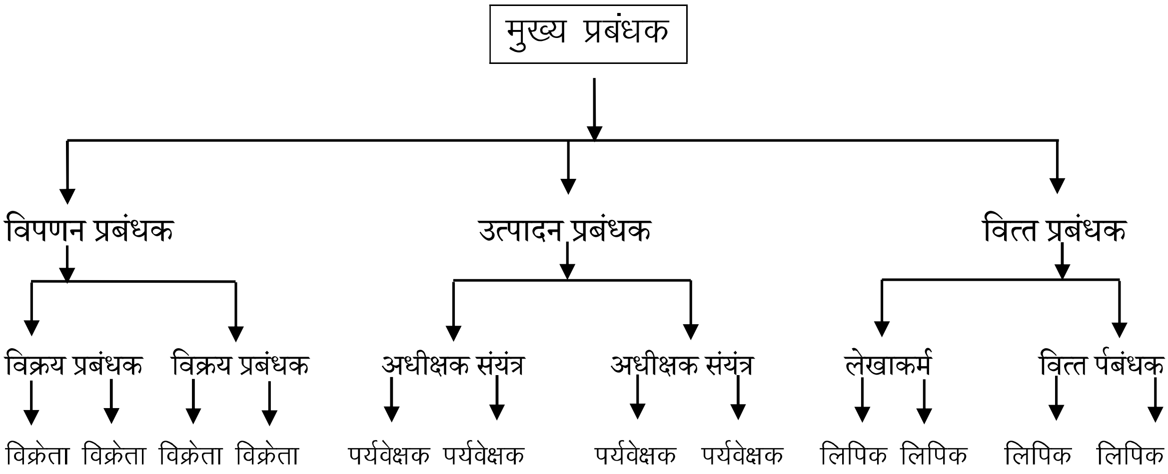

2. रेखा एवं कर्मचारी संगठन –

एक व्यवसायिक उपक्रम का विस्तार होने पर एक बिंदु ऐसा आ जाता है जब विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है । तो वहां रेखा एवं कर्मचारी संगठन का प्रयोग किया जाता है :–

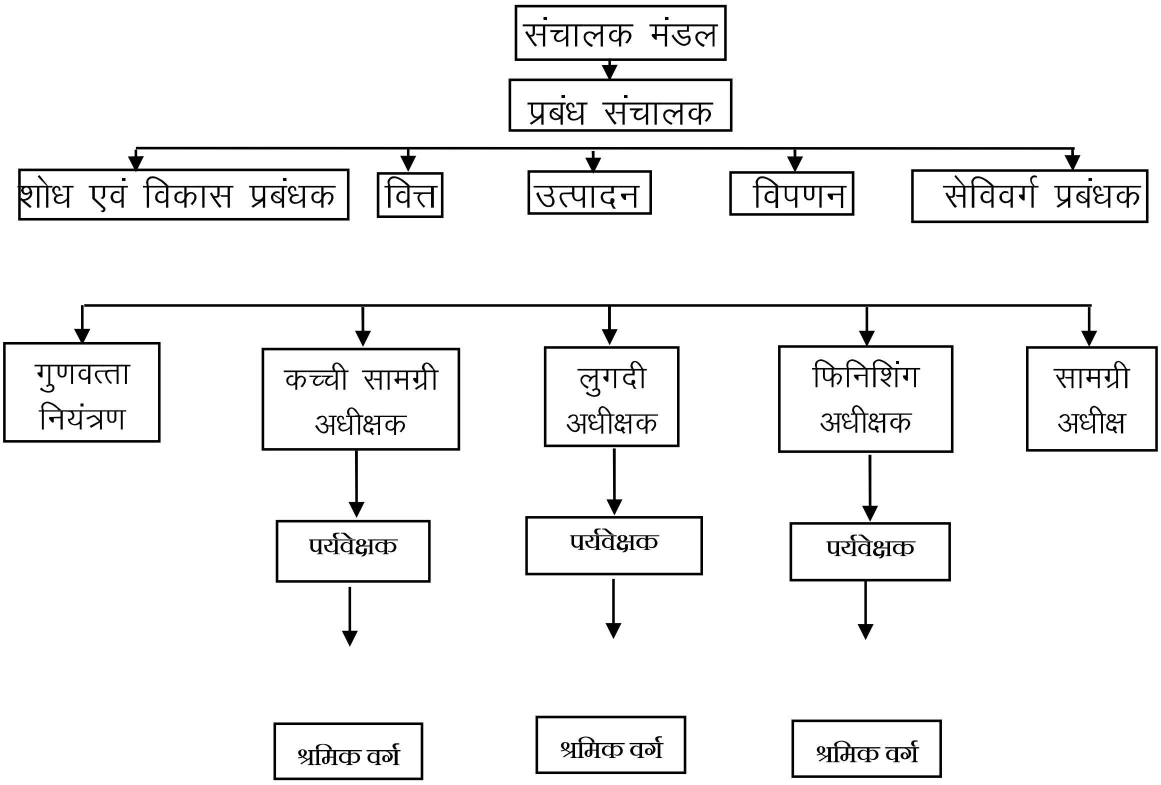

3. कार्यात्मक संगठन–

कुछ व्यापक आकार के उपक्रमों में देखने को मिलता है। इस संगठन के प्रारूप के अंतर्गत कर्मचारी विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि अपने विशिष्ट क्षेत्रों में योजना को क्रियांन्वित करने के लिए रेखीय अधिकार भी प्रदान कर दिये जाते है।

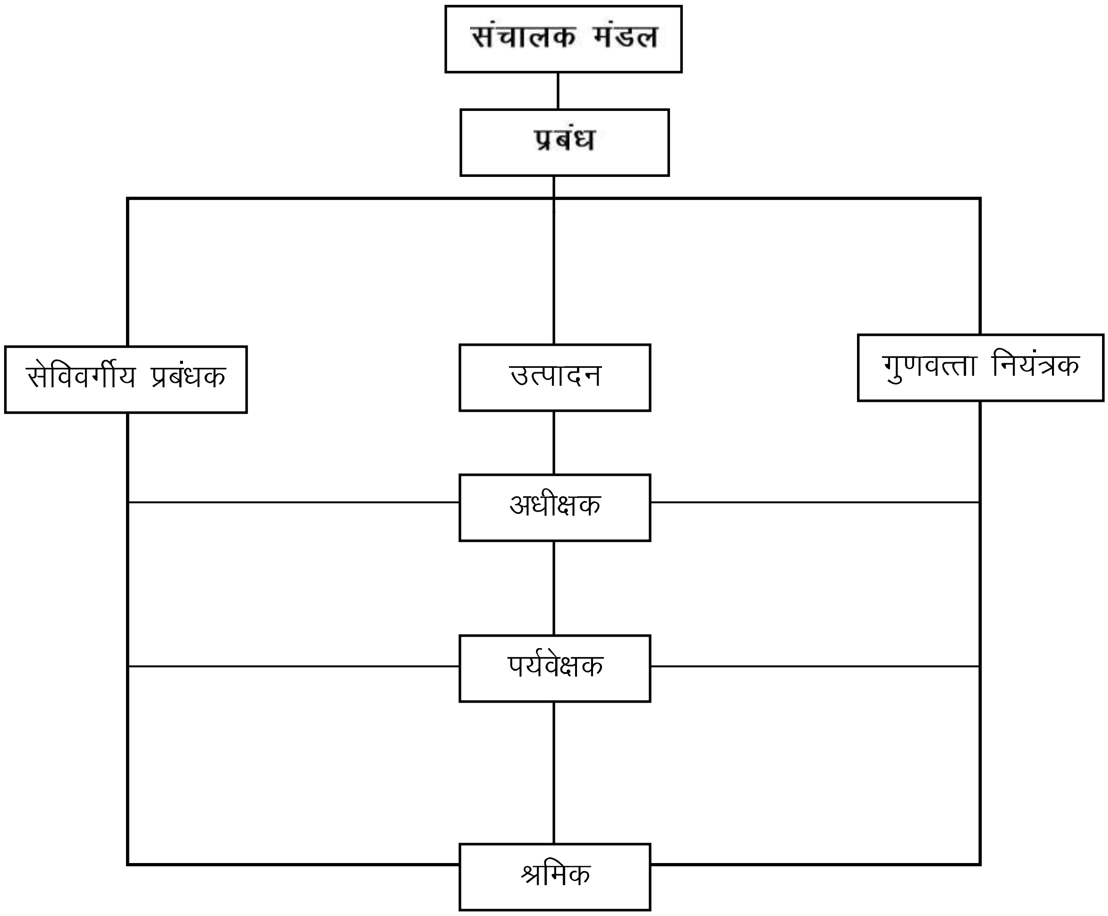

4. समिति संगठन–

समिति संगठन से आशय ऐसी संगठन संरचना से है जिसमें कुछ निश्चित कार्यो को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की समितियों का गठन किया जाता है। समिति के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति उस समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है।

6.3 नेपा लिमिटेड की संगठनात्मक संरचना

कंपनी में 6 निर्देशक और 2 रिर्पोट किए गए प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी है। वर्तमान में बोर्ड के सबसे लंबे समय तक सेवाएं देने वाली निर्देशक कल्पना श्रीवास्तव है जिन्हें 18 फरवरी 2019 को नियुक्त किया गया था। हाल ही में नियुक्त निर्देशक पद्यप्रिया बालकृष्णन है, जिन्हें 16 सितंबर 2021 को नियुक्त किया गया था।

चित्र : 1.15

नेपा लि. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर

स्त्रोत :– नेपा लि. वेबसाईट (https://www.nepamills.co.in)

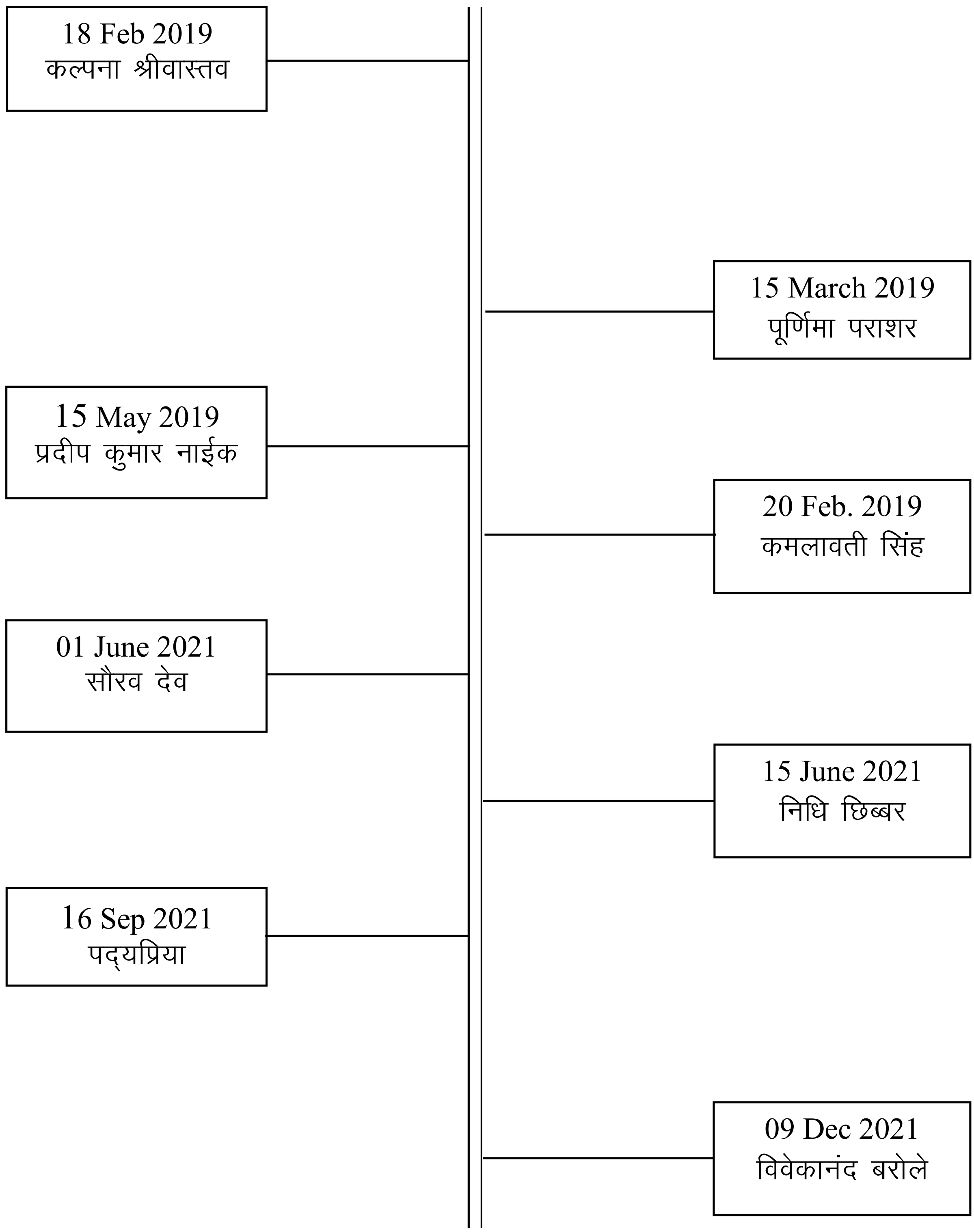

स्त्रोत :– नेपा लि. वेबसाईट (https://www.nepamills.co.in)

कुल श्रमशक्ति– अखबारी कागज मिल

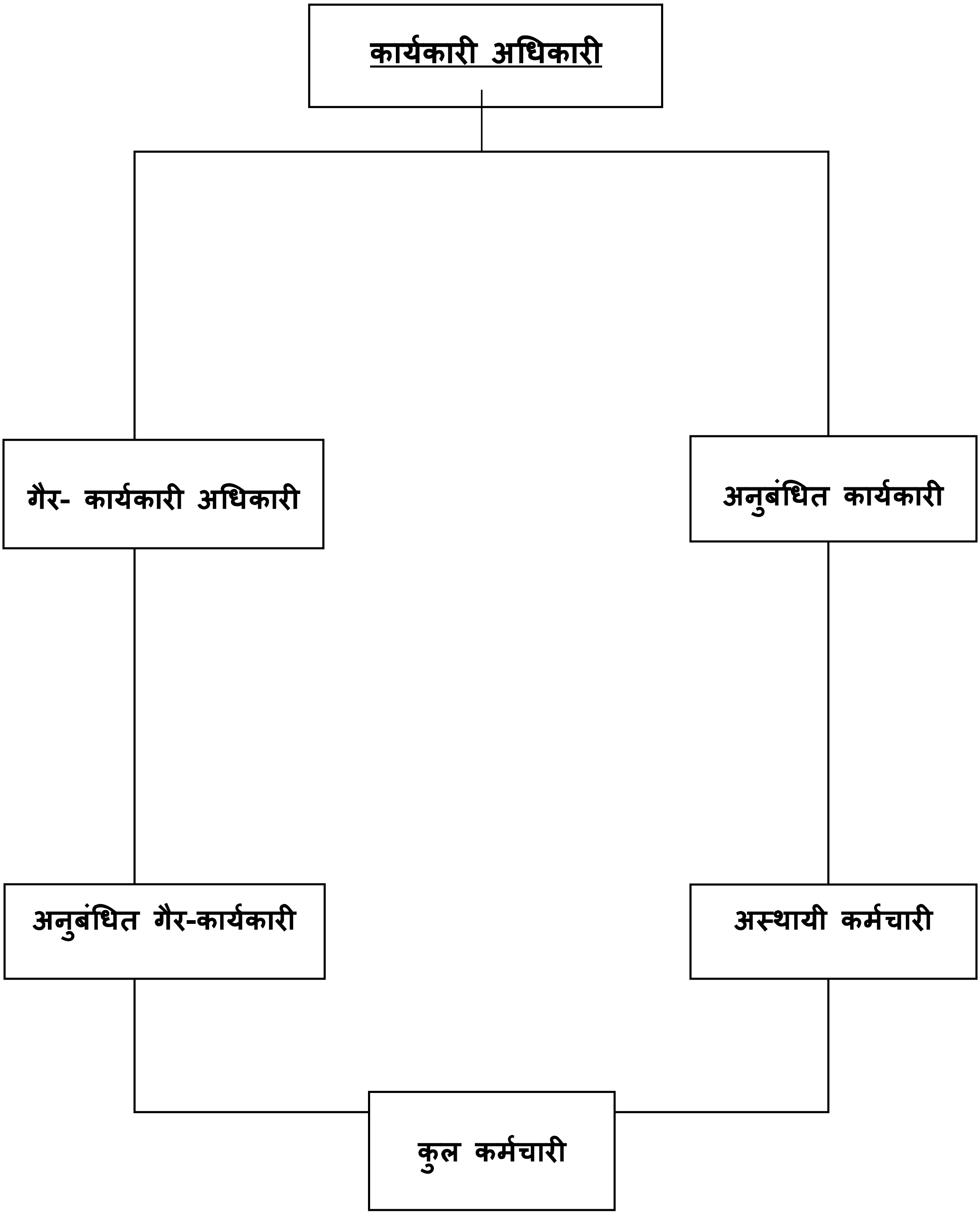

स्त्रोत :– नेपा लि. वेबसाईट (https://www.nepamills.co.in)

6.4 मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थिति

मध्यप्रदेश औद्योगीकरण की दिशा में तेजी से बढता हुआ राज्य है। राज्य में वह सब कुछ है जो उद्योगों के स्थापित और बढ़ने के लिए चाहिए। भारत देश के मध्य में होने के कारण खनिज का अपार भण्डार है। राज्य की नदियां प्रदेश ही नहीं देश के जल तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। प्रदेश की नदियां किसानों, मछुआरों तथा अन्य लोगों के साथ ही उद्योगों के लिए जल उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही राज्य में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित मानव शक्ति पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। वैसे भी राज्य की कृषि प्रधान वर्षा आधारित अर्थव्यवस्था को विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए औद्योगिकीकरण आवश्यक है। इससे अर्थव्यवस्था का विविधीकरण होता है, तथा वर्षा पर निर्भरता कम होती है। कृषि उत्पादो के मूल्यवर्धन की सुविधा उपलब्ध होती है, तथा कृषि उत्पादन के लिए आनाज प्राप्त होते है। साथ ही कृषि पर रोजगार के लिए निर्भरता कम होती है।

मध्यप्रदेश में उद्योगों और औद्योगीकरण का इतिहास बहुत प्राचीन हैं। स्वतंत्रता के पूर्व ही इन्दौर कपडों के निर्माण का एक बड़ा केन्द्र बन गया था। ग्वालियर में भी औद्योगिकीकरण की दिशा में काफी काम हुआ।

देश के आजाद होने के बाद और 1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश राज्य बनने के पूर्व यह भू–भाग मध्य भारत, विध्यप्रदेश, भोपाल राज्य और पुराने मध्यप्रदेश (सीपी एण्ड बरार) के तौर पर प्रशासित रहा। मध्यप्रदेश उद्योग विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य से कुल निर्यात 2003–04 में लगभग 6 हजार करोड़ रूपये बढ़ कर 2022–23 में 65 हजार करोड़ रूपयें हो गया। मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 के अनुसार 2021–22 और 2022–23 के बीच द्वितीय क्षेत्र (विनिर्माण उपयोगिताओ का निर्माण आदि) का आकार 5.42 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

सर्वेक्षण में कहा गया है – ''राज्य की अर्थव्यस्था कृषि प्रधान हैं'' जिसे विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए औद्योगीकरण नितांत आवश्यक हैं, ग्रामीण अर्थव्यस्था के विकास में सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उद्योगों की विशेष भूमिका है।

''शोधकर्ता द्वारा मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थिति के संदर्भ में प्राचीन काल में वर्तमान की स्थिति का पुनरावलोकन किया गया है।

मध्यभारत :– मध्य भारत राज्य अपनें समय में कपड़ा मिलों के साथ–साथ स्टील, फर्नीचर आदि उद्योगों के लिए जाना जाता था। उस समय मुम्बई के बाद मध्य भारत में ही सबसे ज्यादा सूती मिले थी। ग्वालियर का इंजीनियरिंग वर्क्स मध्य भारत का सबसे बड़ा कारखाना था। इसमे सिंधिया स्टेट रेलवे के इंजन, डिब्बों और माल के डिब्बों की मरम्मत के साथ कृषि यंत्र, विविध प्रकार के औजार, लोहे और पीतल की ढलाई का कार्य तथा फर्नीचर तैयार होता था। यहाँ लगभग 450 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था।

इन्दौर का भंडारी आयरन एण्ड स्टील का कारखाना तेल निकालने के यंत्र, गन्ने का रस निकालने की चरखी आदि वस्तुएं बनाता था। यहाँ इस समय लगभग 300 लोगों को रोजगार मिलता था। देवास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कारखानों में अनेक प्रकार की मशीनों के औजार, पुर्जे आदि और इन्दौर का पांटरीज कारखाना, ग्वालियर की लेदर फैक्ट्री ग्वालियर तथा इन्दौंर में वनस्पति घी उत्पादन के कारखानें राजगढ़ में साबुन बनाने का कारखाने, ग्वालियर और राऊ में काँच के कारखाने, ग्वालियर की मैच फैक्ट्री सहित मध्यभारत में कई उद्योग काम कर रहे थे। ग्वालियर के पास बानमोर में सीमेंट बनाने का कारखाना था। जहाँ हर साल 60 हजार टन सीमेंट तैय होता था।

मध्यभारत मे रूई का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने तथा प्राकृतिक वातावरण अनुकूल होने के कारण 16 कपड़ें की मिलें यहाँ कार्य कर रही थी। मुम्बई तत्कालीन के बाद मध्य भारत देश में सूती मिलों का सबसे बड़ा केन्द्र था। दो–एक मीलों में रेशमी और ऊनी कपड़ा भी तैयार होता था। इन्दौर में 4 कृत्रिम रेशम बनाने वाली इकाईयां थी।

1. न्यू मर्चेट सिल्क मिल्स
2. इन्दौर रेयॉन बीविंग फैक्ट्री
3. नेशनल सिल्क मिल
4. के. सुबोध इडस्ट्रीज

इनमें से तीन कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत खोले गए थे। कॉटन टेक्सटाइल इन्दौर, इन्दौर मालवा यूनाईटेड मिल्स लि., हुकुमचन्द मिल्स लि., दी कल्याण मिल्स लि., दी राजकुमार मिल्स लि., नन्दलाल भण्डारी मिल्स लि., रायबहादुर कन्हैयालाल भण्डारी मिल्स लि., स्वदेशी कॉटन एण्ड फ्लोर मिल्स लि. इन्दौर की प्रमुख कपड़ा मिले थीं।

अगर हम वर्तमान में अध्ययन करें तो देश की आबादी का 68.8 प्रतिशत और कार्यबल का 72.4 प्रतिशत हिस्सा गांवों में निवास करती है। लिहाजा ग्रामीण भारत को मानव पूंजी के विशाल भंडार के तौर पर देखा जा सकता है।

विंध्य प्रदेश– विंध्य प्रदेश में खेती के अलावा दूसरा प्रमुख उद्योग जंगल में काम करने का था। लकड़ी काटने का कार्य अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग करते थे। कुछ लोग शराब की भट्टियों, रोलिंग मील, बीड़ी, तेल मील, चावल मिल, छापाखानें (प्रिंटिंग), साबुन, मिट्टी के बर्तन, आटा चक्की, लोहा फौलाद के कारखानों में संलग्न थे।

भोपाल राज्य– कृषि प्रधान राज्य होने के बाद भी भोपाल राज्य के समय औद्योगिक क्षेत्र में सराहनीय प्रगति हुई। भोपाल में स्थित कपड़ा, शक्कर, पुट्ठा, माचिस, कॉच, रूई, औटना, तेल, आदि के बड़ें–बड़ें कारखानों से हजारों श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता था।

नये उद्योगों को हर प्रकार की सुविधाए दी जाती थी। इससे यहाँ फ्लोर मिल, पेन्ट–वार्निश, स्टील रिशेलिंग, साईकिल के पार्ट्स, सेनेटरी–वेयर आदि के कारखाने भी खुलें। खादी की बुनाई, लकड़ी के खिलौनें व कंघियां, फर्नीचर तथा लकड़ी का अन्य काम यहाँ के प्रमुख गृह उद्योग थे।

पुराना मध्यप्रदेश (सी पी एण्ड बरार)ः– स्वतंत्रता के बाद इस राज्य में सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, शीशा उद्योग, जनरल इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग तथा शराब पेंट, वार्निश और पुल संरक्षण उद्योग विशेष रूप से थे। राज्य में अनेक कुटीर व लघु उद्योग भी चल रहे थे। सूती कपड़ों का उद्योग, पुराने मध्यप्रदेश का सबसे प्रमुख उद्योगों में से एक माना जाता था। यहाँ इस उद्योग का उन्मूल्यन होने के पीछे यहाँ बड़ें मात्रा में कपास की खेती का होना है। मध्यप्रदेश का दूसरा प्रमुख उद्योग सीमेंट उद्योग था। भारत में इस उद्योग का पूर्णतः प्रादुर्भाव सन् 1912 में हुआ। और इसके बाद 1914 में ही मध्यप्रदेश में कटनी सीमेंट एण्ड इंडस्ट्रियल कम्पनी की स्थापना हुई। उस समय पूरे देश मे सीमेंट उद्योग की केवल तीन ही इकाईया थी। जिनमें से उपयुक्त एक इकाई राज्य में थी।

जबलपुर जिला में स्थित एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी का कारखाना देश में सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना माना जाता था। सीपी एण्ड बरार में नेपा मिल्स पूर्वी निमाड़ जिला (अब बुरहानपुर जिला) नामक कागज का कारखाना था। नेपा मिल्स का उत्पादन कार्य जनवरी 1956 से प्रारंभ हो गया था। कागज का उत्पादन करने वाली यह भारत की एकमात्र एवं प्रथम मील थी। उस दौरान जबलपुर में शीशे के कारखाने भी चल रहे थे। मध्यप्रदेश का धरोहर प्राचीन समय में प्रमुख रूप से कृषि पर आधारित राज्य है। लेकिन औद्योगिक विकास राज्य की अर्थव्यवस्था में विविधीकरण के लिए आवश्यक है। राज्य में ग्रामोंद्योग की खासी भूमिका थी। शोधकर्ता द्वारा उद्योगों को विस्तृत चर्चा की है, जो वर्तमान परिपेक्ष से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि, वन, हथकरघा और छोटे उद्योंगों पर केन्द्रित है। विभिन्न छोटे और सूक्ष्म उद्यमों की सहायता के लिए अनेक मंत्रालय अनेक योजनाएं चला रहे हैं। इन उद्यमो में सामाजिक छोटे और कुटीर उद्योगों समेत गैर कृषि, सेवा तथा खेती और इससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यम शामिल है। इन उद्यमों में ग्रामीण मानव संसाधनों को ज्यादा उत्पादक और संवहनीय ढंग से इस्तेमाल करने की क्षमता है। ग्रामीण विकास और गावों के सशक्तिकरण के लिए निचले स्तर पर अनेक स्टार्टअप और उद्यमिता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

ग्रामीण स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है जिनसे गावों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के जरिए डिजिटल समावेश और वित्तीय सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण और ग्राम समुदायों की जीवन सुगमता को गति मिल रही है।

उद्योगों में आम उपयोग की वस्तुओं का निर्माण होने के साथ ही इनसे रोजगार भी मिलते है। ग्रामीण उद्योग गावों के संसाधनो पर निर्भर गैर–कृषि गतिविधियां है। इनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधनों मानव शक्ति और प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होता है। इन्हे आम तौर पर छोटे या ग्राम उद्योगों के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण उद्योगों में गावों में स्थित खादी, ग्राम उद्योगों के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण उद्योगों में गावों में स्थित खादी ग्रामोद्योग हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम पालन, नारियल और सेवा उद्योग शामिल है।

गाँवों में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र आजीविका के मुख्य स्त्रोत है और ग्रामीण आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं से जुड़ा हुआ है। गाँवों के औद्योगीकरण से ग्रामीण के साथ ही अर्ध–ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ होगा। छोटे उद्योगों की स्थापना से गैर–कृषि गतिविधियों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इससे ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर सुधरेगा, गरीबी खत्म होगी शहरों की ओर पलायन घटेगा, किसानों की खेती के मौसम के बाद भी रोजगार मिलेगा महिलाओं की भागीदारी बढेगी और ग्राम समुदायों के सामाजिक दर्जे का उन्नयन होगा। देश के ग्रामीण और अन्य पिछडे क्षेत्रों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएँ चलायी जा रही है (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2019, MSME, 2021)

भारत में ग्रामीण उद्योगों को पैमाने और मुख्य कार्यो के आधार पर कई योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार और विकास के लिए उद्योगों को चार समूहों में विभाजित किया गया है–

1. **पारम्परिक ग्राम उद्योग** – खादी, चर्मशोधन, काष्ठकला, शिक्षा, सूती कपड़ा, हथकरघा पावरलूम और वस्त्र, हस्तशिल्प नारियल, रेशम पालन और ऊन विकास आदि।
2. **भारी उद्योग** – मिनी इस्पात संयंत्र, जैविक आदानों का उपयोग करने वाले उर्वरक और कीटनाशक संयंत्र और सहायक इंजीनियरिंग उपक्रम आदि।
3. **मझोले उद्योग**– ऊर्जा के लिए कोयले का इस्तेमाल करने वाले छोटे सीमेंट और कागज संयंत्र आदि।
4. **हल्के उद्योग**– पशु चारा, कब्जे, जालियां, दरवाजे और खिड़कियों के चौखट एवं छत जैसी निर्माण सामग्रियों तथा कृषि औजार और मशीनरी आदि बनाने वाले संयंत्र।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ऊपर वर्णित उद्योगों का होना आवश्यक है। कृषि और सम्बन्ध क्षेत्र ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग रहें है– ग्रामवासियों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार के साथ–साथ राष्ट्रीय

विकास में भी इनका योगदान है। आज मध्यप्रदेश की इंदौर, पीथमपुर भोपाल, मण्डीदीप, ग्वालियर, मालनपुर और उसके समीपवर्ती औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख उद्योग केन्द्र के तौर पर उभर रहे है। राज्य के अन्य स्थानों पर भी औद्योगिकरण का सिलसिला तेजी से चल रहा है।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विभागीय संरचना निम्न है–

1. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश (उद्योग संचालनालय) : राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने में उद्योग संचालनालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। संचालनालय राज्य में स्थापित उद्योगों को विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही यह स्वरोजगार के लिए भी वित्तीय सहायता देता है। राज्य व दूसरे राज्यों के बीच बाजारों की नेटवर्किंग, राज्य में बड़े उद्योगों व अप्रवासी भारतीयों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रोत्साहन के साथ ही राज्य के औद्योगिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को अंजाम देता है। उद्योग आयुक्त कार्यालय के तहत सात परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय और 51 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यरत हैं। इसके साथ ही रोजगार प्रभाग अंतर्गत विस्तार पटल जबलपुर एवं 53 जिला रोजगार कार्यालय एवं अन्य रोजगार कार्यालय कार्यरत हैं। '

2. पंजीयक, फार्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेशः इस कार्यालय को भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 तथा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत कार्य सौंपे गए हैं। उक्त कार्यालय व्यापारिक भागीदारी फर्मों का पंजीयन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, जनकल्याणकारी, परोपकारी, स्वयंसेवी आदि संस्थाओं का पंजीयन का कार्य करता है। इसके अधीन इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा में संभागीय कार्यालय संचालित है।

3. संचालक, वाष्पयंत्र : इस विभाग का कार्य राज्य में स्थापित उद्योगों में बॉयलरों का निरीक्षण करना, उनके वैधता प्रमाण–पत्र जारी करना, नए बॉयलरों का पंजीयन करना, बॉयलर संबंधी दुर्घटनाओं की जांच करना, निर्माण होने वाले बॉयलरों का तकनीकी परीक्षण व निर्माण के दौरान निरीक्षण करना, स्टीम पाइप लाइन के मानचित्र का अनुमोदन एवं निरीक्षण करना तथा बॉयलर व स्टीम लाइन के विभिन्न प्रेशन पार्ट्स की डिजाइन ड्राइंग का परीक्षण तथा निरीक्षण करना है। संचालक वाष्पयंत्र एवं दो अधिनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं।

विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में सार्वजनिक उपकम, प्राधिकरण–

1. मध्यप्रदेश ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट फैसिनिटेशन कापरिशन लिमिटेडः– राज्य में एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के परिवर्तित रुप में मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना मध्यप्रदेश में की गई। इसका उद्देश्य राज्य

शासन की औद्योगिक संवर्धन नीति–2014 के परिप्रेक्ष्य में निवेश को प्रोत्साहित करना है। कार्पोरेशपन राज्य में बड़े उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेशकों तथा अप्रवासी भारतीयों द्वारा अधोसंरचना, औद्योगिक तथा अन्य निवेश को अकर्षित करने में सहायता करता है। यह राज्य में निर्यातक इकाईयों को निर्यात संबंधित जानकारी एवं मार्गदर्शन भी देता है। इसके अलावा उक्त संस्था निर्यात संवर्धन के लिए राज्य में सेमिनार और कार्यशालाओं के आयोजन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रतिनिधित्व व भागीदारी विपणन सर्वे तथा निर्यातकों की समस्याओं के निराकरण में मदद भी करती है।

नीतिगत प्रावधान :–

प्रदेश में औद्योगीकरण के लिये किये जा रहे प्रयासों और नीतियों के फलस्वरूप देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों एवं निवेशकों द्वारा प्रदेश में निवेश की रूचि प्रदर्शित की गई है। निवेश के वातावरण को निरंतर बनाये रखने की दृष्टि से उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2023) प्रभावशील है। नीति के प्रमुख नीतिगत बिंदु निम्नानुसार है :–

* सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाकर सभी निवेशकों के लिये एक उपयुक्त परिवेश बनाना ताकि वे आसानी से अपना व्यापार कर सकें।
* वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतों से निवेश को आकर्षित करना।
* उद्योगों के लिये भूमि की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ''भूमि बैंक'' (Land Bank) की स्थापना।
* विकसित औद्योगिक भूमि प्रतिस्पर्धी मूल्य पर निवेशकों को उपलब्ध कराना। वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संलग्न उद्योगों एवं सेवाओं तथा वृहद कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, राईपनिंग चेम्बर, इंडिविज्युअल क्विक फ्रीजिंग आदि को प्रोत्साहित करने तथा अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से विशिष्ट वित्तीय सहायता उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुक्रम में सम्मिलित की गई।
* टेक्सटाईल सेक्टर में ''मूल्य संवर्धित'' (value added) श्रृंखला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिधान क्षेत्र की वृहद श्रेणी की निर्माण इकाईयों को विशिष्ट वित्तीय सहायता का प्रावधान दिनांक 09.04.2018 से सम्मिलित किया गया।
* जीएसटी प्रणाली लागू होने से एवं भारत के मध्य स्थल में अवस्थित होने के दृ दृष्टिगत् उद्योग सवंर्धन नीति 2014 के अनुक्रम में लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब एवं पार्क को वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधायें दिनांक 22.6.2018 से सम्मिलित की गई।
* जीएसटी प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप नीति अंतर्गत देय वेट/सीएसटी/प्रवेश कर छूट सुविधा को विलोपित कर वृहद औद्योगिक परियोजनाओं को टेक्स प्रणाली

से पृथक कर निवेश प्रोत्साहन योजना दिनांक 01.04.2018 से 31.3.2022 तक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर लागू किया गया।

* वृहद श्रेणी की बंद इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरांत पुर्नसंचालित करने पर विशेष पैकेज का प्रावधान दिनांक 28.8.2018 से सम्मिलित किया गया।
* निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने पर विशेष वित्तीय सहायता दिये जाने के प्रावधान दिनांक 28.8.2018 से सम्मिलित किये गये।
* उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना। दिनांक 19.12.2018 के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को अनिवार्य किया गया।
* औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाईयों को उनके परिसरों/रूफटॉप पर सौलर पावर प्लांटस की स्थापना द्वारा हरित एवं सस्ती ऊर्जा से लाभाविन्त किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
* वृहद श्रेणी की इकाईयों को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता प्रमाणीकरण तथा जांच प्रयोगशाला में व्यय को निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत सम्मिलित करने संबंधी प्रावधान सम्मिलित किये गये। उक्त अनुक्रम में अवशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणों तथा जल संरक्षण उपायों की स्थापना पर किये गये व्यय की अधिकतम प्रतिपूर्ति की सीमा रू. 1 करोड तक की गई। परिधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये अधिकतम सहायता में वृद्धि की गई। फार्मास्युटिकल, विनिर्माण इकाईयों को नीति अंतर्गत सुविधाओं का लाभ लेने हेतु उत्पादन दिनांक से 2 वर्ष तक स्लेक पीरियड की सुविधा प्रदान की गई।
* राज्य शासन के आदेश दिनांक 01.05.2021 द्वारा प्रदेश में उपलब्ध ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु ऑक्सीजन उत्पादन क्षेत्र में नवीन निवेश को आकर्षित करने के उदद्देश्य से
* उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) में ऑक्सीजन उत्पादन इकाईयों एवं ऑक्सीजन उपकरण निर्माण इकाईयों हेतु विशेष वित्तीय सहायता स्वीकृत प्रदान की गई है।
* राज्य शासन के आदेश दिनांक 17.09.2021 से एथेनॉल एवं जैव ईंधन इकाईयों को प्रोत्साहित एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एथेनॉल एवं जैव ईंधन प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।

* राज्य शासन द्वारा निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना के लाभ हेतु योजना की प्रभावशीलता अवधि दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2022 तक को संशोधित करते हुये दिनांक 01.04.2018 से नवीन नीति के अधिसूचित होने के दिनांक तक किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 05.07.2022 से प्रावधान किया गया ।
* राज्य शासन द्वारा जीएसटी प्रणाली लागू होने पर उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत प्रदान की जा रही सुविधा का लाभ इकाईयों को दिए जाने हेतु विक्रय गणक की गणना के संदर्भ में विक्रय का आशय विक्रय के मूल्य से होने एवं सुविधा सहायता की गणना में विक्रय गणक का आंकलन विक्रय मूल्य के आधार पर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 25.11.2022 से प्रावधान किया गया।
* राज्य शासन द्वारा उद्योग संर्वधन नीति 2014 अंतर्गत परिधान निर्माण क्षेत्र की वृहद श्रेणी की इकाईयों हेतु विशिष्ट वित्तीय सहायता का लाभ दिनांक 01.04.2018 से नवीन उद्योग संवर्धन नीति के अधिसूचित होने की दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को दिये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 06.01.2023 से प्रावधान किया गया है।
* राज्य शासन द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को विशिष्ट वित्तीय सहायता का लाभ आदेश जारी होने की दिनांक अर्थात् 22.06.2018 से नवीन उद्योग संवर्धन नीति के अधिसूचित होने की दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को दिए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 06.01.2023 से प्रावधान किया गया है ।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

मध्य प्रदेश तेजी से बढ़ते IT/ITeS और ESDM(Electronics System Desing & Manufacturing) क्षेत्रों में निवेश के असंख्य अवसर प्रदान करता है। राज्य पहले से ही कई IT/ITeS और ESDM बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मेजबानी कर रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य प्रतिस्पर्धी भूमि और बिजली शुल्क दरें प्रदान करता है, विभिन्न पहल शुरू करके IT/ITeS और ESDM क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया है। IT/ITeS और ESDM उद्योग ने पिछले दशक के दौरान एमपी में भारी वृद्धि देखी है क्योंकि राज्य आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एसटीपीआई, आरजीपीवी और 7 स्मार्ट शहरों में इनक्यूबेशन सेंटर्स के साथ एक उभरता हुआ स्टार्ट–अप हब है। आज, एमपी में डीपीआईआईटी (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) के तहत 2500 से अधिक स्टार्ट–अप पंजीकृत हैं, जिनमें से 44% का नेतृत्व महिलाएं करती हैं। वर्तमान में राज्य कई व्यवसाय सुविधा कारकों का दावा करता है जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईएसईआर, आईआईआईटीएम और 200 इंजीनियरिंग

कॉलेजों जैसे कई प्रमुख संस्थानों की उपस्थिति, जो कुल मिलाकर हर साल 2 लाख से अधिक कुशल कार्यबल का उत्पादन करते हैं।

मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापना एवं निवेश को बढावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार का प्रमुख द्विवार्षिक निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम है।

हाल ही में मध्य प्रदेश 11 और 12 जनवरी, 2023 को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश – ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 7वें संस्करण की मेजबानी किया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य मध्य प्रदेश में निवेश के माहौल और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को प्रदर्शित करना और संभावित सहयोग के अवसर प्रदान करना था। यह कार्यक्रम एक ऐसा मंच जहां वैश्विक नेता, उद्योगपति और विशेषज्ञ उभरते बाजारों रुझानों और व्यवधानों के इस युग में मध्य प्रदेश की निवेश क्षमता का दोहन करने के तरीकों पर अपने आख्यान साझा करने के लिए एक साथ आये।

इन्वेस्ट इंडिया ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से इंदौर में मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में 'उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना और मध्य प्रदेश की भूमिका' पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। इस सत्र की परिकल्पना और प्रबंधन इन्वेस्ट इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए सहयोग से शुरू से अंत तक किया गया था।

सत्र में भारत के प्रधान मंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के महत्व और इन योजनाओं को शुरू करने के पीछे भारत सरकार की यात्रा पर प्रकाश डाला गया और इस कदम ने देश के विनिर्माण परिदृश्य में कैसे सुधार किया है। इसमें यह भी बताया गया कि निजी क्षेत्र इन पीएलआई योजनाओं को अपनी आंतरिक रणनीति के हिस्से के रूप में कैसे देखते हैं और इससे उन्हें भारत में अपनी विनिर्माण योजनाओं को मजबूत करने में कैसे मदद मिली है। इसके अलावा, इसने इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्राप्त निवेश और खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा और कपड़ा क्षेत्रों में उच्च मूल्य के निवेश को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया।

इस सम्मेलन में लगभग 65 विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और 500 से अधिक प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने भाग लिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 11 जनवरी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।

निवेशक शिखर सम्मेलन सरकार की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। कई उद्योगपतियों ने कुल 50 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। सम्मेलन के पहले दिन 1.5 लाख करोड़ रु. अंबानी समूह जहां ऊर्जा, ऑप्टिकल फाइबर और 5जी सेक्टर में 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा, वहीं अडानी समूह ने सौर और पवन ऊर्जा, सीमेंट, खाद्य और

लॉजिस्टिक्स पार्क में लगभग 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। दिसंबर 2023 तक रिलायंस ग्रुप को उम्मीद है कि राज्य में तहसील स्तर तक 5जी नेटवर्क हो जाएगा। बिड़ला समूह ने सेवा, सीमेंट, रसायन और फाइबर उद्योग में 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उनके अलावा, कई अन्य उद्योगपतियों ने राज्य में निवेश करने में रुचि व्यक्त की है, जिनमें जेएसडब्ल्यू ग्रुप, अवाडा और टाटा ग्रुप शामिल हैं।

कई निवेशकों ने मध्यप्रदेश में निवेश की घोषणा की है जिनमें से प्रमुख हैः–

- नेटलिंक स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन व अमेरिका फ्लैश साइंटिफिक टेक्नोलॉजी 200 करोड़ से साइबर सिटी बनाएगी।
- डालमियां समूह सतना में 3500 करोड़ निवेश से जीवाश्म मुक्त ग्रीन फील्ड सीमेंट प्लांट लाएगी।
- गोकुलदास एक्सपोर्ट भोपाल के समीप फैक्ट्री लगाएगा।
- नर्मदा शुगर 450 करोड़ के निवेश से एथनॉल प्लांट, कंप्रेस्ड बॉयोगैस प्लांट और राइस ब्रान रिफाइनरी में निवेश करेगा।
- रियल एस्टेट में मल्टीनेशनल समूह जेएलएल 5 हजार करोड़ से सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एवं इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा।
- पीएसएसपीएल, बीईसीआइएल के सहयोग से 100 करोड़ निवेश करेगी।
- अवाडा समूह सोलर पेनल मेन्यूफेक्चरिंग व सिलिकॉन निर्माण इकाई लगाएगा।
- रेक बैंक डाटा सेंटर, डीएनआर कॉर्पोरेशन, टास्कस इंडिया, लाउडस फाउंडेशन, एसवी एग्री, ईस्ट वेस्ट सीड्स करेंगे निवेश।
- फार्मा क्षेत्र में चार कंपनियां 6000 करोड़ का निवेश करेंगी।
- जेएसडब्ल्यू समूह पीथमपुर में पेंट्स इकाई लगाएगा।
- कृष्णा फास्केम लिमिटेड भी बड़ी राशि इन्वेस्ट करेगा।
- अडानी समूह पंप वाटर स्टोरेज पॉवर जनरेशन प्रोजेक्ट से देवास, बड़वानी व बैतूल में 13700 करोड़ का निवेश करेगा।
- ग्रीन को एनर्जी समूह नीमच में 8000 करोड़ से पंप वाटर स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाएगा।
- आदित्य बिरला समूह ग्रासिम में टेक्सटाइल क्षमता बढ़ाएगा।
- लुलू इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल हॉस्पिटलिटी में निवेश करेगा।
- शाही एक्सपोर्ट्स 25 एकड़ भूमि पर 200 करोड़ रुपए के निवेश से रेडीमेड गारमेंट इकाई लगाएगा।
- एशियन पेंट्स इंडिया पीथमपुर में 2000 करोड़ निवेश करेगी।

- एपेरल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने गारमेंट पार्क के लिए इंदौर व पीथमपुर में जमीन भूमि पर 200 करोड़ रुपए के निवेश से रेडीमेड गारमेंट इकाई लगाएगा।
- एशियन पेंट्स इंडिया पीथमपुर में 2000 करोड़ निवेश करेगी।
- एपेरल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने गारमेंट पार्क के लिए इंदौर व पीथमपुर में जमीन मांगी।
- टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया पीथमपुर में क्लस्टर बनाएगा।
- आर्टीसन बेंबू आधारित पार्टिकल बोर्ड के लिए धामनोद में 1400 करोड़ का निवेश संभव।
- वंडरला हालिडेज लिमिटेड इंदौर में एम्युजमेंट पार्क के लिए 125 करोड़ देगा।
- यश टेक्नोलॉजी आइटी सेज के क्षेत्र में सुपर कॉरिडोर पर 1500 करोड़ का निवेश करेगा।
- डेयरी क्षेत्र में अमूल ग्रुप का 400 करोड़ निवेश प्रस्ताव।
- टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स पीथमपुर में 130 करोड़ की लागत से एथनॉल संयंत्र लगाएगा।

विदेशी निवेश

- हांगकांग का एपिक ग्रुपः गारमेंट क्षेत्र के अग्रणी समूह एपिक ग्रुप भोपाल में 400 करोड़ रुपए के निवेश से वर्टिकल फेब्रिक और गारमेंट यूनिट लगाएगी। 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। समूह प्रमुख ब्रांड को गारमेंट देता है। बांग्लादेश, जॉर्डन, वियतनाम और इथियोपिया में है।
- नॉर्वे के हेन्स जेकब फाइडेलुड के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने छिंदवाड़ा में सौर तथा पवन ऊर्जा में निवेश की मंशा जाहिर की है।
- इजराइल की कंपनियां कृषि, शहरी विकास और कौशल उन्नयन में काम करेंगी।
- सिंगापुर के समूह कृषि प्रसंस्करण, थीम पार्क विकसित करने के लिए बड़ा निवेश करेंगे।
- आबूधाबी की ई–20 इन्वेस्टमेंट कंपनी स्ट्राबेरी, ब्लू–बेरी की खेती करेगी।

निवेशकों द्वारा जो निवेश की घोषणा की गई है उसमें अकेले इंदौर में ही 70000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है इस तरह मालवा और निमाड़ में भी भारी भरकम निवेश प्रस्तावित है। इस समिट के द्वारा मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे ज्यादा निवेश की घोषणा की गई है।

चित्र : 1.16 (क)

म.प्र. ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023

स्त्रोतः वेबसाइट–https://investmp.in

चित्र : 1.16 (ख)

म.प्र. ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023

स्त्रोतः वेबसाइट–https://investmp.in

चित्र : 1.16 (ग)
म.प्र. ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023

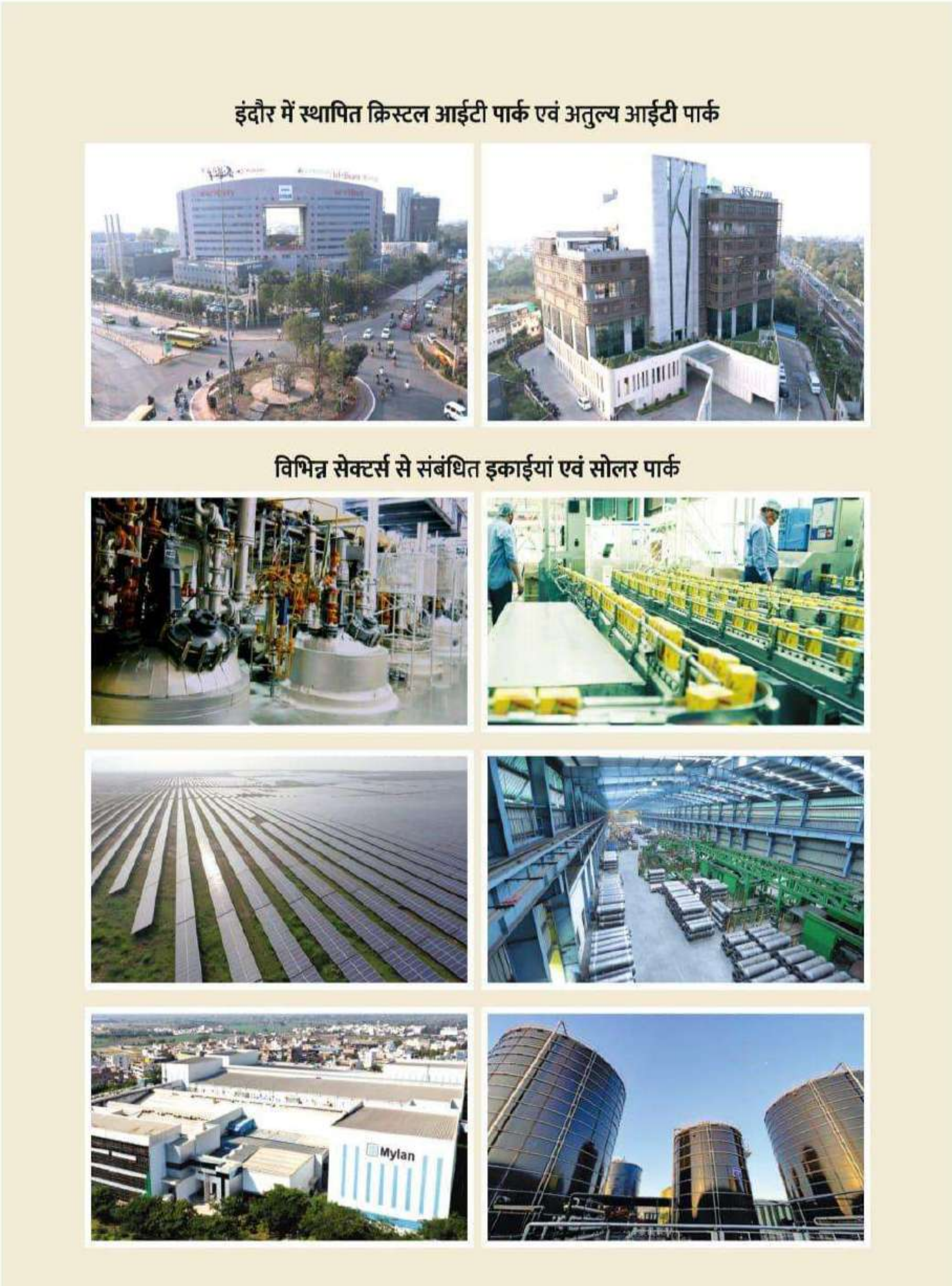

स्त्रोतः वेबसाइट–https://investmp.in

2. मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

उक्त निगम की स्थापना 28 दिसंबर, 1961 को की गई। निगम अपने उद्देश्यों के तहत लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादों के लिए कच्चेमाल की आपूर्ति करता है। राज्य के हस्तशिल्पियों, बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की व्यवस्था निगम राज्य के बाहर स्थित अपने एम्पोरियम के माध्यम से करता है। इसके साथ ही यह उद्योगों के परीक्षण तथा उत्पादों की गुणवत्ता के लिए अहम् भूमिका निभाता है। निगम द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वस्तुओं का प्रदाय पूर्व निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाता है। निगम विश्व बैंक परियोजना के तहत क्रय एजेंसी का कार्य करता है। निगम द्वारा विपणन गतिविधियों को विकेन्द्रित करने के उद्देश्य से इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में क्षेत्रीय विपणन कार्यालयों की स्थापना की गई है। इन कार्यालयों के माध्यम से निगम के प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थापित लघु उद्योगों को त्वरित विपणन सहायता प्रदान करता है। निगम द्वारा वर्ष 2009 में 27 एवं 28 फरवरी व 1 मार्च को इंदौर शहर में रिवर्स बायर सेलर मीट भी आयोजित की गई। इसमें 75 विदेशी बायर्स एवं प्रदर्श की 11 निर्यातक निर्यातोन्मुखी इकाईयों ने भाग लिया। '

3. मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं पांच सहायक कंपनियां:

उक्त कार्पोरेशन की पांच सहायक कंपनियां हैं, जिनका गठन मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित के नाम से किया गया है। इनके मुख्यालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तथा रीवा हैं। निगम आर्थिक विकासा मंडल के नोडल संस्थान के रूप में शासन के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग देता है। साथ ही यह बड़े एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना तथा चुने हुए विकास केन्द्रों में अधोसंरचना के विकास में भी मदद करता है।

अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से निगम द्वारा संचालित अथवा क्रियान्वयनाधीन योजनाओं में विशेष आर्थिक जोन इंदौर, क्रिस्टल आई.टी. पार्क इंदौर, इलेक्ट्रानिक काम्प्लेक्स परदेशीपुरा इंदौर, देवास जल प्रदाय योजना, रेडीमेड गारमेंट काम्प्लेक्स इंदौर, स्टोन पार्क कटनी, एपरेल पॉर्क फॉर एक्सपोर्ट–विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र इंदौर, ऑटो प्रोसेसिंग पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, एकीकृत अधोसंरचवना विकास केन्द्र मालनपुरध्पीथमपुर एवं मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में इनलेंड कंटेनर डिपो टर्मिनल आदि हैं। इसके अलावा प्रस्तावित अथवा प्रक्रियाधीन योजनाओं में ग्वालियर में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की स्थापना, ग्वालियर हैबीटेट सेंटर, अंतरराष्ट्रीय आटो टेस्टिंग ट्रैक पीथमपुर, जबलपुर, ग्वालियर एवं भोपाल में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क का विकास, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में ठोस अपशिष्ट निस्तारण सुविधा का विकास, एपरेल पार्क इंदौर (एसईजेड–2) मे संयुक्त प्रदूषण उपचार संयंत्र की स्थापना तथा ग्वालियर में स्टोन पार्क की स्थापना हैं।

4. ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण प्राधिकरणः–

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास तथा उत्पादनों के आयात–निर्यात को प्रोत्साहित करना है। यह निकाय स्वतः एक विशुद्ध व्यापारिक मेला है और इसके अधीन कोई कार्यालय या संस्था नहीं है। प्राधिकरण जन कल्याणकारी योजनाओं तथा उत्पादों के प्रचार–प्रसार करने वाले इन मेलों की देश में खासीस पहचान है। मेला परिसर में 1400 पक्की दुकानें, 126 कोठरियां, 134 एमबी, 37 डी–सेक्टर तथा 182 दुकानें एम.एस.टी. सेक्टर में शिल्प बाजार के सामने 100 नई दुकानें हैं। इन दुकानों के अलावा खुली भूमि तथा प्रदर्शनी स्थल के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। यह मेला प्रतिवर्ष 25 दिसंबर से 7 फरवरी तक आयोजित किया जाता है।

5. मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्डः–

मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन जून 2004 में हुआ। राज्य में मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन रोजगार निर्मित कर स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। बोर्ड रोजगारोन्मुखी शिक्षा, प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। उक्त संस्थानों के अलावा मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड विभाग के अधीन हैं। यह संस्थाएं बंदप्राय हैं।

रोजगार : राज्य की प्रमुखा समस्याओं में बेरोजगारी भी एक है। राज्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों मेंम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस समस्या को दूर करने के प्रयास हो रहे हैं। इन योजनाओं के तहत रोजगार के अवसरों के साथ–साथ स्वरोजगार को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वरोजगार के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण की व्यवस्था करना, विभिन्न लघु और ग्रामोद्योगों का प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन की व्यवस्था आदि की जाती है। राज्य में ग्रामोद्योग के क्षेत्र में हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन आदि के विकास को सुदृढ़ कर रोजगार सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

राज्य में रोजगार की स्थिति और बेरोजगारों की संख्या का आकलन राज्य के रोजगार कार्यालयों से किया जाता है। इन कार्यालयों के अनुसार वर्ष 22 जनवरी 2024 तक राज्य में कुल 41,90,883 बेरोजगारों का पंजीयन किया गया। हालांकि रोजगार इनमें से कितनों को प्राप्त हुआ इसके सही आकंडे प्राप्त नहीं हो सका लेकिन पिछले साल राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत बेरोजगारी के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2022 तक राज्य में 25.8 लाख से अधिक बेरोजगार युवा थे। उनमें से अधिकांश ओबीसी समुदायों से हैं, जिनमें सामान्य श्रेणी के युवा शामिल हैं।

तत्कालीन सरकार में विपक्षी नेता जाटव ने प्रदेश के कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या पूछी। उन्होंने रोजगार कार्यालयों के संचालन का वार्षिक खर्च भी जानना चाहा।

उन्होंने यह भी पूछा कि क्या रोजगार कार्यालयों के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और यदि हाँ, तो 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों में कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने रोजगार कार्यालयों के संचालन का वार्षिक खर्च भी जानना चाहा। अपने लिखित उत्तर में तत्कालीन मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि राज्य रोजगार पोर्टल पर 37,80,679 शिक्षित और 1,12,470 अशिक्षित आवेदकों को पंजीकृत किया गया है। प्रश्न में पूछे गए कार्यकाल के दौरान 21 आवेदकों को सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों में नौकरी प्रदान की गई। इसके अलावा रोजगार मेलों के माध्यम से 2,51,577 युवाओं को निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर उपलब्ध कराये गये। उत्तर में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में (रोजगार कार्यालयों के संचालन में) 1674.73 लाख रुपये (16.74 करोड़ रुपये) की राशि खर्च की गई।

तालिका 1.2

म.प्र. में रोजगार कार्यालयों की उपलब्धियाँ

क्र.	विवरण	स्थिति (31 मार्च 2022 की स्थिति)
1	कुल पंजीयन	3893149
2	शिक्षित बेरोजगार	37,80,679
3	अशिक्षित बेरोजगार	1,12,470
4	रोजगार मेलों के माध्यम से दिया गया रोजगार	2,51,577

स्त्रोतः द्वितीय समंक(शोध प्रबंध) वैश्वीकरण के पश्चात म.प्र. का सतत् आर्थिक विकास (पृष्ठ क्र. 115–155)

प्रदेश के 11 रोजगार कार्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन इकाइयाँ तथा 7 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र कार्यरत हैं, जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से शिक्षित बेरोजगारी को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उज्जैन में एक अध्यापन सह–मार्गदर्शन केन्द्र भी कार्यरत है, जो इस श्रेणी के आवेदकों को मार्गदर्शन देता है।

चित्र : 1.17

म.प्र. में रोजगार कार्यालयों की उपलब्धियाँ

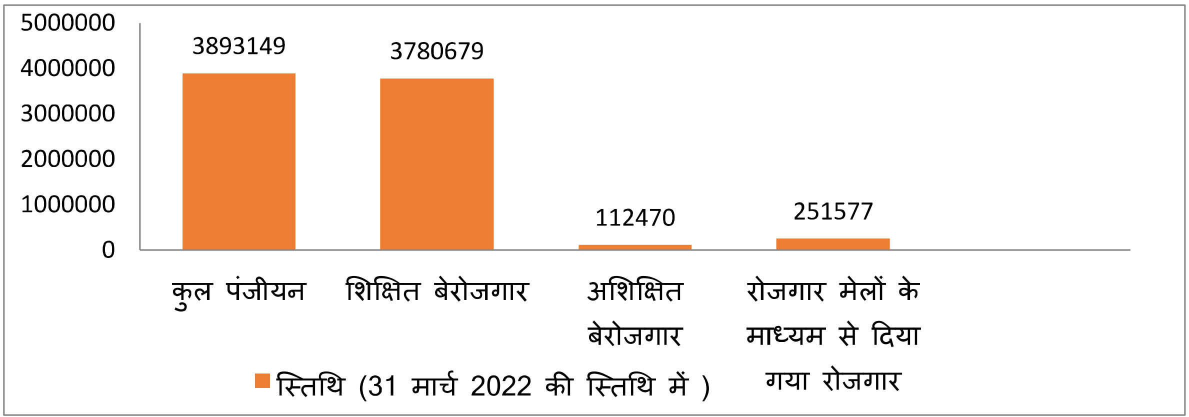

स्त्रोत: द्वितीय समंक(शोध प्रबंध) वैश्वीकरण के पश्चात म.प्र. का सतत् आर्थिक विकास (पृष्ठ क्र. 115–155)

राज्य के 15 रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों में प्रतिस्पर्धात्मक रोजगार बाजार की समझ को विकसित करने एवं रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक एवं व्यावसायिक परामर्श की महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2022–23 में 51,535 बरोजगारों ने लाभ लिया।

तालिका 1.3

म.प्र. में रोजगार कार्यालयों में आवेदकों की संख्या

क्र.	कार्यालय का नाम	आवेदकों की संख्या
1	जिला रोजगार कार्यालय, भोपाल	5051
2	जिला रोजगार कार्यालय, विदिशा	2425
3	जिला रोजगार कार्यालय, ग्वालियर	4895
4	जिला रोजगार कार्यालय, इंदौर	6049
5	जिला रोजगार कार्यालय, धार	3903
6	जिला रोजगार कार्यालय, उज्जैन	2601
7	जिला रोजगार कार्यालय, रतलाम	3200
8	जिला रोजगार कार्यालय, शाजापुर	1203
9	जिला रोजगार कार्यालय, जबलपुर	5103
10	जिला रोजगार कार्यालय, कटनी	4105
11	जिला रोजगार कार्यालय, मंडला	1375
12	जिला रोजगार कार्यालय, डिंडौरी	909
13	जिला रोजगार कार्यालय, रीवा	4600
14	जिला रोजगार कार्यालय, सागर	4509
15	जिला रोजगार कार्यालय, छतरपुर	1607
	योग	**51535**

स्त्रोत: द्वितीय समंक(शोध प्रबंध) वैश्वीकरण के पश्चात म.प्र. का सतत् आर्थिक विकास (पृष्ठ क्र. 115–155)

चित्र : 1.18

2022–23 जिलों में बेरोजगार आवेदक

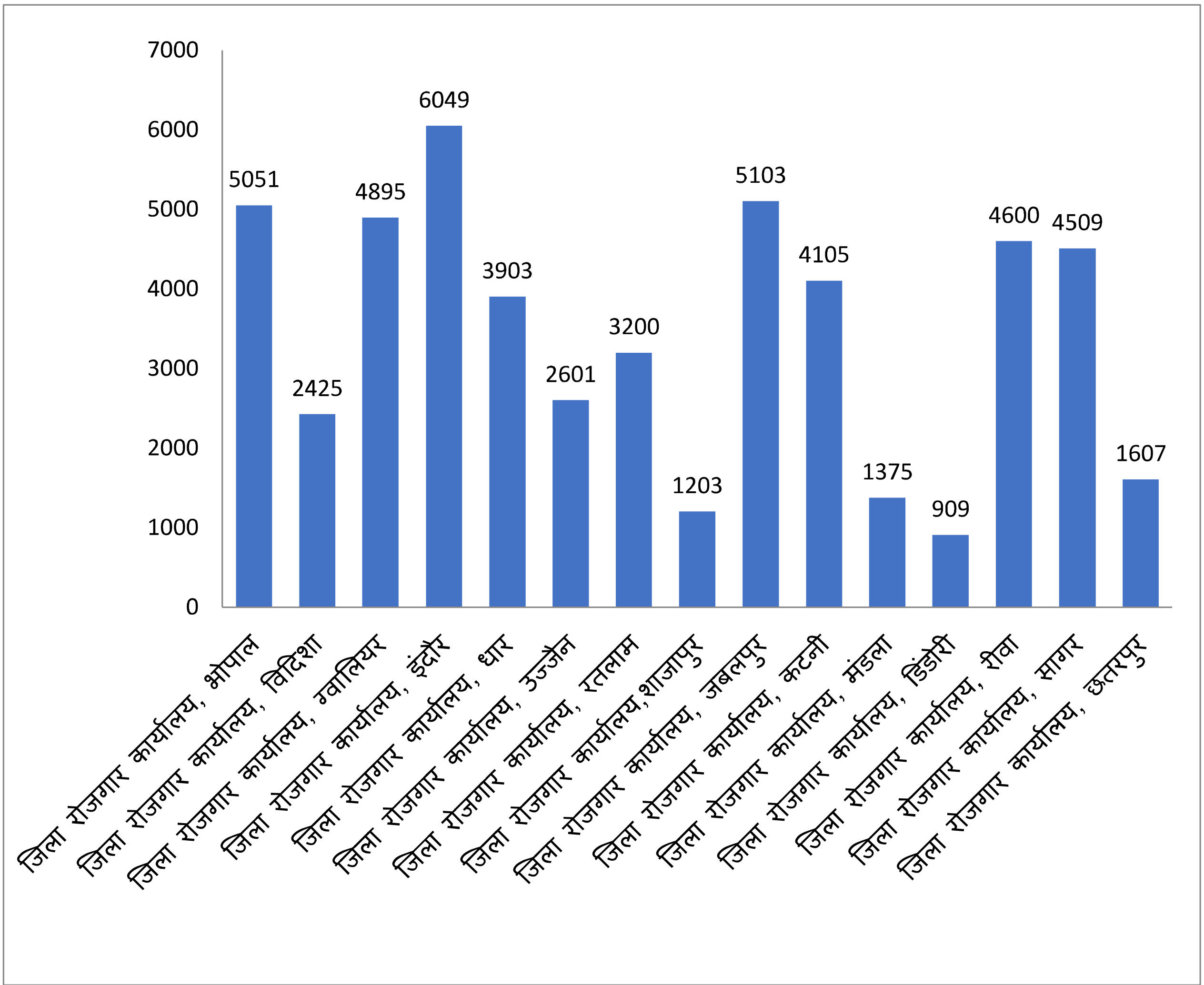

स्त्रोतः द्वितीय समंक(शोध प्रबंध) वैश्वीकरण के पश्चात म.प्र. का सतत् आर्थिक विकास (पृष्ठ क्र. 115–155)

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमः–

भारत सरकार ने अगस्त 2008 में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) नामक एक नए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम की शुरूआत को मंजूरी दे दी थी, इसे 31 मार्च 2008 तक परिचालन में आने वाली दो योजनाओं, अर्थात् प्रधान मंत्री रोजगार योजना (PMEGP) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) विलय करके लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गैर–कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए गठन किया गया था।

पीएमईजीपी 2008–09 से परिचालन में है और इसे 15वें वित्त आयोग चक्र यानी 2021–22 से 2025–26 तक पांच साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई

है। पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Mo MSME) द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जो एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक संगठन है। राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। राज्य स्तर पर, यह योजना केवीआईसी, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIBs), जिला उद्योग केंद्र (DICs), कॉयर बोर्ड (कॉयर से संबंधित गतिविधियों के लिए) और बैंकों के राज्य कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। सरकार योजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य उपयुक्त एजेंसियों को भी शामिल कर सकती है। योजना के तहत सरकारी सब्सिडी केवीआईसी द्वारा नोडल बैंक के माध्यम से वित्तपोषित बैंक शाखाओं तक पहुंचाई जाती है और बाद में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर लॉक–इन अवधि पूरी होने के बाद लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। कार्यान्वयन एजेंसियां (IA) भारत सरकार में उद्यमिता विकास के क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्वायत्त संस्थानों और राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (RGUMY) के तहत सूचीबद्ध राज्य सरकार के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) उद्यमी मित्रों को संबद्ध करेंगी।), ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)/ग्रामीण विकास और स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RUDSETIs), पंचायती राज संस्थान और योजना के कार्यान्वयन में अन्य संबंधित निकाय, विशेष रूप से लाभार्थियों की पहचान के क्षेत्र में, क्षेत्र विशिष्ट व्यवहार्य परियोजनाएं, और उद्यमिता विकास में प्रशिक्षण प्रदान करना, लाभार्थियों की सहायता करना और सलाह देना। प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्रोजेक्ट कि लिए 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।

उद्देश्य

(क) नए स्व–रोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।

(ख) व्यापक रूप से फैले पारंपरिक कारीगरों को एक साथ लाना, ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को अपने स्थान पर यथासंभव स्वरोजगार के अवसर प्रदान करें।

(ग) देश में पारंपरिक और भावी कारीगरों और ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को निरंतर और टिकाऊ रोजगार प्रदान करना, ताकि ग्रामीण युवाओं के शहरी क्षेत्रों में प्रवास को रोकने में मदद मिल सके।

(ड़) श्रमिकों और कारीगरों की वेतन–अर्जन क्षमता में वृद्धि करना और ग्रामीण और शहरी रोजगार की वृद्धि दर में वृद्धि में योगदान देना।

बजट परिव्यय और लक्ष्य

लगभग 30 लाख रोजगार (प्रति यूनिट 8 व्यक्ति) के सृजन के साथ लगभग 4 लाख परियोजनाएं (सूक्ष्म उद्यम) स्थापित करने के लिए पांच वित्तीय वर्षों (2021–22 से 2025–26) के लिए पीएमईजीपी के लिए 13,554.42 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1000 इकाइयों को अपग्रेड किया जाएगा।

चित्र : 1.19

हितग्राहियों द्वारा किया गया आवेदन

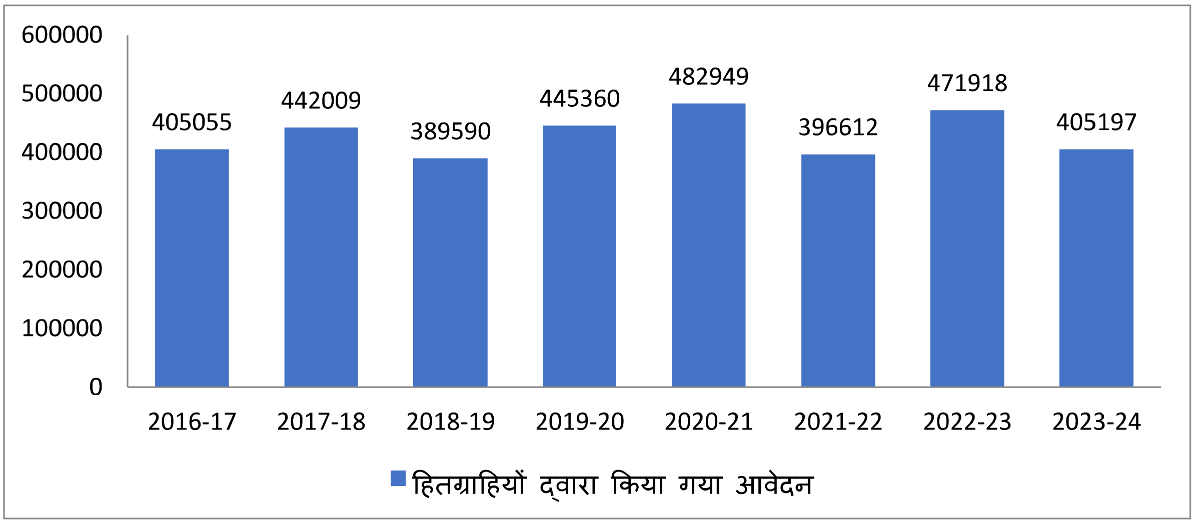

स्त्रोत : PMEGP Portal (https://www.kviconline.gov.in)

चित्र : 1.20

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंको द्वारा स्वीकृत आवेदन

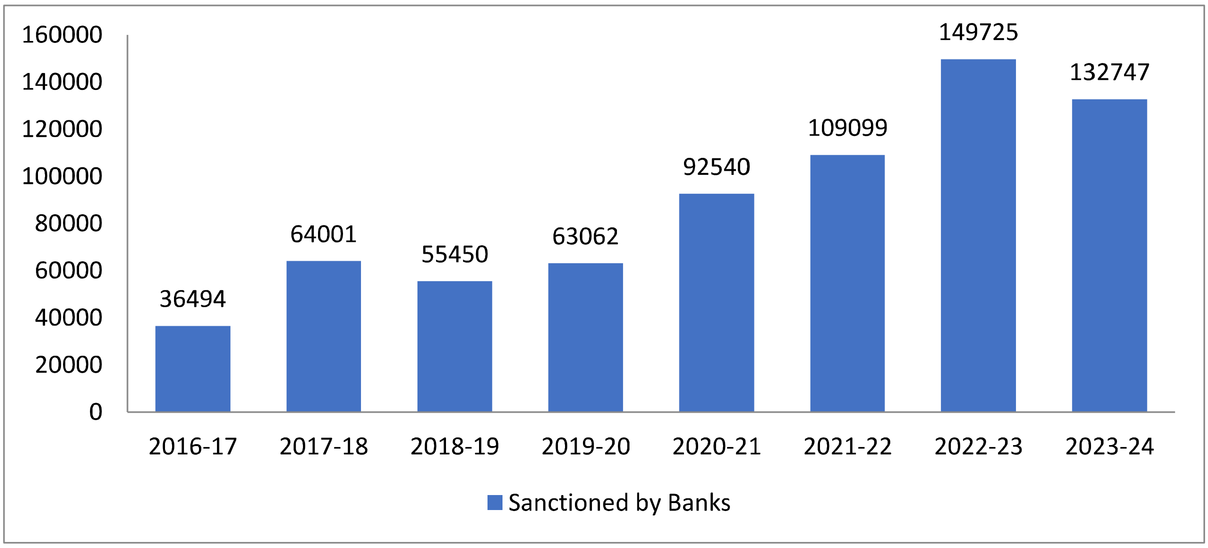

स्त्रोत : PMEGP Portal (https://www.kviconline.gov.in)

प्रथम रेखा चित्र 1.19 में 2016 से 2024 तक प्राप्त हुए आवेदनों की जानकारी प्रस्तुत है, जैसा कि आलेख में दिया गया है कि 2016–17 में 4,05,055 हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुए और 2023–24 में 4,05,197 आवेदन प्राप्त हुआ।

दूसरे रेखा चित्र में 1.20 में बैंको द्वारा स्वीकृत आवेदन का उल्लेख है जो 2016 से 2024 तक वर्षवार आवेदकों के लोन स्वीकृत किये गए। 2016 में 36,494 लोगों के लोन स्वीकृत किये गए वही 2023–2024 में 1,32,747 आवेदकों के प्रोजेक्ट के लिए 80,771 करोड. रूपये बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गए।

प्रधान मंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत वर्ष 2023–24 के लिए भारत सरकार को 24 जनवरी 2024 तक खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 4,05,197 हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त हुआ। खुद का व्यवसाय या व्यापार प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार द्वारा बेराजगारों को सब्सिडी एवं कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है।

जिसके तहत मार्च, 2008 तक 18,571 शिक्षित बेरोजगारों को 14,349.19 लाख रुपए का ऋण स्वीकार कराया गया। राज्य द्वारा जेंडर बजट प्रस्तुत करने के कारण 30 प्रतिशत महिलाओं को इसमें लाभान्वित किया गया। कुल लक्ष्य 15,800 में से 4,740 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें मार्च 2008 तक 2,955 महिला हितग्राहियों को 2230.74 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई गई। मई, 2008 तक 2,349 प्रकरणों में विभिन्न बैंकों द्वारा 1,495.73 लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति, जनजाति स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2008–09 के 3,000 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसके तहत मार्च, 2009 तक 2,102 शिक्षित बेरोजगारों को 1,429.84 लाख की मार्जिन मनी स्वीकृति के बाद राशि वितरित की गई। इनमें से 230 महिलाओं को 166.08 लाख रुपए की राशि वितरित की गई।

दीनदयाल रोजगार योजना के तहत वर्ष 2008–09 के मार्च, 2009 तक 2,076 शिक्षित बेराजगारों को 181.41 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। इनमें से 343 महिलाओं को 31.04 लाख रुपए की राशि वितरित की गई।

वनों पर आधारित उद्योग :–

प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 30.7 प्रतिशत परवन पाए जाते हैं। राज्य में वन आधारित उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। क्योंकि वन संरक्षण को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। प्रदेश में वन आधारित प्रमुख उद्योग निम्नलिखित है।

कागज उद्योग :–

प्रदेश में कागज उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम सन् 1956 में की गई थी। जब खण्डवा के नेपानगर में नेशनल न्यूज प्रिन्ट एण्ड पेपर मिल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में राजय में 9 कागज बनाने वाले संयन्त्र पंजीकृत हैं। जो विविध प्रकार के कारण और स्ट्रा बनाते हैं। राज्य में शहडोल जिले के अमलाई स्थान पर निजी क्षेत्र में स्थापित ओरियन्ट पेपर मिल सबसे प्रमुख है। राज्य में सलाई की लकड़ी एवं अन्य कच्चा माल पर्याप्त होने के कारण कागज उद्योग का विकास हुआ है।'

बीड़ी उद्योग :–

प्रदेश में तेन्दूपत्ता का संग्रहण देश में सर्वाधिक होता है। यही कारण है कि बीड़ी उद्योग का विकास जबलपुर सागर, कटनी तथा दमोह सतना में हुआ है। प्रदेश में बीड़ी बनाने के 260 कारखाने कार्यरत है।

लकड़ी उद्योग :–

राज्य में छिन्दवाडा तथा मण्डला में इमारती लकड़ी की चीरने के कारखाने कार्यरत हैं। वर्तमान में 113 कारखाने प्रदेश में इस उद्योग में लगे हुए हैं।

कत्था उद्योग :–

खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य पूर्वी मध्यप्रदेश की खैरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। शिवपुरी एवं बानमोर में भी कत्था उत्पादक इकाइयाँ उत्पादन कर रही है।

लाख उद्योग :–

राज्य के विन्ध्य क्षेत्र में लाख उद्योग का केन्द्रीकरण है। कच्चे लाख से सीड लाख तथा शैलाख बनाने का एक शासकीय कारखाना उमरिया में है। लाख का प्रयोग चमड़े पर वार्निश, सौन्दर्य उद्योग आदि में किया जाता है।

चिप–बोर्ड एवं माचिस डिब्बा उद्योग :–

चिप – बोर्ड एवं पार्टिकल बोर्ड बनाने का कारखाना इटारसी में तथा माचिस की डिब्बी बनाने का कारखाना ग्वालियर में स्थापितहै। ये कारखाने स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं।

रसायन उद्योग :–

राज्य में उज्जैन, पीथमपुर, मण्डीद्वीप, बैढ़न, मक्सी, सीहोर, रतलाम, पन्ना, नीमच

आदि क्षेत्रों में हल्के रसायन, उर्वरक तथा रोगाणुनाशक दवाईयाँ बनाने के कारखाने स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2006 तक प्रदेश में ऐसी 70 इकाइयाँ पंजीकृत थीं। डिटरजेन्ट बनाने के कारखाने पीथमपुर छिन्दवाड़ा, मालनपुर, मण्डीद्वीप ताग सिंगरौली में विस्फोटक बनाने के कारखाने स्थापित किए गए हैं। रासायनिक उर्वरक बनाने के कारखाने देवास, प्रतापपुरा, टीकमगढ़, पीथमपुर, इन्दौर में स्थापित किए गए हैं।

औषधि उद्योग :–

औषधि उद्योग की 26 इकाइयाँ प्रदेश में कार्यरत हैं। औषधि उद्योग के प्रमुख केन्द्र भोपाल, छिन्दवाड़ा, देवास, धार, जबलपुर, मालनपुर, पीलूखेड़ी कटनी आदि है।

पेट्रो–रसायन उद्योग :–

प्रदेश में भोपाल, मण्डला, पीथमपुर सीहोर और जबलपुर में रसोई गैस की फिलिंग का काम करती हैं।

इलेक्टॉनिक्स उद्योग :–

राज्य में टेनीविजन (भोपाल, पीथमपुर) टेलीविजन के पुर्जे (मालनपुर) फोटो कापियर्स का एकत्रण (इन्दौर) आदि में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों की स्थापना की गई है।

वाहन उद्योग :–

राज्य में इन्दौर के निकट पीथमपुर को वाहन उद्योग के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर स्कूटर, कार के इन्जन, हल्के वाणिज्यिक वाहन आदि बनाए जाते है। जबलपुर में सेना के वाहन बनाने का एक कारखाना कार्यरत है। बैतूल एवं पीथमपुर में टायर और ट्यूब बनाने के कारखाने कार्यरत् हैं।

सारणी 1.4

मध्यप्रदेश में उद्योगों के विकास हेतु निर्मित संस्थाएँ

संस्थाएँ	मुख्यालय	कार्य
मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम	भोपाल–1965	बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराना।
मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम	भोपाल –1969	सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को मदद करना।

मध्यप्रदेश वित्त निगम	इन्दौर	निजी एवं सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय मदद देना।
मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम	भोपाल –1969	उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा उनके कच्चे माल को बाजार में खपाना
मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	भोपाल	खादी उद्योग को बढ़ावा देना।
मध्यप्रदेश हैण्डलूम संचालनालय		हैण्डलूम तथा पावरलूम उद्योगों के लिए पूँजी उपलब्ध करना।
मध्यप्रदेश हस्तशिल्प मण्डल		हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय मदद
मध्यप्रदेश वस्त्रोद्योग निगम	इन्दौर – 1970	मुख्य कार्य शासन के अधीन सूती वस्त्र कपड़ा मिलों का संचालन करना है।
मध्यप्रदेश माइनिंग कार्पोरेशन	भोपाल	बहुमूल्य खनिजों की खोज खुदाई व व्यापार की व्यवस्था करना है।
मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीयज कार्पोरेशन	भोपाल	कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास में सहायता।
मध्यप्रदेश निर्यात निगम	भोपाल–1977	छोटे स्तर के उद्योगों के उत्पादन के निर्यात की व्यवस्था करना।
जिला उद्योग केन्द्र	प्रत्येक जिले में	उद्योगों का वित्तीय सहायता एवं कच्चा माल उपलब्ध कराना।

स्त्रोत: मध्यप्रदेश एक परिचय। (पृष्ठ क्र. 56)

मृगनयनी एम्पोरियम :–

मध्यप्रदेश उद्योग निगम, मृगनयनी के नाम से 10 एम्पोरियम संचालित करता है। ये एम्पोरियम भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, भिलाई, रीवा उज्जैन, नई दिल्ली एवं कोलकाता में संचालित हैं।

तालिका – 1.5
औद्योगिक कॉम्पलेक्स केन्द्र

कॉम्पलेक्स	जिला
इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पलेक्स	इन्दौर
लैदर कॉम्पलेक्स	देवास
एग्रो कॉम्पलेक्स	छिन्दवाड़ा
स्टेनलेस स्टील कॉम्पलेक्स	सागर

स्त्रोत :– मध्यप्रदेश दिग्दर्शन–अरिहंत पब्लिकेशन इण्डिया लि०मि०–2013 (पृष्ठ क्र. 39)

तालिका – 1.6
केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य के औद्योगिक केन्द्र

पीथमपुर	धार	मेघनगर	झाबुआ
मुरैना	पन्ना	मनेरी	मण्डला
मालनपुर	भिन्ड	पीलूखेड़ी	राजगढ़

स्त्रोत :– मध्यप्रदेश एक परिचय–2013 (पृष्ठ क्र. 42)

औद्योगिक विकास केन्द्र :–

मध्यप्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना सन 1965 में की गई। निगम के सहयोग से प्रदेश में औद्योगिक विकास कार्यों को लागू करने हेतु राज्य सरकार ने निम्न औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना की है।

तालिका 1.7
औद्योगिक विकास केन्द्र

औद्योगिक विकास केन्द्र	जिला	औद्योगिक विकास केन्द्र	जिला
पीथमपुर	धार	मण्डीद्वीप	रायसेन
पीलूखेड़ी	राजगढ़	देवास	देवास
बनसोर	मुरैना	मक्सी	शाजापुर
मनेरी	मण्डला	किरनापुर	बालाघाट
हरदा	हरदा	उद्योग बिहार	रीवा
पुरेना	पन्ना	मालनपुर	भिण्ड
टमाना	दमोह	बण्डोल	सिवनी
चन्द्रपुरा	छतरपुर	बोरेगाँव	छिन्दवाड़ा
जवरा	रतलाम	सिद्धगाँव	सागर
चैनपुरा	पन्ना	मेघनगर	झाबुआ
बगसपुर	नरसिंहपुर	बुढ़ाहरा	शिवपुरी
बैढ़न	सिंगरौली	प्रतापपुरा	टीकमगढ़
बडेरा	दतिया	विदिशा	विदिशा

स्त्रोत : मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान–2013, पुणेकर (पृष्ठ क्र. 68)

तालिका 1.8
मध्यप्रदेश: विकास आर्थिक क्षेत्र

एस ई जेड	विकासकर्ता एजेन्सी	प्रस्तावित स्थल	वर्तमान स्थिति
मल्टी प्रोडक्ट एस ई जेड इन्दौर	औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इन्दौर	जिला धार	प्रदेश का प्रथम ग्रीन फील्ड एस ई जेड जो कार्यरत हैं। वर्तमान में 28 उद्योगों को भूमि आवन्टित जिनमें लगभग 950 करोड का निवेश सम्भावित हैं। तथा 4000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। 5 इकाइयों द्वारा 200 करोड़ की लागत से उद्योग स्थापित कर उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।
क्रिस्टल आई टी पार्क इन्दौर	औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इन्दौर	जिला इन्दौर	बोर्ड ऑफ एप्रूवल, वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से आई टी एस ई जेड हेतु अधिसूचित।
मल्टी प्रोडक्ट एस ई जेड ग्वालियर	औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ग्वालियर	जिला ग्वालियर	बोर्ड ऑफ एप्रूवल वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त
आई टी आई टी ई एक इ जेड इन्दौर	मेडीर्कप्स लि० इन्दौर	जिला इन्दौर	बोर्ड ऑफ एप्रूवल वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त
आई टी आई टी ई एक इ जेड इन्दौर	पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि० नई दिल्ली	जिला इन्दौर	बोर्ड ऑफ एप्रूवल वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त
प्रोडक्ट स्पेसिफिक मैसर्स (एल्युमीनियम एक ई जेड सीधी)	मैसर्स हिण्डाल्को	जिला इन्दौर	

स्रोत :— मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान—2013, पुणेकर (पृष्ठ क्र. 69)

मध्यप्रदेशः संयुक्त क्षेत्र के उद्योग :–

1. मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल
2. मध्यप्रदेश विद्युतयन्त्र लिमिटेड गोसालपुर (जबलपुर)
3. मध्यप्रदेश लैम्प्स लिमिटेड – विदिशा

मध्यप्रदेशः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग

तालिका– 1.9

मध्यप्रदेशः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग

क्र.सं.	नाम एवं स्थिति	स्थापना वर्ष	विवरण
1	गवर्नमेन्ट आर्डिनेन्स फैक्ट्री खमरिया	1943–44	युद्धोपरकरण
2	गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर	1943–44	युद्धोपरकरण
3	हैवी व्हीकल फैक्ट्री	1955 56	रक्षात्मक एवं भारी व्यवसायिक वाहन
	संचार मंत्रालय		
4	गवर्नमेन्ट पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ	1943–44	टेलीफोन एवं टेली ग्राफिक उपकरण
5	रेल मंत्रालय रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल	1960	रेल डिब्बों का निर्माण
	वित्त मंत्रालय		
6	सिक्योरिटि पेपर मिल होशंगाबाद	1967–68	बैंक नोट छापने का कागज

7	करेन्सी प्रिटिंग प्रेस देवास	1975–76	कागजी मुद्रा
8	एल्कोलोइड फैक्ट्री, नीमच कोडीन नार्कोटीन	1975–76	अंश परिष्कृत मार्फीन अंश परिष्कृत
	भारतीय खाद्य निगम		
9	कॉटन सीड सोल्वेन्ट एक्स्ट्रक्शन प्लान्ट उज्जैन	1963–64	कपास, बीज एवं मूँगफली
	अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान		
10	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि0 पिपलानी भोपाल	1961–62	स्विच गियर, कन्ट्रोल, गियर
11	नेशनल न्यूज प्रिन्ट एवं पेपर नेपानगर बुरहानपुर	1956–57	अखबारी कागज
12	आई. आई एस सी ओ एक्टेन्शन पाइप एण्ड फाउण्ड्री लि. देवास रोड उज्जैन	1968–69	ढलवाँ लोहे के पाइप
13	ग्रे आयरन फाउण्ड्री जबलपुर	–	कच्चा लोहा
	राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम		
14	द न्यू भोपाल टेल्सटाइल लि. भोपाल	1938–39	सूती कपड़ा एवं सूत
15	हीरा मिल्स लि. आगरा रोड उज्जैन	1934–35	सूती कपड़ा एवं सूत
16	स्वदेशी कॉटन एण्ड फ्लोअर मिल्स लि. शीलताथ कैम्प इन्दौर	1934–35	सूती कपड़ा एवं सूत

17	इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल लि. न्यू देवास	1907–08	सूती कपड़ा एवं सूत
18	कल्याण मल मिल्स लि. 15 शीलनाथ कैम्प, इन्दौर	1934–35	सूती कपड़ा एवं सूत
19	बुरहानपुर ताप्ती मिल लि. बुरहानपुर	1906–07	सूती कपड़ा एवं सूत
	खनन मंत्रालय		
20	वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, नागपुर इसमें मध्यप्रदेश के जिले भी शामिल हैं।		
21	नॉर्दन कोलफील्ड्स लि. सिंगरौली		
22	हिन्दुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखण्ड बालाघाट		

स्त्रोतः मध्यप्रदेश समग्र अध्ययन 2017–18 (पृष्ठ क्र. 105–107)

सारणी 1.10

मध्यप्रदेश : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग

क्र. सं.	**नाम व स्थिति**	**स्थापना वर्ष**	**उत्पादित वस्तुएँ**
1	रतलाम एल्कोहल प्लान्ट एण्ड कार्बनडाई आक्साइड इण्डस्ट्रीज स्टेट रतलाम	1963–64	स्प्रिट, एल्कोहल तथा कार्बन–डाई–ऑक्साइड
2	ग्वालियर लेदेर फैक्ट्री एण्ड टेनरी ग्वालियर	1958	जूते, तम्बू–तिरपाल, चीनी, बर्तन

3	ग्वालियर पाट्रीज ग्वालियर		चीनी के बर्तन
4	कलेण्डरिंग प्लान्ट उज्जैन	1962	रंगाई, तिरंजन तथा परिष्कृत
5	टिम्बर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट इन्दौर	1962	इमारती लकड़ी
6	छाता उद्योग महू	—	छाते का काम
7	इन्जीनियरिंग वर्क्स इन्दौर	—	ठोस कमानी
8	बुश एवं स्पोर्ट्स	—	बुश तथा खेल का सामान
9	देवास इलैक्ट्रीकल्स देवास	—	उष्मारोधी उपकरण
10	कृषि उपकरण	—	पम्प एवं पम्प सेट
11	मेटल वर्क्स विदिशा	—	जी आई कटीले तार, तार की कीलें
12	साइकिल उद्योग गुना	—	साइकिलों का उपसाधन
13	फर्नीचर वर्क्स जबलपुर	—	फर्नीचर
14	फर्नीचर वर्क्स अमानपुर	—	फर्नीचर
15	भोपाल उद्योग भोपाल	—	फर्नीचर
मध्यप्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन लि0 भोपाल			
16	सनावद कताई मि, सनावद जिला खरगौन	1963–64	सूती धागा

स्त्रोत: मध्यप्रदेश समग्र अध्ययन 2013–14 (पृष्ठ क्र. 108)

मध्यप्रदेश में औद्योगिक एवं ऊर्जा का विकास :–

औद्योगिक विकास मध्यप्रदेश उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा प्रदेश हैं। यहाँ प्रति एक लाख व्यक्तियों पर कारखानों की संख्या 5.24 जबकि देश में कारखानों का औसत 14.23 है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भी द्वितीयक क्षेत्र का योगदान लगभग 28.26 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में बड़े उद्योगों की स्थापना 20वीं शताब्दी के आरम्भिक काल में हुई थी। परन्तु वास्तविक वृद्धि द्वितीय योजनाकाल से मानी जाती है। प्रदेश के विभिन्न भागों में उपयुक्त उद्योगों की प्रयुक्त दशाओं के आधार पर भिन्न–2 उद्योगों की स्थापना की गई है। राज्य में स्थापित उद्योगों की प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थों के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है।'

कृषि पर आधारित उद्योग :–

प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि आधारित उद्योग की स्थापना की गई थी। 1980 के दशक तक राज्य में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता थी। परन्तु वर्तमान में कृषि आधारित उद्योगों में वनस्पति तेल, चीनी मिल आदि की प्रधानता है। राज्य में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग निम्नलिखित हैं।

चीनी उद्योग :–

प्रदेश में सबसे पहली चीनी मिल सन् 1934 में जावरा (रतलाम) में लगाई गई थी। वर्तमान में प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या 15 है। जिनकी दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता 3578 हजार टन है। चीनी मिलों की स्थापना मध्यप्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अधिक हुई है। क्योंकि गन्ना उत्पादक जिले इसी क्षेत्र में स्थित है। प्रदेश का सब से बड़ा चीनी कारखाना बरलाई (सीहोर) में स्थित है। प्रदेश के प्रमुख चीनी कारखाने भोपाल शुगर मिल (सीहोर) डबरा शुगर मिल (ग्वालियर) शुगर कम्पनी (मन्दसौर) जावरा शुगर मिल (रतलाम) आदि है।

वनस्पति घी :–

राज्य में तिलहन एवं सोयाबीन की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती है। फलस्वरूप राज्य में वनस्पति घी बनाने की मिलों संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 83 तेल तथा सालवेन्ट इक्स्ट्रैक्शन की मिलें और 6 वनस्पति घी के कारखाने है। वनस्पति घी बनाने के अधिकतर, तिलहन उत्पादक क्षेत्रों में मालवा पठार, बैतूल, छिन्दवाड़ा पठार, मध्य नर्मदा घाटी तथा चम्बल की घाटी क्षेत्रों में लगाए गए हैं। प्रदेश के प्रमुख वनस्पति घी कारखाने गंजबासौदा, जबलपुर, खण्डवा, ग्वालियर, इन्दौर, मुरैना में स्थित है।

सूती कपड़ा उद्याग :–

प्रदेश में सबसे पहली सूतीवस्त्र कपड़ा मिल बुरहानपुर में सन् 1906 में स्थापित की

गई थी।वर्तमान में 513 कारखाने राज्य कार्यरत हैं। इन्दौर राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक केन्द्र है। इस उद्योग के लिए वर्धा एवं पूर्णा नदी घाटियों से कपास, वरोरा खानों से कोयला और चम्बल परियोजना से सस्ती विद्युत प्राप्त होती है। सूतीवस्त्र उद्योग राज्य में पश्चिमी कपास उत्पादक जिलों में केन्द्रित है। प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केन्द्र इन्दौर ग्वालियर एवं उज्जैन आदि वर्तमान में इस उद्योग की जगह कृत्रिम रेशे लेते जा रहे हैं। क्योंकि इनका कच्चा माल सस्ता एवं सर्वत्र सुलभ है।

कृत्रिम रेशे का कपड़ा उद्योग :–

प्रदेश में कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का उद्योग अपेक्षाकृत नवीन उद्योग है। इसके लिए कच्चा माल मुम्बई एवं ग्वालियर तथा देवास की कृत्रिम रेशा उत्पादक मिलों से प्राप्त होता है। प्रदेश में प्रमुख रेशा कपड़ा उत्पादक केन्द्र इन्दौर, ग्वालियर, नागदा, उज्जैन तथा देवास है।

तालिका 1.11
म.प्र. में कृषि आधारित उद्योग

क्र०	कृषि आधारित उद्योग	मुख्यालय	प्रमुख उत्पाद
1	जीवाणु खाद संयन्त्र	भोपाल	जीवाणु खाद तैयार की जाती है,
2	कीटनाशक	बीना	10 हजार टन पाउडर एवं 1 लाख लीटर तरलकीट नाशक औषधि का निर्माण किया जाता है।
3	ऑयल मिल	मुरैना	यहाँ 25 लाख टन सरसों वार्षिक पिराई का कारखाना स्थापित किया गया है।
4	दानेदार मिश्रित खाद संयन्त्र	होशंगाबाद	यह कारखाना 60 हजार टन वार्षिक दानेदार मिश्रित खाद का निर्माण करता है।
5	फल, सब्जी संरक्षण एवं प्रक्रिया इकाई	भोपाल	यहाँ पर फलों एवं सब्जियों का संरक्षण तथा उनसे विभिन्न खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं।

स्त्रोत :– मध्यप्रदेश समग्र अध्ययन (पृष्ठ क्र. 106)

खनिजों पर आधारित उद्योग

राज्य में खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना अधिकतर पश्चिमी मध्यप्रदेश की गई है। आधार भूत उद्योगों के प्रमुख केन्द्र पीथमपुर, धार, देवास, इन्दौर, रतलाम मण्डीद्वीप, राजगढ़, झाबुआ हैं। प्रदेश के खनिजों पर आधारित प्रमुख उद्योग निम्नलिखित है–

चीनी मिट्टी उद्योग :–

प्रदेश में चीनी मिट्टी पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। यही कारण है कि प्रदेश में चीनी मिट्टी उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई है। प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर तथा रतलाम आदि क्षेत्रों में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग स्थापित है राज्य में फायरक्ले से ईंट, पाइस तथा बेसिन आदि कटनी एवं जबलपुर में बनाए जाते हैं।

भारी विद्युत उपकरण :–

प्रदेश की राजधानी भोपाल में सन् 1960 में ब्रिटेन की सहायता से बिजली का भारी समान बनाने का कारखाना लगाया गया था। इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है। इस कारखाने में ट्रान्सफार्मर, केपेसिटर, स्विचगियर, इलेक्ट्रिकट्रेक्शन एवं इण्डस्ट्रियल मोटर जैसे भारी उपकरण बनाए जाते हैं।

सीमन्ट उद्योग :–

राज्य में चूना–पत्थर के भण्डार बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। जिससे प्रदेश में सीमेन्ट उद्योग की स्थापना में प्रगति हुई है। राज्य में पहला सीमेन्ट कारखाना ए.0सी0सी0 द्वारा बानमौर (मुरैना) में सन् 1922–23 में स्थापित किया गया वर्तमान में कैमोर, सतना, मैहर, नीमच सहित प्रदेश में 23 सीमेंन्ट कारखाने उत्पादन कर रहे हैं।

6.5 भारत में औद्योगिक विकास (Industrial Development In India)

6.5.1. भूमिका (Introduction)

भारत जैसे अल्पविकसित देशों की आर्थिक प्रगति के लिए औद्योगीकरण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उद्योगों के विकास द्वारा ही आय, उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा को बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर (Rate of Growth) में वृद्धि की जा सकती है। स्वतन्त्रता से पहले भारत में उद्योगों का बहुत ही कम विकास हुआ था, परन्तु आजादी के बाद सरकार ने देश के औद्योगिक विकास को बहुत अधिक महत्व दिया।

इसके फलस्वरूप देश में कई उद्योग स्थापित किए गए तथा पुराने उद्योगों की उत्पादन क्षमता तथा कुशलता में भी वृद्धि की गई। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में भी उद्योगों के विकास को काफी महत्व दिया गया है।

6.5.1.1 तीव्र औद्योगिकीकरण की आवश्यकता

भारत को आर्थिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए औद्योगिकीकरण का बहुत अधिक महत्व है। औद्योगिकीकरण के तीव्र तथा सन्तुलित विकास की आवश्यकता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :–

(1) सन्तुलित अर्थव्यवस्था में सहायकः– भारत की अर्थव्यवस्था असन्तुलित है, क्योंकि देश की अधिकतर जनसंख्या व पूंजी कृषि में लगी हुई है। कृषि में अनिश्चितता है। औद्योगिकीकरण से अर्थव्यवस्था सन्तुलित होगी तथा कृषि की अनिश्चितता कम हो जायेगी।

(2) रोज़गार में वृद्धिः– औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नए–नए उद्योगों का निर्माण होता है। देश के लाखों बेरोजगार को इन उद्योगों में काम मिलने लगता है इससे बेरोजगार कम होती है।

(3) राष्ट्रीय आय में वृद्धिः– भारत में औद्योगिकीकरण से प्राकृतिक साधनों का उचित प्रयोग हो सकेगा। इससे उत्पादन तथा व्यापार बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तथा लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। भारत की राष्ट्रीय आय में उद्योगों का भाग 27 प्रतिशत है।

(4) भूमि पर जनसंख्या क दबाव में कमी :– भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। इसके फलस्वरूप खेती काफी पिछड़ी हुई है। उद्योगों के विकास के कारण कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम हो जाएगा। इससे कृषि जोतों का आकार बढ़ेगा व खेती की अधिक उन्नति हो सकेगी।

(5) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए जरूरी :– औद्योगिकीकरण से देश में लोहा, इस्पात, रसायन, हवाई जहाज, सुरक्षा आदि कई उद्योगों की स्थापना हो जाएगी। इन उद्योगों का देश की प्रतिरक्षा के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि इन उद्योगों से युद्ध के लिए बहुत सामान तैयार किया जाता है।

(6) आत्म–निर्भरताः– उद्योगों के विकास से देश की आवश्यक वस्तुएं देश में ही उत्पन्न होने लगेंगी। उनके लिए विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। इस प्रकार भारत कई वस्तुओं व सामान में आत्म–निर्भर हो जाएगा।

(7) सामाजिक दृष्टि से उपयोगी अथवा समाज उपयोगी पदार्थों का उत्पादनः– उद्योगों द्वारा समाज के लिए आवश्यक पदार्थों जैसे कपड़ा, साइकिलें, बिजली का सामान, कागज, तेल, आदि का उत्पादन सम्भव होता है।

6.5.2. भारत में औद्योगिक का विकास (Growth of Industrialisation in India) :

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में उद्योगों का बहुत कम विकास हुआ था। देश में आधारभूत बड़े उद्योगों जैसे– मशीनें, लोहा तथा इस् पात, बिजली का सामान, यातायात के साधनों आदि से सम्बन्धित उद्योगों का नितान्त अभाव था। देश में केवल उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कपड़ा, जूट, चीनी, माचिस आदि के उद्योग ही थे। लघु तथा कुटीर उद्योग भी अधिक विकसित नहीं थे। परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् देश काफी सीमा तक औद्योगिकीकरण किया गया है। इसके फलस्वरूप भारत का संसार के औद्योगिक देशों में 10वां स्थान हो गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

(i) सबल औद्योगिक ढांचा :– योजनाओं की अवधि में भारत का औद्योगिक ढांचा पहले से सबल हो गया। जहां 1951 में औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित राष्ट्रीय आय में उपभोग पदार्थों का उत्पादन करने वाले उद्योगों का भाग 70 प्रतिशत था, वहां अब इनका भाग केवल 30 प्रतिशत है। योजनाकाल में आधारभूत उद्योगों (Basic Industries) जैसे इस्पात, मशीनें, बिजली का सामान, इन्जीनियरिंग के समान के विकास से आद्यौगिक उत्पादन में विविधता बढ़ गई है। देश में अनेकों नई तथा महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन किया जाने तगा है। इसके फलस्वरूप औद्योगिक विकास संतुलित हो गया है।

(ii) आधुनिकीकरण :– अनेक उद्योगों के आधुनिकीकरण द्वारा उत्पादन तकनीक को सुधारा गया है। नए उद्योगों की उत्पादन तकनीकों को यथा सम्भव आधुनिकतम रखने का प्रयास किया गया है। इसके लिए विदेशी तकनीक सहयोग भी प्राप्त किया गया है। इसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ गई है।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र का विकास :– सार्वजनिक क्षेत्र में विविध उद्योगों में भारी निवेश द्वारा उन अनेक उद्योगों की स्थापना हुई है जो आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए आवश्यक थे परन्तु जिनकी स्थापना में निजी क्षेत्र में रुचि नहीं थी।

(iv) अधोसंरचना का निर्माण :– औद्योगिक विकास के लिए अद्योसंरचना जैसे – बिजली, सड़कें, रेलवे, संचार के साधन, वित्त आदि की बहुत आवश्यकता होती है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में अधोसंरचना का काफी निर्माण किया गया है। बिजली के

उपकरण बनाने, रेलों के इंजन तथा डिब्बे बनाने, टेलीफोन आदि के कई नये उद्योग भी स्थापित किए गए हैं तथा कई औद्योगिक वित्त संस्थायें स्थापित की गई हैं।

(v) राष्ट्रीय आय तथा निर्यात में उद्योगों का बढ़ता हुआ भाग :– भारत की राष्ट्रीय आय में उद्योगों का प्रतिशत योगदान बढ़ता जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय का 16 प्रतिशत भाग उद्योगों से प्राप्त हुआ था। परन्तु पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों का विकास होने के कारण अब राष्ट्रीय आय का लगभग 28 प्रतिशत भाग औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत के निर्यात में उद्योगों का योगदान 45 प्रतिशत के लगभग है।

(vi) विदेशी सहयोग में वृद्धि :– योजनाओं की अवधि में विदेशी सहयोग से स्थापित उद्योगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। नई औद्योगिक नीति के फलस्वरूप इसमें बहुत तेजी से वृद्धि होने की सम्भावना है। अब भारतीयों ने विदेशों जैसे मलेशिया, इन्डोनेशिया, नेपाल आदि कई देशों में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किये हैं।

(vii) औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि :– पंचवर्षीय योजनाओं के कारण देश के औद्योगिक उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। अनेक नई वस्तुओं का उत्पादन हाने लगा है। योजनाओं की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में होने वाली वृद्धि का अनुमान आगे दी गई तालिका से लगाया जा सकता है:–

तालिका 1.12

भारत में महत्वपूर्ण उद्योगों का उत्पादन

उद्योग	इकाई	2022–23
1. तैयार इस्पात	मिलियन टन	122.28
2. कोयला	मिलियन टन	677.9 (2019–20)
3. पेट्रोलियम (घरेलु उत्पादन)	मिलियन टन	29.69 (2021–22)
4. तांबा अयस्क	टन	3569632
5. कागज	हजार टन	4828
6. सीमेंट	मिलियन टन	375
7. आटोमोबाईल	करोड़	2.59

स्त्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23, https://pib.gov.in, https://www.siam.in

उपरोक्त तालिका 1.12 से ज्ञात होता है कि योजनाओं के लागू होने से पहले अर्थात् 1951 मे देश में कई वस्तुओं जैसे – मशीनरी, ट्रैक्टर्स, स्कूटर्स आदि का बिल्कुल भी उत्पादन नहीं होता था। परन्तु अब इन सभी वस्तुओं का उत्पादन देश में पर्याप्त मात्रा में किया जाना जाने लगा है।

6.5.3. वर्तमान औद्योगिक ढांचा

भारत में वर्तमान औद्योगिक ढांचे में निम्नलिखित प्रकार के उद्योग शामिल हैं :–

(i) **सार्वजनिक उद्यम्, संयुक्त उद्यम् तथा निजी उद्यम् :**– भारत में तीन प्रकार के उद्यम सार्वजनिक, संयुक्त एवं निजी उद्यम पाये जाते हैं। सार्वजनिक उद्यम वे उद्यम हैं जिनकी स्वामी सरकार होती है। संयुक्त उद्यम वे उद्यम हैं जिन पर सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों का सांझा स्वामित्व होता होता है। निजी उद्यम वे उद्यम हैं जिनके स्वामी निजी व्यक्ति होते हैं।

(ii) **गैर कारखाना निर्माण इकाईयां :**– ये दो प्रकार के होते हैं :–

(a) कुटीर उद्योग (b) लघु उद्योग

(iii) **कारखाना निर्माण इकाईयां** :–कारखाना निर्माण इकाईयां तीन प्रकार की होती हैं

(क) फैरा कम्पनियां:– ये कम्पनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं तथा विदेशी मुद्रा का बहुत अधिक प्रयोग करती हैं।

(ख) एम.आर.टी.पी. कम्पनियां :– ये कम्पनियां एकाधिकार एवम् प्रतिबन्धात्मक व्यवहार अधिनियम के अधीन कार्य करती हैं तथा बहुत बड़े पैमाने पर उत्पा–दन करती हैं।

भारत के औद्योगिक उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को छोड़कर लघु और कुटीर उद्योगों का महत्व अन्य उद्यमों की तुलना में अधिक है। देश के सकल उत्पादन का 40 % भाग इन्हीं उद्यमों द्वारा प्राप्त होता है।

देश की फैरा कम्पनियों एम.आर.टी.पी.। कम्पनियों तथा अन्य निजी कम्पनियों का कुल उत्पादन में प्रतिशत भाग लघु तथा कुटीर उद्योगों से कम है।

6.5.4. कुटीर उद्योग

अर्थ:– "कुटीर उद्योग वह उद्योग है जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से एक पूर्ण कालीन या अंशकालीन व्यवसाय के रूप में चलाया जा सकता है।" इस प्रकार के उद्योग, अधिकतर कारीगर अपने घरों में ही चलाते हैं। मशीनों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ये उद्योग प्रायः स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन उद्योगों को परिवारों के सदस्य ही चलाते हैं। मज़दूरी पर लगाए श्रमिकों का प्रयोग बहुत होता है। इनमें पूंजी बहुत कम लगती है। इन उद्योगों के अधिकतर गावों में स्थित होने से उन्हें **ग्रामीण उद्योग** भी कहा जाता है।

महत्वः– इन उद्योगों के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं :–

* कुटीर उद्योगों के फलस्वरूप गावों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

* कलात्मक महंगी वस्तुओं का भी उत्पादन होता है।
* गांवों से जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन कम हो जाता है।

पतन का कारणः– भारत के कुटीर उद्योगों के पतन के मुख्य कारण हैं :–

* आधुनिक उद्योगों के सस्ते उत्पादन का कुटीर उद्योगों का उत्पादन मुकाबला नहीं कर सकता।
* इन्हें उचित मात्रा में सस्ता वित्त नहीं मिल पाता।
* ग्रामीण दस्तकारों को आधुनिक व्यवसायिक पद्धतियों, डिजाइनों, बिक्री विज्ञापन तकनीकों का ज्ञान नहीं होता।

उपायः– कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कई उपाय किए गए हैं जैसे –

* खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन की स्थापना की गई है जो इन उद्योगों की विशिष्ठ आवश्यकताओं की देखभाल करती है।
* इनकी बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
* इन्हें डिजाईन, उत्पादन तथा बिक्री सम्बन्धी सलाह देने के लिए संस्थायें स्थापित की गई हैं।

6.5.4.1 लघु उद्योग

अर्थः– लघु उद्योगों की परिभाषाएँ विभिन्न आधारों पर की गई थी परन्तु जून 1997 में लघु उद्योगों में उन सब कारखानों को शामिल किया गया है जिसमें 3 करोड़ रुपये तक बन्धी पूंजी का निवेश हुआ हो। सहायक उद्योगों में पूंजी की सीमा 3 करोड़ रुपये है तथा लघु उद्योगों में पूंजी की सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

6.5.4.2 कुटीर व लघु उद्योगों में अन्तर

राजकोषी आयोग ने कुटीर तथा लघु उद्योगों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, "कुटीर उद्योग साधारणतः ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से सम्बन्धित होते हैं और वे श्रमिकों को पूर्णकाल के लिए रोजगार प्रदान करते हैं, जबकि लघु उद्योग शहरी व अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं तथा लोगों को पूर्णकालीन रोजगार प्रदान करते हैं।" इनमें मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं :–

i. कुटीर उद्योग प्रायः गावों में होते हैं जबकि लघु उद्योग अधिकतर शहरों में होते हैं।
ii. कुटीर उद्योग सामान्यतः स्थानीय मांग की पूर्ति करते हैं जबकि लघु उद्योग शहरी एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों के लिए माल पैदा करते हैं। अतः उत्पादन को बाजार विस्तृत होता है।

iii. कुटीर उद्योग में परिवार के व्यक्ति ही काम करते हैं जबकि लघु उद्योग में भाड़े के श्रमिकों से काम लिया जाता है।

iv. कुटीर उद्योगों में सामान्य औजारों से उत्पादन होता है तथा पूंजी बहुत कम खर्च होती है जबकि लघु उद्योग शक्ति से चलते हैं तथा नियोजित पूंजी भी अधिक खर्च होती है।

v. कुटीर उद्योगों में परम्परागत वस्तुओं का उत्पादन जैसे चटाई, जूते आदि बनाये जाते हैं जबकि लघु उद्योगों में आधुनिक वस्तुओं जैसे– रेडियो, टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स समान आदि का उत्पादन किया जाता है।

6.5.4.3 लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व

कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता हैः–

(i) **अधिक रोजगार** : कुटीर एवं लघु उद्योगों में कम पूंजी का निवेश करके अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। ये उद्योग श्रम प्रधान होते हैं इसीलिए इनके विकास के फलस्वरूप रोज़गार बढ़ाने की अधिक सम्भावना होती है।

(ii) **धन का समान बंटवारा** : इन उद्योगों के कारण आय एवं धन का वितरण अधिक समान होता है। इसका कारण यह है कि इन उद्योगों में पूंजी कुछ लोगों के पास ही केन्द्रीत नहीं होती बल्कि वह थोड़ी–थोड़ी मात्रा में बंटी होती है। इसलिए इन उद्योगों से जो आय प्राप्त होती है उसका लाभ बहुत अधिक लोगों को मिलता है।

(iii) **विकेन्द्रीकरण** : बड़े उद्योग अधिकतर शहरों में केन्द्रित होने की प्रवृत्ति प्रकट करते हैं। इससे देश का आर्थिक विकास असंतुलित हो जाता है और युद्ध के दिनों में इन्हें नष्ट होने का भय बना रहता है जबकि लघु उद्योग सारे देश में फैले होते हैं तथा युद्ध के दिनों में इनके नष्ट होने का भय नहीं रहता। उसके फलस्वरूप शहरीकरण के दोषों जैसे शहरों में मकानों की कमी, कीमतों का अधिक होना, स्त्रियों तथा बच्चों को शोषण आदि से बचाव हो सकेगा।

(iv) **उत्पादन में वृद्धि** : इन उद्योगों के द्वारा देश के उत्पादन में वृद्धि की जाने की विशेष सम्भावना है। औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत भाग बड़े उद्योगों तथा 40 प्रतिशत भाग लघु व कुटीर उद्योगों से प्राप्त होता है।

(v) **निर्यात** : इन उद्योगों का देश के निर्यात व्यापारों में काफी महत्व है। 1996–97 में देश के कुल निर्यातों में लघु क्षेत्र का योगदान 34 प्रतिशत था। गैर–परम्परागत

वस्तुओं जैसे बिजली का सामान, इलैक्ट्रॉनिक यन्त्र आदि के निर्यात में लघु क्षेत्र का 38 प्रतिशत भाग है।

(vi) **स्थानीय साधनों का प्रयोग :** लघु उद्योग उन स्थानीय साधनों का प्रयोग करते हैं जो इनके न होने के कारण व्यर्थ हो जाते हैं। इन साधनों की मांग बड़े उद्योगों द्वारा नहीं की जाती है।

(vii) **कृषि पर जनसंख्या का कम दबाव :** भूमि पर अधिक जनसंख्या आश्रित होने के कारण भूमि छोटे–छोटे टुकड़ों में बंट गई है। प्रतिवर्ष 30 लाख लोग खेती पर आश्रित होने के लिए और बढ़ जाते हैं। भूमि पर भार कम करने के लिए कुटीर उद्योगों की स्थापना आवश्यक है।

(viii) **भारत जैसे अल्पविकसित देश के लिए उपयोगी :** भारत में पूंजी की कमी है तथा श्रमिक अधिक हैं। इस प्रकार के उद्योग श्रमिक प्रधान होते हैं। अतः भारत जैसे अल्पविकसित देश के लिए ये उद्योग और भी ज्यादा उपयोगी हैं।

(ix) **कलात्मक वस्तुएँ :** कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन इन उद्योगों द्वारा ही सम्भव है। भारत में इस प्रकार की वस्तुएँ इन उद्योगों द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे बनारसी साड़ियां, आभूषण तथा हाथीदांत का काम आदि।

(x) **व्यक्तिगत रूचि** : ये उद्योग प्रत्येक ग्राहक की रुचि के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं। अतः इनके द्वारा ग्राहक की विशेष मांग को पूरा किया जा सकता है।

(xi) **बड़े उद्योगों के पूरक** : ये उद्योग बड़े उद्योगों के पूरक होते हैं। इनमें वह सामान तैयार किया जाता है जिनका बड़े उद्योगों में भी उपयोग होता है जैसे साइकिल, मोटरों, मशीनों आदि के छोटे–छोटे पुर्जे लघु उद्योग धन्धों में सस्ते बनाए जा सकते हैं।

(xii) **विदेशों का अनुभव** : जापान, अमेरिका तथा इंग्लैंड जैसे देशों के विकास में इस प्रकार के उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जापान में 83 प्रतिशत जनसंख्या इस प्रकार के उद्योगों में काम करते हैं। अमरीका में कारखाने 65 प्रतिशत मजदूरों को काम देते हैं तथा इंग्लैंड में इनमें 30 लाख लोग काम करते हैं।

6.5.4.4 कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्याएं

कुटीर एवं लघु उद्योगों की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं :–

(i) **कच्चे माल तथा शक्ति की समस्याः–** इन उद्योग धन्धों को कच्चा माल उचित मात्रा में नहीं मिल पाता तथा जो माल मिलता है उसकी किस्म बहुत घटिया होती है और उसका मूल्य भी बहुत अधिक देना पड़ता है। इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इन उद्योगों को बिजली कोयले की कमी रहती है।

(ii) **वित्त की समस्याः–** भारत में इन उद्योगों को श्रण उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है। उन्हें वित्त के लिए साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है जो ब्याज की ऊँची दर लेते हैं।

(iii) **उत्पादन के पुराने तरीकेः–** इन उद्योगों में अधिकतर उत्पादन के पुराने ढंग भी अपनाए जाते हैं। पुराने औज़ार जैसे – तेल निकालने की घानियां अथवा कपड़ा बुनने के लिए हथकरघा ही प्रयोग में लाया जाता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा में कमी होती है तथा वस्तु घटिया किस्म की तैयार होती है। इन वस्तुओं की बाजार में माँग कम हो जाती है।

(iv) **बिक्री सम्बन्धी कठिनाइयांः–** इन उद्योगों को अपना माल उचित मूल्य एवं मात्रा में बेचने के लिए काफी कठिनाईयां उठानी पड़ती है। जैसे इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बाहरी दिखावट अच्छी नहीं होती है।

(v) **बड़े उद्योगों से प्रतियोगिताः–** इन उद्योगों की एक मुख्य समस्या यह है कि उन्हें बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। बड़े उद्योगों द्वारा तैयार माल अपेक्षाकृत सस्ता तथा अच्छी किस्म का होता है। इसलिये से उद्योग बड़े उद्योगों का सामना नहीं कर पाते।

6.5.4.5 सुधार के उपाय

(i) **सुरक्षित उत्पादन कार्यक्रमः–** इस कार्यक्रम के अनुसार कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित रखा जाता है और बड़े उद्योगों के विस्तार पर रोक लगाई जाती है। जैसे **लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए 836 वस्तुओं का उत्पादन सुरक्षित रखा गया है।**

(ii) **सरकार द्वारा खरीदः–** सरकार भी लघु उद्योगों द्वारा बनाया गया बहुत सा सामान खरीदती है। सरकार को सामान बेचने में राष्ट्रीय लघु उद्योग (National Small Industries Development Corporation) निगम, लघु उद्योगों की काफी सहायता करता है।

(iii) **वित्तीय सहायताः–** लघु उद्योगों को सरकार, बैंक तथा राज्य वित्त निगम कम ब्याज की दर पर उचित मात्रा में वित्त प्रदान करते हैं। इनके लिये लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है।

(iv) **बिक्री सम्बन्धी सुविधाएंः–** इन उद्योगों द्वारा बनी हुई वस्तुओं की बिक्री के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं। देश के विभिन्न भागों में इन उद्योगों द्वारा तैयार सामान

बेचने के लिए भण्डार और दुकानें खोली गई है। विदेशों में इन वस्तुओं की बिक्री के लिए विज्ञापन, नुमाइश, मेलों आदि द्वारा प्रचार किया जा सकता है।

(v) **तकनीकी सहायताः**— लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता देने के लिए **'लघु विकास संगठन'** के द्वारा सभी राज्यों में **लघु उद्योग सेवा संस्थाएं** स्थापित की गई है।

(vi) **जिला उद्योग केन्द्रः**— लघु तथा ग्रामोद्योगों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले में एक **जिला उद्योग केन्द्र** स्थापित किया गया।

(vii) **औद्योगिक बस्तियांः**— इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने औद्योगिक बस्तियां स्थापित की है। इन बस्तियों में सरकार जमीन लेकर उसका विकास करती है। कारखानों के लिए इमारतें बनाती है। पानी, बिजली, गैस, रेल, तथा सुरक्षा का प्रबन्ध करती है। उसके बाद कारखानों को कम कीमत पर बेच देती है या उन्हें किराए पर देती है।

(viii) **अन्य रियायतेंः**— लघु उद्योगों को कई प्रकार की कर व शुल्क रियायतें तथा दूसरी वित्तीय प्रेरणाएं दी जाती है जो बड़े पैमाने की इकाइयों को उपलब्ध नहीं है।

6.5.5. बड़े पैमाने के उद्योग

भारत के आर्थिक विकास में बड़े पैमाने के उद्योगों का बहुत महत्व है। उद्योगों में निवेश की गई स्थाई पूंजी का अधिकतर भाग बड़े उद्योगों में ही निवेश किया गया है। देश के औद्योगिक उत्पादन का बड़ा भाग इन्हीं उद्योगों से प्राप्त होता है।

6.5.5.1 बड़े उद्योगों का वर्गीकरण

भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों का चार भागों में वर्गीकरण किया गया हैः—

(i) **आधारभूत उद्योगः**— आधारभूत उद्योग वे उद्योग हैं, जो कृषि तथा उद्योगों को आवश्यक इनपुट्स प्रदान करते हैं। इनके उदाहरण हैं— स्टील, लोहा, कोयला, उर्वरक, एल्यूमिनियम तथा बिजली।

(ii) **पूंजीगत वस्तु उद्योगः**— पूंजीगत वस्तु उद्योग वे उद्योग है जो कृषि तथा उद्योगों के लिए मशीनरी और यन्त्रों का उत्पादन करते हैं। इनमें मशीनें, मशीनी औजार, ट्रैक्टर, ट्रक आदि शामिल किये जाते हैं।

(iii) **मध्यवर्ती वस्तु उद्योगः**— मध्यवर्ती वस्तु उद्योग वे उद्योग है जो उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। इनके उदाहरण हैं टार्यस, मोबिल आयल आदि।

(iv) **उपभोक्ता वस्तु उद्योगः–** उपभोक्ता वस्तु उद्योग वे उद्योग हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इनमें शामिल हैं चीनी, कपड़ा, कागज़ उद्योग आदि।

6.5.5.2 बड़े उद्योगों का देश के औद्योगिकीकरण में महत्व

देश के औद्योगिकीकरण में बड़े पैमाने के उद्योगों का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता हैः

(i) **पूंजीगत तथा आधारभूत वस्तुओं का उत्पादन (Production of Capitalistic and Basic Goods):–** देश के औद्योगिकीकरण के लिये पूंजिगत वस्तुओं जैसे मशीनों, यन्त्रों तथा आधारभूत वस्तुओं जैसे इस्पात, लोहे, रासायनिक पदार्थों आदि का बहुत अधिक महत्व है। इन पूंजीगत तथा आधारभूत वस्तुओं का उत्पादन बड़े उद्योगों द्वारा ही संभव है। इनका उत्पादन करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी तथा नवीनतम तकनीक की आवश्यकता होती है। इसका प्रबन्ध बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा ही सम्भव है।

(ii) **आर्थिक आधारित संरचना (Economic Intrastructure):–** औद्योगिकीकरण के लिये आर्थिक संरचना अर्थात् यातायात के साधन, बिजली, संचार व्यवस्था आदि की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यातायात के साधनों जैसे रेलवे के इन्जनों तथा डिब्बों, ट्रकों, मोटरों, जहाजों आदि का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा ही किया जा सकता है। बिजली के बड़े–बड़े यन्त्रों ट्रांसफारमरों, संचार के साधनों जैसे टेलिफोन, रेडियो, ट्रांजिस्टरों आदि की उत्पादन भी केवल बड़े पैमाने के उद्योगों में ही सम्भव है। अतएव बड़े पैमाने के उद्योग आर्थिक संरचना के साधनों को उत्पादन करके देश की औद्योगिकीकरण की गति को तीव्र कर सकते हैं।

(iii) **अनुसंधान तथा उच्च तकनीक (Research and High Techniques):–** किसी देश के औद्योगिकीकरण के लिये अनुसंधान तथा उच्च तकनीक का बहुत महत्व है। इनके लिए बहुत अधिक मात्रा में धन तथा योग्य अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने के उद्योग ही अनुसंधान तथा योग्य अनुसंधानकर्ताओं के लिए आवश्यक धन का प्रबन्ध कर सकते हैं।

(iv) **उत्पादकता में वृद्धि (Increase on Productivity):–** बड़े पैमाने के उद्योगों में निवेश बहुत मात्रा में होने के कारण प्रति इकाई पूंजी बहुत अधिक होती है। इससे प्रति इकाई उत्पादकता में भारी वृद्धि होती है। उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण कीमतें कम होती है तथा मांग में वृद्धि होती है। औद्योगिक उत्पादन की मांग बढ़ जाने के कारण नये उद्योगों की स्थापना के अवसर बढ़ जाते हैं जिससे लघु तथा

कुटीर उद्योगों का भी विकास होता है। इस प्रकार देश में औद्योगिकीकरण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।

(v) **बचतों की उपलब्धता (Availability of Economics):**— बड़े पैमाने के उद्योगों के कारण वस्तुओं का उत्पादन विशाल पैमाने तथा कम लागत पर होने लगता है। इसके फलस्वरूप उद्योगों को कई प्रकार की बचतें प्राप्त होने लगती है। जिनसे उनकी लागत कम हो जाती है। उनकी आन्तरिक तथा निर्यात मंडी में प्रतियोगिता बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप कई प्रकार के नये तथा निर्यात प्रेरक उद्योगों की स्थापना सम्भव हो जाती है।

(vi) **सहायक उद्योगों की स्थापना (Establishment of Ancillary Industries):**— कुछ विशेष वस्तुओं जैसे एल्युमीनियम, इस्पात, कारों आदि का उत्पादन केवल बड़े पैमाने पर ही सम्भव होता है। इन उद्योगों की स्थापना के कारण कई सहायक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरण के लिये मारूति उद्योग की स्थापना के फलस्वरूप कई सहायक उद्योगों जैसे रबड़, प्लास्टिक, बिजली आदि की भी स्थापना सम्भव हो सकती है। ये उद्योग मारूति उद्योग के लिये कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार औद्योगिकीकरण का विकास होता है।

6.5.6. देश के औद्योगिक विकास की धीमी प्रगति के कारण

भारत का संसार के औद्योगिक देशों में यद्यपि 10वां स्थान है। परन्तु भारत में औद्योगिक विकास बहुत धीमी दर से तथा बहुत कम मात्रा में हुआ है। भारत का औद्योगिक इतिहास बतलाता है कि यहां स्वतन्त्रता के पहले उद्योगों की स्थापना की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया। स्वतन्त्रता के बाद विशेषतयः 1951 के पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा उद्योगों की स्थापना की ओर विशेष कदम उठाये गये हैं और इसी से आर्थिक परिस्थितियों में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। भारत में औद्योगिक विकास की गति निम्नलिखित कारणों से बहुत धीमी एवं कम रही है :—

(i) **विदेशी राज्य (Foreign Rule)** :— भारत में अंग्रेजों का राज्य लगभग 150 वर्षों तक रहा। इस अवधि में उन्होंने इस देश के घरेलू उद्योग धन्धों को नष्ट करके इसे कच्चा माल निर्यात करने वाली मंडी बना दिया। देश में जो थोड़े उद्योग स्थापित भी हुये थे व निजी व्यक्तियों के परिश्रम का फल था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् सरकार ने उद्योगों को **विभेदात्मक संरक्षण** (Discriminating Protection) देने की नीति अपनाई। इसका लाभ कुछ ही उद्योगों को मिला।

(ii) **पूंजी की कमी (Shortage of Capital)** :– उद्योगों के विकास के लिये पूंजी की बहुत आवश्यकता है। भारत में अधिकतर लोग निर्धन है। वे पूंजी जमा नहीं कर सकते। जिन लोगों के पास पूंजी होती है। वे पूंजी को अधिक सुरक्षित कामों में जैसे– सम्पत्ति, सरकारी बांड, व्यापार आदि में लगाना पसन्द करते हैं और उद्योगों में धन लगाकर जाखिम नहीं उठाना चाहते।

(iii) **कुशल श्रमिकों की कमी (Shortage of skilled Workers)** :– आधुनिक उद्योगों को उचित प्रकार से चलाने के लिये कुशल मजदूरों की बहुत आवश्यकता है। भारत में कुशल श्रमिकों की कमी है। यहां के अधिकतर श्रमिक खेती करने वाले किसान है। ये लोग कुछ समय कि लिये शहरों में आ जाते हैं और उद्योगों में काम की ट्रेनिंग लेने की कोशिश नहीं करते। इस प्रकार इनके द्वारा किया उत्पादन घटिया तथा मंहगा होता है।

(iv) **सस्ते शक्ति साधनों की कमी (Shortage of cheap Energy Resources)**:– उद्योगों को चलाने के लिये सस्ती शक्ति की आवश्यकता होती है। भारत में शक्ति के तीन मुख्य साधन है कोयला, तेल, बिजली। भारत में कोयला घटिया किस्म का मिलता है। कोयले की खानों में कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में ही केन्द्रित होने के कारण कोयले को देश के विभिन्न भागों में भेजने पर काफी खर्च करना पड़ता है। हमारे देश में बिजली काफी उत्पन्न की जा सकती है। परन्तु अभी इसका भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो पा रहा है। देश में तेल के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है तथा विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। 1973 से तेल की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है।

(v) **कुशल प्रबन्धकों की कमी (Shortage of Efficient Managers)** :– भारत में योग्य तथा कुशल प्रबन्धकों और उद्योगपतियों की बहुत कमी है। देश के सामाजिक वातावरण, लोगों की रूढ़ीवादी विचारधारा तथा शिक्षा की कमी के कारण भारत सदैव से एक कृषि प्रधान देश रहा है। शिक्षित व्यक्ति भी उद्योग चलाने के स्थान पर सरकारी नौकरी करना अधिक पसन्द करते हैं।

(vi) **कच्चे माल की कमी (Shortage of Raw Material)** :– भारत में उद्योगों के लिए कच्चा माल बहुत कम मात्रा में और घटिया किस्म का प्राप्त होता है। देश के विभाजन के बाद पटसन, कपास आदि की बहुत कमी हो गई। इन वस्तुओं को विदेशों से मंगवाने पर अधिक धन खर्च करना पड़ता है। जिससे लागत मूल्य बढ़ जाता है। कच्चे माल की किस्म घटिया होने के कारण वस्तुएं भी घटिया ही उत्पन्न होती है। कुछ खनिज पदार्थ जैसे टीन, शीशा, गन्धक, जिस्त आदि की कर्म हमारे देश के औद्योगिकीकरण में बहुत बाधक है।

(vii) **निर्धनता (Poverty)** :– भारत एक निर्धन देश है। गरीब उपभोक्ताओं के कारण कीमती औद्योगिक वस्तुओं की मांग सीमित रहती है। मांग के सीमित होने के कारण औद्योगिक प्रगति धीमी हो जाती है। निर्धनता के फलस्वरूप बचत कम होती है तथा निवेश भी कम होता है।

(viii) **वित्तीय संगठनों की कमी (Shortage of Financial Organisations)**:– प्रत्येक उद्योग को समय–समय पर धन की आवश्यकता पड़ती है। यदि वह धन कम ब्याज पर तथा उचित मात्रा में मिल जाये तो उद्योग काफी उन्नति कर सकते हैं। भारत में उद्योगों को लम्बे समय के लिये ब्याज की दर पर श्रण देने वाले वित्तीय संगठनों जैसे औद्योगिक बैंको की बहुत कमी है। स्वतन्त्रता से पहले तो कई औद्योगिक बैंक ही नहीं था। अब कुछ वित्तीय संगठन स्थापित किये गये हैं, परन्तु ये उद्योगों की बहुत कम आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं।

(ix) **योजना रहित विकास (Unplanned Development)** :– भारत में उद्योगों की स्थापना किसी योजना के अनुसार नहीं हुई है। देश के शहरों जैसे बम्बई, कलकत्त, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरू आदि में अधिकतर उद्योग स्थापित हो गए हैं। इस कारण देश के दूसरे क्षेत्र अविकसित रह गये हैं। उद्योगों की इस प्रकार की स्थापना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है, युद्ध की दृष्टि से अनुचित है तथा सामाजिक दृष्टि से आवांछनीय है।

(x) **यातायात तथा संचार का कम विकास (Less Development of Transport and Communication)** :– उद्योगों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि यातायात तथा संचार के साधन काफी विकसित हों जिससे कच्चा माल कारखानों में तथा तैयार माल मंडियों तक आसानी से भेजा जा सके। परन्तु भारत में इन साधनों का बहुत कम विकास हो पाया है। टेलीफोन, तार, डाक आदि का भी संतोषजनक विकास नहीं हो पाया है। विदेशी व्यापार के लिए हमें अधिकतर विदेशी जहाजों पर निर्भर रहना पड़ता है।

(xi) **सरकारी हस्तक्षेप(Government Interference)** :– सन् 1991 से पहले उद्योगों पर कई प्रकार के सरकारी प्रतिबंध थे। कई उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित ही नहीं किये जा सकते थे। बड़े उद्योगों के विस्तार पर कई प्रकार की रुकावटें थीं। उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने में काफी समय लगता था। सरकारी हस्तक्षेप के कारण भी उद्योगों का विकास घिरा ही रहा। परंतु नई उदारवादी औद्योगिक नीति के कारण यह समस्या काफी सीमा तक हल हो चुकी है।

6.5.7. भारत में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का योगदान (Role of Government for Encouragement of Industrial Devlopment in India)

भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक गति को तेज करने के लिए, आत्म–निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा रोजगार व आय के साधनों में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने पंचवयर्षीय योजनाओं के अंतर्गत उद्योगों के विकास को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिसके परिणामस्वरुप उद्योगों का विकास बहुत तीव्रता से हुआ है जो कि निम्नलिखित तत्वों से स्पष्ट हो जाता हैः–

(i) **पंचवर्षीय योजनाओं और उद्योगों के उपर सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय तथा औद्योगिक उत्पादन विकास दर में वृद्धि (Public sector outlay during Five Year Plans and increase in Industrial Production Growth)** :–

भारत में 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम शुरू किया गया था। पहली योजना से लेकर आठवीं योजना तक उद्योगों के विकास के लिए बहुत बड़ी रकम सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की गई है, जिससे देश में औद्योगिक विकास दर में काफी वृद्धि हुई है।

पहली योजना से आठवीं योजना तक सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों पर व्यय बढ़ता ही जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन विकास दर में लगातार वृद्धि हुई है।

(ii) **ऋण की अधिक सुविधाएं (More Credit Facilities)**:– देश में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के श्रण देने वाली संस्थाओं की स्थापना की गई हैं जैसे– 1948 में औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation), 1954 में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, 1958 में पुर्न–वित्त निगम (Refinance Corporation), 1955 में (Industrial Credit and investment Corporation of India ICICI) 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI), युनिट ट्रस्ट (Unit Trust of India) और (Small Industries and Development Corporation of India) (SIDCO) जैसे कई वित्तीय संस्थाएं स्थापित की गई, जिनके द्वारा उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।

(iii) **बुनियादी उद्योगों की स्थापना (Establishment of Basic Industries)** :– देश में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए भारत सरकार ने बुनियादी उद्योगों की सथापना ऊपर बहुत जोर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र में 1951 में कुल 5 इकाईयां थी, जो कि 1996 में बढ़कर 264 हो गई। इसी तरह पूँजी निवेश 29 करोड़

रूपये से बढ़कर 118492 करोड़ रूपये हो गया। निजी क्षेत्र का विकास भी साथ–साथ बढ़ रहा है। इस तरह भारत औद्योगिक उपभोगी वस्तुओं में आत्म–निर्भर हो गया है।

(iv) **यातायात के साधनों का विकास (Development of Means of Transport)**:– औद्योगिक विकास के लिए यातायात के साधनों का बहुत अधिक महत्व होता है। इस तरह देश में यातायात के साधनों का बहुत अधिक विकास किया गया है ताकि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके तथा उनका माल दूर–दूर के क्षेत्रों में आसानी से पहुँचाया जा सके।

(v) **बिजली क्षेत्र का विकास (Development of Power Sector)** :– उद्योगों के विकास के लिए सस्ती बिजली शक्ति का होना अति आवश्यक है। इस लक्ष्य के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुमुखी योजनाओं तथा ताप–बिजली घरों की स्थापना की गई है। बिजली का उत्पादन सन् 1951 में 5.1 मिलियन किलोवाट से बढ़कर सन् 1996 में 296.7 मिलियन किलोवाट किया गया है। बिजली उत्पादन के बढ़ने से उद्योगों की शक्ति संबंधी आवश्यकताएं पूरी होने से इनका उत्पादन कई गुणा बढ़ा है।

(vi) **अविष्कारों की प्रगति तथा आयात प्रतिस्थापन (Invebtion Promotion and Import Substitition)** :– देश में अविष्कारों की प्रगति के लिए 1960 में अविष्कार उन्नति बोर्ड (Invention Promotion Board) की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य अविष्कारों के लिए वित्त तथा तकनीकी सहायता देना है। इसी तरह विदेशों से कच्चा माल तथा नई तकनीकों में आत्म निर्भरता के लिए 1966 में आयात प्रतिस्थापन बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन करना है।

(vii) **पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण (Industrilisation of Backward Areas)**:– पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उन क्षेत्रों के औद्योगीकरण विशेष जोर दिया जा रहा। इसी तरह देश के औद्योगिक पक्ष से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करके उनके विकास के लिए वहां उद्योग स्थापित करने के लिए उत्साह देने के लिए बहुत सी सुविधाएं जैसे सब्सिडी, रियायती दरों पर ऋण, करों में छूट, बिजली की पूर्ति तथा कच्चा माल सप्लाई आदि सुविधाएं दी जाती है। आठवीं योजना में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 100 विकास केन्द्र तथा 3000 करोड़ रूपये निवेश करने का लक्ष्य रखा था।

(viii) **बीमार औद्योगिक इकाईयों को पुनः बहाल करना (Renewal of Sick Industrial Units)**:– देश में बिमार औद्योगिक इकाईयों को पुनः बहाल करने के

लिए औद्योगिक वित्त तथा पुर्न निर्माण बोर्ड (Board of Industrial Finance and Reconstruction तथा राष्ट्रीय वहाल फंड (National Renewal Fund) स्थापित किए गये हैं। उदाहरणतः सूती कपड़े का 125 बीमार मिलों के प्रबंध को सरकार ने अपने हाथों में लेकर तथा इनके प्रबन्ध के लिए राष्ट्रीय टैक्सटाइल्स निगम (National Textils Corpration) स्थापित किया गया है। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र की 58 इकाईयां जो घाटे में चल रही थीं को पुनः बहाल करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। 1992–93 में National Renewal Fund को अर्न्तराष्ट्रीय विकास एजेंसी से 500 करोड़ रूपये का कर्जा रियायती दरों से दिया गया।

(ix) **तकनीकी विकास बोर्ड की स्थापना (Establishment of Technical Development Board**):– सन् 1976 में तकनीकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक इकाईयों का आधुनिकीकरण (Modernisation) तथा उच्च–स्तरीय तकनीकीकरण (Upgradation of Technology) अपनाने के योग्य बनाने के लिए विदेशों से पूंजीगत वस्तुएं, तकनीकी ज्ञान, ड्राईंग तथा डिजाईन तथा परामर्श सेवाएं संबंधी सहायता प्राप्त करने की आजादी दे दी है। अब औद्योगिक इकाई को 2 करोड़ प्रति वर्ष उच्च–स्तरीय तकनीकी संबंधी आवश्यक वस्तुएँ आयात करने की सीमा निर्धारित की गई है। इकाईयों की आवश्यकताओं को मुख्य रखते हुए इस सीमा से अधिक मूल्य की पूंजीगत वस्तुएं आयात करने की आज्ञा भी दी जा सकती है।

(x) **नई औद्योगिक नीति तथा औद्योगिक विकास (New Industrial Policy and Industrial Development**):– जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीतियों में क्रांतिकारी तब्दीलियाँ की गई। अब केवल 15 उद्योगों को छोड़कर बाकी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। सन् 1999 में केवल 6 उद्योगों को लाइसेंस लेने की जरूरत थी। इस उदारवादी नीति द्वारा विदेशी निवेश को भी काफी उत्साहित करने के प्रयत्न किए गए हैं। इससे निजीकरण (Privatisation) को उत्साहित करने तथा अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजारी अर्थव्यवस्था (Free Market Economy) की ओर बढ़ने के लिए यत्न किए जा रहे हैं। इससे सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) को सुधारने के हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

इस तरह सरकार द्वारा उपरोक्त कदम उठाने से भारत में औद्योगिक विकास को काफी अधिक उत्साहित किया गया है। जिससे देश औद्योगिक वस्तुओं में निरन्तर आत्म–निर्भर होता जा रहा है।

चित्र : 1.21

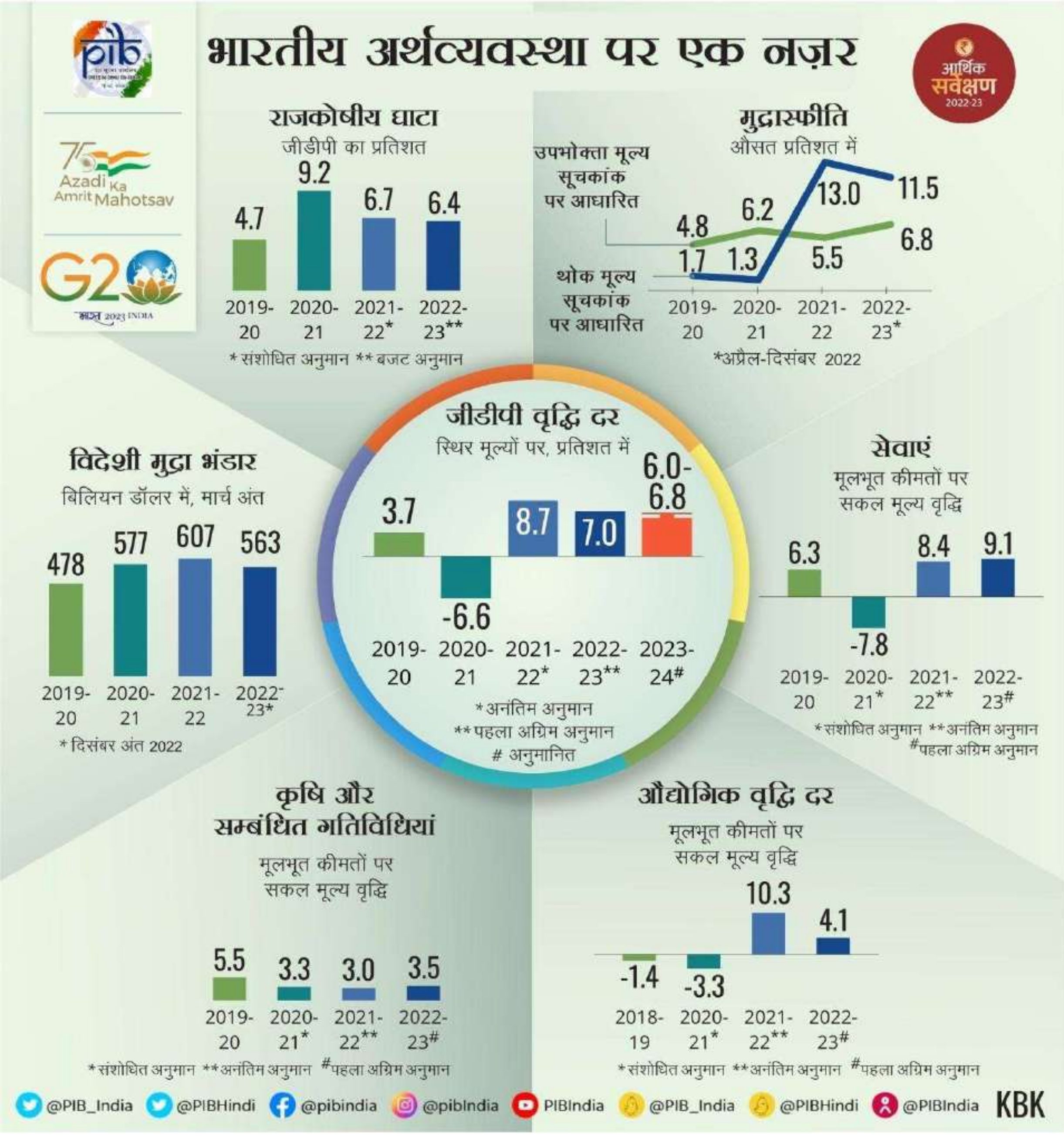

स्त्रोतः द्वितीय समंक, आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23,

सरांश प्रेस विज्ञप्ति (https://pib.gov.in)

अध्याय–2

साहित्य समीक्षा

वर्तमान साहित्य समीक्षा में विभिन्न सिद्धांत और अवधारणाएं शामिल हैं, जो पेपर मिल्स को सकारात्मक एवं नकारात्मक तरीके कों प्रभावित करती है। इन सिद्धांतो को विभिन्न लेखकों, शोधकर्ताओं ने अपनी शोधग्रंथ, पुस्तकों पत्रिकाओं और शोध वेबसाइट में प्रकाशित किया गया है इस शोध कार्य में उन शोध पत्रिकाओं एवं शोधग्रंथ कों शामिल किया गया है जो इंडस्ट्रीज से संबंधित है–

1. भट्टाचार्य, प्रबीर सी (1993), इन्होने अपने शोधकार्य में श्रमिकों कें आर्थिक विकास में ग्रामीण शहरी प्रवास विषय पर श्रमिक प्रवास एवं नौकरी की तलाश कर रहें श्रमिकों पर सुझाव एवं निष्कर्ष पर सुझाव दिया गया।

2. तिवारी डॉ., अंजनी कुमार (2021), शोधकर्ता नें अपने शोधग्रंथ में श्रमिक से संबंधित अनूपपुर के परिपेक्ष में तीन प्रकार के श्रमिकों का अध्ययन किया जिसके अन्तर्गत कोलमाइन्स, ईट, भट्टे, एवं मनरेगा में कार्य कर रहें श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक दशा अध्ययन कर उनको सभी क्षेत्रों में योगदान की समीक्षा की तथा श्रमिकों को मौसमी कार्य पर निर्भरता की बात लिखी और यह भी उनका निष्कर्ष है कि श्रमिक शेष समय में कृषि कार्य में निर्भर रहते है।

3. मरावी, एच.एल. (2013) इन्होने अपने शोध प्रबंध में श्रम कल्याण योजनाओं के प्रति श्रमिको में जागरूकता की कमी से लाभान्वित होने से वंचित रह जाते हैं, यह सुझाव दिया गया।

4. भुकुंठो, औगेन्द्र (2005), शोधकर्ता द्वारा अपने शोधपत्र में "बालश्रम और ऋण बंधन दक्षिण पूर्व भारत में ईंट, भट्टों के कामगारों की एक केस स्टडी ने आपने सुझाव दिये की बच्चे के माता–पिता अगर, अग्रिम ऋण ले लेते हैं तो उनके कारण भी बालश्रम उभरता है।

5. तालद, ए.के.(1974) ने अपने शोधग्रंथ में श्रमिकों कों एक इकाई के रूप में कार्य करने तथा संगठन के अंदर (भीतर) समुदाय के माध्यम से कार्य करने का सुझाव दिया गया।

6. मिश्रा, सुनीता इंदुवाला (2019) अपने शोध कार्य में श्रमिक समस्याएं एवं उनके मानसिक विकास पर अध्ययन विषय केन्द्र रहा।

7. पाण्डे नेहा, एन. पाण्डे देवेन्द्र (2010) इन्होने अपने शोध अध्ययन में पेपर मिल्स सें निकलने वाले अवशिष्ट जलों सें होने वाले बीमारियों एवं उपाय का अध्ययन किया।

8. शर्मा आर.के. और जे.राय (2016) अपने बुलेटिन में मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों की सामाजिक आर्थिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं नें निष्कर्ष निकाला कि आदिवासी आबादी और लिंग राशन की वृद्धि दर बेहतर है कि राज्य सांख्यिकी सामाजिक अर्थशास्त्र संकेतक अच्छे नहीं हैं, यहां तक कि वे किसान और कृषि श्रम के रूप में योगदान करते हैं।

9. गुप्ता, ज्योती (2003), अपने शोधपत्र "ईंट भट्टों में अनौपचारिक श्रम के नियमन की जरूरत है" में ईटों भट्टों में कोई नियमन नहीं होने से श्रमिक वर्ग वहां कार्य करके संतुष्ट नही हों उनकें मन में असंतोश की स्थिति बनी रहती है अपने सुझाव में बच्चों को ईट भट्टों में कार्य नहीं कराना चाहिए।

10. सेन, कुणाल (2015) अपने शोध कार्य में आर्थिक विकास में मानव की अलग—अलग नीतियों की विवेचना की गई है।

11. सेन, कुणाल, दास देव कुसुम (2015), अपने शोध कार्य में पूंजी अनुपात के किराये की कीमत के लिए वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के कारण की विवेचना की है।

12. सूद, अतुल नाथ पारितोश, घोष संगीता (2014) इन्होंने अपने शोध कार्य में श्रम के नियमों से छूट की खोज करते हैं और वर्तमान कानूनों की राज्य और न्यायायिक पुर्नव्याख्यायों के अनुसार मध्यस्थता तंत्र में श्रम विरोध पदों का पता लगाना।

13. मुरलीधरण टी. पॉल, विलों जी.डी., मूर्ती आशुतोष विष्णु (2014) इन्होंने अपने शोध कार्य में श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी की वृद्धि करने पर बात कही गई है।

14. अहिरवार एम.के., गुप्ता जी. एस. (2017) अपने शोध अध्ययन में ओरियंट पेपर मिल अमलाई से सोन नदी में धातु प्रदूषण पर अपना निष्कर्ष दिया एवं रोकने के लिए अपना विचार बताये।

15. लोहाटी, आर., स्वामीनाथन एच. (2013), शोधकर्ताओं नें अपने शोध पत्र भारत में आर्थिक विकास और महिला श्रम शक्ति की भागीदारी में महिलाओं की श्रमशक्ति भागीदारी में लगातार गिरावट के साथ साथ भारत के पिछले दो दशकों में स्थिर आर्थिक विकास का अनुमान किया है। शोधकर्ताओं नें राज्य स्तरीय डेटा का उपयोग करके आर्थिक विकास और महिला श्रम आपूर्ती के बीच संबंधो की पड़ताल करता है इन्होंने सुझाव दिए हैं कि आर्थिक विकास नहीं बल्कि विकास की संरचना है जो महिलाओं के लिए प्रासंगिक है।

16. लैडलियस, टांर्स्टन (1965), अपने शोध ग्रंथ में श्रमिक नियोक्ता और सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 1919–1964 में प्रतिनिधि मंडलों और समूहों का एक तुलनात्मक अध्ययन श्रमिक एवं नियोक्ता तथा सरकारों के बीच संबंधो की तुलनात्मक अध्ययन किये एवं निष्कर्ष दिये कि श्रमिक नियोक्ता तथा सरकारें आपसी संबंध से कार्य करते हैं।

17. जेन्स लेर्चे (2007), अपने शोध पत्र "जबरन मजदूरी के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन मुक्त श्रम, नव–उदारवादी वैश्वीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन" पर भारत में बंधुआ मजदूरी के संबंध में वर्तमान सैद्धांतिक बहस और भारत में बंधुआ मजदूरी पर हाल के अनुभवजन्य कार्य का सर्वेक्षण करता है। यह तर्क देते हैं कि ILO जबरन श्रम कों "घेट्टोइज" करता है, और मौजूदा सिद्धांत इसका कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वें उच्च–स्तरीय एतिहासिक मॉडल पर ध्यान केद्रिंत करते हैं।

18. झा, प्रवीन (2009), मौजूदा नीतियों में कई तरह से सुधार करने के लिए, सफल श्रम बाजार नीति कें विभिन्न घटकों के प्रणालीगत अभिसरण कों अधिक व्यापक विकास योजनाओं में आनुवादित करने और विभिन्न स्तर की शासन एजेंसियो और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय का प्रस्ताव दिया गया।

19. एन. नीता (2014) नोएडा में छोटी इकाइयों में नौकरियों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों का अध्ययन गंभीर चिंता का विषय है। छोटी इकाइयों में श्रम का क्या होता है, यह अनिश्चित, नौकरियों कम वेतन के स्तर, कौशल के कम विकास, एक चुनौतीपूर्ण श्रम प्रक्रिया और काम करने की विशेषता है, शर्ते हैं।

20. सिंह, पी.के. देश भ्रातर, पी.बी. रामटेके. डी.एस. (2012) शोधकर्ताओं नें नेपानगर पेपर मिल में फील्ड लाइसीमीटर में अवशिष्ट जल से सिंचित मिट्टी और फसलों के भौतिक–रासायनिक गुणों पर प्रभाव का मूल्यांकन एवं अध्ययन किया गया।

21. पात्रा, सुधाकर और साहु, के.के. (2012) इन्होंने अपने अध्ययन शोध में निष्कर्ष निकाला है कि वेतन और श्रम उत्पादकता के बीच दो तरफा संबंध रहा है, इन्होंने यह भी पाया कि जैसे–जैसे उत्पादकता बढ़ती है वैसे–वैसे मजदूरी भी बढ़ती है।

22. सैनी, देवी. एस (2010) यह शोध पत्र भारत में ठेका श्रमिक रोजगार के कानूनी ढ़ाचे का आकलन करता है यह अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 (सी.एल.एस.) के प्रवर्तन में राज्य की भूमिका की समीक्षा करता है और इसे इन कमजोरियों से जोड़ता है जिससे ठेका श्रमिक पीड़ित है। शोधकर्ताओं नें मुख्य रूप से श्रमिकों की कमजोर सौदेबाजी शक्ति का शोषण करके लागत कम करने की दृष्टि से मुख्य गतिविधियां में ठेका गतिविधयों में ठेका श्रमिकों को नियोजित

किया जाता रहा है। शोधकर्ता ने पेपर में सी.एल.ए. में आन्ध्र प्रदेश के संशोधन का हवाला दिया गया है, जिसका इस्तेमाल फ्रेमवर्क में बदलाव को प्रभावित करने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में किया जाएगा।

23. अनूप के, कारण और एस. सेल्वराज (2008), निष्कर्ष निकाला कि ग्रामिण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कों पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप श्रमिकों के बीच गरीबी की घटना हूई है, विशेष रूप से आकस्मिक श्रमिकों के बीच।

24. बनर्जी अभिजीत, बट्रैड, मैरिएन, दत्ता सौगतो, मुलैनाथन सेंथिल (2009), इन सभी शोधकर्ताओं नें अपने शोध पत्र "दिल्ली में श्रम बाजार में भेदभाव एक क्षेत्र प्रयोग से साक्ष्य" में बतायें कि दिल्ली में किराए कें मजदूरों के साथ निजी क्षेत्र में मासिक वेतन और सुरक्षित नौकरियों के मामले में भेदभाव किया जाता है।

25. केसरी, खुशबू (2020) शोधकर्ता ने अपने शोधग्रंथ "औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन में निष्कर्ष निकाला कि औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिको की कार्य क्षमता बढ़ाया जाना आवश्यक है, क्योंकि श्रमिक मनुष्य होने के कारण उसमें चैतन्यता, गतिशीलता एवं संवेदनशीलता पाई जाती है। साथ ही शोधकर्ता ने राजकीय योजनाएं बनाई गई वें कहाँ तक लाभकारी रही है। कल्याणकारी योजनाओं का सही मूल्यांकन करना एवं उनका विश्लेषण अध्ययन करना इस शोध का प्रमुख उद्देश्य है।

26. शुक्ला, आराधना (2016), अनुसंधानकर्ता नें अपने शोधग्रंथ "रामपुर क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में बाल–श्रमिक के मजदूरी का आर्थिक अध्ययन" में अपने शोधकर्ता में निष्कर्ष दिये कि बाल–श्रम एक अभिशाप है जो मुख्यतया बाल–श्रम संलग्न है, उनमें ठेला, घरेलू कार्य, मजदूरी आटो सेंटर, अगरबत्ती निर्माण, होटल आदि में कार्य करते हैं। उन्होने यह भी पाया की बाल श्रमिकों की मजदूरी दर एक ही उपक्षेत्र में होने के बावजूद भी अलग–अलग होते हैं क्योंकि बाल श्रम एक ऐसा श्रम है जिनमें संगठन नहीं है। असंगठन कि कारण ही इनके मजदूरी दरों में निश्चित नहीं होती है।

27. अग्रवाल, रूचि (2021), शोधकर्ता अपने शोधप्रबंध "महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यम–आर्थिक विकास के इंजन" में निष्कर्ष निकाला कि अगर सूक्ष्म उद्यम में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाती है तो इसमें देश की दो अहम समस्याओं, रोजगार वृद्धि और कामकाजी महिलाओं की घटती भागीदारी का निदान हो जाता है। महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों कें बारे में एक बडी वजह यह है कि आर्थिक आपदा में भी स्वयं को खडे रखने की छमता होती है। भारत सरकार तथा विश्व

बैंक की सहायता से चलाये जाने वाली राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना जैसी परियोजनायें महिलाओं को स्वयं के स्वामित्व वाले उद्यम स्थापित करने में उल्लेखनीय रूप सहयोग कर रही है।

28. धार, एन.एस. (2012), इन्होंने ग्रामिण श्रमिक परिवारो के रोजगार के दिनों में अपने शोध पत्र में निष्कर्ष निकाला कि दैनिक आय और कुल आय के आकलन में निश्चित और प्रद्धतिगत समस्या हैं जो एक ग्रामिण कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त रोजगार के दिनों की संख्या को कम करके आंकती है।

29. सांधी, एस. ए. श्रीसा, एस. एस. विजय (2015), अपनी रिपोर्ट में भारत में ग्रामीण महिला श्रम बल की भागीदारी में गिरावट कारणों पर एक पुनर्विचार में बताया गया है कि अर्थवयस्था में सरंचनात्मक परिवर्तन ने महिलाओं की मानसिकता को काम करने के लिए बदल दिया है। पिछले दशक में कुछ राज्यों में लिंग अंतर बढ़ने के कारण, यह हो सकता है महिला कार्यकर्ता को अपने पुरुष साथी पर निर्भर होने का कारण बनता है लेकिन महिला आत्म–निर्भर होने के लिए अपनी रुचि दिया रही है। यद्यपि, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण आय का स्तर और शिक्षा का स्तर बढ़ा है क्योंकि वे अपने पुरूष साथ अवैतनिक नौकरियों और फसें हुए बंधुआ मजदूरों के साथ सहायक के रूप में काम करने के इच्छुक नहीं है। जैसे–जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही है, वे कृषि श्रम कार्य में संलग्न होना पसंद नहीं करती है या अधिक सरलता से वे ग्रामिण भारत में उपलब्ध आकस्मिक नौकरी के लिए अधिक शिक्षित हो जाती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि, आमतौर पर जब अर्थव्यवस्था में एक संरचनात्मक परिवर्तन की आया का स्तर बढ़ जाता है जबकि, महिलाएं जब अवैतनिक कार्यकर्ता के रूप में घर के साथ काम करने की कोशिश नहीं करती है। लेकिन नौकरी के अवसर की कमी के कारण ग्रामीण श्रमिकों को नौकरी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वे समान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में रहती है।

30. भगत, मंजू (1997) शोधकर्ता नें अपने शोधग्रंथ "असंगठित कामकारों कों संगठित करना पर निष्कर्ष निकाला की असंगठित क्षेत्र जिन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया हैं। जिसमें नियोजित मजदूरी, स्वरोजगार और घर आधारित कामगार इन तीनों प्रकार के श्रमिकों को सामाजिक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कठिनाइयों की दृष्टि से अधिकतम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार की वर्तमान आर्थिक नीतियों के कारण निजी क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं ठेका श्रमिकों की शक्ति कम होने से उनकी काम करने की स्थिति खराब हो गई है।

31. मोनिया, विनीता (2019), शोधकर्ता अपने शोधग्रंथ में ने औद्योगिक विकास के साथ–साथ यह बात देखी गई कि पूँजीपति इस बात कि लिये बहुत उत्सुक थे कि शीघ्र ही अधिक लाभ हो, जिससे उन्होंने स्त्री, पुरूष तथा असहाय बच्चो तक को काम में लगा दिया। निष्कर्ष के अनुसार शोधकर्ता यह पाया कि कई महिलायें भवन निर्माण, सड़क निमार्ण, घरेलू कामकाजी, बीड़ी बनाने, सब्जी बेचने आदि कार्य में लगी हैं और अधिक संख्या में एकल परिवार से है शोधकर्ता ने सुझाव दिए कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिला श्रमिकों की स्थिति काफी खराब है। अतः इन क्षेत्रों में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए एवं महिलाओं को शिक्षित करने के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।

32. सिंह, संगीता (2017), शोधकर्ता ने अपने शोधग्रंथ में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया है। तथा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ग्रामीण आर्थिक विकास के अभिकरणों कें सफल व लाभकारी उपयोग हेतु भी पुस्तकालय एक अच्छा माध्यम है।

33. भट्ट, विनीता (2021), शोधकर्ता अपने शोधपत्र "भारतीय कृषि और किसान समस्याएं, प्रयास एवं समाधान" में सरकारी घोषणाओं की तरफ एक आलोचनात्मक विश्लेशण करना है जों कि किसानों की आय दुगनी करने वाले महत्वकाक्षीं लक्ष्य की प्राप्ति का दावा करती है। शोध निष्कर्ष से यह पता लगाया गया है की एम. एस. पी. जमीन पर कारगार साबित नहीं होती दिख रही है। इसके मद्देनजर, एक व्यापक स्तर पर राजनीतिक काल लेने का सुझाव दिया गया है।

34. चमार, रामजस (2019), अपने शोध प्रबंध "मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास में अधोसंरचना की भूमिका–एक अध्ययन" में निष्कर्ष निकाले कि अधोरचना विकास के लिए पी.पी.पी. मॉडल का सहारा लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रशासनिक सुधार हेतु केंद्रीय राज्य के प्रतिनिधियों को रुचि दिखानी चाहिए। शिक्षा के स्तर में जन जागरण, विकासात्मक चेतना को आगे बढ़ाना चाहिए इन्होंने आगे यह भी कहा कि कोई भी जन आंदोलन अधोसंरचनात्मक विकास के लिए सरकारों पर दबाव नहीं डाल सका। इसके साथ ही साथ अधोसंरचना विकास के समाज के उत्साही एवं समर्थ व्यक्तियों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देशी–विदेशी उद्यमियों को विकास के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

35. बेहेरे, डॉ. दीपाली (2014) शोधकर्ता नें अपने शोध पत्र "मध्यप्रदेश में श्रमिकों से सबंधित कानूनों का विश्लेशणात्मक अध्ययन" में निष्कर्ष एवं सुझाव दिये कि श्रमिक वर्ग को विभिन्ना प्रकार के श्रम कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए

सरकार कानून की जानकारी के लिए अलग–अलग कारखानों उद्योगों में श्रम कानून से सबंधित जागरुकता कार्यक्रम चलाना चाहिए।

36. मिश्रा, डॉ निशा (2014), शोधकर्ता नें निष्कर्ष निकाला की ग्रामीण एवं शहरी बाजार व्यवस्था को पुर्नगठित किया जाए तथा शिक्षा को व्यवसायिक बनाया जाये जिसमें ग्रामीण बेरोजगारी को दूर किया जा सके, शोधकर्ता ने सुझाव दिये कि सरकार की जो भी योजनायें लागू हाती है उसमें जनता की भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए ताकि योजनाओं का लाभ निम्न से उच्च स्तर तक सभी को मिल सकें तभी सभी योजनाएं अपने उद्देश्य में सफल हो सकती है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों में देश प्रेम व त्याग की भावना हो।

37. मिश्रा, डॉ. संजय शंकर, द्विवेदी अमृता (2019) शोधकर्ताओं ने अपने शोधपत्र में असंगठित श्रम क्षेत्र एवं बाल श्रम की समस्याओं का अध्ययन कर निष्कर्ष दिये साथ–ही रोजगार कें महत्वपूर्ण स्त्रोत कें रूप में भी असंगठित श्रम का सहारा लिया जाता है।

38. नायक, अनीता (2016) शोधकर्ता ने अपने शोधपत्र "भारत में आदिवासियों का सामाजिक और आर्थिक विकास" निष्कर्ष निकाला कि प्रथागत कानून होना चाहिए। इन्होंने भारत वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का अध्ययन किया तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातिओं का अपराध में अलग–अलग राज्यों का अध्ययन किया। अधिकांश जनजातियां आंतरिक और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित है जहां शिक्षक बाहर से नहीं जाना चाहेंगे आगे निष्कर्ष निकाला कि आदिवासी विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सरकार विभिन्न आदिवासी विकास परियोजनाओं की शुरूआत करती है, ताकि रोजगार प्रदान किया जा सके, मुक्त बंधुआ मजदूरों को फिर से राहत दी जा सके।

39. शाह, डॉ. प्रीति (2014), शोधकर्ता नें अपने शोध पत्र में औद्योगिक विकास केन्द्र का अध्ययन कर अलग–अलग क्षेत्रों में विकास की संरचना प्रस्तुत की है साथ ही औद्योगिक विकास केन्द्र सें सुविधा का भी अध्ययन किया जिसमें जल, स्वच्छता, यातायात तथा शैक्षणिक सुविधाएं शामिल है।

40. खान, डॉ.टी.एम. (2014), अनुसंधानकर्ता ने अपने शोध पत्र में "आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण" में आर्थिक विकास कें लिए विभिन्न कारकों का अध्ययन किया है। जिसके अन्तर्गत उन्होंने सुझाव दिया कि कार्बन उत्सर्जन नई तकनीक में किया जाना चाहिए, इन्होने ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में अपनी बात रखी, जिसके अन्तर्गत जो देश जितना ग्रीन हाउस गैस और कॉर्बन डाई ऑक्साईड का उत्सर्जन करे उर्जा पर उसी अनुपात मे कर लगाया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास तथा

कृषि विकास विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में देखे जाने चाहिए, औद्योगिक विकास कें पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिक देनी चाहिए।

41. गुप्ता, राकेश कुमार (2014), शोधकर्ता नें अपने शोधपत्र "कृषि विकास द्वारा आर्थिक परिवर्तन के आयाम" विषय पर यह निष्कर्ष निकाला कि कृषि विकास द्वारा हम समस्त क्षेत्र में विकास की बयार बहा सकते है और इसमें क्रांतियों के माध्यम से हमारा प्रयास सत्त रूप से सक्षम रहा है। कृषि का योगदान औद्योगिक क्षेत्र हेतु भी कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता के रूप में देखा जा सकता है।

42. परिहार, डी. एस. (2018) अनुसंधानकर्ता ने राजस्थान के पिथौरागढ़ तहसील के अन्तर्गत भेटियां जनजाति का अध्ययन किया गया इन्होंने निष्कर्ष निकाला की जनजातियों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जड़ी–बूटी संरक्षण तथा खनन हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि खनन कार्य से जड़ी–बूटियों को कम से कम नुकसान हो और प्रधान को ज्यादा लाभ हो सकें।

43. पोरवाल, डॉ. ऋतु (2014), शोधकर्ता नें शोध पत्र "आटा मिलों की लागत लाभ विश्लेशण अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि कृषि आधारित उद्योगो के लिए ऋण प्रक्रिया एवं ब्याज दर युक्ति संगत की जानी चाहिए। श्रमिकों को प्रशिक्षित एवं अभिप्रेरित कर उनके कार्यहीन समय को न्यूनतम करते हुए अधिकाधिक उत्पादन हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। सरकार एवं औद्योगिक संगठनो के द्वारा इन उद्योगों के विकास हेतु कार्यक्रमों, संगोष्ठिओ एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

44. ग्रेवाल, डॉ. विजय (2014) शोधकर्ता नें अपने शोधपत्र में निष्कर्ष निकाला कि लघु और कुटीर उद्योगो के क्षेत्र में सहयोग के सिद्धातों को अपनाना चाहिए इसके साथ ही राज्य सहायता की एक सक्रिय नीति होनी चाहिए, साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए इसकें साथ ही लोगों में स्वदेशी की भावना को भी अपनाना चाहिए।

45. कुमार, कल्पना डी. डॉ. सीमा (2021), शोधकर्ताओं नें अपने शोध प्रबंध बाल श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर यह निष्कर्ष एवं सुझाव दिये श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर कार्यस्थल पर कार्य कराना चाहिए तथा बाल श्रमिकों को बाल श्रम नीति के आधार पर कार्य कराना चाहिए श्रमिकों कें आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए टेलर और फेयोल के सिद्धातों को अपनाना चाहिए।

46. श्रीवास, डॉ. आराधना(2014), शोधकर्ता ने "बालक–बालिकाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का फास्ट फूड के उपयोग के मध्य संबंध" शोधपत्र में छोटे बच्चों

की देखभाल की नीति पर कार्य किया एवं खान–पान की स्थिति पर अपना सुझाव दिये, इसके साथ ही उन्होंने बच्चों कों पौष्टिक आहार खाने की सलाह दिये हैं।

47. पिंजानी, कुमार मीना (2018), शोधकर्ता नें अपने शोध प्रबंध “औद्योगिक विकास में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की भूमिका” में निष्कर्ष एवं सुझाव में शासन की प्राथमिकता में परिवर्तन नवाचार एवं जोखिम का अभाव पिक्षड़ा वर्ग द्वारा उद्यमिता में अरूचि, शासन की आरक्षण नीतियां संगठन शक्ति का अभाव, बैंक ऋण प्राप्त करने की समस्या, जागरूकता अभियान, स्थायी रोजगार कों प्रोत्साहन, सूक्ष्म एंवं लघु उद्योगों हेतु भू–अधिग्रहण आदि, विषय पर अपना सुझाव एवं निष्कर्ष शोधकर्ता द्वारा दिया गया।

48. चतुर्वेद, गोपाल कृष्णा (2017), शोधकर्ता नें अपने शोध प्रबंध “भारतीय मजदूर संघ एवं अन्य श्रमिक संघ” विषय पर प्रकाश डालते हुए आजादी के पूर्व एवं आजादी के बाद का श्रमिकों की समस्याओं एवं कार्यदशाओं का अलग–अलग अधिनियम के माध्यम से उल्लेख कियें है।

49. देवांगन, साह, गजपाल, अशोक कुमार, फलेन्द्र कुमार, डॉ. एल.एस.(2022), शोधकर्ताओं ने शोध प्रबंध में प्रवासी महिला श्रमिकों की आर्थिक–सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि महिलाएं पहले की अपेक्षा कोविड–19 में अधिक प्रभावित हुई है, साथ ही प्रवासी महिला श्रमिको की सामाजिक असमानता, जीवन संकट एवं आर्थिक असुरक्षा की निराशाजनक स्थिति को चिन्हांकित करता है और यह तर्कगत् बल देता है कि वे पूर्व कि अपेक्षा और अधिक दयनीय स्थिति कर अनुभव कर रहे हैं। शोधकर्ता अपने सुझाव में प्रवासी महिला श्रमिकों के लिए सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा पर प्रभावी एवं ठोस नीतिगत् हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है।

50. शुक्ला, अली, डॉ अवध प्रताप, रूकसार (2019), शोधकर्ताओं नें अपने शोधपत्र में औद्योगीकरण का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाले कि आद्योगिक संरचना से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होता है तथा श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही साथ आर्थिक विकास में भी औद्योगिकीकरण की भूमिका है, औद्योगीकरण से उद्योग, धंधे, व्यापार में भी लगातार वृद्धि होती है।

51. लीला पिलालमारी, राजू जी.पी. (1993), शोधकर्ता ने निष्कर्ष निकाला की प्रारम्भिक अवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था के अखबारी कागज की खपत आवश्यकतओं कों पूरी तरह से पूरा किया जाता था। शोधकर्ताओं ने न्यूज प्रिंट के उत्पादन और आयात कों जोड़कर न्यूजप्रिंट का खपत का पता लगाया।

52. मिश्रा, सुनीता (2005), अपने शोध प्रबंध "औद्योगिक विकास की नवीन प्रवृत्तियों 1991 के बाद" में शोधकर्ता ने अधोसंरचना का अभाव पूंजी का अभाव, प्रशिक्षित श्रम का अभाव आदि विषयों पर अपने निष्कर्ष दिये। साथ ही सुझाव के रूप में उन्होंने विपणन तथा औद्योगिक अनुसंधान का विकास, जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता को कम किया जाना चाहिए। अनार्थिक इकाईयों को बंद कर रुग्णता के कारणों की गहन जाँच कर एवं इनमें अनुदानो को प्रतिबंधित करना होगा।

53. लाल, प्रीता, जोशी विनोद (2015), शोधकर्ता नें भारत में आर्थिक विकास कें लिए जनांनकिकी घटको का अध्ययन किया है एवं आर्थिक विकास में जनांनकिकी घटक भी प्रभावित करने है, जिसके अन्तर्गत बौद्धिक विकास, श्रमनियोजन, आयु, संक्रमण लाभांश आदि होता है वर्तमान समय में जहाँ युवा अभी आत्म निर्भर होने की प्रक्रिया में है, वही आने वाले समय में वृद्धि की निर्भरता उस पर बढ़गी जिससे परिवार का स्वरूप बदलेगा तनाव में वृद्धि होगी आदि पर अपने सुझाव दिये।

54. साकेत, प्रीति (2019) शोधकार्य ने अपने शोधपत्र "संगठित औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन" में सुझाव दिये कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रसारित करना चाहिए तथा संगठित श्रमिक को निःशुल्क ऋण की सुविधा, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करनी चाहिए।

55. पाण्डेय, डॉ. पी.पी. (2021), शोधकर्ता ने अपने शोध प्रबंध " वैश्वीकरण के पश्चात मध्यप्रदेश का सत्त आर्थिक विकास" में मध्य प्रदेश के उद्योगों एवं औद्योगिक तथा परिवहन संचार, श्रम तथा पर्यटन उद्योगों का विस्तार से चर्चा की है।

अध्याय–3

शोध प्रविधि

संसाधनो की उपलब्धता एवं उपयोगिता वैज्ञानिक अध्ययन का दृष्टिगोचर होता है। सम्पूर्ण क्षेत्र के चक्रिय विकास के लिए विषय से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है वह यह ज्ञान अलग–अलग शोध से प्राप्त होती है अतीत से वर्तमान तक अनेकों शोध द्वारा ज्ञान की इकाइयों में बदलाव हुये है। मनुष्य सम्पूर्ण मानव नीति, श्रम नीति, पर्यावरण तथा औद्योगिक क्षेत्र के अनेक प्रचलित नियम अर्जित की है। उसमें वैज्ञानिक शोध का होना आवश्यक है। इसके साथ ही निरीक्षण एंव कारण का होना भी अति आवश्यक है। यह ज्ञात है कि हमारा यह संसार प्राकृतिक एवं चमत्कारिक अवदानों से परिपूर्ण है। अनंत काल सें तथ्यो का रहस्योद्‌घाटन और अभिज्ञान का अनुशीलन होता रहा है। कई तथ्यों का उद्‌घाटन तो दीर्घ अन्तराल कि निरंतर शोध से ही सम्भव हो सका है। यह विदित है कि इन तथ्यों की खोज और इनकी पुष्टि के लिये शोध की अनिवार्यता बनी रही है।

शोध की अवधारणा

शोध का उपयोग अत्यंत व्यापक है। मानव नें आज तक जो भी प्रगति है उसमें सें अनेकों में शोध की भूमिका रही है। मनुष्य अपनी श्रमपूर्ण सामाजिक संगठन पर्यावरण तथा श्रम नीति, श्रमिक संघ के प्रचलित नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। शोध का अंग्रेजी रूपांतर Research (रिसर्च) से लिया गया है। जिसमें Re- का अर्थ बार–बार तथा Search (सर्च)- अर्थ खोजना है। इस प्रकार शोध का अर्थ किसी विषय पर सत्यता की प्राप्ति के लिए बार–बार खोज करना है, या कुछ नया जानने संबंधी खोज है। यह कहा जा सकता है कि शोध वह क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन विधि है जिसके आधार पर सामाजिक घटनाओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते है या पहले से प्रतिपादित नियमों की पुनः परीक्षण करते है तथा तथ्यों में कार्यकरण को स्पष्ट करते हैं।

साधारणतः यह माना जाता है कि सामाजिक शोध सामाजिक अनुसंधान का ही एक रूप ही एक रूप है। क्योंकि इसमें सम्पूर्ण ज्ञान, एक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा वर्गीकरण, सारणीयन प्रयोग, विश्लेषण एवं निषकर्ष द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसी पद्धति के द्वारा पूर्व स्थापित सिद्धातों की पुनः परीक्षण की जाती है एवं सत्यता की जाँच की जाती है।

अवधारणा को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिये कुछ विशेषताओं एवं गुणों को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। कार्लो लेस्ट्रसी नें अवधारणा के निम्नलिखित पांच गुणों का उल्लेख किया गया हैः–

- **उपयुक्तता**– अवधारणा का चयन इस प्रकार होना चाहिए कि वह किसी भी विषय का अध्ययन केन्द्रीय विशय पर आधारित हों, जिसमें शोधकार्य में भटकावे की स्थिति न बन सकें। जैसे निम्न व अध्ययन वर्ग के संबंध में निश्चित मापदण्ड शोध कार्य के पूर्व ही निश्चित कर लेना चाहिए कि किन्ही निम्न वर्ग में किन्हें मध्यम वर्ग में सम्मिलित किया जायेगा।

- **स्पष्टता**– अवधारणा शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए अन्यथा निष्कर्ष भ्रामक हो सकता है। जैसे–नैतिकता, ईमानदारी, अपराधीकरण, नकल करने की प्रवृत्ति आदि। यदि इनकी ठीक से व्याख्या नहीं की गई तो कुतर्क की स्थिति निर्मित हो सकती है।

- **मापनता**– जिस सीमा तक अवधारणा कों मात्रात्मक रूप दिया जा सकेगा उसी सीमा तक वह मापा जा सकेगा और परिशुद्धता की प्राप्ति में सहायक होगा। इसलिए यथासम्भव अवधारणा ऐसी होनी चाहिए जिसे मापा जा सके।

- **तुलनात्मकता**–अवधारणा ऐसी होनी चाहिए जो एक ही प्रकार की समस्त घटनाएं जैसी ही नहीं होनी चाहिए जो इस प्रकार की घटना को तुलना करने की क्षमता रखता हो। शोधकर्ता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए की तुलना समान धारणा वाली घटना से हो जैसेः अपराध एक व्यापक एवं विस्तृत शब्द है, जिसमें मारपीट से हत्या तक सम्मिलित है। अपराध की किन–किन श्रेणियों का अध्ययन किया जायेगा इसका स्पष्ट वर्णन होना चाहिए।
- **पुनर्परीक्षण**–वैज्ञानिक सिद्धातों के लिए यह आवश्यक है कि उनका परीक्षण व पुनर्परीक्षण हो सकें। अनुसंधानकर्ता को अपनी अवधारणओं का चुनाव इस प्रकार करना चाहिए कि अन्य शोधकर्ता भी उनका परीक्षण न पुनर्परीक्षण कर सकें।

- **शोध का आशय**– भारत का अतीत ज्ञान से परिपूर्ण था और भारतीय संसार का नेतृत्व करते थे। मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिये सदैव प्रयासरत रहता है, लेकिन सार्थक जीवन क्या है और कैसे प्राप्त किया जाए ? इन सब बातों के अवबोधन को ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरल भाषा में ज्ञान के विस्तार कों हम अनुसंधान या शोध कहते है। यह जीवन के किसी भी क्षेत्र से सबंधित हो सकता है। शोध के बिना किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती।

  "नवीन ज्ञान प्राप्त करने एवं नवीन प्रयोगों की स्थापना शोध द्वारा सम्भव है तथा सांख्यिकीय विद्वानों द्वारा शोध की परिभाषा दी गयी हैः–

जें. डब्ल्यू कॉस्बेल (J.W. Creswell) अनुसंधान किसी विषय के बारे मे जानकारी को एकत्रित करने एवं उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है।"

श्री मोजर के अनुसार–सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्रगति के लिये गए व्यवस्थित अनुसंधान कों सामाजिक शोध कहते हैं।

अतः स्पष्ट है कि सामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं व समस्यायों कें कारणों की वैज्ञानिक ढंग सें विवेचना करने की विधि है। इसमें घटनाओं के अंतः संबंधो का अध्ययन कर तथ्यों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण कर सिद्धांतो का निर्माण किया जाता है। सामाजिक शोध सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अनुसंधान है।

शोध अभिकल्पना

अनुसंधान अभिकल्प एक गतिविधि है और यह अनुसंधान उद्देश्यों कों ध्यान में रखते हुए समय पर आधारित एक योजना है। यह जानकारी एकत्र करने के तरीकों उनकें स्त्रोतों के बारे में शोधार्थी का मार्गदर्शन करना है। यह अध्ययन के तहत चरों के बीच संबंध निर्दिष्ट करने की एक रूपरेखा है। शोधकर्ता द्वारा अपने विषय पेपर मिल्स में कार्यरत् श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन मे अलग–अलग प्रकार की अनुसंधान अभिकल्प तैयार किया गया है।

शोध प्रविधि

शोध से संबंधित निम्नलिखित कार्य प्रणाली बनायी जायेगी–

(अ) अनुसंधान क्रिया विधि – शोधकर्ता द्वारा निम्नांकित अनुसंधान क्रियाविधि किया जाना है, जिसमें शोधकर्ता ने अपने शोधकार्य के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया है।

(ब) अनुसंधान डिजाइन के प्रकार–

(क) वर्णनात्मक अनुसंधान–जैसे कि नाम से पता चलता है इस प्रकार का अनुसंधान स्थिति का वर्णन करता है। यह क्या है या क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। यह रिपोर्टिंग करने जैसा है। इसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जायेगा।

(ख) ऐतिहासिक अनुसंधान– इस अनुसंधान में शोधकर्ता द्वारा वर्तमान हलातो के परिपेक्ष में भूतकालीन आंकडों को ध्यान में रखकर वर्तमान की घटनाओं से संबंधित समक प्राप्त किये जायेगें।

(ग) विवरणात्मक अनुसंधान– इसमें शोधकर्ता द्वारा समंको से संबंधित संक्षिप्तीकरण की तकनीक तथा उन्हे प्रयुक्त किये जा सकने वाले स्वरूप में प्रस्तुत करने की क्रिया की जायेगी।

शोध की सीमायें

शोधकर्ता द्वारा पेपर मिल्स में कार्यरत संगठित श्रमिक एवं असंगठित श्रमिक तथा अनुबंध आधारित श्रमिकों के आर्थिक विकास का अध्ययन करना है जिसमें मिलों में कार्यरत श्रमिकों को ही शोधकर्ता ने अपने शोध कार्य में शामिल किया गया है।

संमको का संग्रह–

शोधकर्त्ता द्वारा अपनी अनुसंधान अवधि कि दौरान दो प्रकार के समंको का संग्रह किया जायेगा।

1. प्राथमिक समंक– इसमें शोधकर्त्ता ओरिएंट पेपर मिल अमलाई तथा नेपानगर पेपर मिल्स की द्वितीय समंको का अध्ययन किया जायेगा प्राथमिक समंको को संग्रह में निम्न विधिया का प्रयोग किया जायेगा।

   1. अवलोकन
   2. अनुसंधान

2. द्वितीय समंक– द्वितीय समंको का संकलन इसमें शोधकर्ता द्वारा ओरिएंट पेपर मिल एवं नेपानगर पेपर मिल से अभिलेख रिपोर्ट आदि समंक एकत्रित किये जायेंगे। इसमें निम्नलिखित विधियां हैः–

   1. सरकारी प्रकरण
   2. समितियाँ तथा अयोगों के प्रतिवेदन
   3. व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों के प्रकाशन
   4. पत्र–पत्रिकाएँ
   5. बाजार समाचार
   6. व्यक्तिगत अनुसंधान
   7. शोध कार्य

प्रश्नावली की रचना–

प्रश्नावली के प्रकार–

1. सूचनाओं के आधार पर
   1. तथ्य संबंधी
   2. मनोवृत्ति संबंधी
2. प्रश्नों की प्रकृति का आधार पर
   1. तथ्य संबंधी
   2. मनोवृत्ति संबंधी

3. रचना के आधार पर
    1. संरचित प्रश्नावली
    2. असंरचित प्रश्नावली

वर्गीकरण–शोधकर्ता द्वारा शोध कार्य में आंकडो का वर्गीकरण की क्रिया की जायेगी।

- वर्गीकरण की विधियां
- वर्गीकरण का आधार, आकार, स्थान, प्रकार, समय

सारणीयन– समंको को व्यवस्थित करने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा सारणीयन का भी सहारा लिया जायेगा।

प्रतिदर्श अनुसंधान

जनसंख्या–अध्ययन सम्पूर्ण शहडोल जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर शोधकार्य किया जायेगा यह शोधकार्य शहडोल जिले के जनसंख्या पर केन्द्रित होगा तथा नेपानगर (अखबारी कागज) में कार्यरत् श्रमिको का अध्ययन किया जायेगा।

शोध का उद्देश्य–

मानव कोई भी कार्य करता है उसके पीछे उद्देश्य अवश्य ही होता है चाहे वह कार्य ऐच्छिक हो अथवा अनैच्छिक। इसी प्रकार मीमांसा मानव का महत्वपूर्ण ऐच्छिक कार्य है। अनुसंधान कार्य में संलग्न होते समय अनुसंधानकर्ता के मन में भी निश्चित रूप से कोई न कोई उद्देश्य आवश्यक ही रहता है। इसी संदर्भ में शोधकर्ता नें निम्नांकित उद्देश्यों की चर्चा की गयी हैः–

- पेपर मिल्स में कार्यरत् श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- पेपर मिल्स में संगठित एवं असंगठित श्रमिकों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
- पेपर मिल्स मे महिला श्रमिकों की सुरक्षा की स्थिति का अध्ययन करना।
- पेपर मिल्स मे कार्यरत् श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थिति एवं निजी एवं सरकारी नीतियों का अध्ययन करना।
- पेपर मिल्स मे श्रमिको की शिक्षण तथा प्रशिक्षण का अध्ययन करना।
- पेपर मिल्स में संगठित श्रमिकों की प्राप्त सुविधाओं का अध्ययन।
- पेपर मिल्स में श्रमिक से संबंधित सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना।
- पेपर मिल्स में विभिन्न प्रकार के प्रेरणात्मक योजनाओं का अध्ययन करना।
- पेपर मिल्स में श्रमिकों के बालकों की शिक्षा व्यवस्था एवं देखरेख की नीतिंयो का अध्ययन करना।

अनुसंधान की प्रकृति एवं उद्देश्य कें आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया हैः—

1. व्यक्तिगत उद्देश्य
2. व्यवहारिक उद्देश्य
3. बौद्धिक उद्देश्य

व्यक्तिगत उद्देश्य— व्यक्तिगत उद्देश्य के अतंर्गत अनुसंधानकर्ता जों भी सूचनाएं अनुसंधान के आधार पर प्राप्त करना चाहता है उन सभी तथ्यों को व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति में ही प्रयोग करना है।

व्यवहारिक उद्देश्य— कभी—कभी ऐसा भी होता है कि अनुसंधान किसी वर्णन तथ्य की खोज नहीं करता बल्कि पूर्व में किये गयें अनुसंधान को ही आगे बढ़ाता है। ऐसे विशय को जांचने कि लिये खोजकर्ता सांख्यिकी की विधियों का प्रयोग करता है।

बौद्धिक उद्देश्य— निःसंदेह अनुसंधान का सर्वप्रथम इस बौद्धिक अथवा सैद्धांतिक का संबंध उद्देश्य मानव की ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा से है। अनुसंधान ज्ञान वृद्धि का साधन है। इस प्रकार अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य, तथ्यों, घटनाओं अथवा समस्याओं के विशय में ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे पुराने तथ्यों का प्रमाणीकरण, नये तथ्यों की खोज तथा तथ्यों का पूर्ण से परीक्षण कर सके।

शोध की परिकल्पनाएँ

शोध की परिकल्पना शोधकार्य का आधार है। शोधार्थी के मस्तिष्क में अनेक परिकल्पनाएँ जन्म लेती है। जो शोधार्थी को खोज करने को विवश करती है। अच्छी परिकल्पनाओं का जन्म लेना एक शोधार्थी का आवश्यक लक्षण है इन्ही परिकल्पनाओं की जाँच करने के लिए आगे अनेक तरह से शोध कार्य आने वाली समस्याओं का सामना करता है। व वास्तविक तथ्यों का पता लगाकर उन्हे सामने रखता है। अनेक परिकल्पनाओं में आवश्यक नहीं हैं कि वे सत्य सिद्ध हो, परिकल्पना समुचित विचार विमर्श के बाद की गई परिकल्पना निश्चित रूप से शोध कार्य को श्रेष्ठ बनाने में सहायक सिद्ध होती है। कुछ परिकल्पनाएँ निरर्थक व केवल परिकल्पना होती है। लेकिन उचित ढंग से की गई परिकल्पना निश्चित रूप सार्थक सिद्ध होती है।

उपकल्पना के अभाव में अनुसंधान की न तो दिशा निर्धारित होती है एवं न ही विषय—क्षेत्र का ज्ञान अनुसंधानकर्ता को होता है अतः अनुसंधानकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह आकड़ो के संकलन अवलोकन के लिए अपनी कल्पना, अनुभव या अन्य किसी स्त्रोत के आधार पर एक कार्यकारी तर्क—वाक्य (Workable Proportions) का निर्माण करें एवं बाद में अनुसंधान के दौरान इस तर्क वाक्य की परीक्षा करें। यही तर्क—वाक्य सामान्यतः उपकल्पना (Hypothesis) कहलाता है।

अनुसंधानकर्ता ने पेपर मिल्स में कार्यरत् श्रमिको कें आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर अपनी निम्नांकित परिकल्पनाएँ की गयी है–

1. H_0 पेपर मिल्स में श्रमिकों कि आर्थिक स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है।
2. H_1 श्रमिकों का परिवार गरीबी रेखा में नीचे जीवन यापन कर रहा है।
3. H_2 असंगठित महिला श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की सुविधा नही दी जाती है।
4. H_3 पेपर मिल्स में अलग अलग श्रमिकों की मजदूरी वेतन में विसंगतिया रहती है।
5. H_4 श्रमिकों के बालकों की शिक्षा व्यवस्था एवं देखरेख के लिए योजनाएं नहीं बनायी जाती है।
6. H_5 श्रमिक केवल मजदूरी कि लिए ही कार्य करते हैं।
7. H_6 संगठित श्रमिक को अलग–अलग प्रकार की सुविधाएँ दी जाती है।

शोध का स्वरूप एवं प्रकृति

प्रस्तुत शोध के अध्ययन में वर्णात्मक एवं अन्वेशणात्मक दोनों ही प्रकार की शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है। अन्वेशण शोध सें अभिप्राय अज्ञात तथ्यो की खोज करना अर्थात्, नवीन तथ्यों की खोज संबंधित साहित्य का पुनरीक्षण तथा अध्ययन समस्या से संबंधित अनुमनी व्यक्तियों का सर्वेक्षण है।

विस्तृत सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी कें विभिन्न माध्यम विद्याओं का व्यवहारिक प्रयोग एवं प्राप्त सूचनाओं का विश्लेशण तत्पश्चात् परिणाम की प्राप्ति एवं वास्तविक तत्पश्चात् परिणाम की प्राप्ति एवं वास्तविक स्थित से मिलान विसंगति आने पर पुनः शोध कार्य की पुनरावृत्ति है।

शोध का स्वरूप

शहडोल संभाग पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण भी विकाससील है। यहाँ सोहागपुर, कोयला क्षेत्र के नाम भी जाना जाता है, चूंकि पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ श्रमिक वर्ग की अत्यंत दयनीय स्थिति है जिसमें ठेकेदारी श्रमिक, दैनिक मजदूरी, मजदूर असंगठित श्रमिक शामिल है, शिक्षा व्यवस्था भी सही नही है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी सही तरीके सें यहाँ कियान्वित नहीं हो पाता। कोयला क्षेत्र एवं ओरियंट पेपर मिल होने से भी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। शोधकर्ता पेपर मिल्स में श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन करना है, जिसमें ओरियंट पेपर मिल एवं नेपानगर स्थित अखबारी कागज में श्रमिकों का आर्थिक विकास अध्ययन करना है।

मध्यप्रदेश का शहडोल संभाग औद्योगिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण सें संबंधित महत्वपूर्ण संभाग है। यहाँ अधिक मात्रा में प्राकृतिक सम्पदा, मानव संसाधन श्रमिक वर्ग व अन्य औद्योगिक विकास कों बढ़ाने वालें तत्व मौजूद है। इन सबकें बावजूद भी जिस गति से विकास होना चाहिए नहीं हुआ है।

इन सबका प्राथमिक कारण श्रमिकों का आर्थिक विकास न होना है। यद्‌यपि आजादी के बाद से ही पंचवर्षीय योजनाओं के अतंर्गत क्षेत्रिय असंतुलन कों दूर कर समग्र आर्थिक विकास की योजनाएँ कार्यान्वित की गयी है। फिर भी सफलता अपर्याप्त रही है। प्रस्तुत शोध इसी अवधारणा को लेकर किया गया है। जिसमें दोनो मिलों में श्रमिकों का आर्थिक विकास पर लक्षित है।

शोध की प्रकृति

शोध की प्रकृति तथ्यात्मक आकडों को शोध की प्रविधियों कें आधार पर निश्कर्श निकालने की है। तथा समकों के संकलन के बाद उचित प्रकार से वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेशण करने के ज्ञात करने की है जो यथार्थ के काफी पास है। यदि परिणाम वास्तविकता से परें निकलते है तों शोध पुनरावृत्ति करने का सही परिणाम निकाले जाने की कोशिश की जायेगी।

शोध की उपयुक्ता

अमलई ओरियंट पेपर मिल तथा नेपानगर अखबारी पेपर मिल में कार्यरत् श्रमिकों कें आर्थिक विकास इस दृश्टिकोण सें किया जाना जिससे की दोनो मिलों का चहुमुखी श्रमिकों का आर्थिक विकास हो जिसके अन्तर्गत श्रमिकों की शिक्षा व्यवस्था सामाजिक स्तर, आर्थिक तत्व, समाज में भागीदारी शामिल किया जाना है, संभाग में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधनों का बेहतर उपयोग कर देश कें औद्योगिक विकास के समकक्ष लाने में सहायक होगा। संभाग में रोजगार संभावनाओं एवं श्रमिक जागरूकता कार्यक्रम तथा पर्यावरण सुरक्षा श्रम कानूनों की जानकारी आदि का विकास सम्भव हो सकें। औद्योगिक भ्रश्टाचार एवं अन्य कानून विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लग सकें तथा योग्य एवं अनुभवी श्रमिकों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रसस्त होगा। तथा श्रमिकों की पीढ़ी आगे श्रमिक न रहें।

सांख्यिकीय विधियां– शोधकर्ता द्वारा पेपर मिल्स में कार्यरत् श्रमिकों कें आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन विषय से संबंधित निम्नांकित सांख्यिकीय विधियां का प्रयोग किया जायेगाः–

प्राथमिक संमक– इस संदर्भ में दोनो मिलों में कार्यरत् श्रमिक से संबंधित कार्य स्थल पर जाकर प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एवं आकडों का संकलन किया जायेगा उसी तरह वर्तमान परिवेश में पेपर मिल्स में कार्यरत श्रमिकों से संबंधित श्रमिकों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा कानून जैसे सरकारी सामाजिक सुरक्षा कानून के अनेक प्रावधान,

कारखाना अधिनियम, श्रम कानून, कर्मचारी बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि, महिलाओं को प्रसूति सुविधा, स्वास्थ्य सेवा सुविधा, बोनस, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, काम की सुरक्षा आदि से संबंधित जानकारी श्रमिक संगठन से संलग्न नेताओं से संकलित की गई, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के संदर्भ में जो प्रावधान और कोशिशे (प्रयास) किये गये हैं वह जानकारी श्रम अधिकारियों से साक्षात्कार के माध्यम से संकलित की गई है। ओरियंट पेपर मिल्स में लगभग 400 से 500 श्रमिक कार्यरत है वही अगर बात करे नेपा अखबारी पेपर मिल्स की तो वहाँ भी पांच से छः हजार श्रमिक कार्यरत है। जिनका निदर्शन विधि के आधार पर साक्षात्कार जानकारी एकत्रित की जायेगी। प्राथमिक समंक संकलन से संबंधित निम्नांकित विधियों का प्रयोग किया गया है–

1. प्रत्यक्ष स्त्रोत– जैसे कि नाम से स्पष्ट है, तथ्य संकलन के प्रत्यक्ष स्त्रोत वे होते हैं जिनके अन्तर्गत शोधकर्ता या तो स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित करता है अथवा कार्य के लिए एक अध्ययनकर्ता जिन अनेक प्राविधयों के उपयोग द्वारा तथ्यों का संकलन करता है, उन्हे हम तथ्य–संकलन का प्रत्यक्ष स्त्रोत कहते हैं। इनमें से प्रमुख स्त्रोतों तथा उनकी प्रकृति का निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है–

(अ) अवलोकन:–अवलोकन वह प्रविधि है जिसके अन्तर्गत अध्ययनकर्ता विषय से संबंधित क्षेत्र में जाकर स्वयं ही विभिन्न घटनाओं और दशाओं को पक्षपात रहित रूप से देखता है और इस प्रकार महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन करता है यह प्रविधि उसी दशा में अधिक उपयोगी होती है जब अध्ययन का क्षेत्र सीमित तथा अध्ययन किया जाने वाला विषय लोगो की मनोवृत्तियों से संबंधित न हों। उदाहरण के लिए एक समूह में व्यक्तियों के रहन–सहन रीति–रिवाजों, सांस्कृतिक समारोहों तथा समस्याओं से संबंधित तथ्य एकत्रित करने के लिए अवलोकन एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इस स्त्रोत के द्वारा उपयोगी तथ्य केवल तभी एकत्रित किये जा सकते हैं जब अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण पूरी तरह से तटस्थ और निष्पक्ष है। तथ्य–संकलन कें प्रत्यक्ष स्त्रोत के रूप में अवलोकन की प्रक्रिया भी तीन मुख्य भागों में विभाजित है जिनमें से अध्ययन विषय की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरीकों को उपयोग में लाया जा सकता है। इन्हें हम सहभागी अवलोकन, अर्द्ध–सहभागी अवलोकन तथा असहभागी अवलोकन कहते हैं।

1. **सहभागी अवलोकन**– सहभागी अवलोकन कें अन्तर्गत अध्ययनकर्ता को स्वयं उस समूह अथवा समुदाय का अंग बनना आवश्यक होता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। अध्ययनकर्ता जब अध्ययन किये जाने वाले समूह में रहता है और उसकी विभिन्न गतिविधियों में स्वयं भी भाग लेता है तो वह समूह की सभी गोपनीय और महत्वपूर्ण विशेषताओं से परिचित हो जाता है। अनुसंधान द्वारा सहभागी अवलोकन का अपने शोध प्रबंध की जानकारी एकत्रित करते समय प्रयोग नहीं किया है।

2. **अर्द्ध–सहभागी अवलोकन–** अर्द्ध–सहभागी अवलोकन के अन्तर्गत एक लम्बी अवधि के लिए अध्ययन किये जाने वाले समूह के सदस्य के रूप में नही रहता बल्कि कुछ विशेष अवसरों पर तथ्यों का संकलन करने के लिए वह समूह के निकट सम्पर्क में आता है और घटनाओं का अवलोकन करने के बाद पुनः अपने को उस समूह से अलग कर लेता है। शोधकर्ता इस विधि का प्रयोग किया गया है।

3. **असहभागी अवलोकन–** के लिए अनुसंधानकर्ता किसी भी स्तर पर न तो अध्ययन समुदाय के जीवन में सम्मिलित होता है और न ही समुदाय के लोगो के निकट सम्पर्क में आता है। वह बाहर से आये एक अज्ञात दर्शक कें रूप में घटनाओं का अवलोकन करके तथ्यो का संकलन तथा आकड़ो को एकत्रित करता है। वास्तविकता यह है के अवलोकन चाहे किसी भी विधि के द्वारा किया जाये लेकिन यह तथ्यों के संकलन का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है।

(ब) अनुसूची (Schedule): अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसे लेकर अध्ययनकर्ता स्वयं उत्तरदाताओं से मिलता है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्वयं ही उस सूची में अंकित कर लेता है। वास्तव में अनुसूची शोधकर्ता और उत्तरदाता के प्रत्यक्ष सम्पर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी आधार पर अनुसूची को प्राथमिक तथ्यों के संकलन का एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष स्त्रोत माना जाता है। इस स्त्रोत की मुख्य विशषता यह है कि इसके द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त प्राप्त करने के साथ ही अनुसंधानकर्ता द्वारा घटनाओं का स्वयं भी अवलोकन करना सम्भव हो जाता है।

(स) साक्षात्कार (Interview): प्राथमिक तथ्यों कों संकलित करने में साक्षात्कार एक प्रत्यक्ष स्त्रोत है। इसके अन्तर्गत शोधकर्ता अध्ययन–विषय से संबंधित व्यक्तियों सें मिलकर अध्ययन के विभिन्न पक्षों पर उनसे स्पष्ट वार्तालाप करता है। विषय से संबंधित यही बात–चीत(वार्तालाप) तथ्य आकडों को एकत्रित करने का स्त्रोत होता है। अनेक सामाजिक घटनाएं इतनी जटिल होती है कि केवल अनुसूची से संबंधित प्रश्नों की सहायता से ही उन्हे ज्ञात नहीं किया जा सकता। इन्हे समुचित रूप ये समझने के लिए संबंधित व्यक्तियों से विचार से बातचीत करना आवश्यक होता है। साक्षात्कार के अन्तर्गत प्रश्नों अथवा वार्तालाप के विभिन्न पक्षों का कोई निश्चित क्रम होना आवश्यक नही होगा। इसके फलस्वरूप उत्तरदाओं के कथन के बीच–बीच में इस प्रकार परीक्षा भी होती रहती है कि संकलित तथ्यों का सत्यापन किया जा सके।

इंटरनेट–संचार का सबसे विकसित साधन इंटरनेट सेवा है संचार क्रांति के इस साधन से शोध प्रबंध से संबंधित तथ्यों को संकलित करने में बड़ी सरलता होती है।

2. अप्रत्यक्ष स्त्रोतः

प्राथमिक आकडों का संकलन करने के लिए कभी–कभी शोधकर्ता ऐसे स्त्रोतों का भी उपयोग करता है जिनकी सहायता से अध्ययन क्षेत्र में जाये बिना अथवा उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क के बिना ही तथ्यों का संकलन किया जा सके। ऐसे स्त्रोतों को हम प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने के अप्रत्यक्ष स्त्रोत कहते है। पार्टेन ने ऐसे माध्यम के अन्तर्गत रेडियो अपील, टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार तथा प्रतिनिधि प्राविधियों कों विशेष महत्व प्रदान किया है। वास्तव में तथ्य संकलित करने के अप्रत्यक्ष प्राथमिक माध्यमों के चार स्त्रोत प्रमुख है जिन्हे निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है।

(अ) प्रश्नावली (Questionnaire): प्रश्नावली अनेक प्रश्नों की वह सूची है जिसें उत्तरदाताओं के पास डाक द्वारा इस आशय से भेजा जाता है कि वे सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उसे शोधकर्ता के पास वापस भेज दें।

प्रश्नावली एक ऐसा माध्यम है जिसमें अनुसंधानकर्ता तथा उत्तरदाताओं के बीच कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं हो पाता लेकिन फिर भी इसके द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संग्रह करना सम्भव हो जाता है। यह माध्यम केवल तभी उपयोगी होता है जब अध्ययन क्षेत्र इतना विस्तृत हो कि अध्ययनकर्ता सभी उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क करने की स्थिति में न हो तथा साथ ही उत्तरदाता भी इतने शिक्षित हो कि वे विभिन्न प्रश्नों को समझकर उनका समुचित ढंग से उत्तर दे दिये जाये तो उनका सत्यापन करना अथवा वास्तविकता को समझ सकना बहुत कठिन हो जाता है।

(ब) रेडियो अथवा टेलीविजन अपील (Radio or Television Appeals): विकसित और विकासशील देशों मे रेडियो और टेलीविजन भी प्राथमिक तथ्यों के संकलन का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा नियमित रूप से अथवा किन्ही विशेष अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करके श्रोताओं से यह अपील की जाती है कि वे उससे संबंधित अपने विचारों अथवा प्रतिक्रियाओं को अमुख पते पर भेज दें। उदाहरण के लिए विविध भारती लोकल के लिए एफ.एम. चैनल, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन आदि अनेक ऐसे संगठन है जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था श्रोताओं को एक विशेष जानकारी देकर तथ्यों कों सकंलित कर सकती है। इस प्रविधि के द्वारा बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए व्यक्तियों को भी एक विशेष के प्रति बहुत कम समय में जानकारी दी जा सकती है, और विषय को इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि उससे संबंधित विचारों कों अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने के अक्सर सर्वोत्तम उत्तरों के लिए कुछ पुरस्कारों की घोषणा भी की जा सकती है। इसके बाद एक निश्चित अवधि के अंदर विषय से संबंधित बहुत अधिक उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। पिछले वर्षो में परिवार नियोजन, सहकारिता तथा विलम्ब विवाह आदि से संबंधित मनोवृत्तियों का अध्ययन करने में यह विधि सफल रही है। इस विधि की एक अन्य उपयोगिता बहुत कम समय और कम व्यय में ही

अध्ययन कार्य को पूर्ण कर लेना है। लेकिन शोधकर्ता द्वारा इस विधि का प्रयोग नहीं किया गया है।

(स) टेलीफोन, मोबाईल फोन साक्षात्कार– आकडों को एकत्रित करने का एक माध्यम यह भी है शोधकर्ता द्वारा कुछ अमलई पेपर मील में कार्यरत् तथा नेपानगर में अखबारी कागज मील में कार्यरत् श्रमिको सें बात–चीत करके भी तथ्य, एवं आकडे एकत्रित करने का शोधकर्ता द्वारा प्रयास किया गया है। तथा संकलन का यह स्त्रोत भी वर्तमान समय में बहुत उपयोगी प्रमाणित हुआ है। विशेशकर महानगरों में जहाँ अनुसंधानकर्ता सरलता से उत्तरदाताओं के पास नहीं जा सकता, टेलीफोन, मोबाईल फोन, के माध्यम से भी आकड़ों कों एकत्रित किया गया है। जिसमें चुने हुए व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करके श्रमिकों के आर्थिक विकास का अध्ययन किया गया है। उत्तरदाता ओर शोधकर्ता कें बीच कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क न होने के कारण इस माध्यम को भी तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्त्रोत माना जाता है। इस स्त्रोत के द्वारा भी तुलनात्मक रूप से कम समय में बहुत अधिक व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है लेकिन इन सूचनाएँ की प्रमाणिकता अक्सर संदेहपूर्ण होती है। अनुसंधानकर्ता भी टेलीफोन, मोबाईल आदि द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जिन निश्कर्शों कों प्रस्तुत करता, उनका सत्यापन करना सम्भव नहीं होता क्योंकि यह सूचनाएँ लिखित रूप में नहीं होती है।

(द) प्रतिनिधि प्रविधियां (Panel Techniquies):– वर्तमान समय में आकडों को एकत्रित करने के लिए प्रतिनिधि प्रविधि को भी एक प्रमुख स्त्रोत कें रूप में मान्यता दी जाती है। व्यवहारिक रूप सें अधिकांश समाजों में रेडियो, टेलीविजन तथा टेलीफोन की सुविधा इतनी कम होती है कि इनकी सहायता से कोई विशेष अध्ययन कर सकना बहुत कठिन होता है। इसके बाद भी यदि अध्ययन का क्षेत्र बहुत बडा हो तो प्रतिनिधि प्रविधि के द्वारा तथ्यों का संग्रह सफलता पूर्वक किया जा सकता है। यह वह प्रविधि है जिसके अन्तर्गत एक बड़े समूह में से कुछ विशेष व्यक्तियों अथवा सूचना देने वाले दलों का चयन करके उनके द्वारा दी गयी जानकारी को ही सम्पूर्ण समाज की प्रविनिध जानकारी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। सूचना देने वाले यह वह व्यक्ति अथवा कमेटी होते हैं जो या तो अपने समूह का प्रतिनिधित्व करते है अथवा उन्हे अपने समूह के लोगों को मनोवृत्तियों, विचारों और रुचियों का बहुत ज्यादा जानकारी होती है। ऐसे लोगों को अधिकतर एक डायरी दे दी जाती है जिससे वे अध्ययन विषय से संबंधित विचारों को ज्ञात करके उन्हे अपने डायरी में लिख लेते हैं। बाद में यह जानकारी शोधकर्ता को दे दिया जाता है। शोधकार्य में इस विधि का प्रयोग किया गया है एवं श्रमिकों के आर्थिक विकास सें संबंधित जानकारी एकत्रित किया गया है। इसके फलस्वरूप शोधकर्ता को कम समय में ही व्यापक क्षेत्र से बहुत अधिक सूचनाएँ प्राप्त हो जाती है। परिवर्तनशील दशाओं से संबंधित तथ्यो का संकलन करने के लिए यह स्त्रोत बहुत प्रमाणिक और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। इसके बाद

भी इस प्रविधि अथवा माध्यम का दोष यह है कि यदि प्रतिनिधी व्यक्तियों अथवा कमेटी का चयन त्रुटिपूर्ण हो जाती है तों अक्सर उपयोगी तथ्यों का संकलन नही हो पाता।

वास्तविकता यह है कि तथ्य संकलन के अप्रत्यक्ष माध्यम केवल उन्ही शोध विषयों में उपयोगी है जो भौतिक क्षेत्र में बहुत विकसित है। भारत जैसे देश में आज भी प्राथमिक तथ्यों कें संकलन के लिए प्रत्यक्ष माध्यम ही आर्थिक उपयुक्त है। वास्तव में तथ्य संकलन के प्रत्यक्ष माध्यम केवल उपयोगी तथ्य ही प्रदान नहीं करते बल्कि अनुसंधानकर्ता ही पक्षपातपूर्ण (निष्पक्ष) मनोवृत्ति पर नियंत्रण लगायें रखने में भी सहायक सिद्ध होते है। इस आधार पर भी प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए अप्रत्यक्ष स्त्रोंतों की अपेक्षा प्रत्यक्ष स्त्रोत को भी अधिक उपयुक्त समझा जाता है।

(2) द्वितीय आकड़ो का संकलन– ऐसे समंक जिनका संकलन किया जा चुका है और सार्वजनिक रिपोर्टों, अभिलेखों अथवा अन्य जगह उपलब्ध है, द्वितीय समंक कहलाते हैं। ये वे समंक होते है जो मौखिक रूप से संकलित नहीं किये जाते बल्कि प्रकाशित एवं अप्रकाशित माध्यमों से प्राप्त किये जाते हैं द्वितीय आकड़े होते हैं। अन्य शब्दों में किसी अन्य शोधकर्ता द्वारा संकलित, विश्लेषित, तथा प्रकाशित सांख्किीय सामग्री द्वितीय समंक कहलाती है। उस सांख्यिकीय सामग्री में सम्बंधित समंको का प्रयोग अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा भी किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से पुस्तक, पत्र–पत्रिकाओं शोध–पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि आकड़ों को एकत्रित करने का माध्यम है। कुछ बिंदु के माध्यम शोधकर्ता ने विषय से सम्बंधित जानकारी एकत्रित की है–

1. विविध समितियों और आयोगों के द्वारा प्रकाशित अध्ययन किया गया तथा प्रकाशनों से जानकारियों का संकलन किया गया।
2. श्रम कार्यालयों से जानकारी प्राप्त की गयी।
3. श्रम संगठनों द्वारा समय–समय पर प्रकाशित सामग्री का अवलोकन एवं निरीक्षण।
4. श्रम अर्थशास्त्र एवं औद्योगिक संबंध पर लिखित एवं प्रकाशित ग्रन्थों का अवलोकन कर प्राप्त जानकारी का संकलन एवं विश्लेशण।
5. नियतकालिकाओं में प्रकाशित विभिन्न लेख एवं समाचारों की सहायता से प्राप्त जानकारी का संकलन।

1. व्यक्तिगत प्रलेख (Personal Documents)– व्यक्तिगत प्रलेखों के अन्तर्गत वह समस्त लिखित सामग्री सम्मिलित की जाती है जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने विषय में अथवा सामाजिक घटनाओं कों एक विशेष दृष्टिकोण से देखकर प्रस्तुत की जाती है। ऐसे लिखित सामग्री को सदैव प्रकाशित होना आवश्यक नहीं होता बल्कि यह पाण्डुलिपियों, पत्तों अथवा डायरियों के रूप में अप्रकाशित भी हो सकती है। अनेक परिस्थितियों में व्यक्तिगत प्रलेखों के अन्तर्गत एक व्यक्ति के निजी विचारो, आदर्शों मूल्यों तथा भावनाओं का भी समावेश हो

सकता है। इसके बाद भी व्यक्तिगत प्रलेख इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते है कि इनके द्वारा एक विशेष अवधि में व्यक्तियों के रहन–सहन, चिन्तन व्यवहार–प्रतिमानो तथा सामाजिक मूल्यों का समझना सम्भव हो जाता है। परिभाषित से व्यक्तिगत प्रलेख की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जॉन मैज ने लिखा है कि "व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी कार्यों, अनुभवों के बारे मे स्वयं लिखा गया एक वर्णन है" लगभग इसी आधार पर जहोदा का कथन है कि "द्वितीय स्त्रोतों कें अन्तर्गत उन सभी प्रलेखों को सम्मिलित किया गया है जो साधारणतया सूचनाओ के व्यक्तिगत जीवन के आधार पर स्वयं उन्ही के द्वारा लिखे गये होते है तथा जिनमें उनके निजी अनुभवों का समावेश होता है" इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिखे गयें प्रलेख सामाजिक शोध का एक महत्वपूर्ण द्वितीयक माध्यम होते हैं। इन प्रलेखों को भी निम्नांकित चार भागो में विभाजित किया जा सकता है–

(क) जीवन इतिहासः– जीवन इतिहास एक ऐसा व्यक्तिगत प्रलेख है जिसे संकलन के द्वितीय माध्यम के रूप में बहुत महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है। इसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जॉन मैज ने लिखा है कि "वास्तविक अर्थ में जीवन इतिहास शब्द का आशय किसी व्यापक आत्मकथा से होता है। परंतु सामान्य अर्थो में इसका प्रयोग किसी भी जीवन संबंधी सामग्री के लिये किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि जीवन इतिहास चाहे किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा गया हो अथवा एक व्यक्ति कि जीवन की घटनाओं की व्याख्या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की गयी हो यह तथ्य संकलन का एक प्रमुख द्वितीय स्त्रोत है। जीवन इतिहास के अन्तर्गत कुछ प्रमुख व्यक्तियों अथवा महापुरुषों के जीवन की विशिष्ट घटनाओं का संकलन मात्र नही होता बल्कि इसके द्वारा एक विशेष समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक घटनाओं को समझना भी सम्भव हो जाता है। जीवन इतिहास मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं–

स्वाभाविक आत्मकथाएँः– किसी व्यक्ति अथवा सरकार द्वारा प्रेरित आत्म–अभिलेख तथा संकलित तथा संकलित जीवन इतिहास वास्तव में, जीवन–इतिहास घटनाओं का एक रोचक और उददेश्यपूर्ण वर्णन नहीं होता बल्कि सामाजिक अध्ययनों के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन इतिहास की सहायता से एक समय विशेष की सामाजिक घटनाओं और समस्याओं को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। यह सर्वविदित है कि अनेक समाज सुधारको के जीवन इतिहास से ही सामाजिक अध्ययनकर्ताओं कों हिन्दु समाज में व्याप्त रूढियों और कुरीतियों का व्यापक अध्ययन करने की प्रेरणा मिल सकी। जीवन इतिहास के इस महत्व के बाद भी सामाजिक अध्ययनों में इनके प्रयोग की कुछ सीमाएँ भी है। सर्वप्रथम जीवन इतिहास में एक व्यक्ति को बढा–चढ़ा के प्रस्तुत करने के लिए अक्सर घटनाओं को अतिश्योक्ति के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। जीवन इतिहास यदि किसी राजनीतिक नेता से संबंधित होता है तो उसमें प्रशंसा और

कभी–कभी चाटुकारिता का तत्व बहुत प्रबल हो जाने के कारण ऐसा वर्णन वस्तुनिष्ठ नही रह जाता। अधिकांश आत्मकथाओं के प्रकाशन की सम्भावना होने के कारण लेखक अपने जीवन से संबंधित कमजोरी तथ्यों को अक्सर छिपाने का प्रयत्न करता है। इसके अतिरिक्त, जीवन इतिहास इस दृष्टिकोण से भी एक दुर्बल स्त्रोत है। इसमें सामाजिक तथ्यों की प्रामाणिकता की जाँच नहीं की जा सकती।

(ख) डायरियाँ (Dairies):– डायरी एक ऐसा व्यक्तिगत प्रलेख है जिसमें एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की घटनाओं का आलेखन और विश्लेषण करता है। डायरी यदि निष्पक्ष रूप में लिखी गई हो तो इसमें व्यक्ति के सभी अनुकूल और कटु अनुभवों एवं व्यवहारों का स्पष्टिकरण होता है। डायरी में लिखा गया विवरण गोपनीय होता है, अतः व्यक्ति अपने जीवन के नितान्त गोपनीय और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी इसमें लिपिबद्ध करने में संकोच नहीं करता यही कारण है कि अनेक गोपनीय और आंतरिक तथ्यों कि जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत डायरियों को एक महत्वपूर्ण द्वितीय माध्यम कें रूप में देखा जाता है। इस बारे में जॉन मैन ने लिखा है कि "डायरियाँ सबसे अधिक रहस्योद्घाटन करने वाली होती हैं। क्योकि एक ओर व्यक्ति को इनके जन–साधारण के सामने प्रदर्शित हो जाने का डर नहीं होता तथा दूसरी ओर इनमें घटनाओं और क्रियाओं के घटित होने के समय उनका बहुत स्पष्टता से साथ आलेखन कर लिया जाता है।" द्वितीय तथ्य के संकलन में डायरी का महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि गोपनीय तथ्यों को प्राप्त करने में यह स्त्रोत सबसे अधिक उपयोगी है। डायरी में लिखित तथ्य तुलनात्मक से अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि लेखक में कोई इनके प्रदर्शन की कोई भावना नहीं होती इन लाभों के पश्चात भी तथ्य संकलन के एक स्त्रोत के रूप में डायरियों का सबसे बड़ा दोष यह है कि इनमें लिखित घटनाएं बिल्कुल भी क्रमबद्ध नहीं होती। व्यक्ति तनाव और संघर्ष की स्थिति को डायरी में बहुत विस्तार के साथ नोट कर लेता है जबकि सामान्य दशा में प्राप्त किये गये अनुभवों को वह या तो बहुत संक्षेप में लिखता है अथवा कभी–कभी बिल्कुल ही छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में डायरी से प्राप्त विवरण के आधार पर किसी व्यवस्थित तथ्य को खोज सकना अध्ययनकर्ता के लिए बहुत कठिन हो जाता है।

(ग) वैयक्तिक पत्र (Personal Letters)– व्यक्तिगत पत्रों का लिखा जाना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के एक बहुत सामान्य सी घटना है। लेकिन कभी–कभी इन पत्रों के द्वारा इनमें महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हो जाते है, कि इसके आधार पर अत्यधिक उपयोगी निष्कर्ष देना सम्भव हो जाता है। व्यक्तिगत पत्रों की प्रकृति गोपनीय होती है। इसके फलस्वरूप हम जिन व्यक्तियों को अपने अधिक निकट समझते है, उनके सामने पत्रों द्वारा अपनी भावनाओं, जीवन की विशेष घटनाओं, प्रेम, संघर्श, अनुभवों और योजनाओं को स्पष्ट करने में कोई संकोच नहीं करते। यह ज्ञात है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश के बडे–बडे नेताओं के बीच जो पत्राचार हुआ था, उसके अध्ययन पर आज अनेक महत्वपूर्ण

राजनीतिक घटनाओं को समझ सकना संभव हो जाता है। अनेक सामाजिक विषय ऐसे होते हैं, जिनकी सर्वोत्तम अभिवृत्ति पत्रों में ही होती है। उदाहरण के लिए पारिवारिक तनाव वैवाहिक संबंध, यौनिक मनोवृत्तियां, विवाह विच्छेद पृथक्करण अनवैयक्तिक संबंध आदि इस प्रकार के विषय है जिनसे संबंधित तथ्यों और मनोवृत्तियों को व्यक्तिगत पत्रों की सहायता से सरलता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। वैयक्तिक पत्रों में तुलनात्मक रूप से काफी विश्वसनीयता होती है, क्योंकि पत्र लिखने वाला व्यक्ति उसे कभी भी यह समझ कर नहीं लिखता की किसी विशेष अध्ययन के लिए उसके पत्रों का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद भी सामाजिक अध्ययनों में पत्रों की उपयोगिता बहुत सीमित होती है। इसका कारण यह है कि एक और व्यक्तिगत पत्रों को प्राप्त कर सकना बहुत कठिन होता है, कि किसी पत्रों में लिखे गए विवरण का संदर्भ क्या है। इस स्थिति में केवल आंशिक सूचना आवरण तथ्यों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकना।

(घ) संस्मरण (Memories)– अनेक व्यक्ति अपनी यात्राओं, जीवन के रोमांचक अनुभवों और महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में संस्मरण प्रकाशित करते है अथवा समय–समय पर इन्हें दूसरे लोगो को सुनाते रहते है। वास्तव में इनमें अनेक संस्मरण सामाजिक शोध के लिए शोध तथ्य के संकलन का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत होते है। इस कथन की प्रमाणिकता इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन काल में कोलम्बस, फाहियान, व्हेनसांग तथा मेगस्थनीज जैसे व्यक्तियों द्वारा लिखित संस्मरणों के आधार पर उपयोगी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सका। ब्रिटिश काल में अनेक अधिकारियों द्वारा लिखे जाने वाले जनपद संस्मरण ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर लिखें जाने के बाद भी आज तथ्य संकलन कर महत्वपूर्ण स्त्रोत माने जाते हैं।

इस संस्मरण में एक समय विशेष की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं, भाषा तथा रहन–सहन को समझने में भी यह संस्मरण अत्यधिक उपयोगी होते है। यह सच है कि संस्मरणों में भी क्रमबद्धता का अभाव होने के साथ ही व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना रहती हैं लेकिन तथ्यों का संकलन के एक द्वितीय स्त्रोत के साथ में इनकी उपयोगिकता को अस्वीकार किया जा सकता हैं।

व्यक्तिगत प्रलेखों के उपर्युक्त सभी स्वरूपों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक शोध क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रलेखों का विशेष महत्व है। इनके द्वारा केवल सामाजिक घटनाओं के विषय में ही विस्तृत ज्ञान प्राप्त नहीं होता बल्कि अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दृष्टिकोण और मनोवृत्तियों को समझने में भी इनके पर्याप्त सहायता मिलती है। मनोवैज्ञानिक शोध में ऐसे प्रलेख सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हुए है। व्यक्तिगत प्रलेख के रूप में यदि जीवन इतिहास डायरियों, पत्रों अथवा संस्मरणों के प्रकारन के इरादे से न लिया जाए तो इसका महत्व और भी बढ जाता है। लेखक का उद्देश्य जब अपने द्वारा लिखित तथ्य का प्रकाशन नहीं होता तो ऐसी सामग्री कहीं अधिक विश्वसनीय और

सत्यता के समीप हो जाती है। व्यक्तिगत प्रलेखों के महत्व को स्पष्ट करते हुए मोजर का कथन है कि व्यक्तिगत प्रलेख तब कहीं अधिक मूल्यवान होते है। जब इन्हें संबंधित व्यक्ति से अनुरोध करके प्राप्त न किया जाए। कुछ विशेष सामाजिक सर्वेक्षणो में प्रारंभिक खोजों के स्तर पर यह परिकल्पना का निर्णय करने और शोधकर्ता का मार्ग निर्देशन करने में भी महत्वपूर्ण होते है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत प्रलेखों का महत्व प्राथमिक सूचनाओं का सत्यापन करने से उतना संबंधित नही जितना की किसी अध्ययन के लिए उपयोगी आधार जोड़ने से सामग्री संकलन के द्वितीय स्रोत के रूप में व्यक्तिगत प्रलेखों की अपनी कुछ सीमा भी है।

1. सबसे पहले किसी विशेष व्यक्तिगत प्रलेख को उपलब्ध कर सकना, एक अत्यधिक कठिन कार्य है। इस संबंध में लॉन मैज ने लिखा है कि यह निर्धारित कर सकना बहुत कठिन कार्य है, कि किसी विशेष प्रलेख को कहा से प्राप्त किया जाए। प्रलेख को प्राप्त करने की अनुमति कहा तक विश्वसनीय है।

2. यह समझ सकना भी बहुत कठिन है कि कोई व्यक्तिगत प्रलेख कहां तक विश्वसनीय है।

3. व्यक्तिगत प्रलेखों से प्राप्त तथ्य इतने अव्यवस्थित होते है कि इनमें से उपयोगी सामग्री को प्राप्त कर सकना कभी–कभी असम्भव हो जाता है।

4. अधिकांश वैयक्तिक प्रलेखों में व्यक्तिगत अभिनती का समावेश होता है।

5. वैयक्तिक प्रलेखों से प्राप्त सामग्री का सांख्यिकीय विश्लेषण भी नहीं किया जा सकता। इस संबंध जहोदा का कथन है कि व्यक्तिगत प्रलेख सांख्यिकीय प्रविधियों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिये अधिक उपयुक्त नहीं होते।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत प्रलेख पूर्णतया दोषमुक्त नहीं होते। शोधकर्ता ने व्यक्तिगत प्रलेखों की सीमाओं का ध्यान में रखकर आकडों को एकत्रित किया गया है, तथा इनका उपयोग किया गया हैं जिससे शोध अध्ययन की वस्तुनिष्ठता बनी रहे।

2. सार्वजनिक प्रलेख

सार्वजनिक प्रलेख भी आकडों को संकलन का एक प्रमुख द्वितीय स्त्रोत है। सार्वजनिक प्रलेखों के अंतर्गत ऐसी प्रकाशित तथा अप्रकाशित सामग्री सम्मिलित की जाती है। जिसका संकलन किसी सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्था द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाता है। कभी–कभी कुछ सूचनाएँ यद्यपि वैयक्तिक रूप से संकलित की जाती है। लेकिन इसका उद्देश्य यदि उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रस्तुत करना होता है तो उन्हें भी हम सार्वजनिक प्रलेखों के अंतर्गत सम्मिलित करते है। इस दृष्टिकोण

से अध्ययन की सुविधा के लिए सार्वजनिक प्रलेखों को दी प्रमुख भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया जा सकता है। प्रकाशित प्रलेख तथा अप्रकाशित।

3. समंको का वर्गीरण

संकलित आकडों को किसी गुण के आधार पर समान या असमान का अलग–अलग वर्गो को बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। शोधकर्ता द्वारा अपने शोध कार्यो में वर्गीकरण की सहायता से शोध कार्य किया जाएगा। इसके अंतर्गत श्रमिकों से संबंधित साक्षरता, लिंग, आय, बचत विवाहित स्थिति आदि का वर्गीकरण की सहायता से अध्ययन किया जाएगा। शोधकार्य में वर्गीकरण की प्रकारो को भी शामिल किया।

4. सारणीयन

सारणीयन वर्गीकृत समंको को स्तंभों तथा पंक्तियों में व्यवस्थित रूप में उनकी प्रकृति के अनुसार रखने की एक कला है। अनुसंधान कार्य में समंको के संकलन तथा वर्गीकरण के बाद सारणीयन महत्वपूर्ण क्रिया है। सामान्यतः वर्गीकृत सामग्री को सरल तुलना योग्य सुविधाजनक, आकर्षक तथा संक्षिप्त बनाने हेतु ही सारणीयन किया जाता है। शोधकर्ता द्वारा पेपर मिल्स में कार्यरत श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर अलग–अलग प्रकार से सारणीय किया जाएगा। जिससे श्रमिकों से संबंधित जाति धर्म ग्रामीण, शहरी, पुरुष, महिला आदि का सारणीयन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। शोधकर्ता ने अपने अनुसंधान में चित्रों की सहायता से भी सारणीयन का प्रयोग किया जा सकेगा।

5. सांख्यिकी तकनीक

शोधकर्ता द्वारा पेपर मिल्स में कार्यरत श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक शोध विषय में प्रश्नावली, रेखाचित्र, सारणी, बार चार्ट, पाई चार्ट, वर्गीकरण, सारणीयन, माध्य एवं सहसंबंध का प्रयोग किया गया है।

6. निदर्शन

शोध के दौरान समंको से निष्कर्ष निकालने के लिए सभी समंको को सम्मिलित करना संभव नहीं होता है। शोधकर्ता द्वारा अमलई ओरिएन्ट पेपर मिल से 4 से 5 हजार कर्मचारी श्रमिक कार्य करते है। जिससे सभी प्रकार श्रमिक शामिल है। वहीं अगर अखबारी कागज मिल की बात करे तो नेपा मिल 5000 से 5500 श्रमिक कार्यरत हैं। दोनों मिल्स का कुल श्रमिक में 600 श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाएगा। जिसमें 300 श्रमिक संगठित तथा 300 असंगठित एवं अनुबंध आधारित श्रमिकों को शामिल को किया गया है।

7. अनुसंधान अंतराल

शोधकर्ता द्वारा विभिन्न प्रकार के शोधपत्र, जर्नल, शोधग्रंथ, समाचार पत्र–पत्रिका आदि का अध्ययन करने के बाद श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक का अध्ययन बहुत से शोधकर्ताओं ने अपने अपने विचारों द्वारा शोधकार्य किए। लेकिन ओरिएंट पेपर मिल एवं अखबारी कागज पेपर मिल्स में कार्यरत श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन अभी तक शोधकर्ताओं ने अभी तक अध्ययन नहीं किए है। इसी आधार पर शोधकर्ताओं द्वारा इस विषय का चयन किया गया है, एवं शोधकार्य करने की कोशिश की गई है।

8. शोध का क्षेत्र

शोधकर्ता द्वारा सीमित क्षेत्रों में अध्ययन किया जायेगा। जिसके अंतर्गत अमलई पेपर मिल एवं अखबारी कागज मिल के कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना है। में श्रमिक केवल पेपर मिलों का कार्य करने वालों को बस शामिल किया गया है।

9. शोध की सीमाएँ

शोधकर्ता द्वारा दोनों पेपर मिलों में ठेकेदारी के आधार पर कार्यरत श्रमिक अनुबंध आधारित श्रमिक, दैनिक आधारित श्रमिक तथा मिल्स में पंजीकृत (संगठित श्रमिक) एवं असंगठित श्रमिकों की आर्थिक विकास का अध्ययन करना है ।

10. शोध का प्रस्तुतीकरण (Research Prasentation)

शोधकर्ता द्वारा अपने शोध कार्य को शोध के उद्देश्य एवं परिकल्पनाओं के आधार पर निम्नांकित अध्यायों में विभाजित किया गया है:–

अध्याय–1 प्रस्तावना एवं विषय परिचय

अध्याय–2 साहित्य समीक्षा

अध्याय–3 शोध प्रविधि

अध्याय–4 पेपर मिल में कार्यरत् श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति।

अध्याय–5 दोनों मिलों में कार्यरत श्रमिकों का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन।

अध्याय–6 (A) शोध परिकल्पनाओं का सत्यापन।
(B) शोध कार्य की समस्याएँ
(C) निष्कर्ष एवं सुझाव
(D) सुझाव

अध्याय–4

पेपर मिल्स में कायरत श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति

4.1 श्रमिकों से आशय

4.2 श्रमिको के प्रकार (संगठित श्रमिक एवं असंगठित श्रमिक)

4.3 श्रमिकों से संबंधित सरकारी योजनाएं

4.4 श्रमिक अधिनियम एवं नियमन

4.5 पेपर एवं अखबारी कागज मिलों में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति

4.5.1 दोनो मिलों में श्रमिक स्थिति
4.5.2 मजदूरी के आधार पर
4.5.3 शिक्षा के आधार पर
4.5.4 श्रमिकों की मासिक आय के आधार पर
4.5.5 श्रमिक पारिवारिक प्रति व्यक्ति औसत आय के आधार पर
4.5.6 आर्थिक विकास में उद्योगों की भूमिका
4.5.7 उद्योगों में कार्यबल का वितरण

4.6 पेपर एवं अखबारी कागज मिलों में कार्यरत श्रमिकों की सामाजिक स्थिति।

4.6.1 श्रमिकों के आयु के आधार पर
4.6.2 सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आवंटन
4.6.3 कमजोर वर्गों के लिए बजट आवंटन
4.6.4 श्रमिकों की मादक पदार्थों के उपयोग के आधार पर
4.6.5 व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर
4.6.6 श्रमिक की मनोरंजन के आधार पर
4.6.7 श्रमिकों की सामाजिक स्थिति एवं शिक्षा के आधार पर
4.6.8 श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थिति

4.7 पेपर एवं अखबारी कागज मिलों में असंगठित श्रमिकों की स्थिति

4.7.1 असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति
4.7.2 सामाजिक सुरक्षा योजना की स्थिति
4.7.3 असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी प्राप्त करने को स्त्रोत
4.8 पेपर मिल्स में कार्यरत श्रमिकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियां

अध्याय–4

पेपर मिल्स में कार्यरत् श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति

पेपर मिल्स में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए श्रमिकों की आर्थिक पृष्ठभूमि को समझना होगा, श्रमिकों के आर्थिक स्थिति को समझने के लिए शोधकर्ता अलग–अलग मापदण्डों के अध्ययन पर इसे विस्तारित किया गया है। शोधकर्ता द्वारा आर्थिक परिदृश्य को कुछ बिन्दुओं में बाँटकर अध्ययन किया गया है। चूंकि शोधकर्ता का अध्ययन केन्द्र, दोनों मिलो में ठेकेदारी, दैनिक मजदूरी तथा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों का अध्ययन करना है इसलिए उनकी आर्थिक परिदृश्य को कुछ भागों में बांटकर शोध कार्य किया गया है जिसमें आगे आर्थिक परिदृश्य को इंगित किया गया है जिसके अन्तर्गत को शामिल किया गया है–

1. मजदूरी के आधार पर वर्गीकरण
2. परिवार के अन्य सदस्यों की आय
3. श्रमिक परिवार के प्रतिव्यक्ति औसत आय
4. पैतृक सम्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण
5. शिक्षा के आधार पर
6. व्यवसाय के आधार पर
7. समय के आधार पर आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण

उपरोक्त सभी क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता द्वारा श्रमिकों की आय का अध्ययन किया गया हैः–

किसी भी व्यक्ति के जीवन में आय का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है आय से ही व्यक्ति की अच्छी शिक्षा, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं रहन–सहन का स्तर को सुधारा जा सकता है। जिसके पास शिक्षा की कमी होती है उसे आय अर्जित करना बहुत ही कठिन कार्य करना होता है। क्योंकि आय मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है।

वास्तव में देखा जाए तो आय ही वह धुरी है जिसके चारो ओर सम्पूर्ण श्रम समस्याएँ एवं अर्थशास्त्र केन्द्रित है। मनुष्य का जीवन स्तर, कार्य क्षमता, दृष्टिकोण सामाजिक प्रतिष्ठा आदि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति आय प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है। दोनो मिलो में भी ठेकेदारी एवं दैनिक मजदूरी के अन्तर्गत कार्यरत् श्रमिक कार्य करके अपना एवं परिवार का जीवन यापन चला रहे हैं चाहे वह उत्पादन कार्य में लगे चाहे व्यवसाय में अथवा सेवाओं में, मिलों में श्रमिक अधिकतर ऐसे कार्य करते हैं या

कार्य कराये जाते जिससे श्रमिकों के मानसिक विकास न होकर औद्योगिक इकाइयों का विकास होता है और श्रमिक वही का वही रह जाता है। यही कारण है कि आजादी के 75 सालों के बाद भी श्रमिकों की स्थिति जस का तस बनी हुई है। श्रमिकों को अपनी आय के रूप में बस दैनिक मजदूरी ही प्राप्त होती है। भारतवर्ष एक श्रम प्रधान देश है, जिसमें श्रम बाहुल्य कृषि क्षेत्रों से औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने आते है। इस स्थिति से श्रमिकों को शहरी जीवन में स्वयं को पुर्नप्रतिष्ठित करने की चुनौती होती है। यदि पेपर मिलों में श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जा सके तो श्रम की उत्पादकता बहुत अधिक हो जायेगी।

प्रस्तुत अध्याय में श्रमिकों की आय के बारे में विचार किया गया है जो कि उन्हे मजदूरी द्वारा प्राप्त होती है। मजदूरी का श्रमिकों की दृष्टि से बहुत महत्व है।

डॉ0 भगोलीवाल के शब्दों में– "समाज में श्रमिकों की सापेक्षिक स्थिति उद्योग से उनका लगाव एवं प्रबंधको के प्रति उनका दृष्टिकोण उनका नैतिक स्तर एवं उत्पादकता के प्रति उनमें प्रेरणायें उनका जीवन स्तर तथा वास्तव में उनके जीवन स्तर तथा वास्तव में उनके जीवन बिताने का ढंग सभी मजदूरियां द्वारा निश्चित होते हैं।"

चूंकि मजदूरी का बहुआयामी महत्व है। अतः यह आवश्यक है कि मजदूरी संबंधी नीति का निर्धारण सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था अनिवार्य एवं उचित प्रतीत होती है। न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को समझते हुए उचित मजदूरी समिति का गठन किया जाना चाहिए। मजदूरी की बात करने के पहले आइये जानते है कि पेपर मिलों में श्रमिक का आशय है।

4.1 श्रमिकों से आशय

श्रम शब्द का प्रयोग कई अर्थो में किया जाता है अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में परिभाषित करे तो किसी भी शारीरिक या मानसिक कार्य को श्रम कहते है और जो व्यक्ति ये कार्य करते हैं उन्हे हम श्रमिक कहते है। जो अपना जीवन यापन तथा मुद्रा की प्राप्ति के लिए किया जाता हैं। श्रम के क्षेत्र में राज्य सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि श्रमिकों के अधिकारों और न्यूनतम मजदूरी दर में इस प्रकार वृद्धि हो ताकि वह सतत् विकास के लक्ष्य–8 के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

मार्शल के अनुसार–श्रम को कार्य से प्रत्यक्ष रूप से मिलने वाले आनन्द या सुख के रूप में नही, अपितु आंशिक या पूर्ण रूप से किसी (आर्थिक) लाभ की दृष्टि से किये जाने वाले किसी मानसिक या शारिरिक कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

श्रम समस्याओं पर विचार करते समय 'श्रम श्रमिक, कामगार' पर कर्मचारी शब्द का प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में किया जाता है जिसका अर्थ है मजदूरी पर काम करने वाले व्यक्ति

श्रमिक को जीविका चलाने का उनकी श्रम शक्ति अर्थात मानसिक या शारिरिक कार्य करने की योग्यता के अलावा कोई अन्य पर्याप्त स्त्रोत नहीं होता है।

इस श्रम शक्ति के उपयोग के बदले में उन्हें मजदूरी (या वेतन) मिलती है। श्रम को अलग–अलग संगठनों ने भी परिभाषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार– श्रम मानकों का उद्देश्य विश्वभर में स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और गरिमा की स्थिति में सुलभ, उत्पादक और टिकाऊ काम सुनिश्चित करना है।

ये परिभाषा तो संगठित क्षेत्रों में जो श्रमिक है जिसमें सरकार, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों और निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नियोजित श्रमिक शामिल है अब हम देखते हैं कि असंगठित श्रमिकों की परिभाषा क्या है। अगर हम भारत की बात करे तो 94प्रतिशत असंगठित श्रमिक सभी क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करे तो असंगठित क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या मे से खेतीहार मजदूरों का संख्या 1.21 करोड़ पारिवारिक उद्योगकर्मी 9.59 लाख एवं अन्य 85.78 लाख थी। इसके अतिरिक्त काश्तकारों की संख्या 98.44 लाख थी। (स्त्रोत– असंगठित श्रम सेवा पोर्टल)

आइये देखते है कि पूरे भारत में श्रम की क्या स्थिति है भारत में श्रम का तात्पर्य भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार से है।

सन् 2020 में भारत में लगभग 501 मिलियन श्रमिक थे जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। जिसमें अलग–अलग क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे है। जिसमें से कृषि उद्योग में 41.19%उद्योग क्षेत्रों में 26.18%और सेवा क्षेत्रों में 32.33%है।

संगठित श्रमिक

संगठित श्रमिक वह श्रमिक कहलाते है जिनका किसी संस्था/सरकारी नियोजित संस्थाओं में व्यवस्थित तथा नियम पूर्वक पंजीकृत होते है जिनका कार्य करने का तरीका किसी अधिनियम में वर्णित होता है। जो सरकार के अधीन कार्य करते हैं जिनको सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है तथा ये श्रमिक अपने कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्व का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करते है। दूसरे शब्दों में कहे तो जिन्हे असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अन्तर्गत परिभाषित नहीं किया गया हो संगठित श्रमिक कहलाते हैं। औद्योगिक स्थल में संगठित श्रमिकों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला कुशल श्रमिक दूसरा अर्द्ध–कुशल श्रमिक तथा तीसरा अकुशल श्रमिक इन्हीं श्रमिकों से औद्योगिक इकाइयों में कार्य की रूप रेखा तैयार की जाती है। संगठित श्रम का मुख्य उद्देश्य वर्ग की स्थितियों और आर्थिक शक्ति में सुधार करना है। संगठित श्रमिक यूनियन ने अपने सदस्यों की ओर से उच्च वेतन, बेहतर लाभ या समाप्ति से सुरक्षा के

लिए बातचीत कर सकती है। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों (स्थल) में वे विषयकों और राजनेताओं के साथ बेहतर श्रम कानूनों की पैरवी भी करते हैं। संगठित श्रम को औद्योगिक उद्योगों में श्रमिकों के लिए उच्च मजदूरी, काम के घण्टे और बेहतर लाभ का श्रेय भी दिया जाता है। अधिकांश देशो में संघगठन को एक सरकारी एजेंसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जैसे संयुक्तराज्य अमेरिका में राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड (एन एल आर बी) कई कम्पनियां श्रमिकों को यूनियनों में शामिल होने से हतोत्साहित करने की कोशिश करती है क्योंकि इससे श्रम की लागत बढ़ जाती है।

संगठित श्रम श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। प्रबंधको का दावा है कि संघीकृत उद्योगों में श्रमिक आमतौर पर उच्च वेतन, लंबी छुट्टियों और उन लोगों की तुलना में बेहतर लाभ का आनंद लेते हैं जिनका संघ द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी संघ के सदस्य नहीं है, उन्हें भी संघ गतिविधि के परिणामस्वरुप अधिक वेतन मिलता है। नियोक्ताओं ने संघीकरण के प्रयासों का जमकर विरोध किया, श्रमिकों को संगठित होने से रोकने के लिए अक्सर हड़ताल तोड़ने वाली और तालाबंदी का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में सरकार और पुलिस अधिकारियों ने श्रमिक अशांति को दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया करते है। अतः संगठित श्रम आठ (8) घण्टे का दिन, सवैतनिक सप्ताहांत और नौकरी सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण सुधार करने में सक्षम रहा है।

औद्योगीकरण के शुरुआती दिनों में कर्मचारियों के लिए सप्ताह के सातों दिनों में काम पर रहना, बारह या चौदह घंटे की शिफ्ट में काम करना असामान्य नहीं था। चूंकि श्रमिकों को आसानी से बदला जा सकता था, इसलिए वे बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग नहीं कर सकते थे और काम पर घायल होने पर अक्सर उन्हें निकाल दिया जाता था। बाल श्रम, वेतन चोरी और अन्य अनुचित प्रथाएं भी आम थी। इस प्रकार औद्योगिक इकाइयों में संगठित श्रमिकों की संघर्षशील जीवन की प्रधानता रहती है।

असंगठित श्रमिक

असंगठित श्रमिक से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो प्रत्यक्षतः या किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से एक या अधिक अनुसूचित नियोजन में लगा हुआ, चाहे मजदूरी के लिये हो या बिना मजदूरी के लिए असंगठित श्रमिक कारखाना अधिनियम 1948 में नही आते हैं।

असंगठित उद्योगों में सलंग्न श्रमिकों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि इनका क्षेत्र अत्यंत व्यापक व विस्तृत रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल

कार्यशील जनसंख्या 3.15 करोड़ थी जिसमें से 90 प्रतिशत है से अधिक कार्यशील जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत थी।

4.2 श्रमिकों के प्रकार

श्रम शक्ति किसी भी समाज का भौतिक आधार होती है। पेपर मिलों में श्रमिकों का निम्नांकित प्रकार से विभाजित किया गया है जिससे मिलों में काम करने में आसानी होती है ये वे श्रमिक निम्न हैः—

1. **अकुशल श्रमिक**—अकुशल श्रमिक वह होता है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सरल कर्तव्यों का प्रदर्शन निष्पादन शामिल होता है, जिसके लिए किसी पिछले अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यवसायिक वातावरण सें परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार उनके काम के लिए शारीरिक परिश्रम के अलावा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे (लुगदी प्रक्रिया) या कच्ची सामग्री से परिचित होने की आवश्यकता हो सकती है। पेपर उद्योग या मिल में चपरासी, हेल्पर, स्वीपर, चौकीदार, पेपर मिल की रद्दी छांटने वाला आदि अकुशल श्रमिक हैं।

2. **अर्धकुशल श्रमिक**—एक अर्धकुशल श्रमिक वह है जो सामान्य रूप से परिभाषित है तथा नियमित प्रकृति का काम करता है जिसमें प्रमुख आवश्यकता निर्णय और कौशल की इतनी अधिक नहीं होती है। इस प्रकार उनका काम सीमित दायरे में नियमित संचालन के निष्पादन तक ही सीमित है। पेपर मिलो में कलर पेपर अलग करने वाला ऑपरेटर, मशीनों पर ग्रीशिंग, ऑइल करने वाला व्यक्ति, पेपर पैकिंग श्रमिक आदि अर्धकुशल श्रमिकों के रूप में जाना जाता है।

3. **कुशल श्रमिक**—कुशल श्रमिक एक कुशल कर्मचारी वह है जो काफी स्वतंत्र निर्णय लेने और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कुशलतापूर्वक काम करने में सक्षम है। उसे उस व्यापार, शिल्प या उद्योग का सम्पूर्ण और व्यापार की जानकारी होना चाहिए जिसमें वह कार्यरत् है, पेपर मिलों में मशीन चालक, चेकर, डिजाइन देने वला कर्मचारी आदि कुशल श्रमिक के रूप में जाने जाते है।

4. **अत्यधिक कुशल श्रमिक**—एक अत्यधिक कुशल श्रमिक वह है जो किसी भी काम जो उसके विषय से संबंधित हैं, कुशलता से काम करने में सक्षम एवं परिपक्व है। और कुशल कर्मचारियों के काम का कुशलता से पर्यवेक्षण करता है। जिसके अन्तर्गत पेपर प्रिंटिग मशीन चलाने वाला, डिजाइनर, आदि अत्यधिक कुशल श्रमिकों के रूप में जाना जाता है।

4.3 श्रमिकों से संबंधित सरकारी योजनाएँ

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में निवास करने वाले नागरिकों को एक बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही है। इन योजनाओं में राज्य के असंगठित क्षेत्रो में आने मजदूरों के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएँ है, जिनका लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक के पास श्रमिक कार्ड होना अनिवार्य होता है। इस श्रमिक कार्ड को श्रम विभाग, मध्य प्रदेश के द्वारा राज्य के उन नागरिकों के लिए जारी किया जाता है जो प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार इस कार्ड के माध्यम से प्रदेश के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने कि लिए ही श्रमिक कार्ड जारी करती है। सरकार द्वारा मजदूरों के लिए कार्ड जारी करने का मुख्य उद्देश्य प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करने वाले बेसहारा श्रमिकों को म. प्र. राज्य में आयोजित होने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर मजदूरों, नागरिकों की स्थिति में सुधार आयेगा और वह आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनेगें। जिससे उन्हे एक बेहतर और सुखमय जीवन प्राप्त होगा जिसके बाद उन्हे अपना जीवन यापन करने के लिए किसी पर निर्भर रहना नहीं पडेगा।

आइये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिए कौन–कौन सी योजनाएँ संचालित है–

- **मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल)**–माननीय मुख्यमंत्री द्वारा असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना प्रारम्भ की गई।योजनांतर्गत अंत्येष्टि सहायता (पांच हजार), सामान्य मृत्यु सहायता (2 लाख), दुर्घटना मृत्यु सहायता (4 लाख) आंशिक दिव्यागंता सहायता (1 लाख) एवं स्थायी दिव्यांगता सहायता योजना (2 लाख) की सहायता राशि दी जाती है। योजना में सरलीकरण तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना 16 मई 2022 को प्रारम्भ किया गया है। योजना के लाभ निम्नांकित है–
    - बच्चो के लिए शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन
    - दुर्घटनाग्रस्त लोगो कों स्वास्थ्य बीमा
    - तय सीमा तक बिजली बिल माफी
    - बेहतर कृषि के उपकरण प्रदान करना
    - अंत्येष्टि सहायता प्रदान करना
    - निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल
    - प्रदेश की श्रमिक कार्ड धारी गर्भवती महिलाओं को प्रसूती सहायता राशि दी जाती है।

- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना**—असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक बहुत ही प्रभावी योजना है इसके अन्तर्गत निर्माण श्रमिको और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को वृद्धावस्था सुरक्षित करने में मदद की जाएगी इस योजना के अन्तर्गत सरकार श्रमिकों को पेंशन की गारंटी देती है, इस योजना में आप केवल 2 (दो) रूपये प्रतिदिन की बचत करके सालाना 36000 रूपये पेशन प्राप्त कर सकते हैं।

- **मातृत्व लाभ योजना**—इसमें पंजीकृत महिला श्रमिकों की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्य होने पर, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और शर्तो को पूरा करने पर प्रसूती लाभ दिया जाता है।

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना**—इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के लिए सरकार नें राष्ट्रीय बीमा योजना संचालिज कर रही है। इस योजना का उद्देश्य BPLश्रेणी से संबंधित गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्र के श्रमिको को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। और उनके परिवार के सदस्य भी इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी होंगे इस योजना की शुरूआत 1अप्रैल 2008 से शुरू किया गया यह योजना सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में लागू होगा।

- **आयुष्मान भारत योजना**—आयुष्मान भारत या "स्वस्थ (Health)भारत" सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इस योजना को ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं।

- **बंधक श्रमिक योजना**—श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवीन बंधक श्रम पुनर्वास योजना, मई 2021 से लागू की गई है। जो 27.01.2022 से प्रभावशील है। इस योजना में शत—प्रतिशत अंश भारत शासन द्वारा वहन किया जाता है।
  * पुनर्वास सहायता राशि वयस्क पुरुष हितग्राहियों हेतु रूपये 1.00 लाख है।
  * स्पेशल कैटेगरी के हितग्राहियों यथा अनाथ बच्चे एवं महिलाओं हेतु पुर्नवास सहायता राशि रूपये 2.00 लाख होगी।
  * ऐसे बंधक श्रमिक जिनका शारिरिक शोषण अथवा मानव तस्करी से मुक्त कराया गया हो उनके लिए पुनर्वास सहायता राशि रूपये 3.00 लाख होगी।
  * प्रत्येक 3 साल में ऐसे जिले जो बंधक श्रमिकों के नियोजन की दृष्टि से संवेदनशील हैं वहां सर्वेक्षण कराये जाने हेतु प्रत्येक जिला 4.50 लाख भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।

* राज्य शासन द्वारा बंधक श्रमिक प्रथा के उन्मूलन हेतु जागरूकता अभियान चलाये जाने की स्थिति में भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकतम राशि रुपये 10.00 लाख प्रदाय की जायेगी जिसमें 50 प्रतिशत राशि अग्रिम के तौर पर देय होगी।

इसी प्रकार भारत सरकार एवं राज्य सरकार की श्रमिकों से संबंधित लगभग 25 योजनाएँ संचालित है।

4.4 श्रमिक अधिनियम एवं नियम

श्रमिकों से संबंधित कुछ अधिनियम एवं नीतियों हैं; जिसका श्रमिक एवं निर्माणी संस्था को ईमानदारी से पालन करना चाहिए जिससे कम से कम श्रमिक एवं निर्माणी संस्था में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तथा सभी कार्य सुचारू रूप से चलाते रहें। वर्तमान समय में श्रमिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अधिकारों एवं कर्तव्यों के लिए ही केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने समय समय पर अनेक अधिनियम एवं नियम लागु किये है जिससे श्रमिक अगर साक्षर हो या निरक्षक (अनपढ़) सभी के लिए निर्माणी संस्थाएँ नियम लागू करती है इन्हीं अधिनियम एवं नियम की चर्चा करेगें जो निम्नांकित है–

- **कारखाना अधिनियम 1948**

  श्रमिक अपने पूरे जीवन का लगभग एक चौथाई भाग कारखाने में व्यतीत करते हैं। अतः उसे अपने जीवन तथा स्वास्थ्य की यथोचित रखने के लिए उचित दशाओं की मांग करने का प्रत्येक अधिकार है। दुर्भाग्य से औद्योगीकरण की शुरूआती अवस्था में श्रमिकों को केवल मशीनों का सहायक मात्र ही समझा जाता था। प्रत्येक नियोक्ता अपने दायित्व श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि की रक्षा व काम की दशाओं में सुधार के प्रति उदासीन थे। अतः सरकार को कारखाना अधिनियम 1948 लाना पड़ा। भारतीय कारखाना अधिनियम स्वतंत्रता के बाद पारित एक प्रमुख श्रम–विधान है। कारखाना अधिनियम में निम्नांकित प्रावधान किये गए है–

1. कारखाना में नियोजित कामगारों के स्वास्थ्य कल्याण को बढावा व पर्याप्त सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करना।

2. कारखाना बनाने से पूर्व नियोजन के अनुमोदन एवं प्रावधानों के माध्यम से अव्यवस्थित विकास को रोकना।

3. कारखाना अधिनियम में कारखाने में खतरनाक कार्य, दुर्घटना आदि की दशा में विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया जाना साथ ही स्त्री व बालक श्रमिकों की

नियुक्ति में निर्षद्ध करना। खतरनाक कार्य में लगे श्रमिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जायेगा एवं सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जायेगी।

4. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 42 एवं 50 में श्रम कल्याण संबंधी भी प्रावधान करना जिसके अन्तर्गत प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, भोजन कक्ष, विश्राम कक्ष, शिशु सदन आदि का प्रावधान करना।

5. कारखाना अधिनियम 1948, 1 अप्रैल 1949 को लागू किया गया तथा समय–समय पर इसमें संशोधन भी किया गया।

- **मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 (Wages Payment Act 1936)**

राष्ट्रीय उत्पादन में श्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। श्रमिकों की कुशलता पर ही उत्पादन की किस्म व मात्रा निर्भर करती है कुशलता बहुत कुछ अंश तक श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी पर निर्भर करती है कई शताब्दियों तक श्रमिको की उपेक्षा की गयी। एक ओर तो उन्हें मजदूरी कम मिलती थी और दूसरी ओर उसका भुगतान भी समय पर नहीं किया जाता था कारखाने के स्वामी श्रमिकों की मजदूरी में से अपनी इच्छानुसार कटौती कर लेते थे और श्रमिकों पर अनावश्यक रूप से जुर्माना आदि करते थे। इसलिए मजदूरी के भुगतान संबंधी अधिनियम की आवश्यकता 20वीं शताब्दी में तीव्र रूप से अनुक्रीय (लागू) की गयी। उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए 1933 में विधान सभा में मजदूरी भुगतान बिल पेश किया गया। यह बिल 1936 में पास हो गया जिसे मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में पास हो गया जिसे मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 कहा जाता है, ये अधिनियम पूरे भारतवर्ष में 28 फरवरी 1937 से प्रभावी हुआ। इसके बाद इस अधिनियम में समय–समय पर कई बार संशोधन किया गया।

इस अधिनियम में मजदूरी के शीघ्र भुगतान व नियमित भुगतान को सुनिश्चित करने और तिहाड़ी मजदूरों पर मनमाने जुर्मानें और उनकी मजदूरी में कटौती को रोककर उन्हें शोषण से बचाना।

- **औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947**

वर्तमान औद्योगिक युग में औद्योगिक अशांति मध्य प्रदेश एवं देश की समस्या है। औद्योगिक अशांति तब उत्पन्न होती है जब प्रबंधक एवं श्रमिकों में नीतियों एवं नियम से संबंधित मतभेद होते हैं। औद्योगिक विवाद के वजह से ही वर्तमान समय में हड़ताल एवं तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न होती है साथ ही आज के समय में बहुत अधिक गंभीर रूप धारण कर रही है। ये अधिनियम औद्योगिक संघर्षो को कम करने व समाप्त करने तथा विभिन्न तंत्र की व्यवस्था करता है। अधिनियम का

उद्देश्य औद्योगिक शांति बनाए रखना तथा श्रमिकों और प्रबंधकों (नियोक्ताओं) के संबंध में सुधार करना है।

विशेषताएँ:—औद्योगिक विवाद अधिनियम की निम्नांकित विशेषताएँ है—

1. हड़ताल व तालाबंदी में भाग लेने वाले व्यक्तियों के संरक्षण की व्यवस्था की गई।
2. विवाद उत्पन्न न हों इसके लिए कार्यशाला समितियों की व्यवस्था की गई।
3. अवैध हड़ताल, अवैध तालाबंदी, हड़ताल या तालाबंदी हो भड़काने, मदद करने के लिए दण्ड व सजा की व्यवस्था की गयी है।
4. 'उद्योग' शब्द की व्याख्या व्यापक अर्थ में की गई है।

- **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948**:

जब तक सामाजिक सुरक्षा नहीं तब तक अच्छे औद्योगिक इकाई की कल्पना नहीं की जा सकती है किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि 'सामाजिक सुरक्षा' हमारे कल्याणकारी राज्य निर्माण का आधार—स्तम्भ है। सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से ही सरकार प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित जीवन स्तर की सुविधाएँ प्रदान करने तथा बनाये रखने का प्रयास करती है। सामाजिक सुरक्षा का आशय उस सुरक्षा से है जो सामाज अपने सदस्यों को विशिष्ट जोखिमों के विरूद्ध प्रदान करता है। ये जोखिम किसी भी प्रकार की आकस्मिकता के रूप में हो सकती है।

1944 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि सामाजिक सुरक्षा की परियोजनाओं द्वारा चिकित्सा संबंधी समस्त सुविधाओं, आय की सुरक्षा, कर्मचारी के आश्रित व्यक्तियों को विशेष लाभ तथा समस्त जोखिमों व आकस्मिकताओं से कर्मचारियों की रक्षा की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा से कर्मचारियों में विश्वास जागृत होता है और वे अपना कार्य मन एवं आत्मविश्वास से करते हैं। सामाजिक सुरक्षा को दो भागों में विभाजित किया गया है—

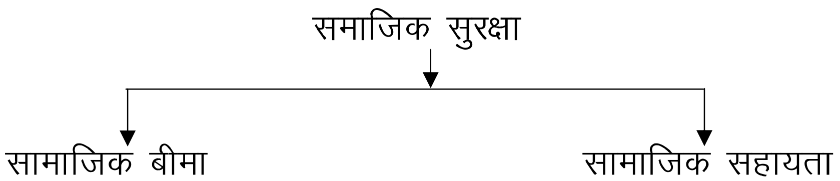

सामाजिक बीमा एवं सामाजिक सहायता दोनों एक दूसरे के पूरक है। वे व्यक्ति जो सामाजिक बीमा लाभो के लिए योग्य नही माने जाते या जिनकी आवश्यकता

सामाजिक बीमा लाभों से पूरी नहीं हो सकती उन्हें सामाजिक सहायता लाभ प्रदान किये जाते है।

- **ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972**

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 सभी कारखानों, खदानों, मोटर परिवहन आदि में लागू होने वाला अधिनियम है, जहाँ 10 या अधिक कामगार कार्यरत रहते हैं अधिनियम में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन की दर से अधिकतम 10 लाख मौसमी स्थापना के मामले में प्रत्येक मौसम के लिए सात दिन के वेतन की दर से मजदूरी देय है। यह अधिनियम नियोक्ता के साथ किसी भी पुरस्कार या समझौते या अनुबंध के अन्तर्गत किसी कर्मचारी के ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तो को प्राप्त करने के लिए अधिकार को प्रभावित नही करता है। जल्द ही केन्द्र सरकार द्वारा नये श्रम कानून के प्रावधान लागू होंगे जिसके अन्तर्गत कर्मचारी (कामगार) अगर औद्योगिक इकाई में एक साल भी काम कर लेता है तो वह ग्रेच्युटी का अधिकारी होगा। अभी ग्रेच्युटी के लिए कम से कम 5 वर्ष की नौकरी जरूरी है। नये श्रम कानून से प्रावधान लागू होने पर तय समय के 15 दिन से ज्यादा काम लेने पर कर्मचारियों को ओवरटाइम मिलेगा नये श्रम कानून के अनुसार अब सप्ताह में 48 घण्टे का काम चार दिन में भी पूरा कर सकेगें। शेष दिन वे अवकाश ले सकते हैं। महिला कर्मचारियों की सहमती के बिना उन पर रात्री में काम का दबाव नहीं डाला जा सकेगा। नए प्रावधान के अनुसार कर्मचारी के हाथ में वेतन तो कम आयेगा, लेकिन प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी ज्यादा मिलेगी कर्मचारी की बेसिक वेतन हर माह की सीटीसी से 50 प्रतिशत या अधिक होगी। नये श्रम कानून के अनुसार अब औद्योगिक इकाई में कम से कम कर्मचारियों को संख्या 50 होनी चाहिए।

- **मातृत्व लाभ अधिनियम 1961**

हमारे देश में एक ऐसे अधिनियम की आवश्यकता थी जो कुछ उद्योगों में बालक के जन्म के पहले और बाद में स्त्रियों के लिए रोजगार से कुछ समय के लिए अवकाश का प्रावधान किया जा सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1961 में एक अधिनियम बनाया गया जिसे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 कहा जाता है।

इस अधिनियम को शुरूआत में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस अधिनियम को सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू किया जा चुका है।

इस अधिनियम के कुछ प्रावधान निम्न है–

1. कोई भी नियोक्ता किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठान में जानबूझकर बच्चे के जन्म अथवा गर्भपात के बाद 6 सप्ताह का समय पूरा होने के बाद 6 सप्ताह का समय पूरा होने से पहले कार्य पर नहीं रखेगा।
2. इसी प्रकार कोई भी स्त्री गर्भपात या बालक के जन्म के बाद 6 सप्ताह के समय से पहले कार्य करने नहीं आयेगी।
3. इस समयावधि के लिए गर्भवती स्त्री कार्य से अनुपस्थित रहने पर अवकाश का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेगी।

अधिनियम से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार ने समय–समय पर कुछ अधिनियम में संशोधन किये है जिसमें प्रदेश में 50 से कम श्रमिक वाले औद्योगिक संस्थान कारखाना अधिनियम ठेका श्रम विनियमन और उत्पादन अधिनियम के दायरे में नहीं आएगें। इसके लिए वर्तमान सरकार ने श्रम विधि संशोधन अध्यादेश 2020 जारी कर दिया है। इसका लाभ सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम श्रेणी के औद्योगिक संस्थानों को मिलेगा। इसके अन्तर्गत 50 या उससे अधिक श्रमिक होने पर ही अब ठेका श्रम विनियम और उत्पादन अधिनियम–1970 लागू होगा। अभी तक यह प्रावधान उन इकाइयों पर लागू होता था जहाँ 20 या उससे अधिक श्रमिक काम करते थे। इसी प्रकार कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधान 10 श्रमिकों के कार्यरत रहने पर लागू होते थे। अब इस संख्या को बढ़ाकर 50 या उससे अधिक कर दिया है। वहीं 50 से कम श्रमिक वाले प्रतिष्ठानों में श्रम निरीक्षक बिना अनुमति निरीक्षण नहीं कर सकेगें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन में उद्योग धंधो पर पड़े असर को देखते हुए सरकार ने श्रम कानूनों में संसोधनों को लागू करने का निर्णय लिया था।

इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य–प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के कल्याण एवं विकास के लिए अलग–अलग पोर्टल्स लागू किये हैं जिसमें–

प्रवासी श्रमिक पोर्टल–मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए ये पोर्टल बनाया गया है इस पोर्टल का उपयोग शासन के विभिन्न विभागों तथा जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों के पुर्नवास एवं कल्याण के लिए किया जा रहा है प्रवासी श्रमिकों के डाटा का विश्लेषण कर जिला स्तर पर उनको नियोजित करने तथा यथासम्भव पलायन को कम करने के प्रयास किया जा रहे हैं।

रोजगार सेतु पोर्टल–रोजगार सेतु पोर्टल कोरोना काल में दूसरे राज्यों में फसे प्रवासी श्रमिकों की प्रदेश में वापसी तथा उनके कौशल व दक्षतानुसार रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इस पोर्टल का निर्माण किया गया है।

संबल पोर्टल—माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर राज्य के करोड़ो असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण(संबल) योजना प्रारम्भ की गई। योजना में सरलीकरण तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना तथा मई 2021 में शुरुआत की गयी।

श्रम सेवा पोर्टल—श्रम विभाग विभिन्न श्रम कानूनो के प्रभावी प्रवर्तन, श्रमिकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधी की सुविधा प्रदान करता है। यह सरल एवं सुचारू उत्पादन प्रक्रिया के लिए स्वस्थ्य कार्य पर्यावरण बनाने और बढ़ी हुई रोजगार क्षमता के लिए व्यावसायिक कौशल विकास की सुविधा के लिए भी वचनबद्ध/प्रतिबद्ध है। सरकार का ध्यान संगंठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की श्रम शक्ति के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर भी केन्द्रित है श्रम सेवा में निम्नलिखित नियम कानूनों को शामिल किया गया है—

* दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1958, 28 अप्रैल 2022 संशोधन
* मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम
* अनुबंध (ठेका) श्रम अधिनियम, 1970
* संविदा श्रम अधिनियम
* अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979
* काराखाना अधिनियम, 1948
* बीड़ी और सिगार श्रमिक अधिनियम, 1966

श्रमोदय आवासीय विद्यालय—श्रमिकों के बच्चों कों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में श्रमोदय (आवासीय) विद्यालय खोले गए जिसका संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा। श्रमोदय आवासी विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। 1120 विद्यार्थियो की क्षमता वाले इन विद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क उत्कृष्ठ शिक्षा के साथ भोजन, पठन—पाठन सामग्री, गणवेश, खेलकूद सुविधाएँ उपलब्ध है। प्रस्तुत लेख से शोधकर्ता का विचार है कि ऐसे श्रमोदय आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश के सभी जिले में होना चाहिए ताकि श्रमिकों के बच्चों को बिना यात्रा किये अपने जिले या संभाग में ही श्रमोदय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

श्रम कल्याण पोर्टल—मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल के माध्यम से प्रदेश में श्रमिक कल्याण गतिविधियों की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए म.प्र. श्रम

कल्याण निधि अधिनियम 1982 म.प्र. विधानसभा में वर्ष 1982 में पारित किया गया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य कारखाना अधिनियम 1948 के अतंर्गत परिभाषित कारखानों तथा 10 या इसमें अधिक कर्मचारी (संशोधन कम से कम 50) संख्या वाली वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित श्रमिक तथा उनके परिजन के कल्याण हेतु कल्याण योजनायें/गतिविधियां संचालित करना है।

इसमें निम्नांकित कल्याणकारी योजनाएँ आती है–

- शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
- विवाह सहायता योजना
- अन्तयेष्टि सहायता योजना

श्रम कल्याण पोर्टल में निम्नांकित सेवाएँ श्रमिकों को दी जाती है–

- कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ
- श्रम कल्याण मण्डल
- असंगठित कर्मकार कल्याण
- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की सेवाएँ

आदि इन सभी पोर्टल्स को श्रमिकों से संबंधित नीतियां एवं आर्थिक उत्थान के लिए ही बनाया गया है जिससे श्रमिकों की आर्थिक सामाजिक तथा भौगोलिक स्थिति का विकास हो सके।

4.5 पेपर एवं अखबारी की आर्थिक स्थिति

किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे अच्छा पल तब आता है जब वह मानसम्मान के साथ अपनी आजीवका चलाता है। हम चाहे कोई भी कार्य करे उस कार्य को करने वाले हम श्रमिक ही है जिसे हम कर्मचारी के नाम से जानते है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में आय का महत्वपूर्ण स्थान है, आय शब्द ही ऐसा घटक है जो व्यक्ति या श्रमिक के जीवन को प्रत्येक घटना को प्रभावित करता है जो भी उसके जीवन में घटता है। वास्तव में देखा जाए तो आय ही वह धुरी है जिसके चारों ओर सम्पूर्ण श्रम समस्याएँ एवं अर्थशास्त्र केन्द्रित है। श्रमिकों की कार्यक्षमता, जीवन स्तर, दृष्टिकोण, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत (सुदृढ़) करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है। फिर चाहे वह उत्पादन कार्य में लगे या फिर व्यवसाय

में अथवा सेवाओं में शोधकर्ता द्वारा यहां श्रमिकों की आर्थिक सामाजिक एवं भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करना है जो कि पेपर मिल्स में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। उद्योग तथा व्यवसाय में व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है जबकि सेवाओं में लगे व्यक्ति अपनी आय, मजदूरी या वेतन के द्वारा प्राप्त करते है।

प्रस्तुत अध्ययन में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया गया है जो पेपर एवं अखबारी कागज मिल्स में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, जो कि उन्हें मजदूरी द्वारा प्राप्त होती है। मजदूरी का श्रमिकों की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने से पूर्व शोधकर्ता द्वारा श्रमिकों से संबंधित कुछ आर्थिक विचार का अध्ययन करेंगे जिसे अलग–अलग विद्वानों तथा विचारधाराओं द्वारा दी गयी है।
आर्थिक विचारों के इतिहास के अन्तर्गत, आर्थिक विचारों के जन्म तथा उसके विकास का मूल्यांकन अर्थात् ऐतिहासिक–आर्थिक विवरणों व चिंतनों का अध्ययन किया जाता है।

प्रो.एल.एच. हैने के अनुसार आर्थिक विचारों का इतिहास आर्थिक विचारों के विकास का वह आलोचनात्मक विवरण है जो उनके उद्गम पारस्परिक संबंधो तथा उनकी अभिव्यक्ति के संबंध में शोध करता है।

डॉ0 भगोलीवाल के शब्दों में "समाज में श्रमिकों की सापेक्षित स्थिति उद्योग से अलग लगाव एवं प्रबंधकों के प्रति उनका दृष्टिकोंण उनका नैतिक स्तर एवं उत्पादकता के प्रति उनमें प्रेरणायें उनका जीवन स्तर तथा वास्तव में उनके जीवन बिताने का ढंग सभी मजदूरियाँ द्वारा निश्चित होते हैं।"

चूंकि मजदूरी का बहुआयामी महत्व है। अतः यह आवश्यक है कि मजदूरी संबंधी नीति का निर्धारण सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए इस दृष्टि से प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था अनिवार्य एवं उचित प्रतीत होती है। एक न्यूनतम मजदूरी न सिर्फ जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के लिये है बल्कि श्रमिकों की कुशलता की रक्षा के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिए, न्यूनतम मजदूरी पर्याप्त होनी चाहिए जिसमें श्रमिकों की शिक्षा, रहन–सहन, चिकित्सा, बचत आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था हो सके।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि किसी औद्योगिक इकाई में श्रमिकों से कार्य लेने के लिए सबसे पहले उनकी मजदूरी का निर्धारण करना चाहिए। वर्तमान समय में औद्योगिक इकाई मात्र श्रमिकों से कार्य कराना चाहते हैं। मजदूरी का निर्धारण के लिए नियमों अधिनियमों की अनदेखी की जाती है। अगर कोई औद्योगिक इकाई किसी भी कारण से बंद हो जाती है तो सबसे आर्थिक घात जो दैनिक एवं असंगठित श्रमिक समूह होते है

उनको ही पड़ता है। फिर सरकार या औद्योगिक प्रबंधक इसमें कुछ भी क्रियाएँ नहीं करते है।

आर्थिक विचारधाराओं के अन्तर्गत अलग—अलग विचारधारकों ने भी श्रमिक कल्याण के लिए अपना मत रखा है जिसमें गाँधी जी, जे.के. मेहता आदि है।

गांधी जी की आर्थिक विचारधारा—

1. अर्थशास्त्र का उद्देश्य— इसमें गांधी जी ने नैतिकता पर ज्यादा जोर दिया है।
2. धन संबंधी विचार— इसमें उनका विचार था कि "जीने के लिए खाओ खाने के लिए मत जिओ"
3. भोग नही, त्याग— इसमें उन्होनें भोग अथवा सृजन की अपेक्षा त्याग को अधिक महत्व देते थे। उनके अनुसार त्याग से ही सुख प्राप्त होता है और त्याग तभी सम्भव है जब आवश्यकताएँ कम हो।
4. श्रम के प्रति सम्मान— गांधी जी श्रम को एवं श्रमिक को सम्मान देने की बात कही उनका मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को शारिरिक श्रम करना चाहिए।
5. मशीनीकरण की कटु आलोचना— गांधी जी के अनुसार मशीनीकरण से मानव समाज को बचाना चाहते थे। मशीनों के अविश्कार के कारण आपस में प्रतियोगिता बढ़ती है, लेकिन शोधकर्ता के अनुसार मशीनीकरण से रोजगार का सृजन होता है जिसमें कुशल श्रमिक मिलते हैं।
6. समाजवादी विचार— गांधी के न्यासवाद के सिद्धांत से इस बात की जानकारी होती है कि वह वर्ग—संघर्ष को समाप्त करने के लिए उद्योगपतियों को ट्रस्टी बनाने का सुझाव देते थे।
7. आर्थिक आत्मनिर्भरता— गांधीजी आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वावलम्बन के प्रबल समर्थक थे। आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने चरखा चलाना, चक्की चलाना, सूत कातना, कपड़ा बुनना आदि क्रियाएँ करते थे।
8. आय व आवश्यकताओं के बीच संतुलन उन्होंने आय व आवश्यकताओं के मध्य संतुलन की बात कहीं। लेकिन गांधी के कुछ आर्थिक विचारों की समय—समय पर आलोचना भी की गयी है।

जे.के. मेहता के आर्थिक विचार—इन्होंने आर्थिक समस्या का निदान इच्छाओं की मुक्ति से लगाया है वे लिखते हैं कि "अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छारहित अवस्था में पहुंचने के एक साधन के रूप में अध्ययन करता है।

1. अधिकतम सुख इच्छारहित अवस्था में निहित है– इन्होने इच्छाओं को कम करने की बात कही है उनका कहना है कि वास्तविक सुख की वृद्धि इच्छाओं में वृद्धि करके नहीं, बल्कि इच्छाओं में कमी करके हो सकती है।

2. अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। उन्होंने संतुष्टि व सुख के अंदर को भी स्पष्ट किया है उनका कहना है की इसे हम सूत्र से समझ सकते हैं–

   संतुष्टि = आवश्यकताएँ + इच्छाएँ = पूर्ति
   सुख = आवश्यकताएँ – इच्छाएँ = शून्य

3. इच्छाओं के चुनाव की समस्या इनके अनुसार व्यक्ति की इच्छाएँ कम से कम तथा सभी आवश्यकताएँ कों त्याग दें तभी इच्छाओं के चुनाव की समस्या नहीं होगी।

4. मानव व्यवहार मानसिक बेचैनी व मासिक असंतुलन को केवल मानव व्यवहार से ही दूर किया जा सकता है।

5. मानसिक संतुलन– मेहता जी कहते हैं कि मस्तिष्क को बाध्य–प्रमाणों से अलग रखना चाहिए। उनके अनुसार मस्तिष्क को हमेशा शिक्षित किया जाना चाहिए।

आर्थिक विचारों में जे.के. मेहता जी का भी आलोचकों ने आलोचना की है।

श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए शोधकर्ता द्वारा अलग–अलग आधारों के माध्यम से जिसमें शिक्षा, आय, मजदूरी, स्वास्थ्य, वर्ग, आदि को आधार मानकर सर्वे द्वारा अवलोकन किया गया है जिसके अन्तर्गत तालिका, सारणी, चिन्ह आदि का प्रयोग किया गया है–

सारणी 4.1

दोनो मिलों में श्रमिकों की वैवाहिक स्थिति

क्र.	ओरियंट पेपर मिल्स					अखबारी कागज मिल				
	पुरूष	अविवाहित	विवाहित	विधवा	कुल	पुरूष	अविवाहित	विवाहित	विधवा	कुल
1.	180	28	87	05	300	170	38	86	06	300
कुल	180	28	87	05	300	170	38	86	06	300

स्त्रोत:– प्राथमिक समंक 2022–23

सारणी 4.2

दोनों मिलों में मजदूरी के आधार पर वर्गीकरण

(महिला/पुरूष के आधार पर कुल श्रमिक)

मिल्स	पुरूष	महिला	अन्य	कुल श्रमिक
ओरियंट पेपर मिल्स	210	80	10	300
अखबारी पेपर मिल	190	105	05	300

स्त्रोतः– प्राथमिक समंक 2022–23

सारणी 4.3

ओरिएंट पेपर मिल में श्रमिकों के दैनिक मजदूरी के आधार पर

दैनिक मजदूरी (रुपये)	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
200–250	114	38
250–300	60	20
300–350	45	15
350–400	42	14
400–450	21	7
450–500	18	6
योग	300	100%

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023

विश्लेषणः सारणी 4.3 विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मिल्स में 250 रुपये तक दैनिक मजदूरी पाने वाले 38% श्रमिक है तथा 300 रुपये तक मजदूरी पाने वाले श्रमिक 20 प्रतिशत है इसी प्रकार से क्रम 500 रुपये पाने वाले श्रमिकों की संख्या 6% है।

सारणी 4.4

ओरिएंट पेपर मिल में सामान्तर माध्य की गणना

वर्गान्तर	संख्या	X	Fx
200—250	114	225	25650
250—300	60	275	16500
300—350	45	325	14625
350—400	42	375	15750
400—450	21	425	8925
450—500	18	475	8550
योग	ΣF=300	-	ΣF = 90000

स्त्रोत:— प्राथमिक समंक

$$X = \frac{\Sigma Fx}{\Sigma F} = \frac{90000}{300} = 300$$

सारणी से स्पष्ट है कि श्रमिकों की औसत मजदूरी 300/— प्रति दिन है।

तालिका 4.5

ओरिएंट पेपर मिल में शिक्षा के आधार पर श्रमिकों की संख्या

शिक्षा	पुरूष	महिला	अन्य	कुल
अशिक्षित	45	14	2	61
5वीं	50	20	3	73
8वीं	55	9	1	65
10वीं	22	12	1	35
12वीं	12	14	2	28
स्नातक	18	7	1	26
स्नातकोत्तर	8	4	—	12
कुल	210	80	10	300

स्त्रोत:— व्यक्तिगत अवलोकन सर्वे द्वारा

विश्लेषण:— तालिका 4.5 से स्पष्ट होता है कि ओरिएंट पेपर मिल में 210 पुरूष वर्ग तथा 80 महिला वर्ग एवं 10 अन्य वर्ग के श्रमिक कार्यरत है इसके साथ ही ओरिएंट पेपर मिल में स्नातकोत्तर श्रमिकों की संख्या कम है लेकिन 5वीं से 8वीं शिक्षित वर्ग की संख्या ज्यादा

है। इसके साथ ही स्नातक एवं स्नातकोत्तर की संख्या भी ओरिएंट पेपर मिल में श्रमिक कार्यरत् है जो कि अलग–अलग पदों में है।

तालिका 4.6

ओरिएंट पेपर मिल में श्रमिकों की मासिक आय

मासिक आय	श्रमिक संख्या	प्रतिशत (%)
6000–7500	114	38
7500–9000	60	20
9000–10500	45	15
10500–12000	42	14
12000–13500	21	7
13500–15000	18	6
योग	300	100%

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2023

विश्लेषणः उपरोक्त श्रमिकों की मासिक आय तालिका से स्पष्ट है कि 7500 रुपये मासिक तक आय प्राप्त करने वाले श्रमिक 38 %हैं तथा 6% ऐसे है जिनका 15000 रुपये तक मासिक आय (वेतन) दिया जाता है।

चित्र : 4.1

ओरिएंट पेपर मिल में श्रमिकों की मासिक आय का रेखाचित्र

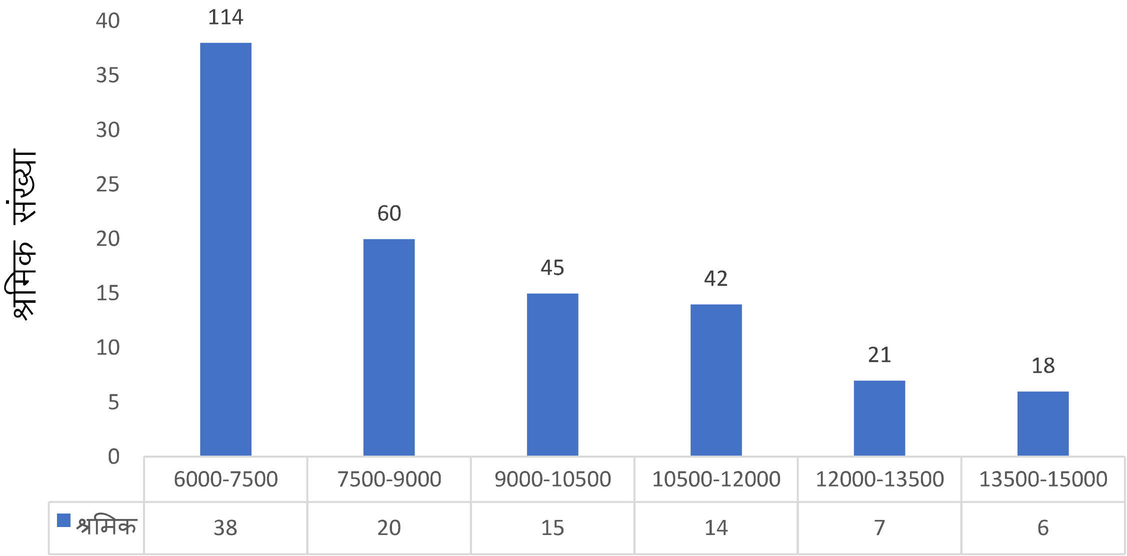

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण – प्राथमिक समंक

सारणी 4.7

पेपर मिलों में श्रमिकों को होने वाली बीमारियों का स्वास्थ्य सारणी

बीमारियाँ	प्रतिशत
पीठ दर्द	18
जोड़ों का दर्द	28
सांस की बीमारी (दमा)	12
अस्थमा	17
त्वचा रोग	7
अन्य	18
कुल	100%

स्त्रोतः— फील्ड सर्वे, 2022

सारणी 4.7 से यह स्पष्ट होता है कि पेपर मिल्स में सबसे ज्यादा जोड़ों के दर्द की समस्या श्रमिकों/कर्मचारियों को होती है एवं सबसे कम त्वचा की बीमारियाँ होती है।

श्रमिक परिवार की प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय—

यदि हम श्रमिक परिवारों को प्रति व्यक्ति औसत आय के आधार पर विश्लेषण करते है तो उससे हमें इस बात की जानकारी होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक महीने में कितनी राशि व्यय करने हेतु उपलब्ध होती है। इससे हमें श्रमिकों के जीवन स्तर के बारे में भी एक सामान्य जानकारी मिलने में सहायता मिलती है।

तालिका 4.8

ओरिएंट पेपर मिल में श्रमिकों के परिवार के प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय

औसत मासिक आय	श्रमिक परिवारों की संख्या	प्रतिशत
5500-6000	78	26
6000-6500	39	13
6500-7000	24	8
7000-7500	18	6
7500-8000	27	9
8000-8500	15	5
8500-9000	45	15
9000-9500	18	6
9500-10000	30	10
10000-10500	6	2
योग	300	100

स्त्रोतः— व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2022

तलिका 4.8 से यह स्पष्ट है कि श्रमिकों की औसत मासिक आय सबसे ज्यादा 26% ऐसे श्रमिक है जिनकी मासिक औसत आय 5500–6000 के बीच है तथा 2 प्रतिशत ऐसे श्रमिक है जिनकी औसत मासिक आय 10000–10500 कि बीच है। जबकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम श्रमिक की मासिक वेतन 18000 रूपये से ऊपर होनी चाहिए। शोधकर्ता द्वारा श्रमिकों की मजदूरी एवं आय को बढ़ाने के लिए योजनाओं को धरातल में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

4.5.1 आर्थिक विकास में उद्योगों की भूमिका–

किसी भी अर्थव्यवस्था का परिवर्तन मानवीय प्रयासो से ही सम्भव होता है। परिवर्तन को स्वीकार करके ही अर्थव्यवस्था विकास के नये सोपान तय करती है, विकास मानव की भौतिक आवश्यकताओं से ही नही वरन् उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नती से भी सम्भव होता है। विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि ही नहीं बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन ही निहीत है। विकास की प्रक्रिया मानव के आर्थिक पक्ष के अलावा अन्य पक्ष को भी प्रभावित करती है। एक राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक एवं संस्थागत ढाचे में परिवर्तन हेतु निरन्तर एवं योजनाबद्ध प्रयासों के दीर्घकालीन परिणामों को आर्थिक विकास की संज्ञा दी गई है। किसी भी अर्थव्यवस्था के गुणात्मक पहलू को आर्थिक विकास कहा जाता है। इसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था में नयी तकनीको का उपयोग कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन एवं समय के रहन–सहन के स्तर में वृद्धि को शामिल किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था कृषि से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में प्रवेश कर विकास के नये–नये प्रारूप स्थापित विकास करती है। जिसमें देश का सर्वांगीण विकास होता है।

उद्योग की परिधि में वे समस्त उपक्रम सम्मिलित है, जिसमें नियोजकों एवं नियोजितो के सहयोग से मानवीय आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए एक व्यवस्थित गतिविधि कि रूप में वस्तुओं अथवा सेवाओं क उत्पादन का कार्य किया जाता है। आधुनिक समय की मांग को देखते हुए उद्योग शब्द की अवधारणा में होटल, परिवहन, पर्यटन, दूरसंचार आदि सेवाओं को भी शामिल किया गया है। वर्तमान समय में शहडोल संभाग में बहुत कम मात्रा में उद्योगों को स्थापित किया गया है। जिससे यहाँ की विकास की स्थिति वैसी नही है जैसी होनी चाहिए। उद्योग की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश आर्थिक विकास में भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो प्राकृतिक संसाधनों स्वास्थ्य का वातावरण और उपजाऊ कृषि वातावरण स्थितियों से सम्पन्न है। पिछले कुछ वर्षो में भारतीय में अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आया है। बाजार की ताकतो ने औद्योगिक क्षेत्रों

में निवेश प्रवाह को निर्देशित करना शुरू कर दिया है। आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास में निवेश बढ़ाकर म.प्र. के लिए प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों में से एक है। इसके साथ ही आर्थिक विकास की ओर अग्रसर भारत आज विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। औद्योगिक उत्पादन में देश विश्व में 12वें स्थान पर तथा सेवा क्षेत्र में 11वां स्थान है। उद्योगों का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख मापदंड रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उद्योग प्रक्षेत्र में निर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत जल आपूर्ति, गैस आदि क्षेत्र आते है।

आइये जानते है कि उद्योगों में कार्यबल के आधार पर कितने प्रतिशत श्रम शक्ति कार्यरत् है–

सारणी 4.9
उद्योग में कार्यबल का वितरण 2021–22

औद्योगिक वर्ग	निवास स्थान		लिंग		कुल (प्रतिशत)
	ग्रामीण	शहरी	पुरुष	महिला	
प्राथमिक क्षेत्र	59.8%	6.6%	40.7%	57.1%	44.6%
द्वितीय क्षेत्र	20.4%	34.3%	26.5%	17.7%	24.4%
तृतीयक क्षेत्र	19.8%	59.1%	32.8%	25.2%	31.0%
कुल	100%	100%	100%	100%	100%

स्त्रोत:– द्वितीय समंक (भारतीय अर्थव्यवस्था) – रोजगार संवृद्धि अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे (पृष्ठ क्र. 104)

भारत में अधिकांश श्रमिको के रोजगार का स्त्रोत प्राथमिक क्षेत्र ही है। द्वितीय क्षेत्र केवल 24 प्रतिशत श्रमबल को नियोजित कर रहा है। लगभग 31 प्रतिशत श्रमिक सेवा क्षेत्र में संलग्न है। उपरोक्त सारणी 4.9 यह स्पष्ट कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 60 प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि, वन और मत्स्य पर निर्भर है। लगभग 20 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिक ही विनिर्माण उद्योगों, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में लगे हुए है। केवल 20 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिकों को ही सेवा क्षेत्र से ही रोजगार मिलता है लेकिन शहरी क्षेत्रों में कृषि और खनन रोजगार प्रमुख स्त्रोत नही है, जहाँ अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। 60 प्रतिशत शहरी श्रमिक सेवा क्षेत्र में है। लगभग एक–तिहाई शहरी श्रमिक द्वितीय क्षेत्र में नियोजित है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक विकास में उद्योगो की भूमिका को निम्न बिंदुओ से स्पष्ट किया जा रहा है:–

1. कृषि विकास–उदारीकरण एवं वैश्वीकरण से कृषि विकास के नवीन युग का सूत्रपात हुआ है उद्योगो का विकास कृषि उत्पादों की मांग में भी वृद्धि करता है उद्योगों के विकास से कृषि हेतु आवश्यक आधारित सरंचनाओं का भी विकास होता है।
2. रोजगार के अवसरों में वृद्धि औद्योगिक विकास से प्रमुख एवं सहायक उद्योगों की तेजी से स्थापना होती है जिससे नियमित रोजगार में वृद्धि होती है।
3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि–उद्योगों को स्थापित करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होति है।
4. प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि–उद्योगों के विकास से उत्पादन, रोजगार एवं मांग में वृद्धि होती है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है।
5. शहरीकरण–उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था में रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न होते है। उद्योग स्थापना क्षेत्र में अन्य सुविधाओं का विकास एवं विस्तार भी तेजी से होता है। ये क्षेत्र छोटे–छोटे शहरों के रूप में विकसित होते हैं, साथ ही औद्योगिकरण से पिछड़े क्षेत्रो का भी विकास सम्भव होता है।
6. राजस्व में वृद्धि–देश में उद्योग धंधो के विकास से नागरिकों की आय में भी वृद्धि होती है एवं उनकी कर देय क्षमता में भी वृद्धि होती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्योग आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ है। इस आधार स्तम्भ से अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण, रोजगार, आय, राष्ट्रीय व्यापार, परिवहन एवं संचार आदि घटकों का विकास सम्भव होता है। औद्योगिक विकास ही वर्तमान अर्थव्यवस्था को परिपूर्ण करता है।

4.6 पेपर एवं अखबारी कागज मिल में कार्यरत् श्रमिकों की सामाजिक स्थितियां:–

किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक विकास से सम्भव नही है। हमें एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जहाँ आम व्यक्ति एक दूसरे के पूरक बन सकें। जरूरत इस बात की है कि हम सभी गरीबी, वंचितो और समाज में पीछे रह गये व्यक्तियों को अपने साथ लेकर चल सकें इन्ही बातों को लेकर हमे सर्वांगिण विकास की ओर अग्रसर होना होगा। पिछले डेढ़ दशक के समय मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सामाजिक सरंचना में समता स्थापित करने के लिए दूरगामी प्रयास किए है। इन प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के गरींबी, कमजोर वर्गों और महिलाओं के जीवन में आने को सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ते है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता के स्तर मे आए हुए बदलाव के आकडों के माध्यम से ही अगर सामाजिक बदलाव को समझने का प्रयास करे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 2001 से 2011 की बीच में श्रमिकों की सामाजिक स्थिति मे अभूतपूर्व गुणात्मक बदलाव आया है। मानव एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज के बाहर रहकर वह सुखद

जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। सामाजिक व्यक्ति होने के कारण व्यक्ति के जीवन पर उसका अलग– अलग प्रभाव पड़ता है। उसके सोचने, समझने, व्यवहार, कार्यप्रणाली, कार्यक्षमता आदि पर सामाजिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के आस–पास का वातावरण, उसकी आर्थिक स्थितियां, उसकी कार्यक्षमता एवं उसके दृष्टिकोण आदि को प्रभावित करती है। शोधकर्ता द्वारा पेपर मिल में कार्यरत् श्रमिकों की सामाजिक सरंचना के अन्तर्गत मिल में कार्यरत् श्रमिकों की आयु, लिंग, मादक पदार्थ का उपयोग, आवास, शिक्षा, कृषि, व्यवसाय, मनोरंजन के साधन आदि मानक के आधार पर शोधकर्ता द्वारा अध्ययन किया गया है।आयु के आधार पर श्रमिकों को अलग–अलग भागों में बांटा गया है।

जैसा कि पूर्व में ही बताया गया है कि प्रस्तुत शोध प्रबंध में लगभग 1000 पेपर मिल में कार्यरत् श्रमिकों का चुना गया है। इन श्रमिकों में अलग अलग आयु वर्ग के श्रमिकों को शामिल किया गया है। इस तथ्य को तालिका 4.10 में दर्शाया गया है तथा साथ ही विश्लेशण कर निष्कर्ष की भी समीक्षा की गयी है। शोधकर्ता द्वारा ये आकड़े व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर ही प्रस्तुत किया गया है।

तालिका–4.10

ओरिएंट पेपर मिल एवं अखबारी कागज मिल में कार्यरत् श्रमिकों की आयु

आयु वर्ग	ओरिएंट पेपर मिल		अखबारी कागज मिल		कुल श्रमिक
	श्रमिक संख्या	प्रतिशत	श्रमिक संख्या	प्रतिशत	
18-23	39	13	33	11	72
23-28	45	15	42	14	87
28-33	54	18	57	19	111
33-36	63	21	60	20	123
36-43	36	12	39	13	75
43-48	24	8	18	6	42
48-53	21	7	24	8	45
53-58	18	6	27	9	45
योग	**300**	**100 %**	**300**	**100%**	**600**

स्त्रोत:– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023

विश्लेषणः सारणी 4.10 से स्पष्ट है कि ओरिएंट पेपर मिल के श्रमिकों की आयु के आधार पर 18–23 वर्ष (आयु) वर्ग के 13 प्रतिशत (39) श्रमिक कार्यरत हैं वहीं अखबारी कागज मिल में इसी आयु समूह के 11 प्रतिशत (33) श्रमिक कार्यरत् हैं। ओरिएंट पेपर मिल में 21 प्रतिशत (63) श्रमिक 33–26 वर्ष के कार्यरत हैं एवं अखबारी कागज मिल में 20 प्रतिशत श्रमिक (60) इसी आयु समूह के हैं, जो मिलों में ज्यादा संख्या बल है। न्यूनतम श्रमिक ओरिएंट पेपर मिल में 6 प्रतिशत (18) श्रमिक (53–58) आयु समूह के तथा अखबारी कागज मिल में 6 प्रतिशत ही हैं लेकिन 43–48 आयु समूह के हैं।

निष्कर्षः– इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चूंकि पेपर मिल में निर्माण का कार्य, शारीरिक श्रम तथा शक्ति पर आधारित है। ऐसी स्थिति में न तो नियोक्ता ही उन्हे काम पर लगाना उचित समझते है और न ही श्रमिक निर्माण के कार्य में आना चाहते है म.प्र. में बेरोजगारी की औसतन दर है साथ ही म.प्र. में कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा है जिससे श्रमिक 50 वर्ष की आयु के बाद उनके कार्य करने की क्षमता दिन पर दिन कम होती जाती है जिससे वे शारीरिक श्रम तथा शक्ति वाला कार्य करने में समस्या आती है।

चित्रः 4.2

दोनों मिलों में आयु के आधार पर श्रमिकों का विभाजन
पाई चार्ट के आधार पर

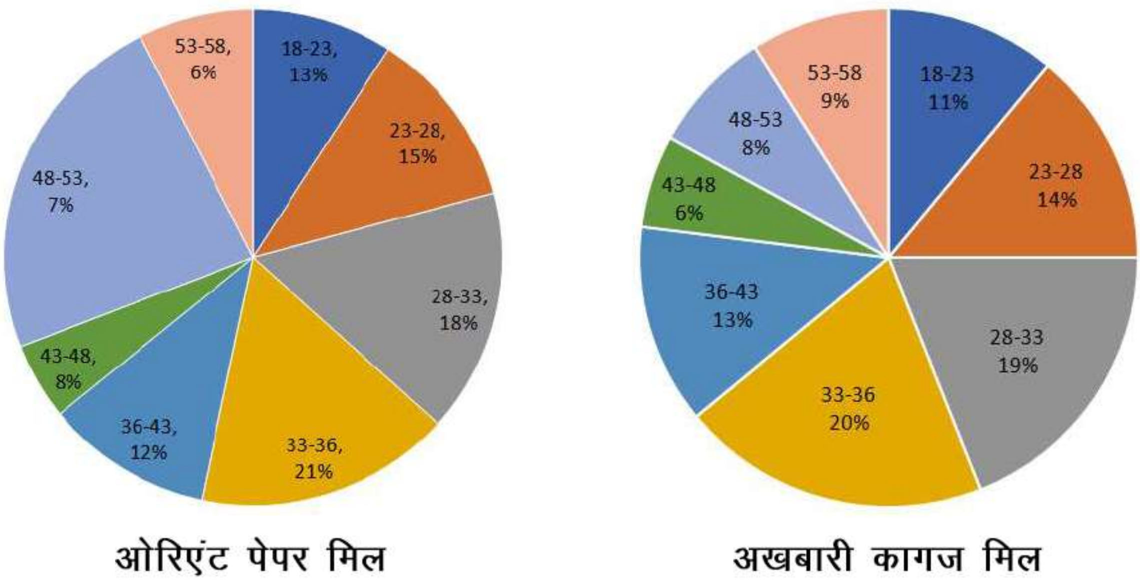

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण – (प्राथमिक समंक)

मध्यप्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 में सामाजिक क्षेत्र के लिए निम्नांकित बजट आवंटित किये गये हैं:–

तालिका: 4.11

सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आवंटन (राशि रूपये करोड़ में)

प्रमुख सामाजिक क्षेत्र	क्षेत्र के लिए वर्षवार बजटीय आवंटन			2020–21 से 2022–23 के बीच आवंटन (प्रतिशत में) वृद्धि
	2020–21	2021–22	2022–23	
युवा	145.26	193.43	347.35	139
शिक्षा	27,438.60	28,887.43	34,404.45	29
सामाजिक सशक्तिकरण	19,307.06	18,761.52	19,649.46	7
स्वास्थ्य और पोषण	16,742.92	21,919.55	25,030.57	49
कुल योग	75944.13	84621.98	98145.03	29

स्त्रोत:– मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23, (पृष्ठ क्र. 136)

तालिका क्रमांक 4.11 से स्पष्ट है कि सामाजिक क्षेत्र के लिए कुल बजट आवंटन वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2022–23 में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर क्षेत्रवार बदलाव को देखा जाए तो इस समयावधि में सर्वाधिक वृद्धि युवाओं के लिए आवंटित बजट में हुई है। युवाओं के लिए आवंटित बजट के बाद सर्वाधिक वृद्धि स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में है। चूंकि स्वास्थ्य और शिक्षा पर अलग अध्यायों में विस्तृत चर्चा की गई है, अतः इस अध्याय में युवाओं के लिए किए गए प्रयास और सामाजिक सशक्तिकरण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त बजट में अनुसचित जाति और जनजाति के लिए गए विशेष आवंटन का उल्लेख भी नीचे तालिका में प्रस्तुत है जो यह स्पष्ट करता है कि इन दोनों वर्गों के लिए आवंटित बजट में वर्ष 2022–23 में वर्ष 2020–21 की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिकाः 4.12

कमजोर वर्गों के लिए बजट आवंटन (राशि रूपये करोड़ में)

प्रमुख सामाजिक क्षेत्र	**क्षेत्र के लिए वर्षवार बजटीय आवंटन**			**2020–21 से 2022–23 के बीच आवंटन (प्रतिशत में) वृद्धि**
	2020–21	2021–22	2022–23	
अनुसूचित जाति उप–योजना	16,554.23	17,980.05	19,020.12	15
जनजातीय कार्य उप–योजना	24,261.29	24,910.99	26,940.68	11
कुल योग	40,815.52	42,891.04	45,960.80	13

स्त्रोतः– मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23, (पृष्ठ क्र. 137)

4.6.1 ओरिएंट पेपर मिल एवं अखबारी कागज मिल में कार्यरत् श्रमिकों की मादक (आदत) पदार्थो का उपयोग के आधार पर विभाजन–

हमारे देश में समाज को स्पष्टतः दो वर्गो में विभक्त दिखाई देता है। एक वर्ग ऐसा देखने को मिलता है जो नशीली पदार्थो से पूर्णतः मुक्त है लेकिन दूसरा वर्ग ऐसा है जिनकी संख्या अधिक है अलग–अलग प्रकार के नशीली पदार्थो का सेवन करते है। इसी प्रकार पेपर मिल कार्यरत् श्रमिकों को भी दो भागों में बांटा गया है एक वे समूह जो नशीली पदार्थो सें एक दम दूर है जिनसे निर्माण कार्य की क्रिया को अधिक मात्रा में कराया जा सकता है एवं दूसरा समूह जो सभी प्रकार के मादक (नशीली) पदार्थो का सेवन करते है वें हो सकता कि निर्माण की क्रिया अधिक न कर सकें। आपकों मालूम है की कोई भी नशीली पदार्थो का सेवन करने से शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मानव को कमजोर करना है यहाँ तक की अगर खान–पान सही न हो तो आदमी अपना दिमागी सतुंलन भी खो सकता है। लेकिन पेपर मिल में कई ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं जो श्रमिकों को सामाजिक दृष्टि से उन्हे सशक्त बनाती है। जो श्रमिक अत्यधिक नशीली पदार्थो का सेवन करते है वें या तो धनी वर्ग के व्यक्ति होते है या निम्न वर्ग के व्यक्ति होते है।

चुने हुए श्रमिकों में भी अधिकांश श्रमिक किसी न किसी मादक (नशीली) पदार्थ के अभ्यस्त है। इसका विवरण तालिका से समझा जा सकता हैः–

तालिका 4.13

नशीली पदार्थ का प्रयोग दर्शक तालिका

मादक पदार्थ	ओरिएंट पेपर मिल		अखबारी कागज मिल		कुल श्रमिक
	श्रमिक संख्या	प्रतिशत	श्रमिक संख्या	प्रतिशत	
बीड़ी, तम्बाखू, पान	78	26	36	12	114
कुछ नहीं	51	17	39	13	90
शराब, पान, तम्बाखू सभी	24	8	51	17	75
गांजा	18	6	66	22	84
सप्ताह में एक बार	27	9	39	13	66
सप्ताह में दो बार	30	10	18	6	48
प्रतिदिन	45	15	24	8	69
कभी–कभी	27	9	27	9	54
योग	300	100 %	300	100 %	600

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषणः तालिका 4.13 से यह ज्ञात होता है कि कुल दोनों मिलों में से 17 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत श्रमिक किसी भी मादक पदार्थों का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि 26 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत श्रमिक बीड़ी, तम्बाखू, पान का उपयोग करते हैं। वहीं शराब पीने वालों की संख्या दोनों मिलों में 8 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत है। बड़ी संख्या देखें तो ओरिएंट पेपर मिल में 26 प्रतिशत श्रमिक बीड़ी, तम्बाखू, पान में तथा अखबारी कागज मिल में 22 प्रतिशत श्रमिक गांजा पीने जैसे मादक पदार्थों के उपयोग अपनी आय खर्च कर देते हैं।

निष्कर्षः इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है अधिकांश पेपर मिल तथा अखबारी कागज मिल में कार्यरत् श्रमिक अपनी आय में से एक बड़ी राशि शराब, बीड़ी, गांजा एवं तम्बाखु पर व्यय करते है जिसका विपरीत परिणाम उनके परिवार, समाज पर पड़ता है तथा उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है।

चित्र : 4.3
मादक पदार्थों का प्रयोग दर्शक रेखाचित्र

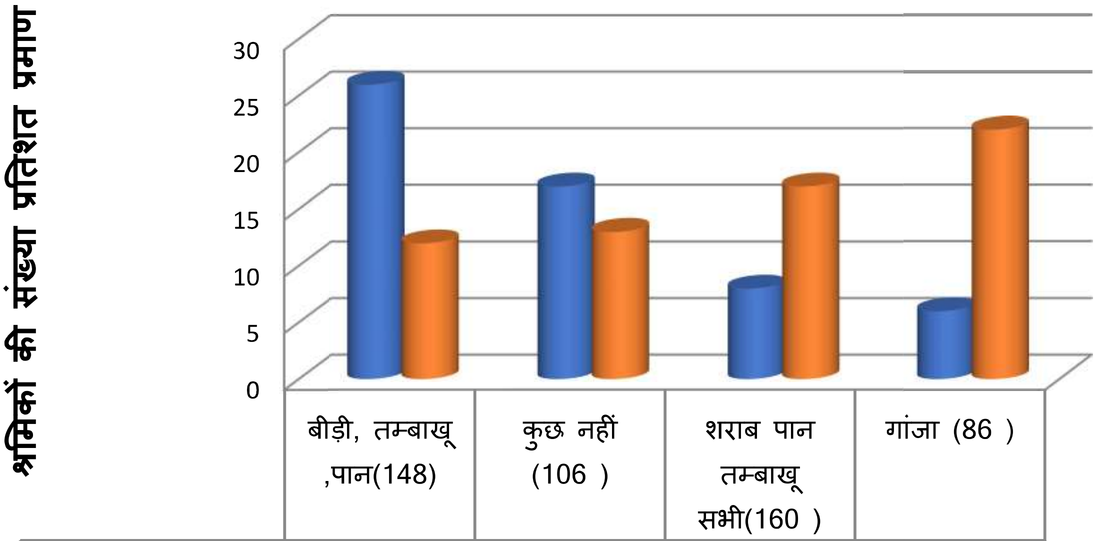

	बीड़ी, तम्बाखू ,पान(148)	कुछ नहीं (106)	शराब पान तम्बाखू सभी(160)	गांजा (86)
ओरिएंट पेपर मिल	26	17	8	6
अखबारी कागज मिल	12	13	17	22

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण (प्राथमिक समंक 2023)

4.6.2 ओरिएंट पेपर मिल पेपर एवं अखबारी कागज मिल में कार्यरत् श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में व्यवसाय की पृष्ठभूमिः–

व्यवसाय की पृष्ठभूमि–

सामान्यतः हमारे देश में व्यक्ति अपना व्यवसाय वही चुनते हैं जो कि उनके परिवार से ही अपनाया गया हो किन्तु वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप यह धारणा में धीरे–धीरे परिवर्तन हो रहा है अब व्यक्ति को आवश्यक नहीं कि अपने पैतृक व्यवसाय के अंतर्गत हम श्रमिकों के खाली समय में किया गया व्यवसाय को ही शामिल किया गया है जिसमें कृषि, किराना, तथा मछली पालन व्यवसाय को सम्मिलित किया गया है जिसके साथ श्रमिकों की सामाजिक भागीदारी बढ़ती है अगर मनुष्य कुछ भी न करे जिसमें अर्जित की जाने वाले साधन शामिल है तो वह परिवार व समाज के लिए पीड़ादायी ही होता है अतः मनुष्य को कुछ न कुछ आय कमाने के लिए कार्य करना चाहिए।

शोधकर्ता द्वारा मिल में कार्यरत् चयन किये गये श्रमिकों की सामाजिक स्थिति कि अन्तर्गत व्यवसाय की स्थिति को अध्ययन किया गया हैः–

तालिका 4.14

दोनों मिलों में व्यवसाय की पृष्ठभूमि के आधार पर विभाजन

व्यवसाय	ओरिएंट पेपर मिल		अखबारी कागज मिल		कुल श्रमिक
	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	
पहले से ही	42	14	48	16	90
पहले से नही	84	28	66	22	150
सेवा के बाद	120	40	105	35	225
कोई मत नहीं	54	18	81	27	135
योग	300	100	300	100	600

स्त्रोत:– व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2022

विश्लेषण:–तालिका 4.14 से ज्ञात होता है कि दोनों मिलों 14% (42) एवं 16% (48) ऐसे श्रमिक हैं कि जिनके परिवारों में पूर्व से ही व्यवसाय का कार्य किया जा रहा है वहीं अगर देखें तो दोनों मिलों में 28% (84) एवं 22% (66) श्रमिक ऐसे हैं जिनके परिवारों में व्यवसाय नहीं किया जा रहा है। जबकि 40% (120) ओरिएंट पेपर मिल में तथा 35% (105) अखबारी कागज मिल में सेवा के बाद अपना व्यवसाय शुरु किये तथा दोनों मिलों में 18% (54) एवं 27% (81) श्रमिक ऐसे हैं, जिनकी व्यवसाय करने में कोई रुचि नहीं है।

निष्कर्ष: इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन उद्योगों के श्रमिक परिवार में जो व्यवसाय पहले से ही किया जा रहा हो वे उसे ही अपनाते है,व्यवसाय में उन्हें ज्यादा रूचि नहीं है।

चित्र: 4.4

व्यवसाय की पृष्ठभूमि दर्शक रेखाचित्र

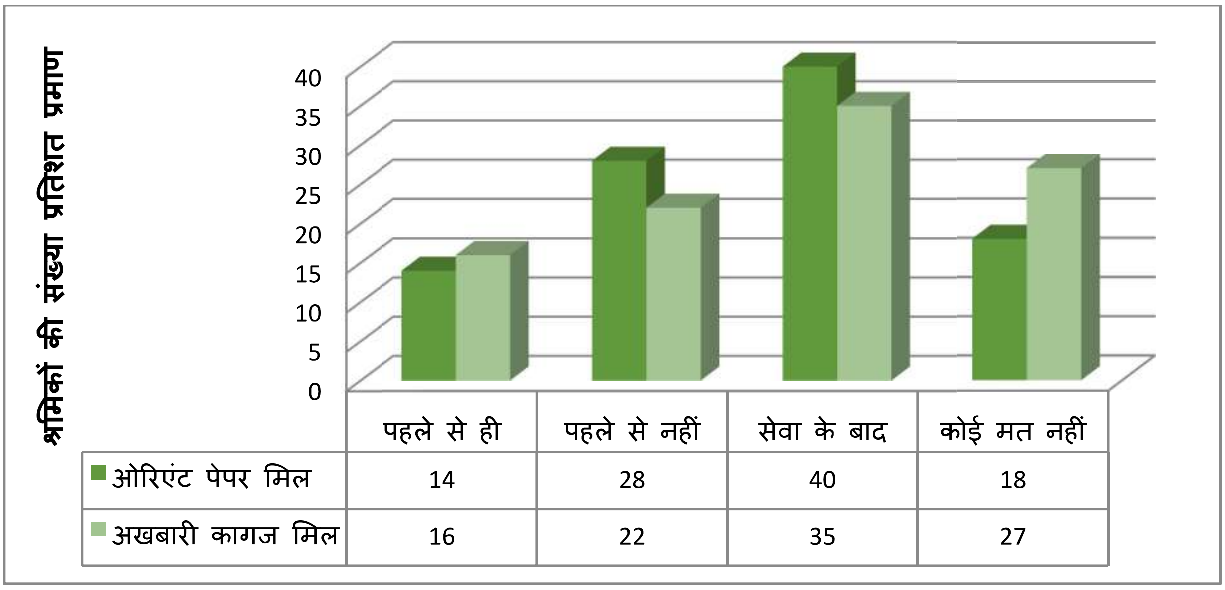

स्त्रोत:– प्राथमिक समंक 2023

पेपर एवं अखबारी कागज में कार्यरत् श्रमिकों की सामाजिक स्थिति–

मनोरंजन के साधन पर वर्तमान समय में सिनेमा, टी.व्ही. स्मार्ट फोन रेडियो आदि मनोरंजन के साधनो में अग्रणी है निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को मनोरंजन एक संजीवनी का काम करती है दिन प्रतिदिन के कार्य की व्यस्तताओं तथा मानसिक तनाव से मुक्ति पाने कि लिए मनोरंजन के साधन एक शक्ति का काम करती है लेकिन श्रमिक श्रम कार्य करने पर जरूरी नहीं कि उनके पास मनोरंजन के साधन उपलब्ध हों इसलिए ज्यादातर श्रमिकों को सिनेमा देखना उनको अच्छा लगता है। चुने हुये श्रमिकों में भी सिनेमा देखने प्रवृत्ति देखने को मिली है। शोधकर्ता द्वारा तालिका के माध्यम से पेपर एवं अखबारी कागज मिल में कार्यरत् श्रमिक की मनोरंजन की स्थिति जानी।

तालिका 4.15

सिनेमा देखने की प्रवृत्ति दर्शक तालिका

सिनेमा देखने वालों की संख्या	ओरिएंट पेपर मिल		अखबारी पेपर मिल		कुल
	श्रमिक संख्या	प्रतिशत	श्रमिक संख्या	प्रतिशत	
सप्ताह में एक बार	57	19	30	10	87
सप्ताह में दो बार	60	20	9	3	69
सप्ताह में तीन बार	39	13	42	14	81
चारों सप्ताह	54	18	48	16	102
महीने में एक बार	18	6	60	20	78
महीने में पांच बार	27	9	39	13	66
प्रत्येक माह	24	8	36	12	60
साल में एक बार	9	3	21	7	30
बिल्कुल नहीं	12	4	15	5	27
योग	**300**	**100**	**300**	**100**	**600**

स्त्रोत:– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023

विश्लेषण: तालिका 4.15 से स्पष्ट है कि अधिकांश श्रमिक सिनेमा देखने के शौकीन हैं मात्र दोनों मिलों में 4% (12) एवं 5% (15) श्रमिक सिनेमा नहीं देखते हैं दोनों मिलों में 18% एवं 16% श्रमिक ऐसे हैं जो महीने में चारों सप्ताह सिनेमा देखते हैं। इसी प्रकार तालिका का शोधकर्ता द्वारा अध्ययन कर विश्लेषण किया जा सकता है।

निष्कर्ष: यह एक आश्चर्य का विषय है कि श्रमिक जिनकी आय स्थायी नहीं है और सीमित है वे मनोरंजन के साधनों पर इतना खर्च कैसे कर लेते हैं। किंतु श्रमिकों का मत था कि कार्य की थकान मिटाने के लिए मनोरंजन के साधनो पर खर्च करते है।

चित्रः 4.5

शोधकर्ता द्वारा रेखाचित्र के माध्यम से मनोरंजन की स्थिति प्रदर्शित किया गया है।

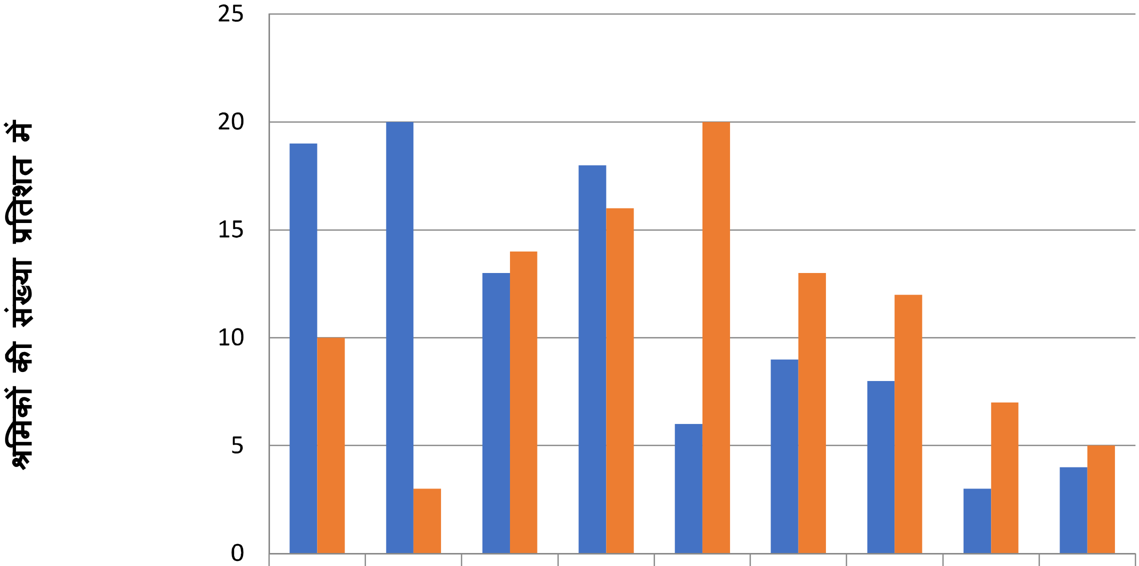

	सप्ताह में एक बार	सप्ताह में दो बार	सप्ताह में तीन बार	चारों सप्ताह	महीने में एक बार	महीने में पांच बार	प्रत्येक माह	साल में एक बार	बिल्कुल नहीं
ओरिएंट पेपर मिल	19	20	13	18	6	9	8	3	4
अखबारी कागज मिल	10	3	14	16	20	13	12	7	5

स्त्रोतः– प्राथमिक समंक 2023

4.6.3 ओरिएंट पेपर मिल एवं अखबारी कागज मिल में कार्यरत् श्रमिकों की सामाजिक स्थिति शिक्षा के आधार परः–

समाज शिक्षा के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है तो ठीक उसी प्रकार शिक्षा भी सामाजिक परिवर्तन लाती है चाहे आर्थिक, राजनीतिक व भौगोलिक स्वरूप हों। शिक्षा व सामाजिक सुधार एवं प्रगति–शिक्षा समाज के व्यक्तियों को इस योग्य बनाती है कि वह समाज में व्याप्त समस्याओं, कुरीतियों गलत परम्पराओं के प्रति सचेत होकर उसकी आलोचना करते हैं।

पेपर और अखबारी कागज मिल में कार्यरत् श्रमिकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण से ही कम से कम लागत में अधिकतम निर्माण किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की शिक्षा से श्रमिकों का आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और आंकलन करने की शक्ति में वृद्धि होती है। जिससे वह श्रमिक जो कार्य कर रहा है उसे वह सही और उचित ढंग से पूर्ण कर सकते हैं। अशिक्षा का परिणाम उसके कार्य एवं परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। निर्माण

उद्योग समूहों का भी कर्तब्य रहता है कि वे सभी श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करें जिससे उनके कार्य पर भी अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ सके जिससे कम से कम हानि हो सके।

शोधकर्ता द्वारा पेपर एवं अखबारी कागज में कार्यरत् श्रमिकों का ही अध्ययन किया गया है ओरिएण्ट पेपर मिल में सभी प्रकार के श्रमिक कार्यरत् हैं। वहीं अगर बात करें अखबारी कागज मिल की तो वहां भी लगभग श्रमिक शिक्षित ही कार्यरत् हैं। यहां तालिका तथा रेखाचित्र के आधार पर श्रमिकों के शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित किया गया है:–

तालिका 4.16

दोनों मिलों में श्रमिकों द्वारा प्राप्त शिक्षा दर्शक तालिका

शिक्षा का स्तर	ओरिएंड पेपर मिल		अखबारी कागज मिल		कुल श्रमिक
	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत (%)	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत (%)	
अशिक्षित	61	20.33	24	8	85
प्राथमिक	73	24.33	18	6	91
माध्यमिक	65	21.67	54	18	119
मैट्रिक	35	11.67	66	22	101
पोस्ट मैट्रिक 12वीं	28	9.33	36	12	64
स्नातक	26	8.67	60	20	86
स्नातकोत्तर	12	4	42	14	54
योग	300	100	300	100	600

स्त्रोत:– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023

विश्लेषण:–तालिका 4.16 से स्पष्ट है कि दोनों मिलों में कुल 600 श्रमिकों में से 119 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी शिक्षा का स्तर माध्यमिक तक है। जिसमें ओरिएंट पेपर मिल में 21. 67 प्रतिशत (65) एवं अखबारी पेपर मिल में 18 प्रतिशत (54) श्रमिक हैं। ओरिएंट पेपर मिल में स्नातकोत्तर श्रमिक 12 प्रतिशत हैं वहीं अखबारी पेपर मिल में 14 प्रतिशत स्नातकोत्तर श्रमिक कार्यरत हैं।

निष्कर्ष:–इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि 70 प्रतिशत श्रमिक बहुत ही कम शिक्षा प्राप्त कर पाये हैं और अशिक्षित होने से वे अपने कार्य में कुशलता प्राप्त करने में असफल रहते हैं ऐसा सर्वेक्षण से जानकारी प्राप्त की गई है।

पेपर एवं अखबारी कागज मिल में कार्यरत् श्रमिकों को शिक्षा कम होने से उनको प्रशिक्षण देकर भी निर्माण कार्य के लिए योग्य बनाया जाता है जिससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है और वे अधिक शक्ति से कार्य करते हैं। श्रमिको की शिक्षा को रेखाचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं:–

चित्र : 4.6
दोनों मिलों में शिक्षा की स्थिति का रेखाचित्र

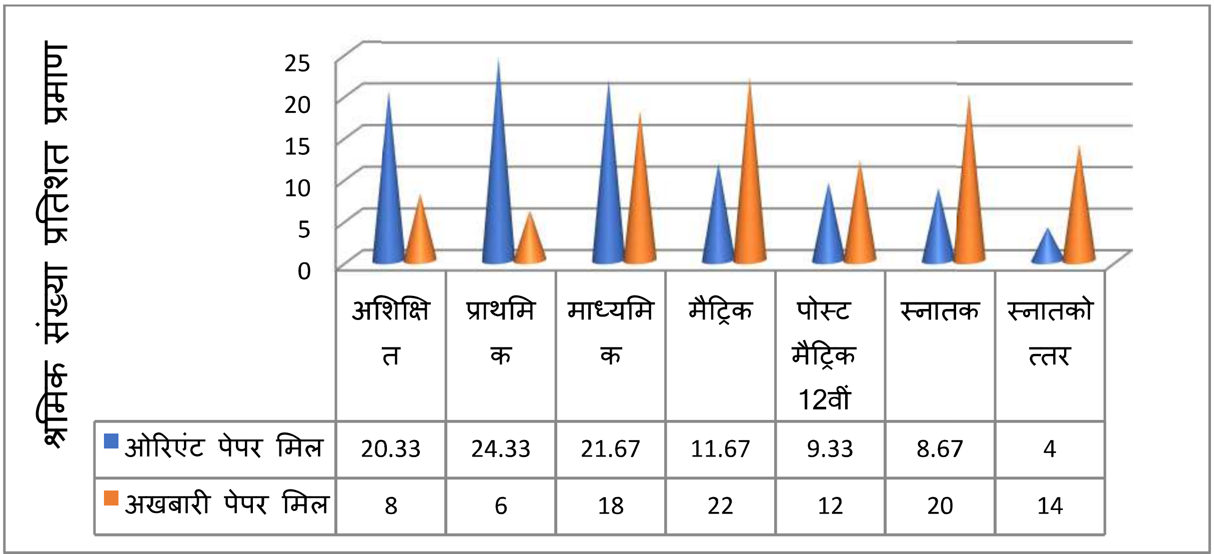

	अशिक्षित	प्राथमिक	माध्यमिक	मैट्रिक	पोस्ट मैट्रिक 12वीं	स्नातक	स्नातकोत्तर
ओरिएंट पेपर मिल	20.33	24.33	21.67	11.67	9.33	8.67	4
अखबारी पेपर मिल	8	6	18	22	12	20	14

पेपर मिलों में शिक्षा की स्थिति

स्त्रोतः– प्राथमिक समंक 2023

4.6.4 ओरिएंट पेपर एवं अखबारी कागज मिलों में श्रमिकों की स्वास्थ्य व सुरक्षा–

किसी भी कार्य में अगर वेतन के अतिरिक्त नौकरी की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की स्थिति का अवलोकन समय–समय हो तो किसी भी औद्योगिक इकाई को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।

मिलों में कार्य करने वाला श्रमिको का जीवन अत्यंत ही जोखिम पूर्ण होता है। इस जोखिम को कुछ कम करने के लिए प्रबंधक एवं सरकार द्वारा स्वास्थ्य नीतियां लागू करने से ही श्रमिकों में उत्साह रहता है तथा कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होति है।

पेपर मिलो में कार्य करने वाले श्रमिकों को समय–समय पर स्वास्थ्य सुविधा का भी लाभ दिया जाता है। श्रमिकों से बात करने पर यह जानकारी मिली की मिलों में जो कर्मचारी श्रमिक नियमित हैं उनको हॉस्पिटल की सुविधा तथा आश्रित परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाती है। मिलों में अलग–अलग प्रकार की क्रियाओं को लागू किया जाता है जिसमें स्वास्थ्य दिवस, शारीरिक व्यायाम आदि पर परामर्श शामिल है। इसके साथ ही सप्ताहिक (Weekly) स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। अलग–अलग विभागों के अनुसार माह दर माह कमेटी गठित कर स्वास्थ्य से संबंधित श्रमिकों के लिए नीतियाँ बनाकर लागू किया जाता है। श्रमिकों से हानिकारक कारकों पर उनकी सुरक्षा के लिए अलग–अलग प्रकार से उपाय भी किये जाते है। ताकि किसी भी प्रकार से दुर्घटना न हो जब भी किसी मिल में कोई तकनीकी या सुरक्षा से सबंधित समस्या हो तो उसका पता लगाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसका समाधान करना चाहिए जिसमें श्रमिकों से उत्पादन की क्षमता में किसी भी प्रकार की समस्याएँ उप्पन्न न हों। मिलो में मानव संसाधन, उत्पादन,

व्यवसायिक सुरक्षा पैरामेडिक्स और वर्क्स काउसिंल में कार्य समूहों के नियमित बैठकों और निकट सहयोग के माध्यम से विशिष्ट समस्याओं को उठाया जा रहा है। विशिष्ट क्षेत्र शोर संरक्षण, धूम्रपान न करने वालों की सुरक्षा काम की स्थिति, कार्यस्थल का आकलन आदि।

स्वास्थ्य और सुरक्षा स्तम्भ जैसी संयंत्रव्यापी प्रक्रिया को लागू करने का निर्माण केवल प्रबंधन टीम के पूर्ण समर्थन से ही लिया जा सकता है। जब स्तम्भ क्रियान्वित होता है तो इसमें शामिल विभागों के सदस्य इसके कार्य और इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होते है। मिलों में समस्याओं की पहचान पहले ही कर ली जाती है और इसके परिणाम स्वरूप उपचारों को और अधिक तेजी से खोजने और लागू करने की कोशिश की जाती है। पेपर मिलों में अलग–अलग शिफ्ट के आधार पर श्रमिकों से कार्य लिया जाता है जिससे उनको मानसिक थकान भी नही होती तथा दुर्घटना होने की सम्भावनाएँ भी कम होती है।

कार्यस्थल में स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रचार कानूनी आवश्यकताओं से ऊपर और एक नैतिक अनिवार्यता का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार पारस्परिक विश्वास समझ और जागरूकता पैदा करने वाली कुछ गतिविधियों को उजागर करके पूरी कम्पनियों में सुरक्षा संस्कृति का प्रसार करना एक परम प्राथमिकता है। मिलों में श्रमिको के देखभाल के लिए अस्पतालें भी है जिससे मिलो के कार्यरत श्रमिकों का इलाज भी किया जाता है।

शोधकर्ता द्वारा ओरियंट पेपर मिल तथा अखबारी कागज मिलों में कार्यरत् श्रमिको का तुलनात्मक अध्ययन कागज कर मिलो में श्रमिकों का स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को अपने शोधग्रंथ में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आइये अब समझते हैं कि दोनो मिलों में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम ये लाभान्वित होने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है आमतौर पर श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मिलों में अलग से अस्पताल (Hospital) की सुविधा रहती है। मिलों में शिविरों की जानकारी :–

सारणीक्र. 4.17

श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा स्थिति

कैंप	घटनाओं की संख्या	लाभान्वित श्रमिक	घटनाओं की संख्या	लाभान्वित श्रमिक	लाभान्वित श्रमिक
स्वास्थ्य परीक्षण	12	135	18	140	275
रक्तदान	4	45	9	40	85
परिवार नियोजन	18	80	10	85	165
आँख परीक्षण	6	40	3	35	75
योग	40	300	40	300	600

स्त्रोतः– प्राथमिक समंक 2023

चित्र : 4.7 (क)
स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

स्त्रोत:– द्वितीय समंक, नेपा लि. वेबसाइट (https://www.nepamills.co.in)

चित्र : 4.7 (ख)
स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

स्त्रोत:– द्वितीय समंक, नेपा लि. वेबसाइट (https://www.nepamills.co.in)

चित्र : 4.7 (ग)

स्त्रोत:– द्वितीय समंक, नेपा लि. वेबसाइट (https://www.nepamills.co.in)

मिलों में पृथक–पृथक विभागों में सभी कर्मचारी व श्रमिक का प्रति माह स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है ये परीक्षण निम्नांकित विभागों में इस प्रकार है–

सारणी 4.18

दोनों मिलों में स्वास्थ्य परीक्षण तालिका

विभाग		स्वास्थ्य परीक्षण	ओरिएंट पेपर मिल में श्रमिकों की संख्या	अखबारी पेपर मिल में श्रमिकों की संख्या	दोनों मिलों की कुल श्रमिक संख्या
E	पावर हाउस	आंख परीक्षण	61	24	85
C	सोडा रिकवरी	जनरल हेल्थ चेकअप	73	18	91
A	पल्प मिल	खून, जनरल	65	54	119
G	पेपर हाउस	जनरल हेल्थ	35	66	101
D	पेपर मशीन	यूरीन, खून, जनरल	28	36	64
B	चिपर हाउस	खून, जनरल	26	60	86
F	बम्मबू	जनरल हेल्थ परीक्षण	12	42	54
योग			300	300	600

स्त्रोत:–व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2023

चित्र : 4.8

दोनों मिलों के श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण विभागवार

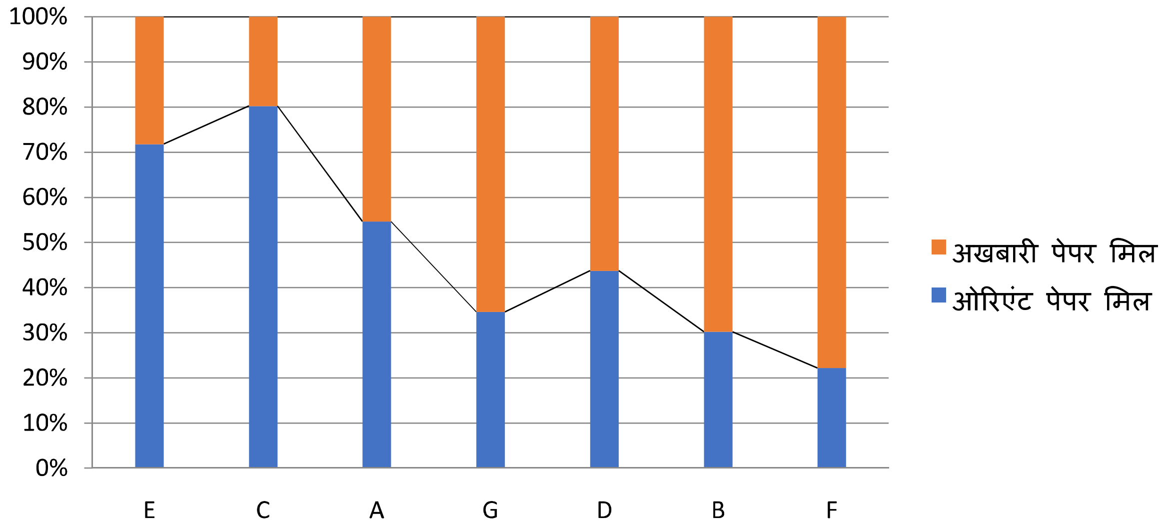

स्त्रोतः— व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023

विश्लेषणः उपर्युक्त सारणी 4.18से स्पष्ट है कि मिलों में स्वास्थ्य का परीक्षण विभागों के अनुसार अलग–अलग परीक्षण किया जाता है आप देख सकते है कि विभाग (G) बम्मवू में प्रतिमाह सबसे ज्यादा स्वास्थ्य परीक्षण किया है इसके बाद विभाग (F) में प्रतिमाह स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। सबसे कम विभाग (A), पल्प मिल में श्रमिको का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, इसको हम पाई–चार्ट के माध्यम से भी प्रतिशत के अनुसार समझ सकते है–

चित्र : 4.9

दोनों मिलों के श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण विभागवार (पाई चार्ट)

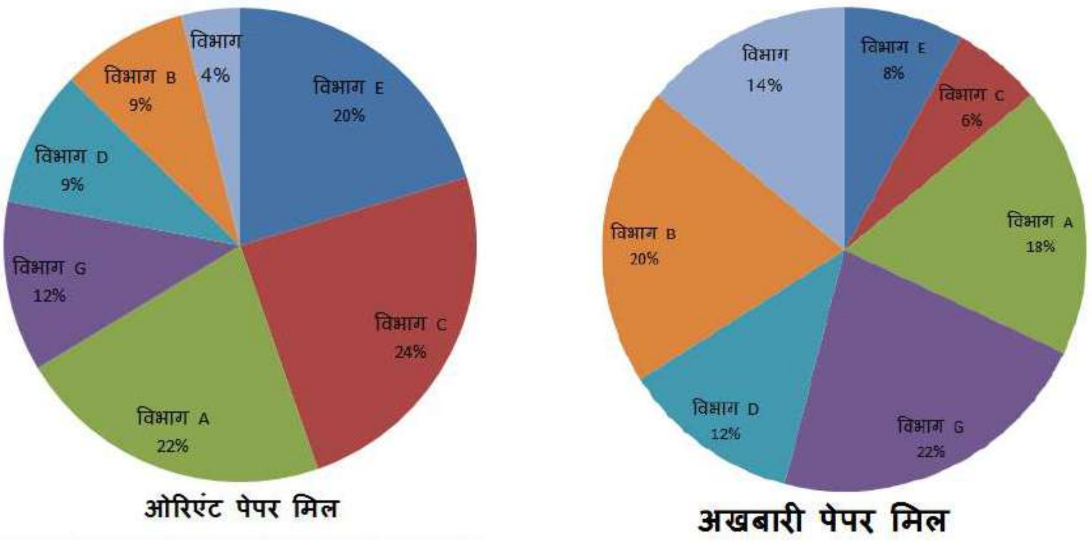

स्त्रोतः— प्राथमिक समंक 2023

उपर्युक्त पाई चार्ट 4.9 से स्पष्ट होता है कि मिलों में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण विभाग (G) पेपर हाउस में सबसे ज्यादा 25 प्रतिशत स्वास्थ्य परीक्षण होता है। तथा सबसे कम विभाग (A) पल्प मिल में 6.5 प्रतिशत प्रतिमाह स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। जिसमें श्रमिकों में कार्य करने की क्षमता तथा उत्पादन बढ़ता है।

4.7 पेपर एवं अखबारी कागज मिल में असंगठित श्रमिकों की स्थिति

सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि असंगठित श्रमिक कौन होते हैं एवं असंगठित श्रमिक को राज्य सरकार ने क्या क्या योजनाएँ लागू की हैं–

असंगठित श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है, जो 18–60 वर्ष की आयु का हो तथा नौकरी, स्वरोजगार, घरो में कार्य का वेतन हेतु अन्य अस्थाई प्रकृति के कार्य कर रहा हो, असंगठित श्रमिक वह है जो किसी ऐसे कार्य में नियोजित हो जो किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से या फिर प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा हो जिन्हें बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटि, पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं होता हो।

असंगठित क्षेत्र में प्रमुख रूप से निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले, कृषि ठेले पर व्यवसाय करने वाले, खदानों आदि में कार्य करने वाले श्रमिक आते हैं। अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति के कारण हमेशा यह श्रमिक अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। इनका कार्य स्थाई प्रकृति का नहीं होता है। निश्चित आय के साधन नहीं होते हैं। शासन–प्रशासन द्वारा इनकी इस स्थिति को सुधारने हेतु कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं जो निम्न हैं–

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम
2. राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
3. जननी सुरक्षा योजना
4. हथकरघा बुनकर समग्र कल्याण स्कीम
5. हस्तशिल्प कारीगर समग्र कल्याण स्कीम
6. मास्टर क्राफ्ट व्यक्तियों के लिए पेंशन
7. जनश्री बीमा योजना
8. आम आदमी बीमा योजना
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

सरकार द्वारा सभी उद्योगों के लिए समय–समय पर सरकारी स्कीमों में संशोधन करती रहती है इन सभी स्कीमों को पेपर एवं अखबारी कागज मिल में लागू किया जा चुका है। शोधकर्ता द्वारा पेपर एवं अखबारी कागज मिल से तथ्यों एवं सूचनाओं का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीय समंको के माध्यम से किया गया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का

प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया है एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति उनकी जागरूकता का अध्ययन किया गया है। शोध हेतु देव निदर्शन विधी के माध्यम से 1000 असंगठित श्रमिकों के शैक्षणिक एवं जागरूकता के स्तर को तालिकाओं द्वारा निम्न प्रकार से दर्शाया गया है।

सारणी 4.19

सर्वेक्षण के आधार पर श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	ओरिएंट पेपर मिल		अखबारी पेपर मिल		कुल श्रमिक
		उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	
1	अशिक्षित	96	32	75	25	171
2	साक्षर	90	30	84	28	174
3	प्राथमिक स्तर	51	17	99	33	150
4	माध्यमिक स्तर	63	21	42	14	105
	योग	300	100	300	100	600

स्त्रोत:– व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित, 2022–23

चित्र : 4.10

मिलो में श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति

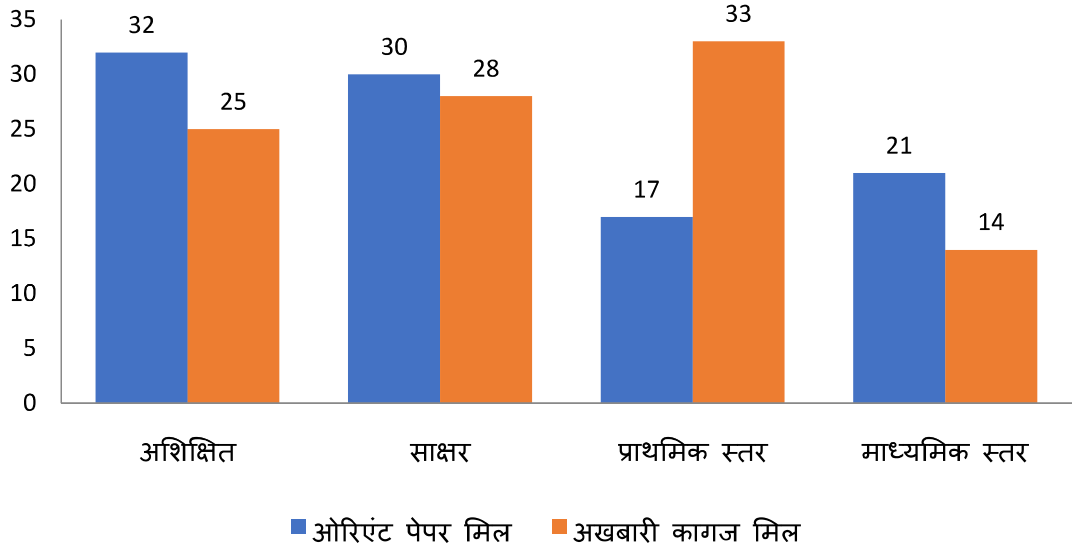

स्त्रोत:– व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित, 2023

उपर्युक्त तालिका 4.19 से स्पष्ट होता है कि दोनों मिलों में श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति को प्रतिशत के आधार पर व्यक्त किया गया है, जिसमें ओरिएंट पेपर मिलों में अशिक्षित श्रमिकों का प्रतिशत 32 एवं अखबारी पेपर मिल में 25 प्रतिशत है इसी प्रकार अन्य शिक्षण के स्तर में हैं।

श्रमिकों को अशिक्षित होने का मुख्य कारण इनके परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति है इनमें से कोई श्रमिक काम की तलाश मे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते है। एक स्थान पर लम्बे समय तक निवास नहीं करते है इस कारण भी इनके बच्चे लगातार स्कूल में नहीं जा पाते है। सामाजिक सुरक्षा योजना के मूल उद्देश्यों तथा असंगठित श्रमिकों के सामाजिक व आर्थिक विकास के मार्ग में अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है। इस हेतु इनकी शिक्षा के लिये सार्थक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

सारणी 4.20

श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी का स्तर

क्र.	सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	कुल श्रमिक
		श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	
01	हाँ	195	65	204	68	399
02	नहीं	105	35	96	32	201
	योग	300	100	300	100	600

स्त्रोत:– व्यक्तिगत सर्वेक्षण

चित्र : 4.11

श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी

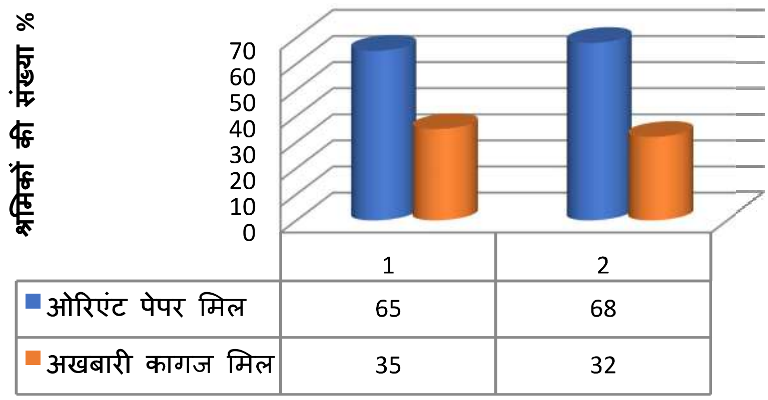

स्त्रोत:– द्वितीय समंक (श्वेत पत्र)

विश्लेषण : सारणी 4.20 से स्पष्ट है कि दोनों मिलों में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी ओरिएंट में 65% (195) एवं अखबारी पेपर मिल में 68% (204) को जानकारी है तथा ओरिएंट पेपर मिल में 35% को योजना की जानकारी नहीं है वहीं 32% अखबारी पेपर मिल में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी नहीं है आप सारणी एवं रेखाचित्र से समझ सकते हैं।

सारणी 4.21

सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी प्राप्त करने के स्त्रोत

क्र.	जानकारी के स्त्रोत (माध्यम)	ओरिएंट पेपर मिल		अखबारी पेपर मिल		कुल श्रमिक
		श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	
1	शिविरों से	90	30	105	35	195
2	समाचार पत्रों से	87	29	90	30	177
3	टी.वी. / रेडियो से	78	26	81	27	159
4	अन्य माध्यम	45	15	24	8	69
	योग	300	100	300	100	600

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

चित्र : 4.12

सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी प्राप्त करने के स्त्रोत

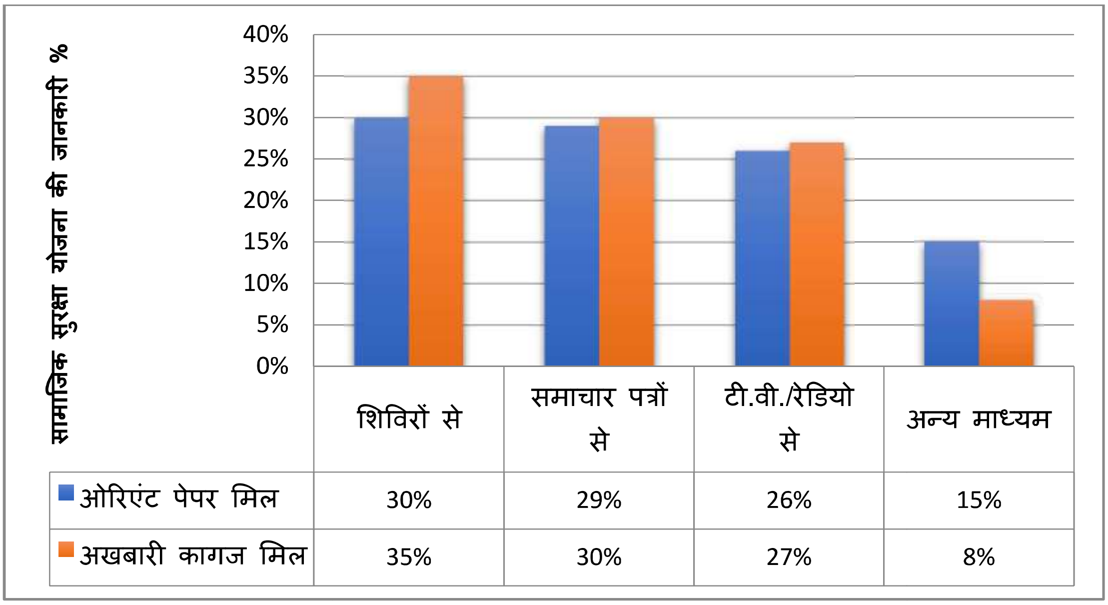

स्त्रोतः– प्राथमिक समंक 2023

विश्लेषण – उपरोक्त तालिका 4.21 से स्पष्ट होता है कि पेपर मिलों द्वारा योजना की प्रचार–प्रसार हेतु लगाये गये विभिन्न शिविर के माध्यम से अखबारी पेपर मिल में 35% (90) श्रमिक से सामाजिक योजना की जानकारी प्राप्त करने के स्रोत थे। ओरिएंट पेपर मिल में यह संख्या 30% थी, जो शिविर के माध्यम से प्राप्त हुई।

सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी का स्तर बढाने हेतु ज्यादा से ज्यादा एवं निश्चित समय अंतराल में शिविर लगाये जाने की आश्यकता है। ठेकेदारो एवं उद्योग मालिकों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देने एवं योजनाओं का लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है। यह समझाने का कार्य निश्चित किया जाना आवश्यक है इस संबंध में निश्चित नियम बनाने की भी आवश्यकता है जिससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मूल उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लाभ के लिए राज्य सरकार ने समय–समय पर असंगठित से संबंधित योजना सहित उपयुक्त कल्याणकारी योजनाओं को विस्तारित किया है–

- भविष्य निधि
- नियोजन क्षति लाभ
- आवासन
- बालकों के लिए शिक्षा संबंधी
- कर्मकारों के कौशल का उन्नयन
- अंतयेष्टि सहायता
- वृद्धाश्रम

4.8 पेपर एवं अखबारी कागज मिल में कार्यरत् श्रमिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की नीतियाँ

पेपर एवं अखबारी कागज मिलो में स्वास्थ्य और सुरक्षा एक उच्च प्राथमिकता होती है जिसे सदस्य इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के अभिन्न अंग के रूप में महत्व देते है। निर्माण क्षेत्र की विशेष विशेषताओं को देखते हुए, इसकी दुर्घटनाओं और अनुबंधित बीमारियों की दर अधिक है, इस लिए पेपर मिलो में व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (DHSMS - Department of Health System Management Studies) के डिजाइन और कार्यान्वयन के माध्यम से अपने श्रमिको के स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहती है। सभी संसाधनो में मानव शक्ति ही एक ऐसा संसाधन है जो समय बीतने के साथ कम

नही होता इसलिए इस संसाधन की सुरक्षा करना प्रत्येक नियोक्ता का कर्तव्य है क्योंकि मानव संसाधन के बिना कोई भी औद्योगिक इकाई जीवित नही रह सकती है। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में मानव संसाधन को कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है ताकि वे अपना कार्य सुरक्षित रूप से कर सके। इस प्रकार की सुविधाओं को कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सुरक्षा सुविधाएँ कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कागज उद्योग के विकास की अपर सम्भावना को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अखबारी पेपर मिल नेपा लिमिटेड एवं निजि क्षेत्र के उपक्रम ओरिएंट पेपर मिल, अमलाई, राज्य में पेपर मिलो की स्थापना मिलों में दुर्घटना मुक्त सेवा और दुर्घटना मुक्त प्रदर्शन किसी भी उद्योग के लिए सुरक्षा का प्रदर्शन सूचक है।

अत्यधिक मशीनीकरण के कारण हमारा जीवन बहुत तेज हो गया है। नई तकनीकों के अविष्कार किये जाने से उद्योगों के दुर्घटनाओं से होने वाले खतरे को बढाया है। ये खतरे अलग–अलग प्रकृति के हो सकते है जैसे भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक, विद्युत आदि मशीनों और उपकरणो को संभालने संचालन और रखरखाव में सावधानी दुर्घटना की सम्भावना को सीमित कर सकती है जिसमें मानव जीवन का समय और धन दोनो खर्च होता है। लेकिन खतरो के लिए हम औद्योगिक विकास को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। इस उद्देश्य के सबसे मूल्यवान मानव संसाधन की सुरक्षा के लिए प्रबंधन की आवश्यकता है।

दोनो पेपर एवं अखबारी कागज मिलो में निम्नलिखित खतरो के खिलाफ सुरक्षा उपाय किए गए हैं–

* यांत्रिक खतरे– वे उभरी हुई मशीनरी और मशीनरी के चलते मांगो से हो सकते जिसमें घूमने वाली मशीनरी, कन्वेयर बेल्ट मशीन टूल्स, सामग्री शामिल है। हैडलिंग उपकरण, मोबाइल उपकरण, दबाव वाहिकाओं आदि।
* संरचनात्मक खतरे– इस प्रकार के खतरे अधिक ऊँचाई आदि पर काम करने से संबधित है और इसमे सीढिया, चिमनी आदि।
* आग और विस्फोट– पेपर उद्योग में श्रमिको को जो प्रमुख जोखिम उद्योग के अंतर्गत आता है, ऐसी कई वस्तुएँ है जो प्रकृति में ज्वलनशील है जो बांस से लेकर कागज तक, विभिन्न प्रकार के तेल के अलावा, ग्रीस, स्नेहक और हाइड्रोजन गैस में भी आग लगने की सम्भावना रहती है मिलो में श्रमिको की सुरक्षा रहती है मिलो में श्रमिको की सुरक्षा के लिए सुरक्षा किट दिया जाता है। अगर श्रमिकों के पास किट नही रहती तो कार्य नहीं करने दिया जाता है सुरक्षा किट अनिवार्य है।
* बिजली का खतरा– घर की आपूर्ति सामान्य रूप से 220 वोल्ट लाइन वोल्टेज के साथ सिंगल फेज पर जाति है। इसके अलावा दोनो मिलों में बिजली से होने वालों खतरों के पूर्व व्यवस्थाएँ की जाती है तथा सभी को अनिवार्य सुरक्षा किट प्रदान किया जाता है।

* जैविक खतरे– पेपर मिलो में श्रमिकों को अप्रभावी और परजीवी एजेंटो के सम्पर्क में लाया जा सकता है। इस श्रेणी में व्यवसायिक रोग, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, टेटनस, फंगल संक्रमण आदि।
* रासायनिक खतरें– शायद ही कोई उद्योग होगा जो रसायनों का उपयोग नही करता हो नए और पूर्ण रसायनों की शुरआत के साथ रासायनिक खतरे बढ़ रहे औद्योगिक रसायनों के सम्पर्क में आने से त्वचारोग, एलर्जी, कैंसर आदि हो सकते हैं वैधानिक रूप से किसी भी कारखाने में सुरक्षा और व्यवसायिक स्वास्थ्य बनाए रखने की जिम्मेदारी अधिष्ठता होती है। ज्यादातर कारखाना प्रबंधक श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी और सरकार की सहायता से सुरक्षा और व्यवसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखता है।

दोनों पेपर मिलों में निम्नांकित गतिविधियाँ की जाती हैं–

प्रशिक्षण–ओरिएंट पेपर मिल और अखबारी कागज मिल दोनो मिलो के सभी तकनीकी कर्मचारियों को सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और अग्निशमन का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके अलावा बाहरी और साथ ही आंतरिक दोनो संकाय सुरक्षा से संबंधित विशिष्ट विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित किये जाते है। प्रशिक्षण अवधि के समय खतरनाक रसायनों के सम्पर्क में आने से उत्पन्न होने वाले सम्भावित खतरों के बारे में जानकारी दी जाती है।

सुरक्षा प्रबंध में कामगारों की भागीदारी दोनो मिलो में सुरक्षा समिति गठित की गई है जो कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 4 (A) में कामगारो की भागीदारी समान संख्या शामिल किया जायेगा। कर्मचारियों तथा श्रमिको को सुझाव देने की सुविधा के लिए दोनो मिलो के टाइम ऑफिस के सामने बाक्स रखे गए है। मिलो में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित अन्य नीतिया निम्न प्रकार है–

* राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और अग्निशमन सेवा दिवस भी मनाया जाता है।
* पेपर मिल्स मे अलग–अलग व्यक्तिगत और विभागीय सुरक्षा पुरस्कार भी दिया जाता है जिससे कर्मचारियों एवं श्रमिकों का कार्य के प्रति मनोबल भी बढ़ता है।
* दोनो मिलो में कार्य निर्देश, सावधानी नोटिस सुरक्षा संकेत, पोस्टर आदि का प्रदर्शन भी किया गया है।
* मिलो में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) की आपूर्ति की जाती है तथा सभी को औद्योगिक सुरक्षा जूते, सुरक्षा हेलमेट, गमबूट विभिन्न प्रकार के हाथ के दस्ताने आदि अनिवार्य है।

* दोनो मिलो में अपने कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए संस्था का स्वयं का Hospital है जहाँ पर कर्मचारियों का मुफ्त में इलाज की सुविधा दी जाती है, लेकिन सुविधा नियमित कर्मचारियों को दी जाती है अस्थायी या असंगठित श्रमिको को नही। औद्योगिक प्रबंधको को इनकी भी स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए व्यवस्था किया जाना चाहिए।

अध्याय–5

दोनों मिलों में कार्यरत् श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन

ओरिएंट पेपर मिल एवं अखबारी कागज मिल दोनों ही मिलों में कार्यरत् श्रमिकों के आर्थिक विकास का विभिन्न स्तरों पर शोधकर्ता द्वारा तुलनात्मक तथा विश्लेशणात्मक अध्ययन किया गया है, हम सभी को ज्ञात है कि किसी भी इकाई के विकास के लिये उसके आस–पास के उपलब्ध साधन महत्वपूर्ण होते हैं, और इन महत्वपूर्ण साधनों का कुशलता से प्रयोग एवं उपयोग करना कुशल श्रमिकों का होना अति आवश्यक होता है। जिनकी सहायता से इकाईयों की मूल आवश्यकता पूरी हो सके जैसे– उच्च तकनीकी, अच्छी गुणवत्ता वाली कच्ची सामग्री,कुशल श्रम तथा स्वस्थ प्रबंधन आदि।

शोधकर्ता द्वारा दोनों मिलों का तुलनात्मक तथा विश्लेशणात्मक अध्ययन के लिये जो मापदंड अपनाये गये हैं उनको अलग–अलग भागों में बांटा गया है, जिससे कि दोनों मिलों के श्रमिकों की स्थिति की जानकारी हो सके विभिन्न स्तर निम्नांकित हैं–

1. दोनों मिलों में श्रमिकों की विभेदात्मक मजदूरी संबंधी जानकारी।
2. दोनों मिलों में महिला श्रमिकों की मातृत्व स्थिति का अध्ययन।
3. दोनों मिलों में श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन।
4. दोनों मिलों में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन,
   म.प्र. आर्थिक सर्वेक्षण में श्रमिकों की स्थिति।
5. दोनों मिलों में श्रमिकों की सुविधाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन।
6. दोनों मिलों में शहरी एवं ग्रामीण श्रमिकों की स्थिति ।
7. दोनों मिलों में संगठित श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन ।
8. दोनों मिलों में असंगठित श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन ।
9. मिलो में विवादों एवं विवाद निष्पादन का अध्ययन।
10. दोनों मिलों में श्रमिकों के शोषणात्मक स्थिति का अध्ययन।

शोधकर्ता द्वारा इन्हीं बिंदुओं के आधार पर दोनों मिलों की स्थिति का अध्ययन कर अपनी परिकल्पनाओं को सही या गलत कर खोज करना चाहता है ।

नेपा पेपर मिल या नेपा लिमिटेड में कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर की जाती है, जिसमें उनकी योग्यता तथा अनुभव के आधार पर चयन किया जाता है, योग्यता तथा अनुभव में अलग–अलग विभाग के आधार पर निर्धारित किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि नेपा लिमिटेड, भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत अखबारी कागज उत्पादन में एक अग्रणी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है, जिसमें कर्मचारियों की नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर किया जाता है। शोधकर्ता द्वारा दोनों मिलों का वेतन एवं मजदूरी संबंधी आंकड़ों को सारणी के माध्यम से विश्लेषण किया गया है–

1. दोनों मिलों में श्रमिकों के विभेदात्मक मजदूरी संबंधी जानकारी शोधकर्ता द्वारा सारणी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है–

तालिका 5.1

ओरिएंट पेपर मिल एवं अखबारी कागज मिल में श्रमिकों के मजदूरी की स्थिति

दैनिक मजदूरी (रुपये)	ओरिएंट पेपर मिल		नेपा लिमिटेड		कुल श्रमिक
	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	
200–250	114	38	75	25	189
250–300	60	20	33	11	93
300–350	45	15	66	22	111
350–400	42	14	90	30	132
400–450	21	7	24	8	45
450–500	18	6	12	4	30
योग	**300**	**100**	**300**	**100**	**300**

स्त्रोत:– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023

विश्लेषण:– तालिका क्र. 5.1 से स्पष्ट होता है कि दोनों पेपर मिलों में मजदूरी की दरों एवं कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या में अंतर है। आप तालिका को देख सकते हैं

जिसमें 200–300 रु/प्रति दिन के आधार ओरिएंट पेपर मिल में लगभग 60 श्रमिक कार्य कर रहे हैं, वहीं अगर हम नेपा लिमिटेड (अखबारी कागज मिल) का विश्लेषण करें तो 300–350 रु. प्रतिदिन के आधार पर कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या 66 है लेकिन सबसे ज्यादा मजदूरी की बात करें तो अखबारी कागज मिल में 350–400 प्रतिदिन के आधार पर कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या अधिक है, चूंकि अखबारी कागज मिल एक सार्वजनिक भारी उद्योग की कंपनी है इसलिए वहां मजदूरी का निर्धारण सरकारी नीतियों के आधार पर होता है।

सारणी 5.2
सामान्तर माध्य की गणना
(ओरिएंट पेपर मिल)

वर्गान्तर	**संख्या**	**X**	**Fx**
200–250	114	225	25650
250–300	60	275	16500
300–350	45	325	14625
350–400	42	375	15750
400–450	21	425	8925
450–500	18	475	8550
योग	ΣF=300	-	ΣF = 90000

स्त्रोतः– प्राथमिक समंक

$$X = \frac{\Sigma Fx}{\Sigma F} = \frac{90000}{300} = 300$$

$$= 300$$

सारणी से स्पष्ट है कि श्रमिकों की औसत मजदूरी 300/– प्रतिदिन है।

सारणी 5.3
सामान्तर माध्य की गणना
(अखबारी कागज मिल)

वर्गान्तर	संख्या	X	Fx
200—250	75	225	16875
250—300	33	275	9075
300—350	66	325	21450
350—400	90	375	33750
400—450	24	425	10200
450—500	12	475	5700
योग	ΣF=300	-	ΣFx = 97050

स्त्रोतः— प्राथमिक समंक 2023—24

$$X = \frac{\Sigma Fx}{\Sigma F} = \frac{97050}{300} = 323.50$$

सारणी से स्पष्ट है कि श्रमिकों की औसत मजदूरी 323.50 प्रति दिन है।

विश्लेषणः ओरिएंट पेपर मिल एवं अखबारी मिल दोनों में मिलों के श्रमिकों की औसत मजदूरी ओरिएंट पेपर मिल में औसत 300 रुपये प्रति दिन एवं अखबारी कागज मिल में औसत मजदूरी 323.50 रुपये है अतः हम तुलना कर सकते है कि अखबारी कागज मिल में श्रमिकों की औसत मजदूरी ओरिएंट पेपर मिल में अधिक है जिसमें उनके आर्थिक विकास में एक मजबूत पैमाना है।

2. दोनों मिलों में महिला श्रमिकों की स्थिति

आज के समय में महिलाएं 8—12 घंटे काम कर रही हैं। उनके श्रम को पूरे दुनिया ने स्वीकारा है। 21वीं सदी वाली दुनिया में महिलाओं के श्रम नगण्य रही है। श्रम की इस प्रक्रिया में महिलाओं का स्थान भविष्य में देखना बहुत आवश्यक है। पूरे भारत में महिला कामगार की संख्या घर, मोहल्ले, कस्बे हर खेत, हर बस्ती, और न जाने कहाँ—कहाँ श्रम कर रही है, और करती रहेंगी। पूंजी के परिवर्तन समय में किया गया श्रम ही श्रम माना जाता है। किसी भी संस्था उद्योग में महिलाओं द्वारा किया गया कार्य सेवाभाव ही होता है। परिवार की नींव रखने वाली परिवार चलाने वाली महिलाएं ही तो होती हैं। पूरे भारत की

बात करें तो पाएंगे कि महिला श्रमिकों की संख्या सबसे ज्यादा है।भारत तथा मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान रहा है। उनकी श्रम के बल पर आज भी समाज, राज्य परिवार चल रहे हैं। पुरानी मान्यता के आधार पर अब पुरुष प्रधान समाज नहीं कह सकते समाज अब महिला प्रधान भी होते जा रहा है। एक न्यूज बुलेटिन के आधार पर विश्व बैंक की 1989 की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे के 35–40 प्रतिशत परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, यह परिवार की श्रम, कमाई पर आश्रित है। रिपोर्ट के अनुसार निचले तबकों के परिवारों में महिलाओं का योगदान बहुत महत्तवपूर्ण है। उत्पादन कार्य में जुटी महिलाएं, श्रम बेचने, श्रम देने एवं आर्थिक उत्पादन पर निर्भर गरीब परिवार महिलाएं ही हैं। आज भी समान मजदूरी की लड़ाई जारी है।

शोधकर्ता द्वारा दोनों मिलों में महिला कामगारों की संख्या का पता लगाने की कोशिश की गयी है, जिसमें श्रमिकों की स्थिति एवं उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति की जानकारी शोधकर्ता सारणी के माध्यम से प्रदर्शित की गयी है।

तालिका 5.4

दोनों मिलों में महिला श्रमिकों की संख्या

क्रम	ओरिएंट पेपर मिल	अखबारी कागज मिल	कुल
निरक्षर	18	12	30
साक्षर	16	30	46
विवाहित	26	35	61
अविवाहित	14	24	38
विधवा	06	04	10
योग	80	105	185

स्त्रोत:– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023

विश्लेषण:– तालिका क्र. 5.4 देखकर यह स्पष्ट होता है कि दोनों मिलों में सभी प्रकार के महिला उम्मीदवार मिलों मे कार्य कर रहे हैं। कुल महिला श्रमिकों की बात करें तो साक्षर महिला 46 हैं, वहीं दोनों मिलों में विवाहित महिलाओं संख्या सबसे ज्यादा 61 है, साथ ही मिलों में 10 विधवा महिलायें भी श्रम का कार्य का रही हैं तथा 30 निरक्षर महिला भी पेपर मिलों में कार्य कर रही हैं।

सारणी 5.5

ओरिएंट पेपर एवं अखबारी कागज मिल में (महिला श्रमिकों का) सहसंबंध गुणांक की गणना

ओरिएंट पेपर मिल (x)	dx=x-x̄	d^2x	अखबारी कागज मिल (y)	dy=y-ȳ	d^2y	dxdy
18	+ 2	4	12	- 9	81	- 18
16	0	0	30	+ 9	81	0
26	+ 10	100	35	+ 14	196	140
14	- 52	4	24	+ 3	9	6
6	-10	100	4	- 17	289	170
ΣX=80 N = 5	0	zd^2x= 454	Σy=105 N=5	0	Σd^2y=656	Σdxdy=298

स्त्रोतः— प्राथमिक समंक 2023—24

$$\bar{x} = \frac{\Sigma X}{N} = \frac{80}{5} = 16$$

$$\bar{y} = \frac{\Sigma y}{N} = \frac{105}{5} = 21$$

$$\sigma x = \frac{\sqrt{d^2x}}{N} = \frac{\sqrt{208}}{5} = \sqrt{41.6} = 6.45$$

$$\sigma y = \frac{\sqrt{d^2y}}{N} = \frac{\sqrt{656}}{5} = \sqrt{131.2} = 11.45$$

कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक —

$$r = \frac{\Sigma dxdy}{N\sigma x\sigma y} = \frac{298}{5 \, X \, 6.45 \, X \, 11.45} = \frac{298}{369.26} = 0.81$$

चित्र–1

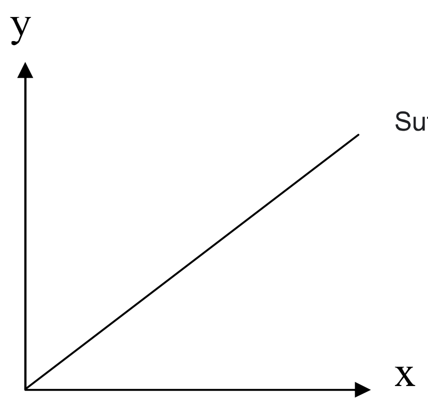

विश्लेषण:– उपर्युक्त दोनों मिलों में महिला श्रमिकों की स्थिति (संख्या) कार्ल पिर्यसन सहसंबंध गुणांक से स्पष्ट होता है कि दोनों मिलों में महिला श्रमिकों की संख्या में पर्याप्त उच्च–परिमाणीय सह–संबंध हैं। सारणी से स्पष्ट है कि मिलों में महिला श्रमिकों की संख्या भी देखने को मिलती है।

3. दोनों मिलों में श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन

मानव प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है जो अपने साथ कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर जन्म लेता है। शिक्षा के द्वारा मानव की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। यह कार्य मानव के जन्म से ही उसके परिवार द्वारा अनौपचारिक रूप से तत्पश्चात् विद्यालय भेजकर औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया जाता है। चूंकि ठेकेदारी व्यवस्था में कार्य करने वाले श्रमिक ज्यादातर प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर ही शिक्षा ग्रहण किये रहते हैं, तथा औद्योगिक स्थल में कार्य करने वाले कर्मचारियों की शिक्षा स्तर पर ध्यान दिया जाता है। दोनों मिलों में श्रमिकों की शिक्षा के आधार पर ही कार्य का बंटवारा किया जाता है।

अपने वास्तविक अर्थ में किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने–सिखाने की यह सप्रयोजन प्रक्रिया ही शिक्षा है। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाली श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाया जाना आवश्यक है, जो शिक्षा से ही संम्भव है।

औद्योगिक विकास को संचालित करने के लिये श्रम शक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत एक जनसंख्या प्रधान देश है। तथा मानव संसाधन का उपयोग लगभग प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रों में होता है, क्योंकि श्रमिक मनुष्य होने के कारण उसमें चैतन्यता,

गतिशीलता एवं संवेदनशीलता पाई जाती है। उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता और विशेषता लाने के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। शोधकर्ता द्वारा दोनों मिलों का भ्रमण करने के बाद यह तथ्य सामने आए कि मिलों में श्रमिकों को उनके कार्यों के लिये समय–समय पर प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया जाता है। शोधकर्ता द्वारा दोनों मिलों में श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति को तुलनात्मक रूप से समझने के लिए सारणी के माध्यम से विश्लेषण कर सकते हैं।

तालिका 5.6

दोनों मिलों में श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा	आयु	ओरिएंटल पेपर मिल			अखबारी पेपर मिल नेपा लि.			कुल श्रमिक		
		पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
अशिक्षित	18–24	27	21	48	20	15	35	47	36	83
5वीं	24–30	20	20	40	22	27	49	42	47	89
8वीं	30–36	17	23	40	27	29	56	44	52	96
10वीं	36–42	25	30	55	25	28	53	50	58	108
12वीं	42–48	27	27	54	23	20	43	50	47	97
स्नातक	48–54	26	20	46	20	18	38	46	38	84
स्नातकोत्तर	54–60	08	09	17	13	13	26	21	22	43
	कुल	**150**	**150**	**300**	**150**	**150**	**300**	**300**	**300**	**600**

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2023

विश्लेषणः–तालिका 5.6 से स्पष्ट होता है कि दोनों मिलों में अशिक्षित से लेकर स्नातकोत्तर तक के श्रमिक कार्य करते हैं। अशिक्षित श्रमिक जिनकी आयु 18–24 है ओरिएंट पेपर मिल में महिला 21 तथा पुरूष 27 हैं, वहीं अखबारी कागज मिल में पुरूष 20 तथा महिला 15 हैं, कुल पुरूषों की कुल पुरूषों की संख्या दोनों मिलों में 47 तथा महिलाओं की संख्या 36 है। दोनों मिलों में शिक्षा के स्तर निरक्षर से लेकर स्नातकोत्तर तक हैं। कुल संख्या में 10वीं स्तर के श्रमिक 108 हैं, एवं महिला श्रमिकों की संख्या 58 है,

जो 10 वीं स्तर तक शिक्षा ग्रहण किये हुए हैं। ओरिएंट पेपर मिल में सबसे ज्यादा 10वीं स्तर के श्रमिक जिनकी आयु 36–42 है, तथा (महिला 36–42) अखबारी कागज मिल में सबसे ज्यादा श्रमिक पुरूषों में 10वीं स्तर के श्रमिक हैं, जिनकी आयु 30–36 है, एवं महिलाओं में 8वीं स्तर के श्रमिक हैं जिनकी आयु वर्ग 30–36 है, दोनों मिलों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए अलग से मिलों द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है, जिसमें तकनीकी शिक्षा एवं अनुभव को प्राथमिकता दिया जाता है। दोनों मिलों में श्रमिकों के शिक्षा के स्तर को रेखाचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं।

चित्र : 5.2

दोनों मिलों में श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति

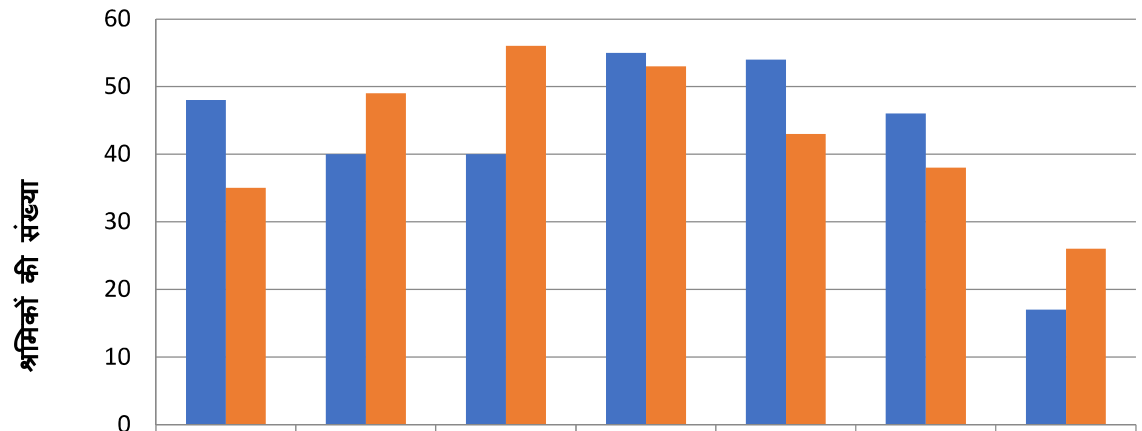

	अशिक्षित	5वीं	8वीं	10वीं	12वीं	स्नातक	स्नातकोत्तर
ओ.पी.एम.	48	40	40	55	54	46	17
अ.का.मि.	35	49	56	53	43	38	26

ओरिएंटल पेपर मिल में कुल महिला एवं पुरूषों की संख्या

अखबारी कागज मिल में कुल महिला एवं पुरूषों की संख्या

स्त्रोत:– प्राथमिक समंक 2023

उपर्युक्त रेखाचित्र 5.2 से स्पष्ट है कि मिलों में श्रमिकों की संख्या तथा शैक्षणिक स्थिति में जानकारी मिलती है कि ओरिएंट पेपर में अशिक्षित श्रमिक लगभग 48 हैं वहीं अखबारी कागज मिल में इनकी संख्या 35 है। ओरिएंट पेपर मिल में सबसे ज्यादा श्रमिक 8वीं पास श्रमिक है जिनकी संख्या लगभग 55 है। अखबारी कागज मिल में इनकी संख्या 56 है, अखबारी कागज मिल में सबसे ज्यादा श्रमिक 8वीं शैक्षणिक तक है जिनकी संख्या 56 है ओरिएंट पेपर मिल में इनकी संख्या 55 है। दोनों मिलों में श्रमिक निरक्षर से डिग्रीधारी भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।

4. दोनों मिलों में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययनः–

नव विकसित प्रोद्यौगिकियों के साथ औद्योगिकीकरण किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पेपर निर्माण औद्योगिक विकास का मूल आधार हैं, इसी कारण यहां कार्य करने वाले श्रमिक अति महत्वपूर्ण हैं, आपको मालूम है कि पेपर कितना महत्वपूर्ण है चाहे कोई भी संख्या हो निजी हो या सरकारी सभी जगह पेपर की उपयोगिता रहती है। ओरिएंट पेपर मिल एवं अखबारी कागज मिलों में भी हजारों की संख्या में श्रमिक कार्य कर रहे हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति जानना हो तो इनकी आर्थिक स्थिति का कोई मापदण्ड नहीं है। चाहे वे किसी संस्था/संगठन या किसी भी निजी संगठन में कार्य कर रहे हैं। बस जब तक कार्य रहता है तब तक श्रमिकों को कार्य दिया जाता है अन्यथा बाहर कर दिया जाता है। सरकार श्रमिकों के लिए कई नीति तथा रणनीति बनाई है लेकिन बस में नीतियां ही बन कर रह गई हैं। इसलिए ये श्रमिकों की स्थिति आजादी के 77वें वर्ष तक भी नहीं सुधर पायी है। चूंकि इनका रोजगार पूरी तरह प्राकृतिक पर निर्भर है तो भी श्रमिकों का विकास नहीं हो पाया है। उनकी कार्य की कोई निश्चित समय–सीमा नहीं होती है, लेकिन अगर वे किसी संगठन या संस्था में कार्य करते है तो कुछ हद तक कार्य करने का समय सीमा निश्चित किया जाता है। वे संस्था संगठन में लगभग 8–10 घण्टे कार्य करते है। लेकिन श्रमिकों को नियमित कर्मचारी की भांति किसी भी प्रकार का अनुषंगी लाभ नहीं दिया जाता वे सिर्फ अपनी मजदूरी पर ही निर्भर रहते हैं। ठेका अधिनियम 1970 में भी श्रमिकों को कोई ज्यादा लाभ देने की बात नहीं की गयी है। ठेका अधिनियम 1970 ऐसे उद्योगों में लागू होता है, जिसमें कम से कम बीस या अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित है या पूर्ववर्ती 12 माह के किसी भी दिन नियोजित थे। ठेका अधिनियम में ही ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को लागू होता है, जो बीस या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन बीस या इससे अधिक कर्मकार नियोजित किए थे। ठेका अधिनियम ऐसे स्थापनों को लागू नहीं होगा जिनमें केवल आंतरिक या आकस्मिक प्रकृति का काम किया जाता है। ठेका अधिनियम 1970 में आंतरिक प्रकृति का नहीं समझा जायेगा–

A. जबकि वह पूर्ववर्ती बारह मासों में एक सौ बीस (120) से अधिक दिन किया गया था।
B. जबकि वह सामयिक प्रकृति का है, और एक वर्ष में साठ (60) से अधिक दिन किया जाता है।

ठेका अधिनियम 1970 में कर्मकार की परिभाषा दी गयी है कर्मकार को ऐसा कोई व्यक्ति से आशय है जो मजदूरी (भाड़े) या पारिश्रमिक के लिए कोई कुशल, अर्धकुशल या अकुशल शारीरिक, पर्यवेक्षकीय तकनीक या लिपकीय कार्य करने के लिए किसी स्थापन के संबंध में विनियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हो किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नही है जो–

1. मुख्यता प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित है अथवा
2. पर्यवेक्षकीय हैसियत में नियोजित है और 500 रूपये प्रतिदिन से अधिक मजदूरी पाता है अथवा पद से संबंधित कर्तव्यों की प्रकृति या अपने में निहित शक्तियों के कारण मुख्यतया प्रबंधकीय प्रकृति के कृत्य करना है अथवा
3. ऐसा बाध्य कर्मकार है अर्थात ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रधान नियोजक के व्यापार या कारोबार के प्रयोजनार्थ प्रधान नियोजक द्वारा या उसकी ओर से कोई वस्तु या सामग्री विक्रय के लिए ठीक करने, साफ करने, धोने, परिवर्तित करने अलंकृत करनें, परियसाधित करनें, मरम्मत करने या अनुकूलित करने या अन्यथा प्रसंस्क्रत करने के लिए दी जाती है और वह प्रक्रिया या तो बाध्य कर्मकार के घर में या ऐसे किसी अन्य परिसर में की जाती है जो प्रधान नियोजक के नियंत्रण और प्रबंध के अधीन नहीं है।

शोधकर्ता द्वारा दोनों मिलों में कार्य करने वाले श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को कुछ मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया गय है ये मापदण्ड उनकी आर्थिक स्थिति में आजादी के 77 साल में भी क्यों जस के तस बनी हुई है। शोधकर्ता के विचार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी है ये बिंदु निम्न है।

1. **शिक्षा और शैक्षणिक व्यवस्था**–श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मापने तथा बढ़ाने के लिए जरूरी है, उनकी शिक्षा व्यवस्था किसी भी औद्योगिक स्थल में आगे बढ़ने तथा अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए श्रमिकों की शिक्षा है, कम पढ़े–लिखे होने के कारण उनको निम्न स्तर का कार्य करना पड़ता है तथा उसी में अपना जीवन बिताते हैं, ठेके पर कार्य करके वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा न दे पाते है, आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए उच्च शिक्षा का होना अनिवार्य है। उद्योगों में शिक्षा व्यवस्था के आधार पर ही श्रमिकों को विभाजित किया जाता है।

औद्योगिक स्थल पर कार्य करने वाले श्रमिकों के अलग–अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है–

किराए पर काम करने वाले कर्मचारी– ये वे कर्मचारी हैं जो नौकरी के कब्जे में होते हैं, जो नौकरी के लिए नौकरी के रूप में वेतन/मजदूरी प्राप्त करते हैं।

नियमित वेतनभोगी कर्मचारी– ये नामांकित कर्मचारी होते हैं और उन्हें अपने काम के लिए नियमित वेतन (कर्मचारी का भुगतान किया जाता है)

स्व–रोजगार–ये उद्यमियों का दूसरा समूह वह है जो किसी भी तरह से नामांकित नहीं है, लेकिन जो अपने स्वयं के उद्यम के मालिक हैं और उनके लिए काम करते हैं।

शोधकर्ता द्वारा उपरोक्त श्रमिकों प्रकार में उनकी शिक्षा के आधार पर विभाजित किया गया है।

2. **गरीबी**—गरीब होना और गरीबी को आगे बढ़ाते रहना में मानव जीवन के लिए अभिशाप है। जहां शिक्षा का विस्तार या शिक्षा नहीं होती वहां गरीबी का जन्म होता है, गरीबी का कारण स्वयं गरीबी है, अर्थात् गरीबी अपनी जननी स्वयं है। गरीबी का कारण और परिणाम स्वयं ही गरीबी है। कहा जाता है कि गरीबी एक ऐसे रोगपीड़ित व्यक्ति के समान है जो अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण रोगग्रस्त हो जाता है, और इसी कारण वह शारीरिक रूप से कमजोर बना रहता है।

3. **जनसंख्या**— किसी देश का आर्थिक विकास अनेक तत्वों पर निर्भर करता है, जब देश में आर्थिक विकास की गति तीव्र होने लगती है, तब दूसरे तत्व भी अपना योगदान शुरू कर देते हैं, जिससे विकास की गति और अधिक तीव्र हो जाती है। पेपर मिलों में श्रमिकों की संख्या अधिक होने से संस्था द्वारा आर्थिक मापदण्ड का निर्धारण सही तरीके से निर्धारित नहीं हो पाता है कम मजदूरी में वे कार्य करने के लिए सहमत हो जाते हैं, श्रमिक जानते हैं कि संस्था उन्हें सही मजदूरी नहीं दे रही है तथा शिक्षा की कमी भी कम मजदूरी में कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या का आकार, बनावट तथा सामाजिक एवं नैतिक विशेषताएं उस देश के आर्थिक विकास की गति एवं स्तर के महत्वपूर्ण निर्धारण तत्वों में से है। वस्तुतः जनसंख्या को देश के आर्थिक विकास का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व माना जाता है। क्योंकि प्राकृतिक साधन एवं पूंजी का तब कोई महत्व नहीं होता जब तक कि उनका उपयोग मनुष्य द्वारा न किया जाय।

प्रो. विपिल के शब्दों में—किसी देश का वास्तविक धन उस देश की भूमि या पानी वनों या खानों में, पशुओं या डालरों में नहीं वरन् उस देश के स्वास्थ्य और सुखी स्त्रियों एवं बच्चों में निहित है।

4. **पहलपन की कमी**—श्रमिकों में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कोई नई नीति का पहल या आगे ले जाने की कमी का सामना करना पड़ता है। श्रमिकों में यूनियन की कमी पाई जाती है जबकि संगठन स्तर में कई यूनियन कार्य करते हैं। श्रमिक सोचता है कि जैसे चलता है चलने दो नीति पर विश्वास करते हैं, संगठन में अधिकारियों का डर का भी एक कारण होता है जिससे उनकी मजदूरी एवं कार्य पर प्रभाव पड़ता है।

अन्य कारण—मिलों में कार्य करने वाले श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अन्य कारण में है जिससे पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक स्थिति, धर्म, सरकारी शिक्षा व्यवस्था, आत्मनिर्भर तथा आत्मबल में कमी का होना विनियोग की प्रकृति का न होना बचत की प्रकृति न होना

आदि कारण है जिससे श्रमिकों की विकास की प्रगति रुकी रहती है, तथा आजादी के 77 साल में भी श्रमिकों की समस्याएं बनी हुई हैं।

मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण में श्रमिकों की स्थितिः—

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा काम की परिस्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर गंभीर प्रयास किया जा रहा है, उनमें प्रमुख रूप से राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दर में निरंतर संशोधन और वृद्धि तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का उपयोग कर गांवों में न्यूनतम मजदूरी की दर को प्रभावी बनाए रखना। परिणामतः प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर सरकारी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी की प्रभावी दर सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी दर से अधिक है। इसके साथ—साथ राज्य सरकार ने काम की परिस्थिति को प्रभावित करने वाले कानूनों में भी लगातार बदलाव किया है। मध्यप्रदेश में रोजगार सृजन के क्षेत्र में सरकार के अनेक विभाग प्रत्यक्ष रूप से योगदान करते हैं। इन विभागों में कुछ विभाग प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, और लगभग सभी विभाग तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। मध्यप्रदेश में रोजगार सृजन के लिये सरकारी क्षेत्र में कार्यरत् ग्रामीण विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगरीय प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग, वन विभाग और कृषि विभाग हैं।

शोधार्थी द्वारा ओरिएंट पेपर मिल तथा अखबारी कागज मिल के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का विवेचनात्मक अध्ययन कर मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022—23 से कुछ तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 5.7

दोनों मिलों में आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन

आय / कमाई	ओरिएंटल पेपर मिल		अखबारी कागज मिल—नेपा लि.		कुल	कुल श्रमिक
	संख्या	प्रतिशत	आय / वेतन	श्रमिक संख्या	प्रतिशत	
6000—7500	114	38	8000—9500	84	28	198
7500—9000	60	20	9500—1100	45	15	105
9000—10500	45	15	11000—12500	42	14	87
10500—12000	42	14	12500—14000	48	16	90
12000—13500	21	7	14000—15500	57	19	78
13500—15000	18	6	15500—17000	24	8	42
योग	**300**	**100**	**योग**	**300**	**100**	**600**

स्त्रोतः— व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2022—23

विश्लेषण: तालिका क्रमांक 5.7 से स्पष्ट होता है कि दोनों मिलों में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ओरिएंट तथा अखबारी पेपर मिलों की मासिक आय/वेतन में विभेदात्मक स्थिति है ओरिएंट पेपर मिल एक निजी उद्योग है वहीं नेपानगर अखबारी मिल एक सरकारी उपक्रम है जहाँ वेतन एवं मजदूरी सरकारी नियम कि अनुसार मिलती है। दोनो मिलों के वेतन में अन्तर है ओरिएंट पेपर मिल में 38 प्रतिशत श्रमिक ऐसे है जिन्हे न्यूनतम वेतन 6000–7500 रुपये प्रति माह के बीच मिलता है वहीं नेपा लि0 की बात करें तो 28 प्रतिशत श्रमिक ऐसे है जिनको 8000–9500 प्रति माह को वेतन दिया जाता है उच्चतम वेतन की बात करें तो ओरिएंट पेपर मिल में 18 प्रतिशत श्रमिकों को 13500–15000 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाता है एवं अखबारी कागज मिल में 8 प्रतिशत श्रमिक ऐसे है जिनको 15500–17000 प्रति माह का वेतन दिया जा रहा है। अखबारी कागज में उच्चतम वेतन एक निर्वाह मजदरी के रूप में दिया जा रहा है। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहे जाने वाले सर **एफ. डब्ल्यू. टेलर** ने भी श्रमिकों को बोनस एवं निर्वाह मजदूरी देने की बात कही है। टेलर साहब ने श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मजदूरी में बोनस तथा उत्पादन के स्तर का अध्ययन किया गया है।

चित्र : 5.3

दोनों मिलों में श्रमिकों की मासिक आय की तुलनात्मक अध्ययन (प्रतिशत में)

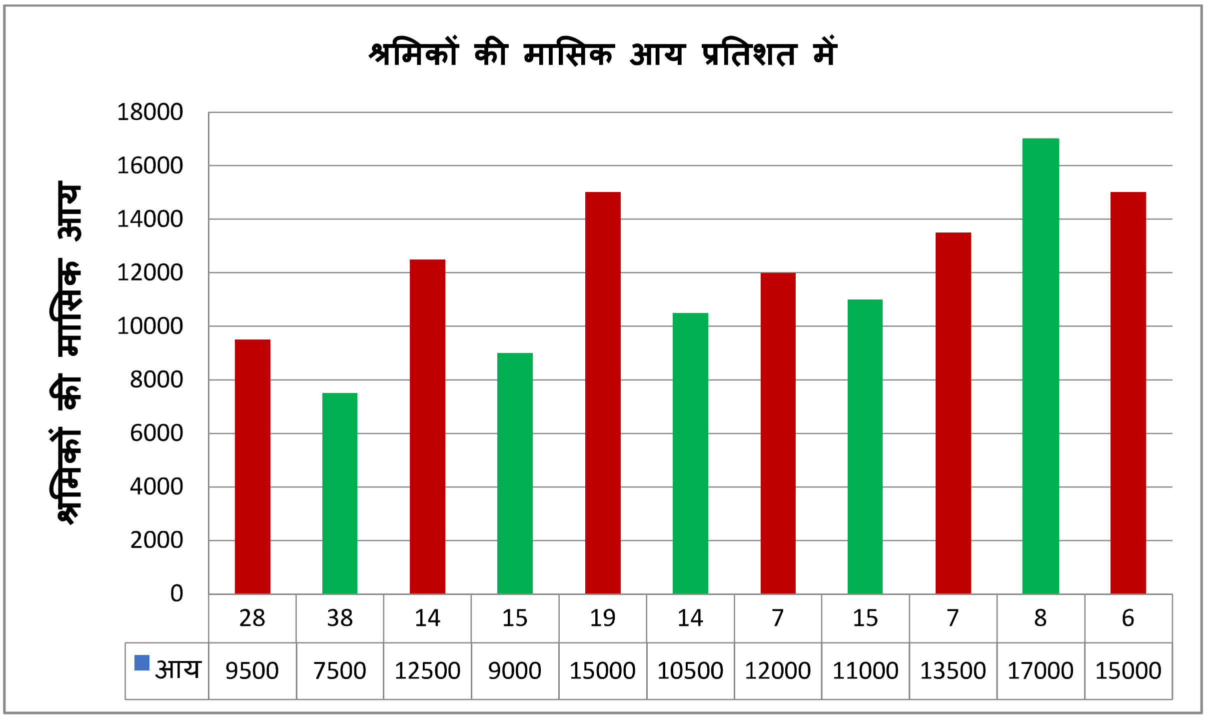

संकेत ओरिएंट पेपर अखबारी कागज

स्त्रोत:– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023

5. दोनों मिलों में श्रमिकों की सुविधाओं तथा सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययनः–

अगर हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें संस्था तथा सरकार की तरफ से ढेरों सुविधा एवं सुरक्षा मिलती है वहीं अगर श्रमिकों की चर्चा करें तो केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही कुछ सुविधाएँ संगठन तथा उद्योगों द्वारा दिया जाता है लेकिन जो श्रमिक ठेकेदारी व्यवस्था में है प्रतिदिन मजदूरी पर आधारित कार्य करते हैं। उनको मजदूरी के अलावा किसी भी प्रकार की सुविधाएँ नहीं दिया जाता है।

शोधकर्ता द्वारा अखबारी कागज मिल बुरहानपुर (नेपानगर) तथा ओरियंट पेपर मिलों में पंजीकृत श्रमिकों को दि जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन किया है जिसमें कुछ सुविधाओं का विस्तार से वर्णन किया गया हैः–

1. **चिकित्सा सुविधाएँ**–दोनों मिलों में श्रमिकों की स्वास्थ्य सुविधाएँ से संबंधित कार्यरत् श्रमिक तथा आश्रितों को स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जाती है मिलों में कार्यरत् श्रमिकों दवा एवं चिकित्सा की भी सुविधा प्रदान किया जाता है कार्यस्थल से लगभग 2 कि.मी. के अन्दर ही संस्था का अस्पताल है जहाँ अस्वस्थ्य श्रमिकों का ईलाज किया जाता है।
2. **घरों में बिजली की सुविधाएँ**– आप जानते हैं कि श्रमिकों से अच्छा काम लेना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके और कम लागत लगें तो श्रमिकों कों बिजली की सुविधाएँ दिया जाता है। बिना शक्ति के कोई भी कार्य सम्भव नहीं गुड हेल्थ और गुड वर्क की नीति पर संस्था कार्य करती है।

सारणी 5.8

दोनों मिलों के श्रमिकों के घरों में विद्युत की सुविधा

क्र.	विद्युत की सुविधा	ओरिएंट पेपर मिल		अखबारी पेपर मिल		कुल श्रमिक
		घरों की संख्या	प्रतिशत	घरों की संख्या	प्रतिशत	
1	स्थायी बिजली	120	40	165	55	285
2	अस्थायी बिजली	81	27	84	28	165
3	बिजली नहीं	99	33	51	17	150
योग		**300**	**100**	**300**	**100**	**600**

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2023

चित्र : 5.4

दोनों मिलों में श्रमिकों के घरों में विद्युत सुविधा

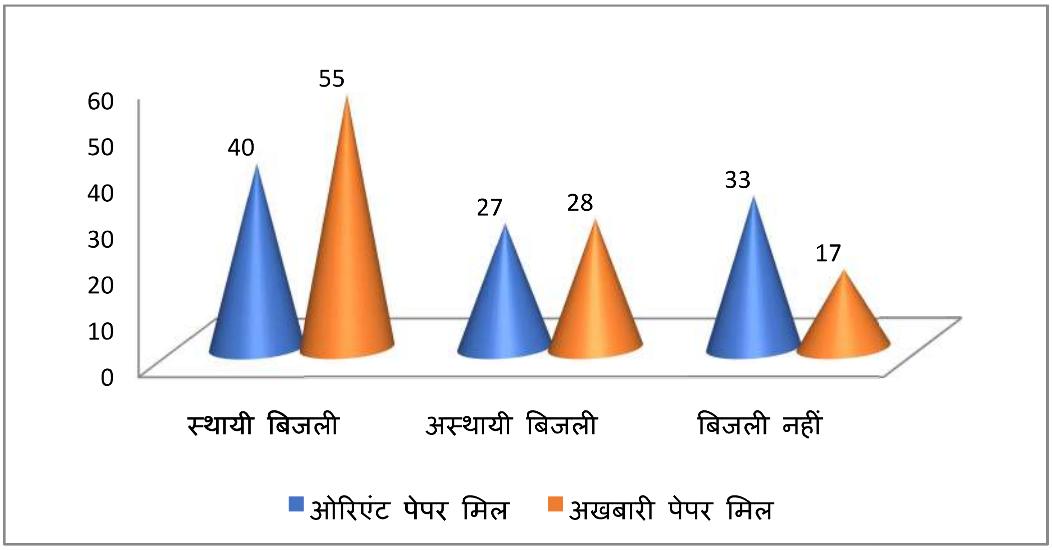

स्त्रोतः– प्राथमिक समंक 2022–23

विश्लेषण : सारणी 5.8 एवं चित्र 5.4 का अवलोकन कर सकते हैं। ओरिएंट पेपर मिल में 40 प्रतिशत स्थायी कनेक्शन हैं वहीं अखकारी पेपर मिल में 55 प्रतिशत श्रमिकों के घरों में स्थायी कनेक्शन हैं।

3. **पानी की सुविधाएँः** कार्यस्थल में पानी का होना बहुत जरूरी है उत्पादन में वृद्धि के लिए शुद्ध एवं पेय जल का होना आवश्यक है। हमारे जीवन में पानी की उपयोगिता सभी प्रकार के कार्यों में पड़ती है। हम पानी कों विभिन्न प्रयोगो में लाते है बिना पानी के जीवन को नहीं जिया जा सकता इसलिए जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है।
4. **भोजन सुविधाः** भोजन पाना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, भोजन के बिना कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ओरिएंट पेपर मिल तथा नेपा लि. अखबारी कागज मिल में ठेकेदारी श्रमिकों को कोई अलग से भोजन की व्यवस्था नहीं होती है लेकिन जो संस्था के नियमित श्रमिक होते है उनके लिए ओरिएंट पेपर मिल में कैंटीन की व्यवस्था संस्थान में है जहाँ पर श्रमिकों को 6 रूपये प्रति थाली के हिसाब से उपलब्ध कराया जाता है लेकिन ठेकेदारी, दैनिक श्रमिक को भोजन की व्यवस्था नहीं दी जाती है। वे अपना खाना–पीना घर से ही लाते हैं। अखबारी कागज मिल में कर्मचारियों को भोजन की सुविधा दी जाती है। शोधार्थी द्वारा शोध क्षेत्र में जाकर, यात्रा कर, जानकारी एकत्रित की गयी है। श्रमिकों को अगर अच्छा भोजन, स्वास्थ्य एवं आवास की सुविधा दी जायें तो वे और अच्छे से कार्य तथा उत्पादन कर सकते हैं। तथा नियोक्ता तथा कर्मचारी के संबंध भी अच्छे बने रहते हैं।

सारणी 5.9

दोनों मिलों में श्रमिकों के भोजन सुविधा सारणी

क्र.	ओरिएंट पेपर मिल			अखबारी कागज मिल		कुल श्रमिक
	श्रमिकों का भोजन	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	
01	रोटी, अनाज, सब्जी	57	19	69	23	126
02	चावल, दाल, फल	54	18	48	16	102
03	मांस, रोटी, चावल	72	24	66	22	138
04	चावल, अण्डा, सब्जी	51	17	33	11	84
05	चावल, दाल, सब्जी	66	22	84	28	150
योग		**300**	**100**	**300**	**100**	**600**

स्त्रोत:– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023 (मिलों से प्राप्त प्राथमिक आंकड़े)

चित्र : 5.5

ओरिएंट पेपर मिल एवं अखबारी कागज मिल में भोजन प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या (प्रतिशत में)

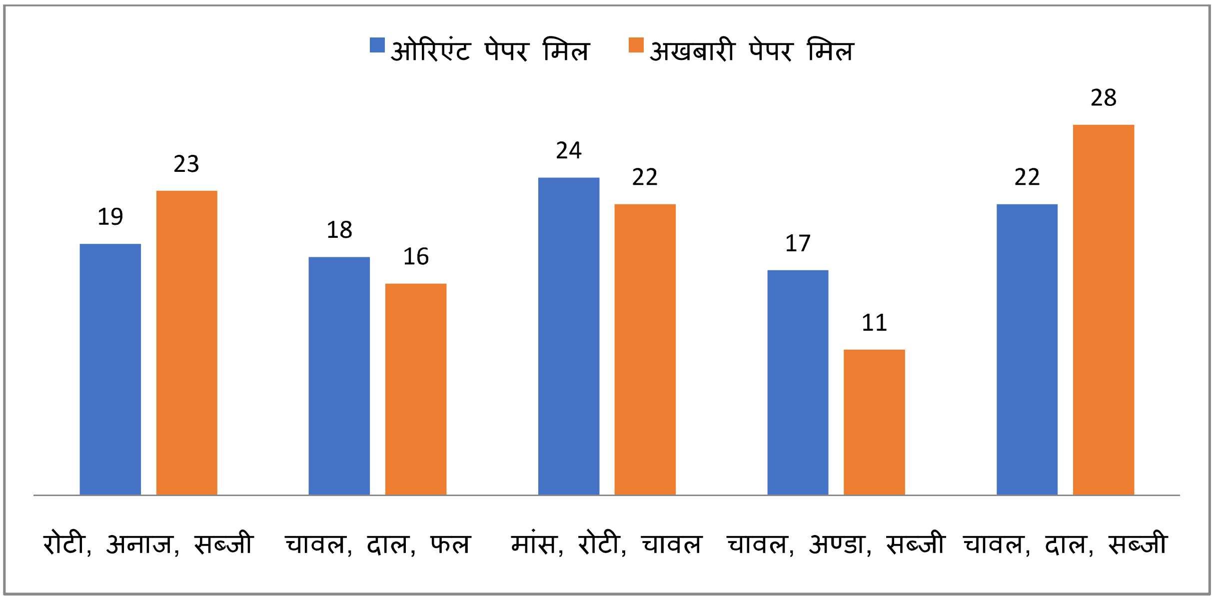

स्त्रोत:– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023

विश्लेषणः सारणी 5.9 को देखकर यह स्पष्ट होता है कि दोनों मिलों में श्रमिकों को दी जाने वाली भोजन व्यवस्था अलग–अलग दिनों के आधार पर की जाती है जो स्थाई श्रमिकों को दी जाती है। सारणी से स्पष्ट है कि ओरिएंट पेपर मिल में 60 प्रतिशत ऐसे श्रमिकों को दी जाती है जिनको रोटी, अनाज, सब्जी दिया जाता है तथा 6 प्रतिशत ऐसे श्रमिक है जिनको चावल, दाल और सब्जी दी जाती है। वहीं अगर नेपा लि. की बात करें तो 68 प्रतिशत ऐसे श्रमिक है जिनको रोटी, अनाज, तथा सब्जियां दी जाती है एवं 3 प्रतिशत ऐसे श्रमिक है जिनको चावल, दाल, सब्जी दी जाती है। तथा 12 प्रतिशत श्रमिकों को मांस, रोटी एवं चावल दिया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि नेपा लिमिटेड में 68 प्रतिशत श्रमिकों को पौष्टिक आहार दिया जाता है।

5. **आवास की सुविधाएँ**– ओरिएंट पेपर मिल तथा अखबारी कागज मिल (नेपा लि0) में ठेकेदारी तथा दैनिक मजदूर को आवास की सुविधा प्रदान नहीं किया जाता है, लेकिन असंगठित श्रमिक (जैसे चौकीदार (गाड़ी)) को आवास की सुविधा दी जाती है। दोनों मिलों में अनुबंध के आधार पर हजारों श्रमिक कार्यरत है। आवास के लिए श्रमिकों को समूहों में पाया जाता है। एक मकान में लगभग 4–6 श्रमिकों (गार्ड) को ठहरने के लिए दिया जाता है। असंगठित श्रमिकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत से योजनाएँ ले कर आई जिसे शोधार्थी द्वारा पिछले अध्यायों में चर्चा की है।

6. **श्रमिकों की शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधा**–श्रमिकों के लिए शिक्षा का होना बहुत महत्वपूर्ण है खासकर अगर हम उद्योग की बात करें तो कौशल शिक्षा का होना आवश्यक है। श्रमिकों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए शिक्षण–प्रशिक्षण का होना अति–आवश्यक है। उद्योगों में उपकरणों को चलाने के लिए श्रमिको को प्रशिक्षित होना जरूरी है जो भी श्रमिक अनुबंध के आधार पर मिलों में कार्य करते है उनकों पेपर मिलों द्वारा लगभग छः माह का प्रशिक्षण दिया जाता है तभी कार्य पर रखा जाता है। शिक्षा के लिए ओरिएंट पेपर मिल का हायर–सेकेंडरी तक स्कूल भी है जहाँ पर श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदाान की जाती है। ओपियम स्कूल में कोई भी पढ़ सकता है ऐसा कोई भी नियम नहीं है की श्रमिक के बच्चे ही पढ़ पायेगें।

7. **अनुकंपा एवं बीमा की सुरक्षा**–दोनों मिलों में कार्यरत् श्रमिकों को बीमा एवं अनुकंपा नियुक्ति की सुविधाएँ प्रदान की जाती है अनुबंध आधारित श्रमिक अगर कार्य स्थल पर कार्य करते समय किसी भी प्रकार का दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो कम्पनी की तरह से दुर्घटना बीमा तथा अनुकंपा नियुक्ति की भी श्रमिकों को प्रदान की जाती है।

6. दोनों मिलों में शहरी एवं ग्रामीण श्रमिकों की स्थिति (संख्या बल अनुपात):–

वर्तमान समय में मध्यप्रदेश के ओरिएंट पेपर मिल चचाई (अमलई) तथा अखबारी कागज लि जिसे नेपा लि. के नाम से जाना जाता है में अनुबंध के आधार पर कार्य करने वाले श्रमिक शहरी एवं ग्रामीण भी दोनों मिलों में कार्य करते है। औद्योगीकरण किसी भी देश के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है विशेषकर मध्यप्रदेश राज्य के लिए जहाँ पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज्यादा हो। औद्योगिकरण की प्रक्रिया केवल निर्माण उद्योगों तक ही सीमित नही है अपितु इसके द्वारा किसी भी देश के सम्पूर्ण आर्थिक संरचना को परिवर्तित की जा सकती है।

ओरिएंट पेपर मिल तथा नेपा. लि. में अनुबंध के आधार पर नेपा लि. में अनुबंध के आधार पर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही आवासीय वाले कार्य करते हैं। दोनों मिलों की बात करें तो कुल श्रमिक का 42 प्रतिशत श्रमिक शहरी तथा शेष 58 प्रतिशत श्रमिक ग्रामीण ही रहते है ठेकेदारी (अनुबंध) पर कार्य करने के लिए ग्रामीण श्रमिक इसलिए अधिक संख्या में होते है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा के साथ–साथ बेरोजगारी की समस्या भी होती है। ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन करने पडते है इसलिए किसी भी निर्माण इकाई में अनुबंध पर कार्य करने के लिए सहमत हो जाते है जहाँ पर कम्पनी द्वारा उनकों कम मजदूरी, शोषण, कार्य के घण्टो का कोई समय निर्धारित न करके कार्य कराया जाता है।

शोधकर्ता द्वारा मिलों में अवलोकन कर ये जानकारी एकत्रित किया है जिसे अपने शोध प्रबंध में उल्लेखित किया है।

हम जानते है कि श्रमिक देश, प्रदेश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाता है श्रमिक चाहे शहरी हो या ग्रामीण सभी की निर्माण उद्योग में बराबर की भूमिका रहती है। किसी भी समाज, देश, संस्था, कृषि और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। श्रमिको के बिना किसी भी उद्योग ढाँचे की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए श्रमिकों का समाज में अपना स्थान है। ओरिएंट पेपर मिल तथा नेपा लि. में शहरी एवं ग्रामीण श्रमिकों को समझने कि लिए हमें निम्न सारणी की सहायता से समझ सकते हैं–

तालिका 5.10

दोनों मिलों में शहरी एवं ग्रामीण श्रमिक

श्रमिकों के प्रकार	ओरिएंट पेपर मिल		अखबारी कागज मिल		कुल श्रमिक
	शहरी श्रमिक	ग्रामीण श्रमिक	शहरी	ग्रामीण	
पुरुष	55	75	65	40	235
महिला	40	20	20	8	88
विवाहित	48	68	30	29	175
अविवाहित	12	45	25	20	102
योग	155	208	140	97	600

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023

रेखा चित्र के माध्यम से भी इसे प्रदर्शित किया जा सकता है–

चित्र : 5.6 (क)
ओरिएंट पेपर मिल में शहरी एवं ग्रामीण श्रमिक

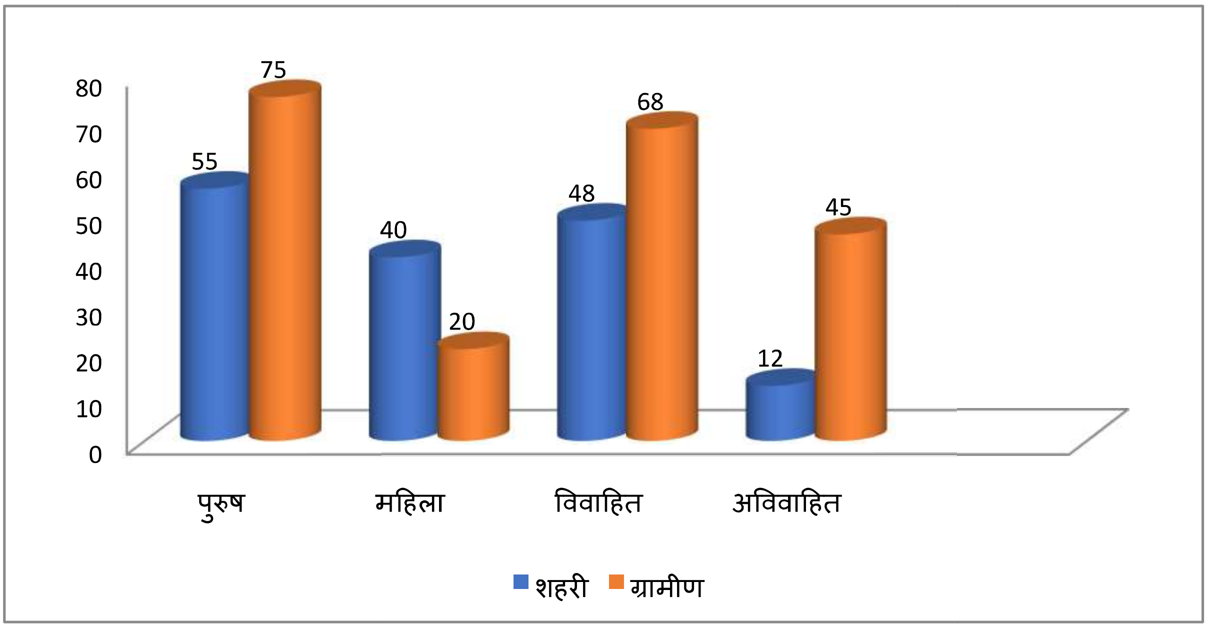

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023

चित्रः 5.6 (ख)

अखबारी कागज मिल में शहरी एवं ग्रामीण श्रमिक

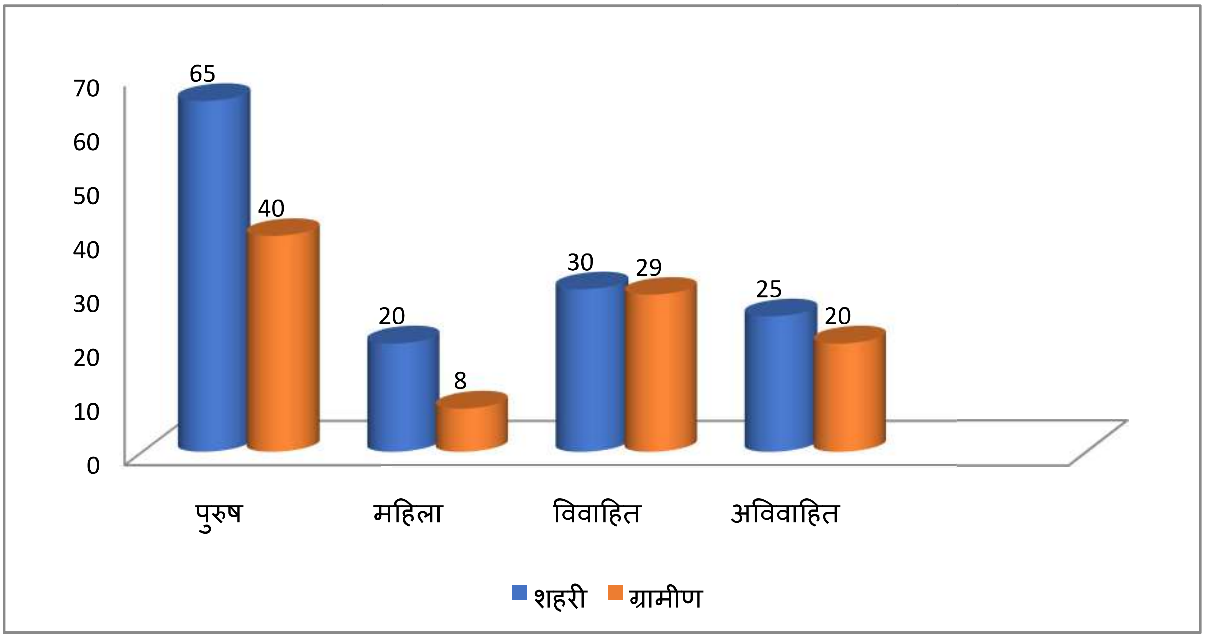

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023

विश्लेषणः—तालिका 5.10 से यह जानकारी मिलती है कि दोनो ही पेपर मिलो में शहरी एवं ग्रामीण श्रमिक कार्य करते है। दोनों ही मिलो का तुलानात्मक अध्ययन करने पर हम देख सकते है कि दोनो ही मिलो में महिला, पुरुष, विवाहित तथा अविवाहित श्रमिक कार्य कर रहे है जिसमें दोनों ही मिलो में कुल पुरुष श्रमिक 330, महिला कुल श्रमिक 240, विवाहित कुल श्रमिक 280 तथा अविवाहित कुल श्रमिक 150 है जिसके अन्तर्गत ओरिएंट पेपर मिल में कुल परुष श्रमिकों में से 75 श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र से एवं 55 शहरी क्षेत्र से कार्य कर रहे है वहीं नेपा लि. मे भी कुल पुरुष श्रमिको मे से 135 ग्रामीण तथा 65 श्रमिक शहरी क्षेत्र से आकर कार्य कर रहें है। इसी प्रकार अन्य श्रमिकों के प्रकारों में भी है। जिसे शोधकर्ता द्वारा बार ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है।

7. दोनों मिलों में संगठित श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन

दोनो मिलो में संगठित श्रमिकों की स्थिति या संगठित श्रमिकों का जीवन संघर्षशील रहता है, उनकी नौकरी स्थाई रहती है तो क्या हुआ वे सरकारी नियम तथा नियोक्ता के प्रति ईमानदारी से कार्य करते हैं। विरले को छोड़कर असंगठित श्रमिकों की नियुक्ति (जो कार्य पड़ता है) भी इन्हीं के कंधो पर रहती है तथा अनुबंधित श्रमिक भी इन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य करते है, पिछले अध्ययन से हम इनकी उपयोगिता की चर्चा कर चुके हैं।

शोधकर्ता द्वारा दोनो मिलों में कार्यरत् संगठित श्रमिकों की कुछ बिंदुओ के आधार तथ्यों एवं आंकड़ो के माध्यम से स्पष्ट किया है। शोधकर्ता ने अपने विचारों को सारणी, रेखाचित्र से प्रस्तुत किया है–

सारणी 5.11

दोनो मिलो में संगठित श्रमिकों की मासिक आय के विवरण के आधार पर

क्र.	ओरिएंट पेपर मिल			अखबारी कागज मिल			अंतर (प्रतिशत)	कुल श्रमिक
	मासिक आय	श्रमिक संख्या	प्रतिशत	मासिक आय	श्रमिक संख्या	प्रतिशत		
01	11000–15000	90	30	15000–20000	84	28	2	174
02	15000–19000	95	32	20000–25000	78	26	6	173
03	19000–23000	70	23	25000–30000	73	24.33	1	143
04	23000–27000	45	15	30000–35000	65	21.61	6.67	110
	योग	300	100	योग	300	100	–	600

स्त्रोत: 1. ओरिएंट पेपर मिल– प्राथमिक समंक 2023–24

2. अखबारी कागज मिल–https://www.nepamills.co.in

विश्लेषण– उपर्युक्त सारणी 5.11से स्पष्ट है कि 300 संगठित औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों में से 32 प्रतिशत ओरिएंट पेपर मिल में संगठित श्रमिकों की मासिक आय 15000–19000 एवं अखबारी कागज मिल में 28 प्रतिशत संगठित श्रमिकों की मासिक आय (मूल वेतन) 15000–20000 के मध्य है।

अगर दोनों मिलों की मासिक आय में अंतर की चर्चा करें तो 2 प्रतिशत ज्यादा श्रमिक ओरिएंट पेपर मिल में श्रमिक कार्यरत् है। सबसे ज्यादा मासिक आय ओरिएंट पेपर मिल में 15 प्रतिशत श्रमिक है। जिनकी मासिक आय 23000–27000 के बीच है वहीं अखबारी कागज मिल में 21.67 प्रतिशत ऐसे संगठित श्रमिक है जिनकी मासिक आय 30000–35000 है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि अखबारी कागज मिल 21.67 प्रतिशत संगठित श्रमिक ज्यादा मासिक आय प्राप्त करते है।

चित्र: 5.7 (क)

ओरिएंट पेपर मिल में संगठित श्रमिको की मासिक आय का विवरण

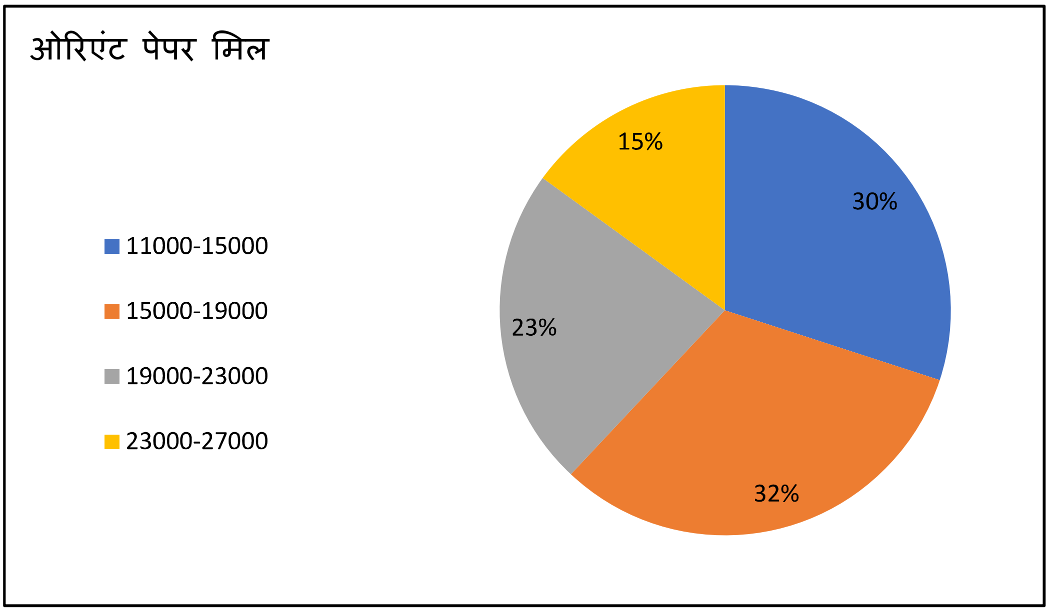

स्त्रोतः– प्राथमिक समंक 2023–24

चित्र 5.7 (ख)

अखबारी कागज मिल में संगठित श्रमिको की मासिक आय का विवरण

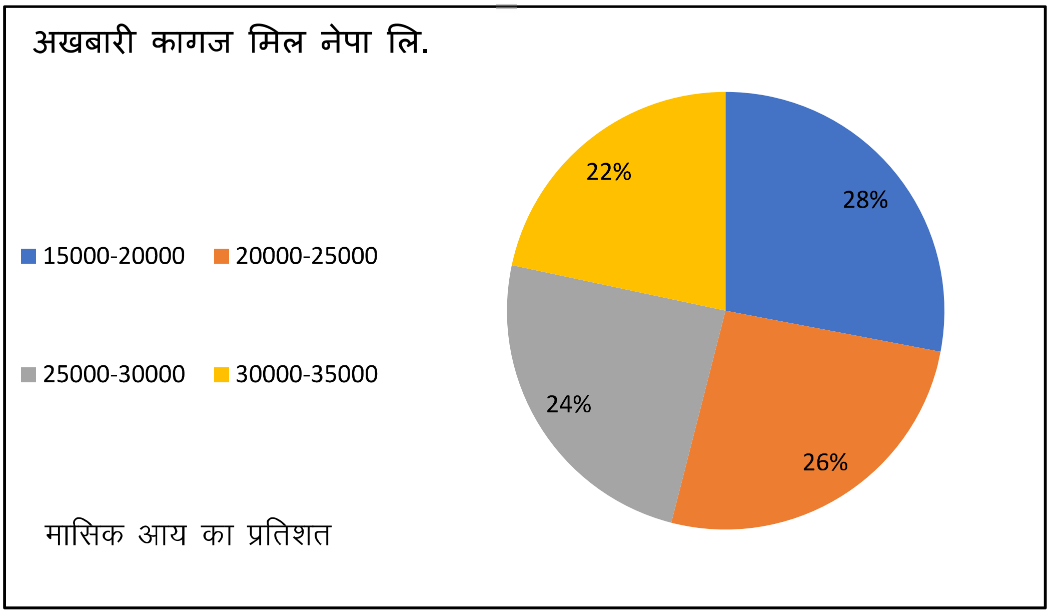

स्त्रोतः– प्राथमिक समंक 2023–24

सारणी 5.12
दोनो मिलो में संगठित श्रमिको को प्राप्त सुविधाओं की स्थिति

क्र.	ओरिएंट पेपर मिल			अखबारी कागज मिल			कुल श्रमिक
	सुविधाएँ	श्रमिक संख्या	प्रतिशत	सुविधाएँ	श्रमिक संख्या	प्रतिशत	
01	आवास	48	16	आवास	37	12.34	85
02	भोजन	77	25.67	भोजन	78	26	155
03	वाहन	75	25	वाहन	62	20.67	137
04	बच्चों की शिक्षा	65	21.67	बच्चों की शिक्षा	85	28.34	150
05	चिकित्सा	35	11.67	चिकित्सा	38	12.67	73
योग		300	100	योग	300	100	600

स्त्रोत:– प्राथमिक समंक 2023–24 ओरिएंट पेपर मिल

द्वितीय समंक–अखबारी कागज मिल (वेबसाइट–ww.nepapapermills.com)

विश्लेषण: उपर्युक्त सारणी 5.12से स्पष्ट है कि संगठित श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की मिलों द्वारा सुविधाएँ दी जाती है। सारणी में आप देख सकते हैं कि ओरिएंट पेपर मिल में 25.67 प्रतिशत श्रमिकों को भोजन की सुविधा प्राप्त करते हैं एवं 16 प्रतिशत को श्रमिक आवास की सुविधा 25 प्रतिशत श्रमिकों को वाहन की सुविधा तथा 11.67 प्रतिशत श्रमिक चिकित्सा की सुविधा ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार 28.34 प्रतिशत श्रमिकों को अखबारी कागज मिल में बच्चों की शिक्षा की सुविधा मिलती है। आवास में 12.33 प्रतिशत, भोजन में 26 प्रतिशत, वाहन 20.67 प्रतिशत, चिकित्सा 12.69 प्रतिशत श्रमिकों को नेपा लिमिटेड में सुविधाएँ दी जाती है।

संगठित औद्योगिक क्षेत्र में प्राप्त सुविधाओं की स्थिति को रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं–

चित्र 5.8
दोनो मिलों में संगठित श्रमिकों की सुविधाएँ

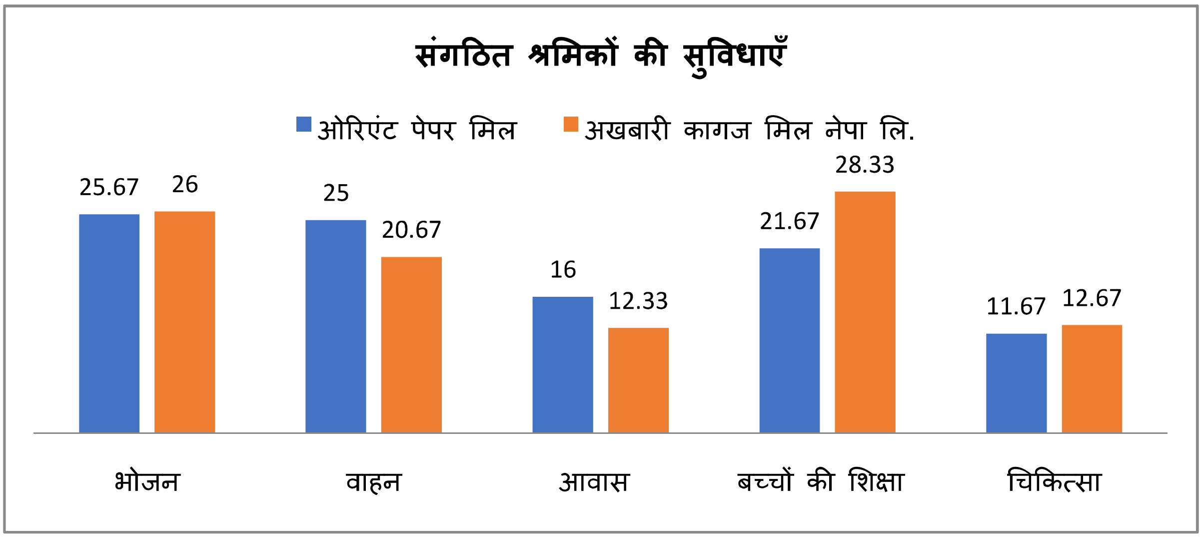

स्त्रोत:– प्राथमिक समंक (ओरिएंट पेपर मिल),
द्वितीय समंक–अखबारी कागज मिल (वेबसाइट–ww.nepapapermills.com)

सारणी 5.13
औद्योगिक क्षेत्र में संगठितदोनो मिलो में श्रमिकों के स्वास्थ्य की प्रकृति के आधार पर

क्र.	ओरिएंट पेपर मिल			अखबारी कागज मिल			कुल श्रमिक
	स्वास्थ्य की प्रकृति	श्रमिक संख्या	प्रतिशत	स्वास्थ्य की प्रकृति	श्रमिक संख्या	प्रतिशत	
01	अच्छा	115	38.34	अच्छा	165	55	280
02	सामान्य	102	34	सामान्य	125	41.67	227
03	खराब	83	27.67	खराब	10	3.33	93
	योग	300	100	योग	300	100	600

स्त्रोत:– प्राथमिक समंक 2023–24

विश्लेषण–उपर्युक्त सारणी 5.13से यह ज्ञात होता है कि ओरिएंट पेपर मिल में 38.33 प्रतिशत श्रमिकों की स्वास्थ्य की प्रकृति अच्छी है एवं 27.67 प्रतिशत श्रमिकों की स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, इसके साथ ही 34 प्रतिशत श्रमिकों की स्वास्थ्य की प्रकृति सामान्य है तथा वहीं अखबारी कागज मिल में स्वास्थ्य की स्थिति अच्छा 55 प्रतिशत, सामान्य 41.67 प्रतिशत एवं 3.33 प्रतिशत स्वास्थ्य की स्थिति खराब है।

सारणी 5.14

औद्योगिक क्षेत्र में संगठित दोनो मिलों में श्रमिकों की शिक्षा की प्रकृति के आधार पर

शिक्षा की प्रकृति	ओरिएंट पेपर मिल		शिक्षा की प्रकृति	अखबारी कागज मिल		कुल श्रमिक
	श्रमिक संख्या	प्रतिशत		श्रमिक संख्या	प्रतिशत	
10वीं	64	21.33	10वीं	58	19.33	122
12वीं	40	13.33	12वीं	45	15	85
स्नातक	94	31.33	स्नातक	95	31.67	189
बी.ई.	65	21.67	बी.ई.	34	13	99
बी.टेक	35	11.66	बी.टेक	63	21	98
सी.ए.	2	0.67	सी.ए.	5	1.66	7
योग	300	100	योग	300	100	600

स्त्रोतः— प्राथमिक समंक 2023—24

विश्लेषण— उपर्युक्त सारणी 5.14से ज्ञात है कि ओरिएंट पेपर मिल में शिक्षा की प्रकृति में सबसे ज्यादा 31.33 प्रतिशत स्नातक श्रेणी के संगठित श्रमिक है एवं बी.ई. 21.67 प्रतिशत, बी.टेक 11.67 प्रतिशत, सी.ए. 0.67 प्रतिशत श्रमिक कार्यरत् है। वहीं अखबारी कागज मिल में 10वीं 19.33 प्रतिशत, 12वीं 15 प्रतिशत, स्नातक 31.67 प्रतिशत, बी.ई. 13 प्रतिशत, बी. टेक 21 प्रतिशत, सी.ए. 1.66 प्रतिशत कुल संगठित श्रमिक मिलो में कार्यरत् है।

चित्रः 5.9

दोनो मिलो में संगठित श्रमिकों की शिक्षा

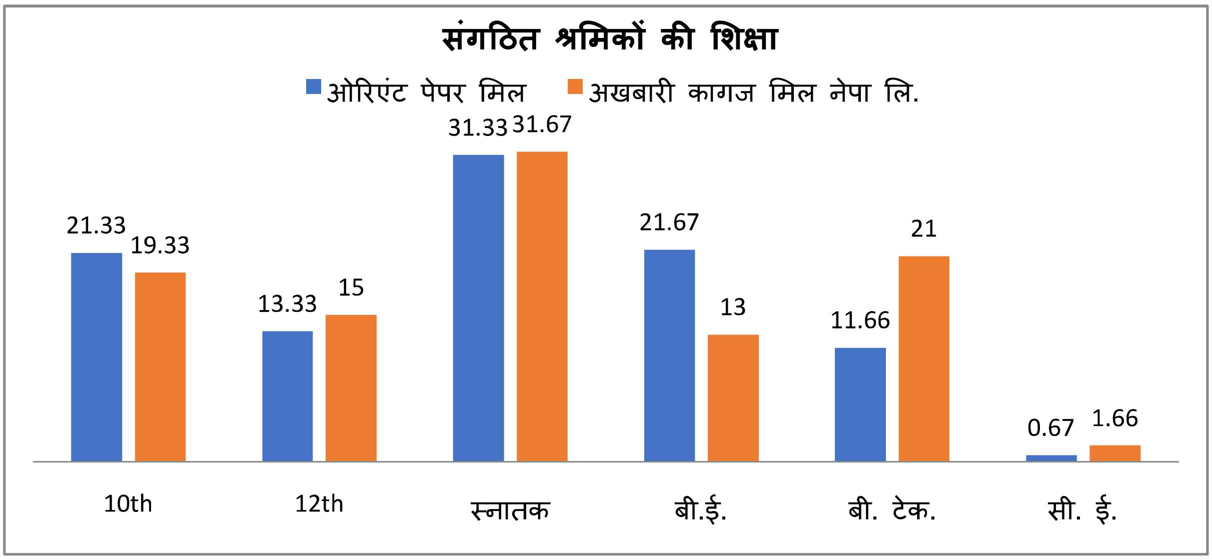

स्त्रोतः— प्राथमिक समंक 2023—24

सारणी 5.15

दोनो मिलों में पारिश्रमिक के आधार पर संगठित श्रमिकों की स्थिति

संगठित श्रमिकों के प्रकार	ओरिएंट पेपर मिल		अखबारी कागज मिल	
	आयु	पारिश्रमिक	आयु	पारिश्रमिक
खलासी	18—23	21000	20—25	25000
ऑपरेटर	23—28	28000	25—30	30000
फिटर	28—33	35000	30—35	38000
वेल्डर	33—38	42000	35—40	45000

स्त्रोत:— प्राथमिक समंक 2023—24

विश्लेषण— उपर्युक्त सारणी 5.15से स्पष्ट है कि मिलों में संगठित श्रमिकों की पारिश्रमिक स्थिति में हर साल 6 से 7 हजार की वृद्धि की जाती है एवं अनुबंध आधारित श्रमिकों के लिए हर साल में 4 से 5 हजार की वृद्धि की जाती है।

पाई चार्ट की सहायता से भी विश्लेषण कर सकते हैं—

चित्र 5.10 (क)

ओरिएंट पेपर मिल में पारिश्रमिक

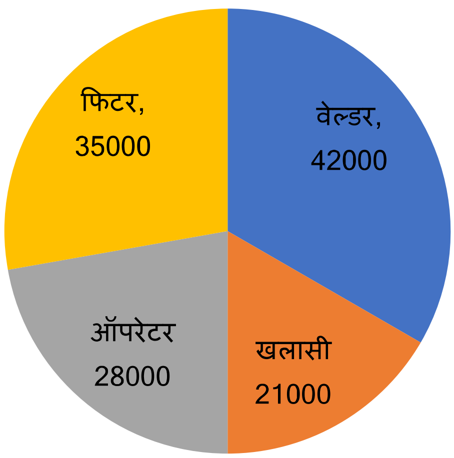

चित्र 5.10 (ख)

अखबारी कागज मिल में पारिश्रमिक

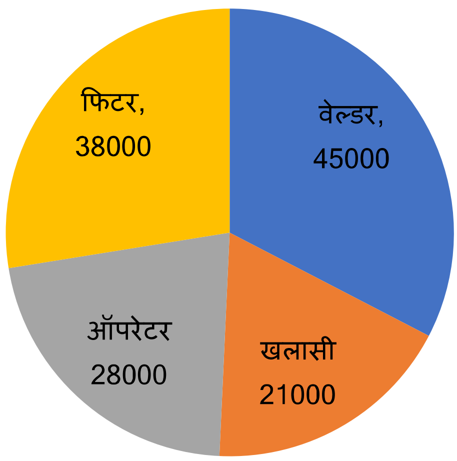

स्त्रोत:— प्राथमिक समंक 2023—24

8. दोनों मिलों में असंगठित श्रमिकों का अध्ययन

असंगठित श्रमिक नाम से ही स्पष्ट है जो श्रम कानून के अधीन नहीं आते हैं जिनकों सरकार की किसी भी योजनाओं में लाभ नहीं दिया जाता है। जो केवल संस्था में मजदूरी के लिए कार्य करते है। भारत में कुल कार्यबल का 90 प्रतिशत असंगठित कामगार है। असंगठित कामगार की परियोजना में ठेका श्रमिक, नैमत्तिक कामगार, घरों में कार्य करने, घर पर रहकर कार्य करने वाले, कृषि कामगार, महिला और बाल श्रमिक और वृहद मजदूर श्रमिक शामिल किये जाते हैं। असंगठित श्रमिकों के नियोजन में मौसमी और अनिश्चित रोजगार, अलग–अलग कार्यस्थल, नियोक्ता, कर्मचारी संबंध का अभाव, खराब कार्य स्थितियां, अनिश्चित और लम्बे कार्य घंटे और कम परिश्रमिक जैसी समस्याएँ आती है। उन्हें अपनी अलिखित स्थिति और संगठनात्मक सहायता के अभाव के कारण अत्यधिक सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। ओरिएंट पेपर मिल और नेपा. लि. (अखबारी कागज मिल) उद्योग को विकास के इंजन के रूप में और मध्य प्रदेश को निर्माण करने वाले राज्य बनाने हेतु सरकार के हाल के प्रयासों का उद्देश्य असंगठित कामगार को मुख्य धारा में लाना भी है ताकि वे भी राज्य और राष्ट्र के उत्थान में सहयोग कर सकें और उनके लिए सम्मानपूर्ण जीवन और कार्य करने का अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सकें।

असंगठित कामगारों की परिभाषा और वर्गीकरण असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में असंगठित कर्मकार को जो किसी भी अधिनियम तथा संस्था में पंजीकृत नहीं किया गया हो जिसे मजदूरी करने वाले मजदूरों के रूप में परिभाषित किया गया है। और इसमें संगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन सभी कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया है जो अधिनियम की अनुसूची संख्या 2 में उल्लेखित अधिनियमों–

1. कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923
2. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
3. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
4. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम 1952
5. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961
6. उपदान संदाय अधिनियम 1972

में से किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत पारिभाषित नहीं होते है। असंगठित कर्मकारों में वे व्यक्ति सम्मिलित है जिनके रोजगार संबंधी कानून या व्यवहार में श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा और कुछ रोजगार संबंधी लाभों के अधीन नहीं है। श्रम मंत्रालय ने असंगठित

कर्मकारों कों उनके कार्य, रोजगार के स्वरूप, अति विपदाग्रस्त श्रेणियों और सेवा श्रेणियों के आधार पर चार भागों में बांटा गया है–

पेशा–छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि श्रमिक, पेपर मिलो में निर्माण में लगे श्रमिक आदि।

रोजगार स्वरूप– स्व–रोजगार, संबंध कृषि श्रमिक, बंधुआ मजदूर, ठेका श्रमिक और नैमित्तिक श्रमिक।

अति विपदाग्रस्त श्रेणियां– इसमें उन श्रमिकों को शामिल किया जाता है जो माल ढुलाई के काम में लगे हैं।

सेवा श्रेणियां–इसमें उन श्रमिकों को शामिल किया जाता है जो घरेलू कामगार, नाई, अखबार विक्रेता में लगे है आदि।

शोधकर्ता द्वारा दोनो ही मिलों में अवलोकन कर असंगठित क्षेत्र ही मिलों में अवलोकन कर असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत लगे श्रमिकों का शिक्षा, वेतन, अन्य मदों का अध्ययन किया गया है। दोनों ही मिलों में असंगठित श्रमिक लगभग 1000 के आस–पास है।

शोधकर्ता द्वारा ओरिएंट पेपर मिल में स्वयं जाकर इन आकडों का विश्लेषण किया गया है, साथ ही शोधकर्ता द्वारा द्वितीय समंको का भी अपने शोधग्रंथ में प्रयोग किया है। शोधकर्ता द्वारा दोनों ही मिलो का शैक्षणिक स्थिति को सारणी एवं रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है–

सारणी 5.16

दोनो मिलों में असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति

क्र.	ओरिएंट पेपर मिल			नेपा लि. अखबारी कागज		कुल श्रमिक
	शैक्षणिक योग्यता	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	
1	अशिक्षित	87	29	27	9	114
2	साक्षर	60	20	54	18	114
3	प्राथमिक	12	4	51	17	63
4	माध्यमिक	48	16	51	17	99
5	उच्चतर मा. स्तर	57	19	84	28	141
6	स्नातक	36	12	33	11	69
	योग	**300**	**100**	**300**	**100**	**600**

स्त्रोत:– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023

चित्र : 5.11

दोनो मिलो में असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति

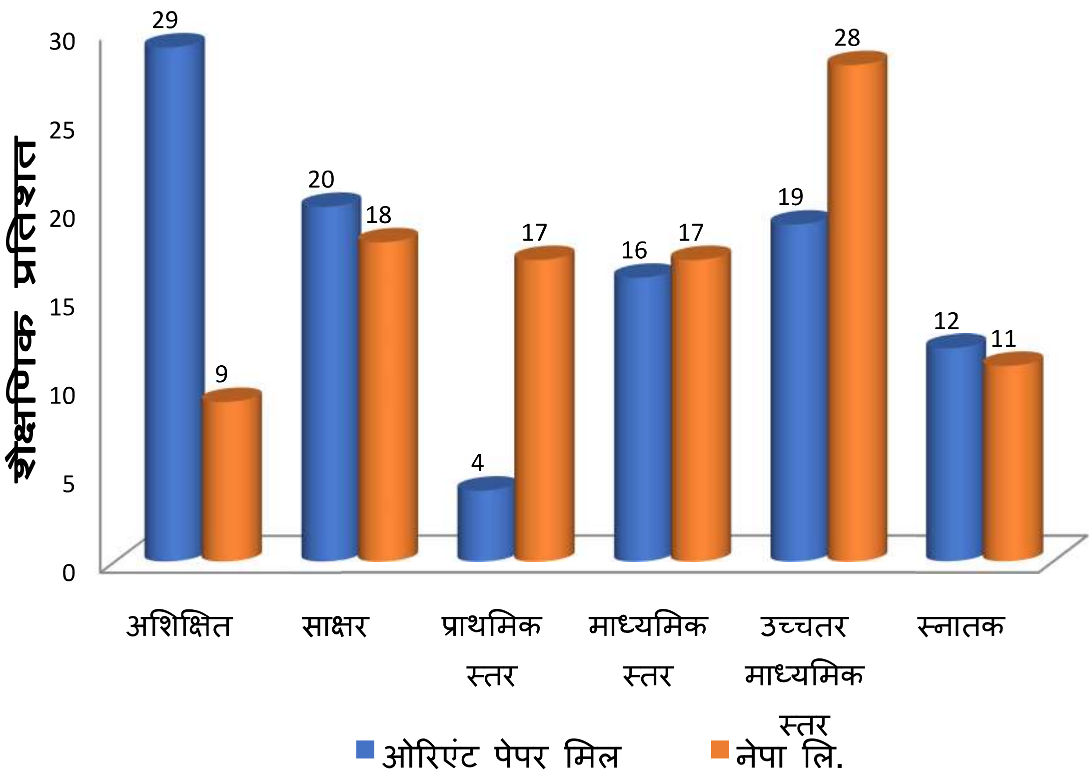

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2022–23

विश्लेषणः सारणी 5.16 का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि दोनो मिलों में शैक्षणिक स्थिति अलग–अलग स्तर पर है। ओरिएंट पेपर मिल में अशिक्षित श्रमिकों की स्थिति सबसे ज्यादा है जो 29 प्रतिशत है वहीं अगर नेपा लि. में देखें तो केवल कुल श्रमिकों का 9 प्रतिशत ही है तथा उच्चतर शिक्षा (12वीं) की बात करे तो नेपा लि. (अखबारी कागज मिल) में 28 प्रतिशत है एवं ओरिएंट पेपर मिल में शिक्षा प्राप्त श्रमिक 19 प्रतिशत ही है, वही स्नातक प्राप्त श्रमिक भी नेपा लि. में 11 प्रतिशत है और ओरिएंट पेपर मिल में इसकी स्थिति 12 प्रतिशत है। ओरिएंट पेपर मिल में जो श्रमिक कार्य करते है वे अधिकतर ठेका (अनुबंध) आधारित कार्य करते हैं इस कारण यहां श्रमिकों की शैक्षणिक स्तर नेपा लि. की अपेक्षा कम है। नेपा लि. चूंकि सरकारी उपक्रम है इसलिए यहां श्रमिकों की शिक्षा व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।

सारणी 5.17

दोनो मिलो में पारिश्रमिक के आधार पर असंगठित श्रमिकों की स्थिति

श्रमिकों के प्रकार	ओरिएंट पेपर मिल		अखबारी कागज मिल	
	आयु (वर्ष)	पारिश्रमिक	आयु (वर्ष)	पारिश्रमिक
चौकीदार	25–30	12000	25–30	18000
चपरासी	30–35	15000	30–35	20000
ऑपरेटर	35–40	18000	35–40	22000
सह–सहायक	40–45	23000	40–45	24000
कार्यालय सहायक	45–50	26000	45–50	26000

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023

दोनों मिलों में असंगठित श्रमिकों की पारिश्रमिक की स्थिति को विश्लेषण करने के लिए शोधार्थी द्वारा पाई चार्ट का उपयोग किया गया है जो इस प्रकार हैः

चित्र : 5.12 (क)

ओरिएंट पेपर मिल में पारिश्रमिक के आधार पर असंगठित श्रमिकों की स्थिति

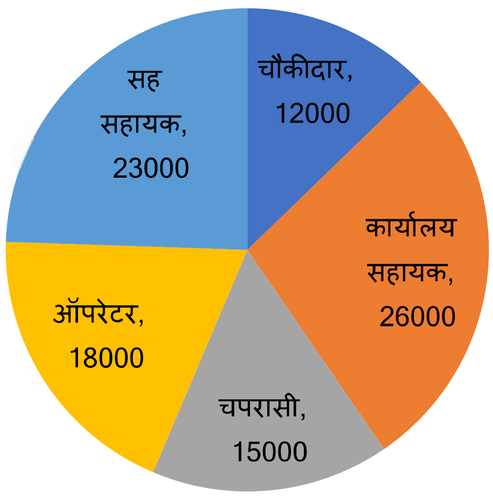

चित्र : 5.12 (ख)

नेपा लि. अखबारी कागज मिल में पारिश्रमिक केआधार पर असंगठित श्रमिकों की स्थिति

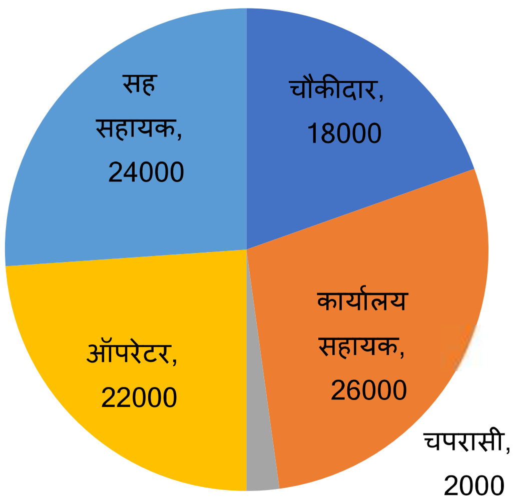

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2023

विश्लेषणः सारणी 5.17 से स्पष्ट है कि दोनों मिलों में असंगठित श्रमिको को आयु एवं योग्यता के आधार पर वेतन दिया जाता है ओरिएंट पेपर मिल में चौकीदार को 12000 रूपये प्रतिमाह का वेतन शुरुआत में दिया जाता है वहीं नेपा लि. (अखबारी कागज मिल) में इनका पारिश्रमिक न्यूनतम 18000 से प्रतिमाह दिया जाता है एवं अखबारी पेपर मिल में अनुबंध आधारित ऑपरेटर का वेतन लगभग 20000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। सभी श्रमिकों को शोधकर्ता द्वारा पाई चार्ट में भी प्रदर्शित किया गया है जिससे श्रमिको के प्रकार एवं उनका पारिश्रमिक स्पष्ट होता है एवं उनका पारिश्रमिक स्पष्ट होता है शोधकर्ता का मत यह है की अनुबंध आधारित श्रमिकों को इतना पारिश्रमिक (वेतन) दिया जाना चाहिए की वे अपना और अपने परिवार का अच्छे से पालन–पोषण कर पायें। श्रमिकों को उचित तथा निर्वाह मजदूरी दिया जाना चाहिए।

9. मिलों में विवादों एवं विवाद निष्पादन का अध्ययन :–

श्रमिकों का इतिहास निरंतर संघर्षों और आंदोलनों का इतिहास रहा है। उद्योग धन्धों के विकास (औद्योगिकरण) ने जहां एक ओर श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की तो दूसरी तरफ उनका शोषण भी किया। भारत में जब से उद्योग स्थापित हुए तभी से मजदूर अपने अधिकारों के प्रति जागरुक अवश्य थे, यह बात अलग है कि उनकी जागरुकता का यह स्तर बहुत कम रहा है और वह भी केवल संगठित क्षेत्र तक सीमित रहा। अतः स्पष्ट है कि श्रमिक हित, अधिकार व कल्याण की बातें या घटनाएं संगठित क्षेत्र में ही घटित हुई या उसी से सम्बन्ध रखती है। यदि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के विवादों या उनसे जुड़े हुए अन्य मामलों पर दृष्टि डाली जाए तो स्पष्ट होता है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा व संरक्षण के बहुत कम प्रावधान व प्रयास हुए हैं। संगठन के अभाव में इन श्रमिकों के पैदा हो रहे विवाद या तो सामने ही नहीं आते या फिर डरा धमकाकर दबा दिये जाते हैं। ऊपर से शान्त नजर आने वाले श्रमिक समूह के विवाद अन्दर ही अन्दर सुलगते रहते है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति व श्रमिक विवादों को नजदीकी व गहराई से समझने के लिए शोधकर्ता द्वारा असंगठित श्रमिकों से संबंधित निम्नांकित विवादों को प्रकाश में डाला हैः–

9.1 विवादों के प्रकार (Incidents)

1. भुगतान सम्बन्धित विवाद
2. कार्य समय/ओवरटाइम सम्बन्धित विवाद
3. दुर्घटना/मुआवजे सम्बन्धित विवाद
4. शारीरिक/मानसिक शोषण सम्बन्धित विवाद

चित्र : 5.13

श्रमिकों के विवादों के प्रकार

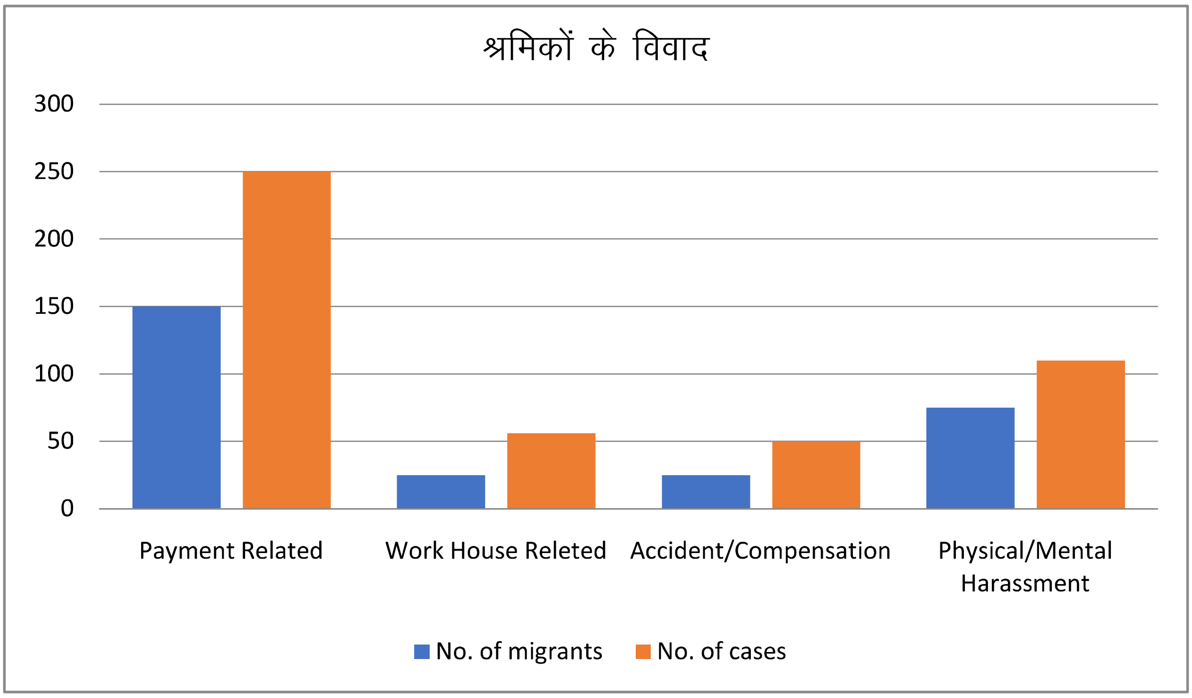

स्त्रोत:– द्वितीय समंक (शोधपत्र)–

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के विवाद का अध्ययन–(पृष्ठ क्र. 2 एवं 9–27)

श्रमिक विवादों की बारम्बारता प्रत्येक व्यवसाय तथा वर्ग में व्याप्त है परन्तु जनजाति श्रमिकों के साथ होने वाले विवादों के प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार करीब 56 प्रतिशत जनजाति श्रमिकों के साथ विवाद पाये गए। अध्ययन के अनुसार 68.3 प्रतिशत श्रमिकों के साथ कम से कम एक विवाद हुआ है। यह भी स्पष्ट हुआ कि अध्ययन में निकलकर आए विवादों की संख्या इसमें शामिल किए गए श्रमिकों की संख्या से कई अधिक है अर्थात् कई मामलों में एक श्रमिक के साथ होने वाले विवादों की संख्या एक से अधिक है और कई मामलों में तो यह 5 से भी ज्यादा है। दिलचस्प रूप से एक श्रमिक के साथ दस विवादों होने के प्रकरण सामने आए हैं।

चित्र क्रमांक 5.13 से स्पष्ट होता है कि विवादों के प्रकारों में मुख्य रूप से भुगतान सम्बन्धी मामले सर्वाधिक सामने निकल कर आए है। श्रमिकों मे से 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ

भुगतान सम्बन्धी मामले होते हैं और जहां तक विवादों की संख्या की बात करें तो वह श्रमिको की संख्या से कहीं अधिक है, अर्थात 150 श्रमिकों के साथ 250 से अधिक भुगतान सम्बन्धित विवाद हुए है। इसके अतिरिक्त शारीरिक व मानसिक शोषण सम्बन्धित विवाद 25 प्रतिशत श्रमिकों के साथ व 10 प्रतिशत श्रमिकों के साथ ओवरटाइम सम्बन्धी और 10 प्रतिशत श्रमिकों के साथ ही दुर्घटना व मुआवजे सम्बन्धी विवाद होते है। सभी प्रकार के मामलों में विवादों की संख्या श्रमिकों की संख्या से कहीं अधिक होती है।

9.2 विवादों के पक्ष

चित्र : 5.14

विवादों के पक्ष

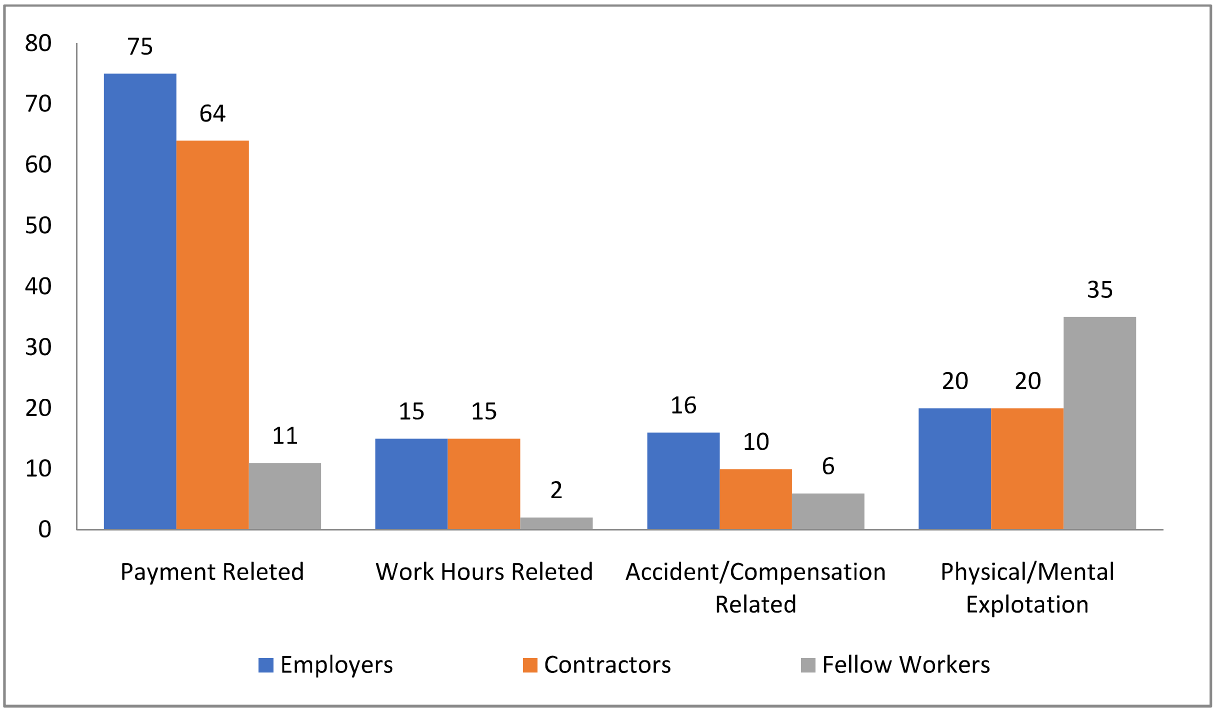

स्त्रोतः— द्वितीय समंक (शोधपत्र)

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के विवाद का अध्ययन (पृष्ठ क्र. 2 एवं 9—27)

विवाद अक्सर श्रमिक व नियोक्ता के मध्य उत्पन्न होते है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि अधिकांश श्रमिक विवाद श्रमिक और नियोक्ता व ठेकेदार के बीच में देखने को मिलते है, इनमें से नियोक्ता के साथ होने वाले विवादों की संख्या कुछ अधिक है। भुगतान सम्बन्धित, कार्य समय/ओवरटाइम सम्बन्धित और दुर्घटना/मुआवजे सम्बन्धित विवाद अधिकतर श्रमिक और नियोक्ता के बीच होते है जबकि शारीरिक/मानसिक शोषण सम्बन्धित विवाद आपसी साथी श्रमिकों के साथ अधिक पाये जाते है। देखा गया है कि पुराने श्रमिक नए श्रमिकों पर दबाव बनाते है। एक तो बाजार की परिस्थितियां ही ऐसी है कि पुराने श्रमिकों को नए श्रमिकों से अपनी नौकरी का खतरा रहता है, क्योंकि नए श्रमिक कम दरों पर काम

करने को तैयार होते है और साथ ही पुराने श्रमिकों के लिए काम के अनुभव के साथ पदोन्नती की कोई संभावना नही होती है। और दूसरा, पुराने श्रमिक दिनभर का गुस्सा, थकान वह नए व छोटे श्रमिकों पर निकाल देते हैं।

9.3 विवादों का व्यवसाय आधारित वर्गीकरण

चित्र : 5.15

विवादों का व्यवसाय आधारित वर्गीकरण

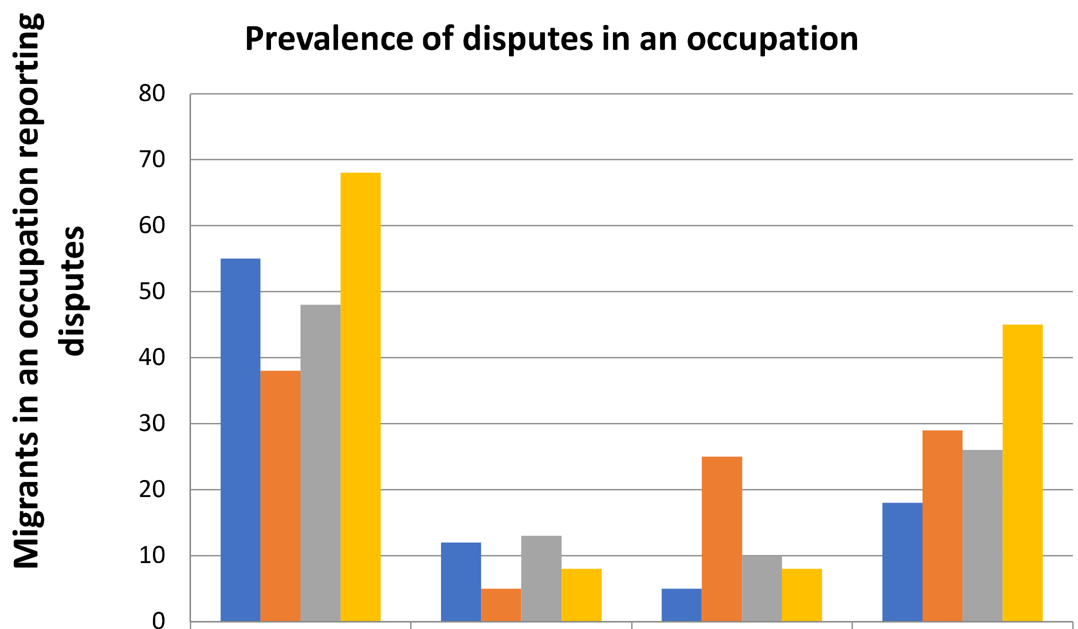

	Payment Releted	Accident Related	Work Time Related	Physical/Mental Harassment
Construction	55	12	5	18
Textile	38	5	25	29
Cook/Hotels	48	13	10	26
Loading	68	8	8	45

स्त्रोत:– द्वितीय समंक (शोधपत्र)
असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के विवाद का अध्ययन (पृष्ठ क्र. 2 एवं 9–27)

अध्ययन से प्राप्त आकड़ों के अनुसार विवादों की प्रकृति कार्य के प्रकार पर बहुत निर्भर करती है। पेपर मिल में श्रमिकों के साथ सभी प्रकार के व्यवसायों मे पाए जाते हैं। इनमें से पेपर मार्केट में श्रमिकों के साथ अन्य व्यवसायों की तुलना मे भुगतान सम्बन्धी विवादों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया मासिक होती है। जबकि अन्य व्यवसायों मे मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया दैनिक या ठेके के आधार पर होती है। ठेकेदारी पर आधारित व्यवसायों मे मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया दैनिक या ठेके के आधार पर होती है। ठेकेदारी पर आधारित व्यवसायों खासकर निर्माण व

रसोई व्यवसाय में मुख्य नियोक्ता एवं श्रमिक के बीच एक से अधिक मध्यस्थों या बिचौलियों की उपस्थिति होती है जिससे श्रमिक के भुगतान की प्रक्रिया में अनियमितता होने की संभावना अधिक होती है।

अधिकांश मामलों मे बिचौलिया या उप ठेकेदार आगे से भुगतान न प्राप्त करने की शिकायत करते हैं। नियोक्ता ठेकेदार पर आरोप लगाते है और श्रमिक के लिए सच पता कर पाना कठिन होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में एक दूसरे पर आरोप लगाकर श्रमिकों को यह भी पता नहीं लग पाता है कि आखिर उसे भुगतान किससे प्राप्त करना हैं।

इसी प्रकार दुर्घटना और मुआवजे के अधिकांश मामले निर्माण और रसोई कार्य में कार्यरत् श्रमिकों के साथ निकल कर आए। इसकी प्रमुख वजह इन व्यवसायों में व्याप्त जोखिम है। निर्माण कार्य में श्रमिकों को पेपर वेस्ट मटेरियल को अलग करना, लकड़ी छांटना आदि जोखिमपूर्ण काम करने पड़ते है। दुर्घटना संबंधी मामले इन व्यवसायों में ज्यादा पाये जाते हैं। Orient Paper & News Printing मिल में काम करने वाले श्रमिकों के साथ दुर्घटना सम्बन्धी मामले तुलनात्मक रूप में कम दृष्टिगत होते है, लेकिन कार्य समय संबंधी व ओवर टाईम संबंधी अनियमितताएं इस व्यवसाय में अन्य की तुलना में अधिक देखने को मिलती है।

निर्माण कार्य में श्रमिक प्रायः एक निश्चित समय सारणी के अन्तर्गत काम करते हैं और विशेषकर दिहाड़ी श्रमिक निश्चित समय के आगे काम नहीं करते, इसी प्रकार हमाली कार्य में भी समय निर्धारित होता है और मण्डी बन्द होने के साथ ही काम भी रूक जाता है, जबकि पेपर मिल में काम करने वाले श्रमिक एक निश्चित मासिक मेहनताने पर काम करते है और उनके काम की समय सीमा तय नहीं होती है। अन्य व्यवसायों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक समय तक काम करना पड़ता है। शारीरिक व मानसिक प्रताडना से जुड़े मामले मुख्यतया पेपर मिल के श्रमिकों के साथ अधिक देखने में आते है, क्योंकि इन व्यवसायों में श्रमिकों के प्रवेश की आयु अन्य के मुकाबले कम हैं, ऐसे में किशोर वय के श्रमिकों के साथ उनके ठेकेदारो, नियोक्ताओं और पुराने साथी श्रमिकों के द्वारा इस प्रकार के व्यवहार की संभावनाएं बढ़ जाती है।

9.4 विवाद और सामाजिक स्थिति

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के अनुसार सामाजिक स्तर भुगतान सम्बन्धी, दुर्घटना व मुआवजे से जुड़े मामलों में अहम फर्क पैदा नहीं करता, हालांकि कार्य समय और शारीरिक व मानसिक प्रताडना के मामलों में जनजाति समुदाय के श्रमिक ज्यादा आसानी से शिकार हो जाते है, यह भी संकेत मिलते है। कार्य समय और शारीरिक व मानसिक शोषण दोनों

ही व्यवहार से सम्बन्धित मुद्दे है, और सामाजिक स्तर पर देखा जाए जो स्पष्ट होता है कि जनजाति समुदाय पर दबाव रहता है।

चित्र : 5.16

विवाद एवं सामाजिक स्थिति

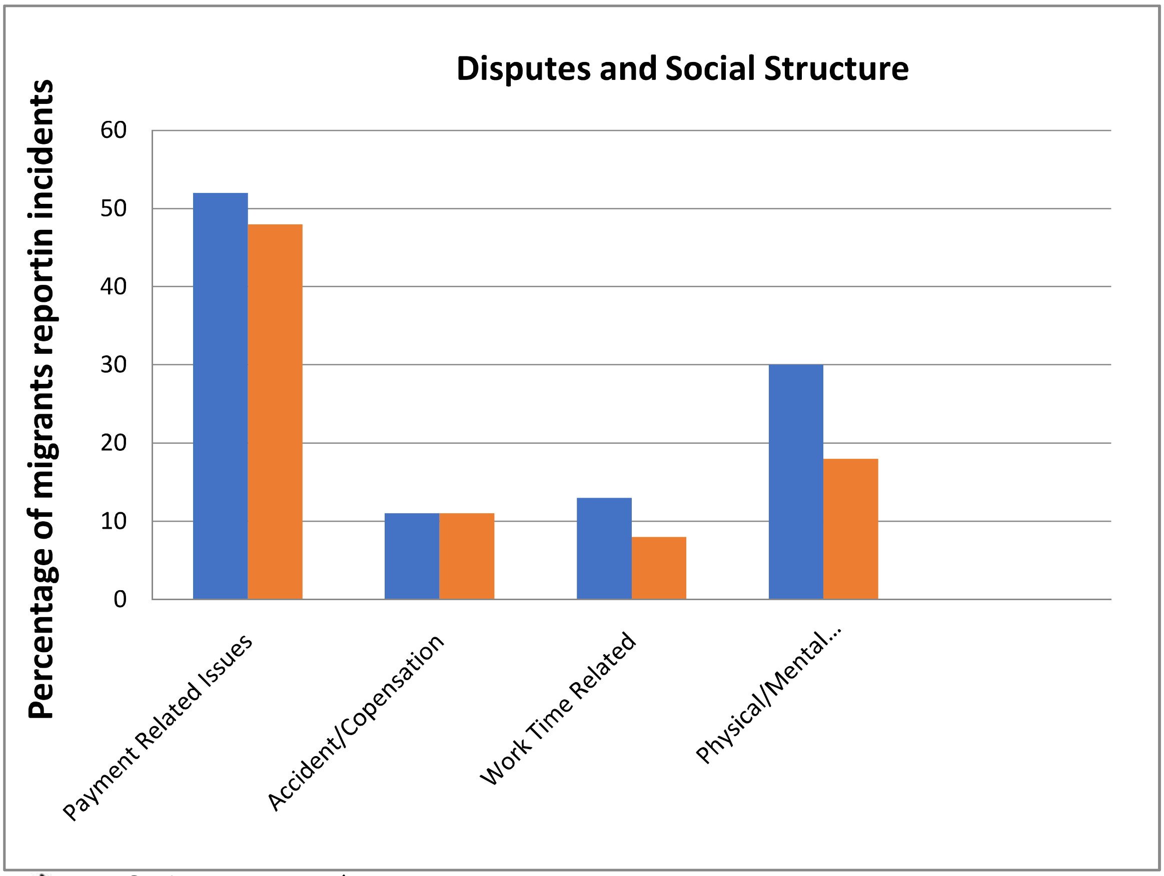

स्त्रोत:– द्वितीय समंक (शोधपत्र)

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के विवाद का अध्ययन (पृष्ठ क्र. 2 एवं 9–27)

9.5 विवाद और कार्य स्थल

श्रमिक के कार्य स्थल और उसके साथ होने वाले मामलों की प्रकृति में भी सम्बन्ध जाहिर होता है। राज्य में ही रहकर काम करने वाले श्रमिकों के साथ भुगतान सम्बन्धी विवाद प्रायः होते है वहीं शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना और कार्य समय व ओवरटाइम सम्बन्धी मामले अन्तर्राज्ययीय श्रमिकों के साथ अधिक पाए जाते है क्योंकि अपने घर व परिवार से दूर होने के कारण वह प्रायः लम्बे समय (अधिक घण्टों) तक काम करने से नहीं कतराते है और काम गवां देने के डर से अपने साथ होने वाली गाली गलौच व मारपीट को भी सहन कर जाते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि निर्माण स्थल में कार्य करने वाला श्रमिक ज्यादा जोखिम वाला वर्ग है। क्योंकि अपने घर व क्षेत्र से दूर होने के कारण

श्रमिक अपने आप को अकेला व असहाय महसूस करते है और अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार का प्रतिरोध नहीं कर पाते है। जबकि संस्था पास के क्षेत्रों में काम करते है और अपने नियोक्ता या ठेकेदार को सामाजिक रूप से पहचानते है जिससे उनके साथ व्यवहारिक परेशानियां कम होती हैं।

चित्र 5.17
विवाद और कार्यस्थल

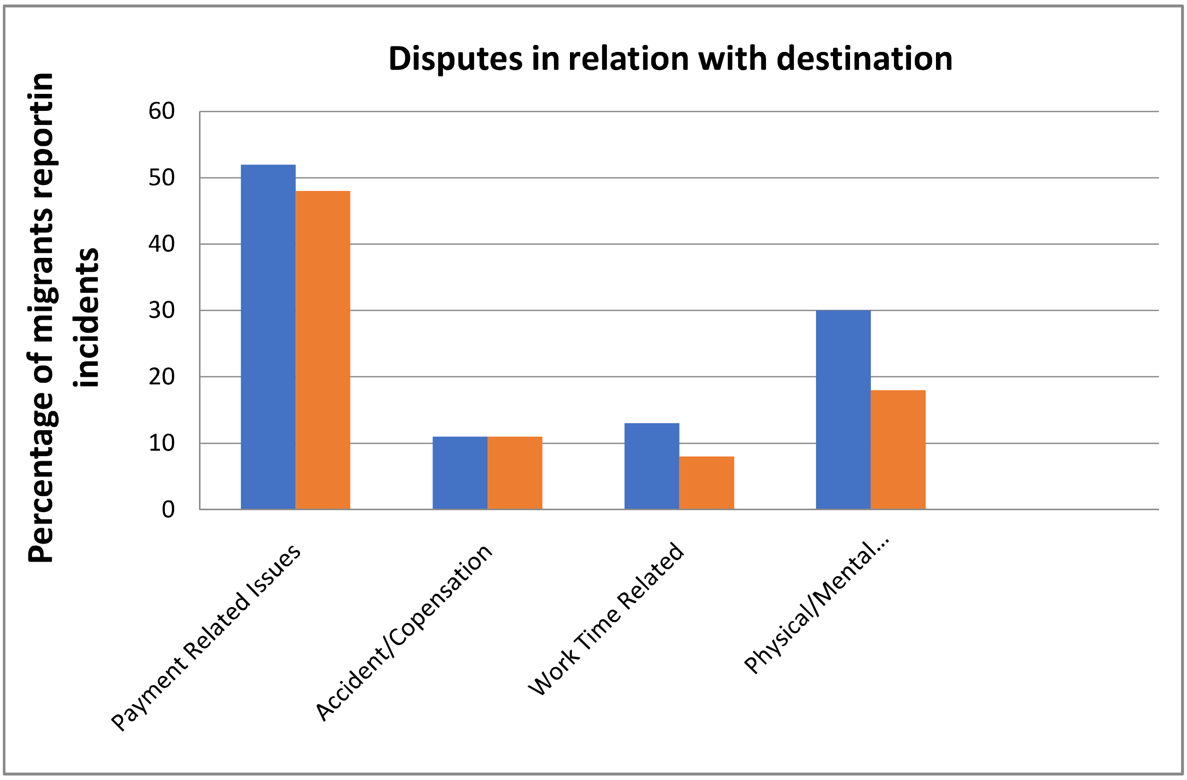

स्त्रोत:– द्वितीय समंक (शोधपत्र)–
असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के विवाद का अध्ययन (पृष्ठ क्र. 2 एवं 9–27)

9.6 विवादों की परिस्थितियां

अध्ययन के दूसरे चरण में Case Studies व गहन साक्षात्कार के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो कौनसी श्रमिकों व नियोक्ताओं के मध्य विवादों को जन्म देती हैं और प्रभावित करती है। अध्ययन श्रमिकों के विवाद उत्पन्न होने के कुछ प्रमुख कारणों पर भी प्रकाश डालता है। श्रमिक विवादों के कारणो का सम्बन्ध केवल श्रमिक के कार्यस्थल से जुड़ा हुआ ही नहीं है बल्की उसकी दक्षता–क्षमता, सामाजिक स्तर और स्वयं श्रमिक के व्यवहार से भी गहरा ताल्लुक रखते है। अतः अध्ययन

से स्पष्ट होता है कि निम्न परिस्थितियां हैं जो श्रमिक व नियोक्ता के मध्य विवादों को जन्म देती हैं।

9.6.1 कार्य की परिस्थिति

- **अवसरों की कमीः** अपने क्षेत्र मे काम के अवसरों की उपलब्धता कम व सीमित होने और अन्य बाहरी काम के अवसरों तक श्रमिकों की पहुंच नहीं होने के कारण श्रमिकों को उपलब्ध काम के अवसरों को ही अपनाकर काम पर जाना पड़ता है। आमतौर पर ऐसे श्रमिकों को अधिक घंटे काम करना पड़ता है और उनको मिलने वाली मजदूरी भी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से काफी कम होती है और उनका शोषण किया जाता है जिससे श्रमिक व उसके नियोक्ता के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाते है।

- **मध्यस्थों की उपस्थितिः** मुख्य नियोक्ता एवं श्रमिक के बीच मध्यस्थों की उपस्थिति के कारण भी विवाद होते है। श्रमिक को उसके निवास से लाने का और काम पर लगाने का कार्य ठेकेदार या बिचौलियों के माध्यम से होता है। मुख्य नियोक्ता भी ठेकेदार या बिचौलियों को काम की जिम्मेदारी के माध्यम से होता है। मुख्य नियोक्ता भी ठेकेदार या बिचौलियों को काम की जिम्मेदारी सौपता है और मजदूरी का भुगतान भी उन्हीं के द्वारा करता है। मुख्य नियोक्ता और श्रमिक के बीच केवल एक ही ठेकेदार ना होकर कई उप ठेकेदार या बिचौलिये होते हैं, ऐसे में भुगतान की प्रक्रिया लम्बी व अनेक व्यक्तियों के माध्यम से होती है। भुगतान अटकने पर ठेकेदार, उप ठेकेदार व अन्य बिचौलिए एक दूसरे पर भुगतान रोकने का आरोप लगा देते है, और श्रमिकों को यह भी पता नहीं लग पाता है कि वास्तव में उसे अपनी मजदूरी का भुगतान किस व्यक्ति से प्राप्त करना है। कुछ मामलों में देखा गया कि ठेकेदार श्रमिकों को तब तक अपने पास से भुगतान नहीं करते है जब तक कि आगे (नियोक्ता) से उनकों भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता है जबकि श्रमिकों को काम पर लगाने व उनसे काम करवाने का कार्य ठेकेदार ही करते है।

  ठेकेदार या बिचौलियों द्वारा श्रमिकों से तय काम के घण्टों से कहीं अधिक समय तक काम करवाया जाता है और उसका उन्हे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता है। वे श्रमिक को पूरा भुगतान नहीं करके कम भुगतान करते है, उनकी मजदूरी से कमीशन भी काट लेते है और कहीं—कहीं पर तो श्रमिक की मजदूरी का भुगतान कई महिनों के बाद सीजन के अन्त में किया जाता है जिससे उसे जरूरत के समय भी अपनी मजदूरी का पैसा नहीं मिलता है और ऐसी परिस्थिति श्रमिक को अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

- **घर/क्षेत्र से दूरी :** अपने गांव या क्षेत्र से श्रमिक के कार्यस्थल की दूरी की वजह से श्रमिक का सामाजिक नेटवर्क कमजोर होता है और ऐसे मे श्रमिक अपने साथ होने वाले अन्याय का प्रतिरोध सशक्त तरीके से नहीं कर पाता है। इन सब वजहों से श्रमिक आसानी से विवादों में अधिक असहाय पक्ष बन जाते हैं।

9.6.2 क्षमता व जानकारी का अभाव

- **दक्षता/हुनर की कमी :** आजीविका ब्यूरो द्वारा किए गए पंचायत स्तरीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र से जाने वाले कुल श्रमिकों मे से 85 प्रतिशत अकुशल व अदक्ष कार्य करते है। श्रमिक में अपने काम से जुडे हुनर का अभाव होने के कारण श्रमिकों के पास कार्य के सीमित अवसर होते हैं, काम की आवश्यकता व उसकी जानकारी का दायरा सीमित होने के कारण उन्हीं सीमित अवसरों मे से उपलब्ध अवसरों का चुनाव करना श्रमिक की मजदूरी बन जाती है और ऐसी परिस्थितियों में उसका शोषण होता है जो कि विवादों को जन्म देता हैं।

- **शिक्षा की कमी :** श्रमिकों में शिक्षा का अभाव होना उसकी मोल भाव करने की क्षमता (Bargining Capacity) को कम करता है और श्रमिक अपने नियोक्ता के साथ अपने काम की मजदूरी दर, काम के घण्टे, कार्य स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं आदि के बारे मे काम पर जाने से पहले मोल भाव नहीं का पाता है। इससे वह अधिकांश मौकों पर बिना तय किए काम करने को विवश दिखाई देता है, जो अन्ततः श्रमिक के साथ अधिकतम विवादों के कारण बनते है।

- **अनौपचारिक कार्यसम्बन्ध :** श्रमिक व नियोक्ता दोनों का एक ही क्षेत्र का होने के कारण उनके बीच में वेतन, अनुबन्ध अन्य श्रमिकों को काम हेतु साथ लाना व अन्य व्यवस्थाएं मौखिक व अनौपचारिक ही होती हैं, जिससे उनके बीच में तरह–तरह के विवाद उपजते रहते हैं। श्रमिकों के पास किसी तरह के दस्तावेज न होने के कारण उन्हे ठेकेदार के हिसाब पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

9.6.3 सामाजिक स्थिति

- **जातिगत प्रभाव :** अध्ययन के अनुसार जनजाति श्रमिकों के साथ कार्यसमय व ओवरटाइम और शारीरिक व मानसिक प्रताडना के विवाद अधिक संख्या में होते है। श्रमिक का जातिगत स्तर भी उसके साथ होने वाले विवादों की संभावनाओं को तय करता है क्योंकि अधिकतर नियोक्ता (मालिक व ठेकेदार) सामान्य व अन्य जाति वर्ग के होते है और श्रमिक अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति वर्ग के होते हैं और सामाजिक स्तर पर जातिगत भेदभाव होने के कारण जनजाति समुदाय के श्रमिकों

के साथ काम को लेकर दोहरा व्यवहार किया जाता है जिसके कारण विवादों का जन्म होता है।

9.6.4 श्रमिक व्यवहार

- **श्रमिक का अनुत्तरदायी व्यवहार :** गौरतलब है कि कई बार श्रमिक का व्यवहार, विशेषकर अपने नियोक्ता के प्रति उसकी जवाबदेही भी विवादों को जन्म देती है। इसमें श्रमिकों का कार्य के बीच में ही लम्बी छुट्टी पर चले जाना व समय पर घर से वापस काम पर लौटना, अग्रिम पैसा लेकर कार्यस्थल से चले जाना व समय पर घर से वापस काम पर ना लौटना, अग्रिम पैसा लेकर कार्यस्थल से चले आना आदि ऐसे कारण है जिनसे नियोक्ता का काम बीच ही में अटक जाता है और कभी कभी तो उसे नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। हालांकि ऐसे मामलों में कई बार संस्था द्वारा काम लेने के तरीके भी श्रमिक को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए उकसाते है।

- **भिन्न कार्य संस्कृति :** कई श्रमिकों मे अपने काम को लेकर भावी सोच का अभाव रहता है और कभी कभी वह अपने काम व जिम्मेदारियों मे लापरवाही बरत जाते है। इस प्रकार का व्यवहार अधिकतर वे श्रमिक करते है जो कम उम्र मे (अवयस्क) ही कार्य क्षेत्र (Market) मे आ जाते हैं। इस तरह के श्रमिकों की अपने काम, उत्तरदायित्वों व अन्य जिम्मेदारियों के प्रति सोच अपरिपक्व होती है जिससे वह कभी कभार गलतिया कर बैठता है और विवाद उत्पन्न हो जाते हैं।

9.7 विवादों के प्रभाव

अध्ययन से स्पष्ट होता है किइस प्रकार के विवादों से केवल श्रमिक ही नहीं अपितु उसकी पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होता है। विवादों का श्रमिक के आर्थिक, मानसिक व कार्यगत स्थितियों पर सीधा असर पड़ता है। अध्ययन से श्रमिक पर पड़ने वाले निम्न प्रभाव उभर कर सामने आते है।

9.7.1 आर्थिक प्रभाव

- **समय पर व आवश्यकता के समय भुगतान नहीं**

  असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी के नियमित व समय पर भुगतान की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, चाहे वह कोई भी व्यवसाय क्यों ना हो। श्रमिकों के साथ होने वाले कुल विवादों में से 50 प्रतिशत विवाद भुगतान सम्बन्धी होते है। भुगतान सम्बन्धी विवादों मे आमतौर पर श्रमिकों को काम पर जाने से पहले व काम के दौरान कुछ अग्रिम राशि दे दी जाति है और उसका हिसाब

सीजन के अन्त में, काम समाप्त होने पर या कई महिनों के बाद किया जाता है जिससे उन्हें गुजारा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्रमिकों के हाथ में नगद नहीं रहने से श्रमिकों को कई बार बीमार होने पर अपने ईलाज के लिए, घर खर्चे की आवश्यकता या कोई अन्य आपात परिस्थिति में भी अपने नियोक्ता से अग्रिम सहायता नहीं मिल पाती। कई बार नियोक्ता आगे से भुगतान नहीं होने की बात कहकर श्रमिकों को टाल देते है।

नीचे दिये गए तालिका 5.17 से स्पष्ट होता है कि 40 प्रतिशत विवादों में श्रमिकों का भुगतान गत 6 माह से भी अधिक समय से रुका हुआ है।

तालिका 5.18

समय पर वेतन भुगतान न पाने वाले श्रमिक (समय के आधार पर)

समय	ओरिएंट पेपर मिल		अखबारी पेपर मिल		कुल श्रमिक
	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	
1 से 6 माह	180	60	204	68	384
6 से 12 माह	42	14	24	8	66
1 से 2 वर्ष	36	12	36	12	72
2 से 5 वर्ष	24	8	27	9	51
5 वर्ष से अधिक	18	6	9	3	27
योग	**300**	**100**	**300**	**100**	**600**

स्त्रोतः– द्वितीय समंक (शोधपत्र)

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के विवाद का अध्ययन (पृष्ठ क्र. 2 एवं 9–27)

- **मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं**

रसोई कार्य,Orient Paper Mills and News Printing में कार्य और निर्माण कार्यो में तो अधिकतर यह होता है कि श्रमिक की जितनी कुल मजदूरी बनती है उसमें से मालिक या ठेकेदार कुछ पैसा काटकर अपने पास रख लेता है और उसको आगे काम करने पर ही वह पैसा मिलता है ऐसा निरन्तर चलता रहता है। ऐसी स्थिति में श्रमिक अपनी मजदूरी का पैसा रुकने होने के वह कारण चाहकर भी दूसरी जगह

मिलने वाला अच्छा व सम्मानजनक या अधिक पैसों का काम नहीं कर पाता हैं। इस व्यवस्था से श्रमिक एक तरह से बंधुआ मजदूर बनकर रह जाता है।

तालिका 5.19

समय पर वेतन भुगतान न पाने वाले श्रमिक (राशि के आधार पर)

भुगतान राशि	ओरिएंट पेपर मिल		अखबारी पेपर मिल		कुल श्रमिक
	नम्बर	प्रतिशत	नम्बर	प्रतिशत	
1000 से कम	180	60%	204	68%	384
1000 से 2000	42	14	24	8	66
2000 से 5000	36	12	36	12	72
5000 से 10000	24	8	27	9	51
10000 से अधिक	18	6	9	3	27
कुल	**300**	**100**	**300**	**100**	**600**

स्त्रोत:– द्वितीय समंक (शोधपत्र)
असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के विवाद का अध्ययन (पृष्ठ क्र. 2 एवं 9–27)

उपरोक्त तालिका क्र. 5.19 से स्पष्ट होता है कि 40 प्रतिशत श्रमिकों के विवादों मे विवादित भुगतान की राशि 1000 रू. से कम है। कई मामलों में तो नियोक्ताओं ने श्रमिकों की बकाया मजदूरी का भुगतान करने से इन्कार कर दिया या कई वर्षो से उनका भुगतान अटका रखा है।

- **कर्ज लेने को मजबूर**

विवाद की वजह से श्रमिक का भुगतान विलम्ब से या कटौती होकर मिलता है जब उसको विशेष परिस्थितियों मे पैसो की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में वह कर्ज लेकर उधार के बोझ तले दबने का विवश होता है। कई मामलों मे तो विवाद के कारण भुगतान नहीं होने पर श्रमिकों को अपने साथ काम पर ले गए साथी श्रमिकों के भुगतान का चुकारा भी कर्ज लेकर करना पड़ा है।

9.7.2 शारीरिक व मानसिक प्रभाव

- **साथी श्रमिकों का दबाव**

विवाद होने के कारण उन श्रमिकों को अत्याधिक दबाव व तनाव का सामना करना पड़ता है जो अपने साथ अन्य श्रमिकों को काम पर ले गए थे या अपने पास काम पर लगाया था और विवाद के कारण भुगतान नहीं पाया। ऐसे मामलों मे भुगतान के लिए श्रमिक सीधे नियोक्ता पर दबाव न डालकर काम पर ले जाने या लगाने वाले श्रमिक पर दबाव डालते है।

- **मारपीट व धमकी**

विवाद के कारण आमतौर पर मानसिक तनाव के साथ साथ विपक्षी द्वारा दी जाने वाली मारपीट, कहीं और काम नहीं करने दूंगा, काम से निकलवा दूंगा, पुलिस केस लगा दूंगा, जीना हराम कर दूंगा आदि धमकियों का सामना भी करना पड़ता है।

- **पारिवारिक दबाव व तनाव**

जब विवाद के चलते श्रमिक अपने प्रवास के गंतव्य स्थल से काम छोड़कर घर लौट आता है या काम पर नहीं जाता है तो परिजनों द्वारा कमा कर लाने का दबाव भी श्रमिक को सहन करना होता है। विवाद होने पर नियोक्ता या अन्य साथी श्रमिक उसके साथ साथ उसके परिवार पर भी दबाव डालते है। कभी कभी पारिवारिक दबाव के कारण श्रमिक को न चाहते हुए भी उसी नियोक्ता के पास काम करना पड़ता है।

9.7.3 कार्य सम्बन्धों पर प्रभाव

- **काम के अवसर समाप्त**

विवाद होने के कारण श्रमिक व नियोक्ता क मध्य कार्य सम्बंधो पर भी विपरीत प्रभाव होता है। अधिकांशतया श्रमिक उस नियोक्ता के यहां से काम छोड़ देता है और आगे उस नियोक्ता के साथ कार्य नहीं करता है। अध्ययन मे शामिल श्रमिकों मे से लगभग सभी श्रमिकों ने विवाद होने के बाद दोबारा उस नियोक्ता के साथ काम नहीं किया। कई बार तो यह भी देखने में आया है कि ऐसे विवादों से आहत होकर श्रमिक उस व्यवसाय या गन्तव्य स्थल को ही छोड देता है और नए अवसरों में अपनी अजीविका की तलाश करता है। अध्ययन में सम्मिलित कुछ श्रमिक ऐसे भी है जो अपना काम या कार्यस्थल ही छोडकर घर लौटने को मजबूर हुए।

9.8 विवादों के सामाधान के प्रयास

अध्ययन में सम्मिलित किए गए श्रमिकों ने अपने विवादों में अधिकांशतया विवादों के निस्तारण के लिए कोई भी औपचारिक तरीका नहीं अपनाया। कुछ श्रमिको ने श्रमिक सहायता एवं सन्दर्भ केन्द्र को अपने विवाद निस्तारण के लिए अवश्य मदद हेतु चुना। अध्ययन से श्रमिकों द्वारा विवाद निस्तारण हेतु अपनाए जाने वाले निम्न तरीके निकलकर सामने आए।

9.8.1 व्यक्तिगत प्रयास

अधिकांश श्रमिक विवादों का समाधान करने के लिए कोई औपचारिक तरीके न अपनाकर प्रायः नियोक्ता या सम्बन्धित व्यक्ति से आग्रह करना, अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के जरिये मध्यस्थता करवाना जैसे अनौपचारिक तरीके अपनाते है। श्रमिक अधिकतर मामलों मे एक याचक की मुद्रा मे ही रहता है, जिससे उनके विवादों का निस्तारण नहीं हो पाता है।

9.8.2 संस्थागत/औपचारिक प्रयास

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि किसी भी श्रमिक ने विवादों के निपटारे के लिए पुलिस, श्रम विभाग या अन्य किसी प्रकार के औपचारिक कानूनी तरीके को नही अपनाया। अध्ययन में सम्मिलित किए गए श्रमिकों मे से मात्र चार श्रमिको ने श्रमिक सहायता एवं सन्दर्भ केन्द्र पर अपने विवादों को दर्ज करवाकर विवाद निस्तारण कि लिए सहायता व कार्यवाही की मांग की।

9.8.3 कानूनी प्रयास क्यों नहीं ?

श्रमिक आमतौर पर अपने विवादों के समाधान के कोई ठोस प्रयास नहीं करता इसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार से है–

- विवाद को नियति मानना
- विवादों को अपने ही और स्थानीय स्तर पर सीमित रखना
- व्यवसायिक स्तर पर असंगठित
- उपयुक्त सलाह और मार्गदर्शन का अभाव
- कानूनी प्रक्रिया मे लगने वाला लम्बा समय व धन
- सामाजिक व राजनैतिक दबाव
- अपने आप को असुरक्षित महसूस करना
- विरोधी द्वारा प्रताडना या शारीरिक नुकसान की धमकी
- विवादों में दोनों का स्थानीय होना

❖ समय और पैसा खर्च होने का डर

❖ पुलिस और कानून का भय

❖ खुद को कमजोर व कुंठित मानना इत्यादि

9.9 कानूनी पक्ष व जागरूकता

9.9.1 न्यूनतम श्रम कानूनों की जानकारी

श्रमिक की कानूनी समझ और काम से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी उसके साथ होने वाले विवादों के समाधान में अहम भूमिका निभाति है। अध्ययन स्पष्ट करता है कि श्रमिकों ने कुछ कानूनों के बारे मे तो सुना अवश्य है लेकिन उनके प्रावधान के प्रति जानकारी व समझ का स्तर अत्यधिक कम है। अध्ययन में सम्मिलित करीब आधे श्रमिकों को यह मालूम था कि बाल श्रम की रोकथाम के लिए कोई कानूनी है। केवल एक चौथाई श्रमिकों ने बताया कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जानी चाहिए तथा सरकार क्षरा न्यूनतम मजदूरी तय है। निम्न चार्ट के द्वारा न्यूनतम श्रम कानूनो के बारे मे श्रमिकों की जानकारी का स्तर ओर अधिक स्पष्ट होता है।

चित्र : 5.18

कानूनी पक्ष व जागरूकता

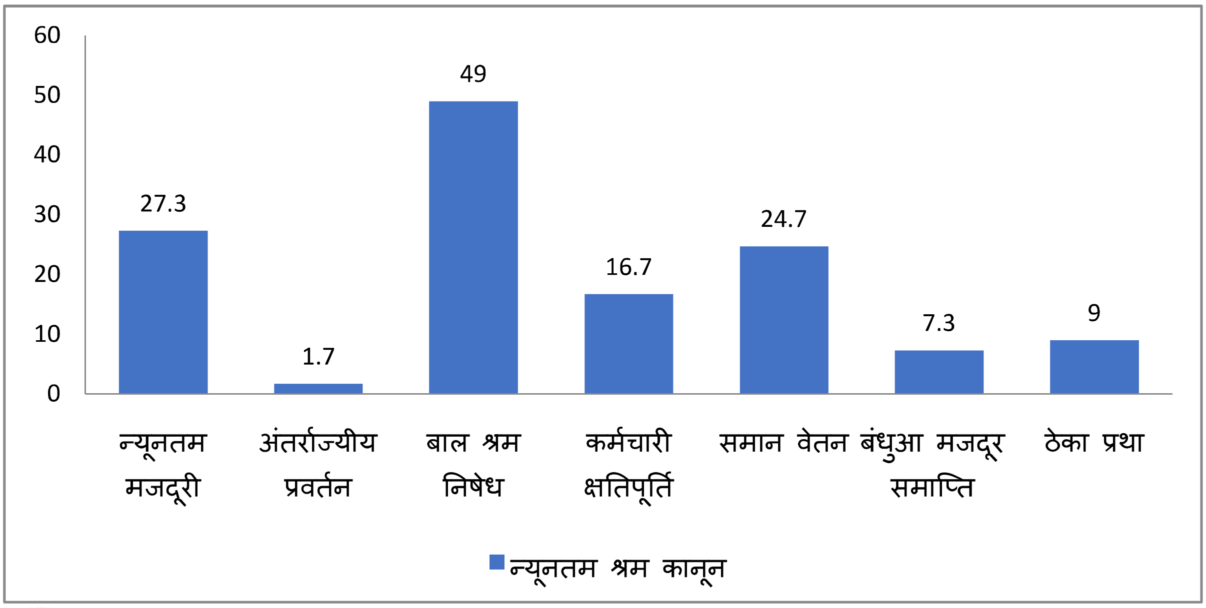

स्त्रोत:– द्वितीय समंक (शोधपत्र)

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के विवाद का अध्ययन (पृष्ठ क्र. 2 एवं 9–27)

9.9.2 श्रम विभाग की जानकारी

अध्ययन मे शामिल श्रमिकों मे से 63 प्रतिशत श्रमिकों का कहना था कि नियोक्ता के साथ श्रमिक विवाद होने पर कानूनी सहायता ली जा सकती है। श्रमिको से सम्बन्धित सरकारी

विभागों के बारे में मात्र 7 प्रतिशत श्रमिक ही श्रम विभाग या उसकी किसी एक शाखा के बारे मे जानते है।

चित्र : 5.19 (क)

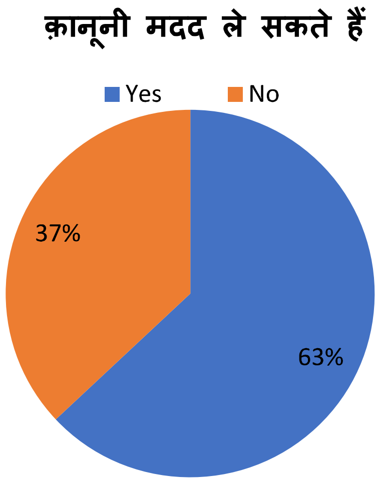

चित्र : 5.19 (ख)

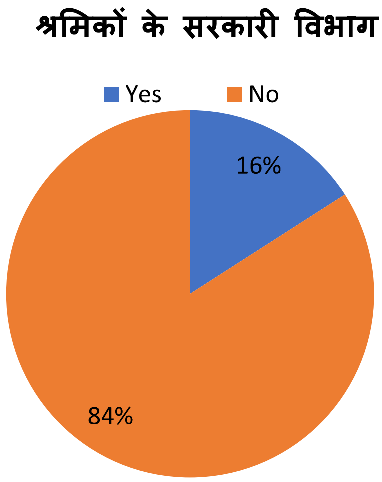

स्त्रोतः— द्वितीय समंक (शोधपत्र)

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के विवाद का अध्ययन (पृष्ठ क्र. 2 एवं 9—27)

9.9.3लिखित अनुबन्ध व हिसाब

चित्र : 5.20 (क)

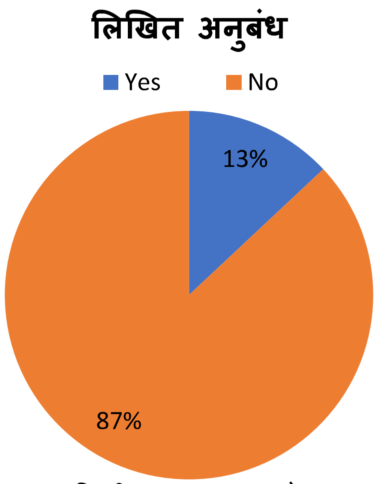

चित्र : 5.20 (ख)

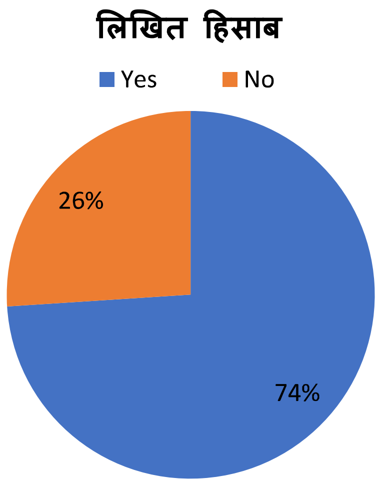

स्त्रोतः— द्वितीय समंक (शोधपत्र)

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के विवाद का अध्ययन (पृष्ठ क्र. 2 एवं 9—27)

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि केवल 13 प्रतिशत श्रमिक ही अपने नियोक्ता के साथ काम का लिखित अनुबन्ध करते है, जबकि 87 प्रतिशत श्रमिक अपने काम का अनौपचारिक रूप से अर्थात केवल मौखिक अनुबन्ध करते है। लिखित अनुबन्ध करने वाले श्रमिकों मे से

अधिकांश निर्माण व्यवसाय मे काम करने वाले श्रमिक है और उनमे से भी केवल वो ही श्रमिक लिखित अनुबन्ध करते है जो कि काम को ठेके पर लेकर करते है। अगर श्रमिकों द्वारा अपने काम के दिनों व मजदूरी के भुगतान का लेखा जोखा लिखित रूप में रखने कर बात की जाए तो स्पष्ट होता है कि 26 प्रतिशत श्रमिक अपने काम व भुगतान का कोई लिखित हिसाब नहीं रखते हैं जबकि 74 प्रतिशत श्रमिक अपने काम व भुगतान का हिसाब किसी ना किसी तरीके से रखते हैं। लिखित हिसाब रखने वाले श्रमिकों में से आधे से ज्यादा श्रमिक अपनी मजदूरी का लिखित हिसाब स्वयं तथा उसका नियोक्ता दोनों ही नियमित रूप से रखते हैं। निम्न चार्ट श्रमिकों द्वारा अपनी मजदूरी का लिखित हिसाब रखने के तरीकों को स्पष्ट करता है।

चित्र : 5.21

हिसाब का प्रकार

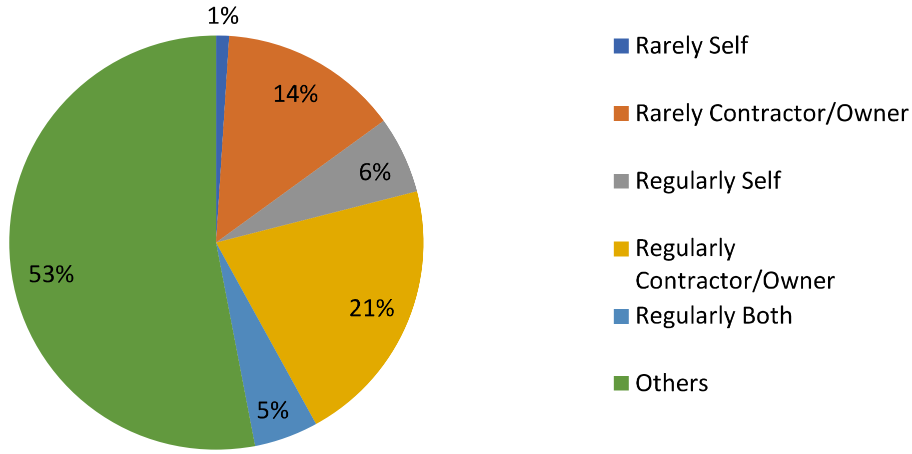

स्त्रोतः– द्वितीय समंक (शोधपत्र)
असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के विवाद का अध्ययन (पृष्ठ क्र. 2 एवं 9–27)

9.9.4 संभावित विवाद निस्पादन की प्रक्रिया

अध्ययन में निकलकर आए कुछ अलग अलग प्रकृति के विवादों के बारे में कानूनी जानकारों का कहना है कि इनमें से कोई भी विवाद समाधान कि लिए विशेष प्रकार की मांग नहीं करता बल्कि विधिवत व कानून सम्मत तरीकों से इनका हल किया जा सकता है। कानूनी राय यह भी थी कि कानून हमेशा कमजोर व ऐसे व्यक्ति की मदद करता है जिसके पास पर्याप्त सबूत और सहायक दस्तावेज मौजूद हो। उदाहरण के लिए भुगतान न करने के विवाद में नियोक्ता को यह साबित करना होगा कि उसने भुगतान कर दिया है जबकि दूसरी तरफ श्रमिक को यह नहीं साबित करना है कि उसका भुगतान नहीं किया

गया है। निम्न तालिका अलग–अलग प्रकार के श्रमिक विवादों में की जाने वाली संभावित कानूनी कार्यवाही व उसके संभावित परिणामों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

तालिका : 5.20

श्रमिकों के विवाद एवं विवाद निष्पादन

विवाद का प्रकार	**संभावित कार्यवाही**	**संभावित परिणाम**
भुगतान सम्बन्धित	❖ मामला क्षेत्रीय (जहां विवाद हुआ है) श्रम अदालत में दर्ज।	❖ विवादित राशि दस गुना पेनाल्टी व लम्बित समय (विवाद होने से फैसला होने तक) के ब्याज के साथ मिलती।
कार्य समय / ओवरटाइम	❖ तत्काल नजदीकी थाने में फौजदारी प्रकरण। ❖ ठेकेदार व मालिक दोनो के विरुद्ध मामला सम्बन्धित श्रम न्यायालय में दर्ज।	❖ जितने समय ओवरटाइम किया उसकी दुगनी मजदूरी मिलती। ❖ अधिक समय तक काम करने की ज्यादती से छुटकारा मिलता।
दुर्घटना / मुआवजे सम्बन्धित	❖ तत्काल नजदीकी थाने / चौकी में एफ.आई.आर ❖ चोट प्रतिवेदन (Medical Report) ❖ बेहतर ईलाज के खर्च व मुआवजे हेतु न्यायालय मे आवेदन	❖ बेहतर ईलाज का पूरा खर्चा प्राप्त होता। ❖ आराम के दिनों की मजदूरी का भुगतान मिलता। (वेतन कटौती नहीं) ❖ उचित मुआवजा मिलता।
शारीरिक / मानसिक शोषण सम्बन्धित	❖ तत्काल नजदीकी पुलिस थाने / चौकी में अपराधिक मामला दर्ज	❖ इस प्रकार के मामलों मे तत्काल सहायत प्रदान की जाती है।

स्त्रोत:– द्वितीय समंक (शोधपत्र)–
असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के विवाद का अध्ययन (पृष्ठ क्र. 2 एवं 9–27)

9.10 दोनो मिलों में श्रमिकों की शोषण की स्थिति का अध्ययनः—

यह सुनिश्चित करना कि इस काम—काज की दुनिया में भेदभाव और हिंसा से मुक्त होगी सम्मानजनक कार्य की प्राप्ति की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। भेदभाव से मुक्ति और समानता के अधिकतर को मानवाधिकार सुरक्षा के केन्द्र में रखने को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, तथा अधिकतर देशों के संविधान और मानवाधिकार अनुबंधो में इसको केन्द्र में रखा गया है। कार्यस्थल क्षेत्रों में भेदभाव से मुक्ति और समान अवसर व बरताव को मूल मानवाधिकार और श्रम अधिकार माना जाता है जो कि सामाजिक न्याय औ विकास की बुनियादी शर्त है।

अन्तराष्ट्रीय श्रम संघ की 1944 की फिलाडेल्फिया घोषणा में कहा गया था कि सभी श्रमिक इंसान चाहे वे किसी भी नस्ल, जाति, समुदाय अथवा लिंग के हो उन्हे आजादी, सम्मान, आर्थिक सुरक्षा एवं अवसरों की समान उपलब्धता वाले पर्यावरण में अपने भौतिक एवं मानसिक विकास के लिए प्रयास करने का अधिकार है तथा भेदभाव से उन अधिकारों का उल्लघंन करना है जिसका जिक्र मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किया गया है।

मानव श्रम एक वस्तु है— मूल्य की वस्तु यह भी एक मूल्य है, जिसका उपयोग करने पर एक मूल्य बनता है। श्रमिक के श्रम से ही औद्योगिक संस्थान उद्योग व अन्य संस्थान को लाभ होता है। यदि किसी कर्मचारी से 8—10 घण्टें काम लिया जाता है, तो उस समय का एक छोटा प्रतिशत कर्मचारी के वेतन की लागत को कवर करने में खर्च होता है। शेष समय अवैतानिक श्रम है। श्रमिकों को औद्योगिक संस्थान से मजदूरी के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और संस्था को पूरा—पूरा लाभ मिलता है श्रमिक तो भी तन—मन से संस्थान में लगे रहता है। संस्थान श्रमिकों से कार्यस्थल में कार्य लेने के लिए हर सम्भव कोशिश करते है। संस्थाएँ श्रमिकों से उत्पादन बढ़ाने की अपेक्षा करते है।

शोधकर्ता द्वारा मिलों में श्रमिकों के शोषण की प्रकृति को कुछ बिंदुओ से स्पष्ट किया गया हैः—

1. अधिक समय लेना मजदूरी कम देना :—मिलों में श्रमिकों से उत्पादन के लिये अधिक समय लिया जाता है जिससे उनकी मानसिक स्थिति में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चूंकि अतिरिक्त समय के लिए कुछ अतिरिक्त मजदूरी दी जाती है परंतु मूल मजदूरी से बहुत कम मजदूरी दी जाती है। जबकि हम मजदूरी के सिद्धातों को पढ़े तो अलग—अलग विद्वानों ने अतिरिक्त समय में लिए उत्पादन के आधार पर बोनस देने की बात कही है जैसे—टेलर, हैल्से, मैरिक आदि।

हाल ही में खबर बनी थी कि ओरियंट पेपर मिल में ठेकेदार श्रमिकों से 70 रुपये दिहाड़ी पर काम करा रहे हैं तथा श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी नहीं दे रहे हैं। जबकि उन श्रमिकों में से कई 10 से 15 सालों से काम कर रहे हैं।

2. डरा–धमका कर कार्य लेना –औद्योगिक स्थल में सभी कार्य अनुबंधो और अधिनियम के आधार पर श्रमिकों से कार्य लिया जाता है ज्यादातर श्रमिक कम शिक्षित होते है जिसका फायदा प्रबंधक वर्ग, सुपरवाइजर व सह–प्रबंधक उठाते है श्रमिकों को सही नियम न बताकर वेतन मजदूरी से संबंधित डराया–धमकाया जाता है जिससे उनकी कार्य करने की क्षमता धीरे–धीरे कमी आती है।

3. अवकाश के दिनों की मजदूरी न देना–मनुष्य सामाजिक प्राणी है वे लगातार 365 दिनों तक कार्य नहीं कर सकता कभी–कभी उसकों भी अवकाश की आवश्यकता होती है और वे जहाँ कार्य करता वहाँ से उसको अपेक्षाएँ भी लगी रहती है। अगर अवकाश नहीं मिलती और न ही अवकाश की मजदूरी तो वे बहुत हताश हो जाता है। जिससे वे शोषण का अनुभव करता है।

4. सरकार द्वारा कोई पहल नही –असंगठित श्रमिक तथा दैनिक मजदूरी श्रमिकों तथा किसी समिति के अन्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों के संबंध में सरकार द्वारा कोई ठोस नीति नहीं बनाना भी श्रमिकों का समय–समय एवं कार्य स्थल में शोषण होता रहता है।

5. उत्पादकता के महत्व –औद्योगिक स्थल में प्रबंधकों के द्वारा श्रमिकों से हमेशा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास करना श्रमिक के हितों की बातें नहीं करना साथ ही श्रमिकों को हमेशा हतोत्साहित करना भी श्रमिकों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन आता है।

6. श्रमिकों को औद्योगिक स्थल का अंग नहीं मानना।

7. औद्योगिक स्थल में महिला श्रमिकों से समय–समय पर विचार विमर्श न करना।

8. औद्योगिक स्थल में कभी–कभी नस्ल, जाति, धर्म तथा लिंग का भी प्रभाव पड़ता जिससे श्रमिकों का शोषण होता है।

9. उच्च अधिकारियों की मानसिक प्रवृत्ति से भी श्रमिकों का शोषण होने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

10. आपसी मतभेदः– किसी भी निर्माण इकाई में ज्यादा मात्रा में श्रमिक वर्ग कार्य करते है जिससे प्रबंधको को इतना समय नहीं मिल पाता है कि वे सभी श्रमिकों से विचार विमर्श कर पाये। श्रमिकों में आपसी मतभेद भी होते है जिससे कमजोर, अशिक्षित श्रमिकों का शोषण हो सकता है ये आपसी मतभेद किसी भी कारण से हो सकती है जैसे– प्रतिस्पर्धा, धर्म, जाति, उत्पादन स्तर आदि।

11. नियम, अधिनियम के आधार परभी श्रमिकों का शोषण होता है श्रमिक संघ, श्रम अधिनियम में वर्णित शब्दावली को भी समझ पाने में असमर्थ होते हैं जिससे श्रमिकों का शोषण हो सकता है।

12. भ्रष्टाचार– दोनो मिलों मे आये दिन भ्रष्टाचार के कई मामले आते रहते हैं, श्रमिकों से नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी होती रहती है, हाल के दिनों में ही अमलई पेपर मिल में नौकरी के नाम पर पेपर मिल में पदस्थ एक बड़े अधिकारी द्वारा लाखों रुपये की ठगी का आरोप लगा है।

सारणी 5.21

पीड़ित श्रमिकों द्वारा पंजीबद्ध कराये गये मामलों में निर्णय

(ओरियंट पेपर मिल एवं नेपा मिल्स लि.)

क्र.	सन्	दर्ज मामलों की संख्या	दोष सिद्ध	बरी	राजीनामा	विचाराधीन
1	2013	70	1	10	1	58
2	2014	51	6	9	2	34
3	2015	60	6	8	3	38
4	2016	48	8	6	2	32
5	2017	54	7	11	5	31
6	2018	42	8	22	2	10
7	2019	53	11	29		13
8	2020	54	12	28	5	9
9	2021	46	9	23	4	10
10	2022	52	18	21	3	10
11	2023	70	15	26	5	29
कुल		600	101	193	32	274
प्रतिशत		100	16.83 %	31.90 %	5.28 %	45.28 %

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

सारणी : सन् 2013 से 2023 तक 600 श्रमिकों से संबंधित मामले पंजीबद्ध हुए, जिसमें 16. 83 प्रतिशत व्यक्ति दोषी पाए गए। 193 व्यक्ति (31.90%) बरी हुए। 32 व्यक्ति (5.28%) ने राजीनामा किया तथा 274 मामलों का विचाराधीन होना न्याय प्रणाली की शिथिलता को प्रदर्शित करता है।

सारणी 5.22

शोषण से पीड़ित श्रमिकों का आयु समूह

क्र.	सन्	18–24	24–30	30–36	36–42	42–48	48–54	54–60	कुल
1	2013	11	26	13	6	5	2	1	64
2	2014	18	16	11	7	1	2	1	56
3	2015	13	19	12	5	6	3	2	60
4	2016	11	10	12	8	2	2	2	47
5	2017	15	15	9	2	5	2	3	51
6	2018	11	9	6	5	5	1	2	39
7	2019	20	15	15	6	2	–	1	59
8	2020	15	14	13	10	1	1	2	56
9	2021	14	15	6	6	2	1	10	54
10	2022	12	16	8	9	3	2	1	51
11	2023	18	15	11	10	7	1	1	63
कुल		158	170	116	74	39	17	26	600
प्रतिशत		26.33	29.66	18.49	12.91	6.80	2.96	2.79	100

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

सारणी : इससे स्पष्ट होता है कि श्रमिकों पर होने वाले शोषण से 18 वर्ष से लेकर 60 से भी अधिक आयु के स्त्री–पुरुष श्रमिक पीड़ित हुए है, जिसमें आयु समूह 24 से 30 वर्ष की आयु वाले सभी स्त्री–पुरुष श्रमिकों की संख्या अधिक पीड़ित पाई गई है जो 29.66 प्रतिशत है। सारणी में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 24 से 30 वर्ष तक की आयु समूह के श्रमिक (स्त्री–पुरूष) शोषण का शिकार अधिक हुए है जिनका संयुक्त योग 600 है।

सारणी 5.23
शोषण की अपराधवार स्थिति

क्र.	सन्	अधिक समय लेना, मजदूरी कम देना	डरा–धमका कर कार्य लेना	अवकाश के दिनों की मजदूरी न देना/ वेतन कटौती	अमानवीय व्यवहार	भेदभाव, दुराचार	मानसिक प्रताड़ना	कुल
1	2013	8	14	7	11	12	9	61
2	2014	11	10	9	9	7	7	53
3	2015	10	13	9	7	11	6	56
4	2016	15	5	5	6	5	6	42
5	2017	15	6	12	10	5	9	57
6	2018	16	14	13	6	8	10	67
7	2019	10	3	5	10	9	12	49
8	2020	11	10	13	9	9	3	55
9	2021	6	15	12	10	10	11	64
10	2022	15	6	10	6	9	2	48
11	2023	10	3	12	9	9	5	48
कुल		**127**	99	107	93	94	80	600
प्रतिशत		21.17	16.50	17.83	15.50	11.46	13.41	100

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

सन् 2013 से 2023 तक पीड़ितों द्वारा पंजीबद्ध कराए गए कुल 600 श्रमिकों से संबंधित मामलों में 21.17 प्रतिशत मजदूरों के साथ, काम करवाने के लिए अधिक समय लिया गया और साथ ही कम मजदूरी दी गई। 16.50 प्रतिशत श्रमिकों से डरा धमका कर कार्य लिया जाता है। कई श्रमिक 17.83 प्रतिशत ऐसे भी मिले जिनसे अवकाश के दिनों में भी काम लिया गया और मजदूरी नहीं दी गई तथा कइयों के वेतन में कटौती की गई। 15.50 प्रतिशत मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार, 11.46 प्रतिशत के साथ भेदभाव व दुराचार, वहीं 13.33 प्रतिशत श्रमिक मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुए।

अध्याय–6

शोध परिकल्पनाओं का सत्यापन, समस्याएँ, निष्कर्ष एवं शोध कार्य का सुझाव

A. परिकल्पनाओं का सत्यापन– शोधकर्ता द्वारा शोध सारांश में जिन परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है उन सभी परिकल्पनाओं को अध्याय चार में सम्मिलित किया गया है। पूर्व अध्यायों में पेपर मिल में श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि ओरिएंट पेपर मिल एवं अखबारी कागज मिल (नेपा लि.) में श्रमिकों के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक इकाइयों का स्थापित होना आवश्यक है।

औद्योगिक इकाइयों से राष्ट्र, राज्य एवं समाज का विकास होता है। ओरिएंट पेपर मिल में श्रमिकों के विकास के लिए जिस गति से होना चाहिए वे कही न कही धीमी गति से हो रहा है वही नेपा लि. में श्रमिकों के आर्थिक विकास के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। क्योंकि सरकारी उपक्रम होने के कारण श्रमिको के लिए सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिया जाता है। अखबारी कागज मिल (नेपा लि.) की इकाई बंद हुई तो यहाँ कार्य करने वाले अनुबंध (ठेका) आधारित श्रमिक यहाँ से बेरोजगार हो गये, उनके लिए संस्था ने कुछ भी नहीं किया, बाद में 13 मार्च 2022 से अखबारी मिल में फिर से उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। लगभग 6 वर्ष बाद उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया गया है। शोधकर्ता द्वारा जो परिकल्पनाएँ की गयी है उसका सम्पूर्ण तथ्यों की व्याख्या करने के बाद परिकल्पनाओं का सत्यापन इस प्रकार किया गया है।

1. पेपर मिल में श्रमिकों कि आर्थिक स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है। शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीय समंको के आधार पर यह पाया कि दोनों ही पेपर मिलों में स्थापना से लेकर वर्तमान काल तक सभी श्रमिकों के आर्थिक विकास में निरन्तर एवं लगातार सुधार हो रहा है तथा वे अपना जीवन दोनों मिलों की स्थापना से तथा उसमें कार्य करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है तथा समय–समय पर समाज में भी अपना 100 प्रतिशत योगदान दे रहे हैं। शोधकर्ता द्वारा जो परिकल्पना की गयी थी वे सही है। मिलों में अनुबंध आधारित (ठेका) आधारित कार्य करते है उनको 380 रुपये प्रति दिन के आधार पर मजदूरी दिया जाता है साथ ही अन्य सुविधाएँ भी दिया जाता है।

2. शोधकर्ता द्वारा दूसरी परिकल्पना की गयी थी कि श्रमिकों का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। शोधकर्ता द्वारा मिलों में जाकर तथा श्रमिकों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर यह तथ्य एवं आंकडे उपलब्ध है कि श्रमिकों का परिवार मिलों की स्थापना से उनकी और परिवार की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। शोधकर्ता द्वारा जो परिकल्पना की गयी थी वे गलत है, किसी भी औद्योगिक इकाई से सभी का विकास होता है। स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ उनकी सामाजिक व्यवस्था में भी निरन्तर परिवर्तन हो रहा है।

3. तीसरी परिकल्पना शोधकर्ता द्वारा की गई कि असंगठित महिला श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की सुविधा नहीं दी जाती है—कार्यस्थल पर श्रमिकों के बेहतर और सुरक्षित वातावरण के साथ—साथ व्यवसायिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए श्रम कानूनों को व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, और कार्य परिस्थिति (ओ.एस.एच.) कोड में जोड़ दिया गया है। इसमें फैक्ट्रियां, खनन, निर्माण, संविदा श्रमिक आदि आते हैं। दोनों मिलों में अनुबंध आधारित श्रमिकों को चिकित्सा की सुविधा तथा श्रमिकों के बच्चो के लिए शिक्षा की सुविधा दी जाती है। शोधकर्ता द्वारा जो परिकल्पना की गयी है वे पूर्णतः असत्य सिद्ध होती है।

4. पेपर मिलों में श्रमिकों की मजदूरी में विसंगतियां रहता है—मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 सभी औद्योगिक इकाइयों में लागू होता है इसलिए दोनों मिलों में मजदूरी कि लिए अलग—अलग दरों का विभाजन के लिए अलग—अलग दरों का विभाजन कर भुगतान किया जाता है। जो श्रमिक स्थाई है उनकों अलग दर से भुगतान किया जाता है तथा जो श्रमिक अनुबंध (ठेका) श्रमिक है उनकों मजदूरी देने का अलग—अलग दरों से भुगतान किया जाता है चूंकि शोधकर्ता द्वारा असंगठित तथा ठेका आधारित श्रमिकों का शोधकार्य किया गया है इसलिए ठेका श्रमिकों को एक ही दर से भुगतान किया जाता है मिलों में मजदूरी देने की किसी भी प्रकार की विसंगतियां नहीं रहती है। शोधकर्ता द्वारा की गयी परिकल्पना सही नही है।

5. श्रमिकों के बालकों की शिक्षा व्यवस्था एवं देखरेख के लिए योजनाएँ नहीं बनायी जाती है। कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिकों की स्पष्ट परिभाषा दी गयी है कि श्रमिक का संबंध कारखाने के निर्माण प्रक्रिया में ही नही वरन् किसी भी काम से है जो कारखाना से संबंधित है। शोधकार्य द्वारा दोनों मिलों का अवलोकन करने पर यह आकडे प्राप्त किये कि मिलों में श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था एवं देखरेख के लिए अलग से स्कूलों एवं प्रसूति ग्रह का निर्माण किया गया है तथा असंगठित श्रमिकों के लिए मिलों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। शोधकर्ता द्वारा जो परिकल्पना की गयी थी वे गलत है तथा शोधकर्ता इसे अवलोकन कर पूर्णतः असत्य सिद्ध किया गया।

6. श्रमिक केवल मजदूरी के लिए ही कार्य करते हैं— निर्माण क्षेत्र असंगठित कामगार को रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसलिए मिलों में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या अधिक होती है एवं निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों को मजदूरी के साथ जीवन की सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। जैसे—चिकित्सा, भविष्य निधि की सुरक्षा आदि। रोजगार की सम्भावना निर्माण में ज्यादा होने से श्रमिक अपने आप निर्माण क्षेत्र में रोजगार की खोज करते हैं। शोधकर्ता द्वारा जो परिकल्पना की गयी है वे पूर्णतः असत्य है। श्रमिक मिलों में केवल मजदूरी के कार्य नही करता बल्कि उसे जीवन की सुरक्षा अपने आश्रितो का भविष्य तथा अच्छा जीवन यापन के लिए कार्य करता है।

7. परिकल्पनाओं का सत्यापन— संगठित श्रमिकों को अलग—अलग प्रकार की सुविधाएं दी जाती है— औद्योगिक इकाइयों में संगठित श्रमिकों को कार्य की सरलता के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ नियोक्ताओं तथा सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जिससे वे निर्माण कार्य में सुचारू तरीक से कार्य कर सकें। परिकल्पनाओं के सत्यापन के लिए शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक संमको का प्रयोग किया गया है जिसमें संगठित श्रमिकों को आवास, वाहन, शिक्षा, भोजन, ग्रेच्युटी वेतन वृद्धि आदि की सुविधाएँ दी जाती है। अतः शोधकर्ता द्वारा जो परिकल्पना की गयी थी वह पूर्णतः सत्य है।

B. **शोधकार्य की समस्याएँ:** यह एक सोचने का विषय है कि 21वीं सदी के प्रवेश द्वार पर खड़े होने के बावजूद प्रत्येक औद्योगिक इकाई पर श्रमिकों के उत्थान हेतु प्रतिदिन नई—नई योजनाएँ घोषित होने के बावजूद तथा श्रमिकों की भागीदारी के बिना देश/समाज की सफलता असम्भव मानने के बावजूद जब श्रमिकों की समस्याओं/परेशानियों की बात आती है तो आज भी वस्तु स्थिति देखने को मिलती है जो आज से कई दशक पूर्व देखने को मिलती थी।

शोधकर्ता द्वारा शोध कार्य से संबंधित निम्नांकित समस्याओं का उल्लेख किया गया है।

1. प्रशासनिक समस्याएँ
2. आकड़ों की समस्याएँ
3. पारिवारिक समस्याएँ
4. यातायात के साधन की समस्याएँ
5. शोध क्षेत्र की समस्याएँ
6. वित्तीय समस्याएँ
7. पत्राचार की समस्याएँ
8. प्रबंधन की समस्याएँ
9. राजनैतिक दलों का प्रभाव— मध्य प्रदेश में श्रम संघों का नेतृत्व ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होता है जो स्वयं श्रमिक नहीं है और जिनका संबंध किसी न किसी राजनैतिक दल से होता है। औद्योगिक इकाइयों में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है जिसमें शोधकर्ता को आकड़ो को एकत्रित करने में समस्याएँ आती है।
10. श्रमिकों की शिक्षा—व्यवस्था

1. **प्रशासनिक समस्याएँ:**— निर्माण उद्योग में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही नियंत्रण में रहता है। जब कोई शोधकर्ता अपने शोध से संबंधित क्षेत्र का भ्रमण करता है तो उसके सामने पहली समस्याएँ प्रशासनिक स्तर की आती है। शोधकर्ता द्वारा आकड़ो की प्राप्ति के लिए

आवेदन करने पर भी आकड़े नहीं दिये जाते एक अधिकारी से दूसरे अधिकारियों को हस्तांतरित करते रहते हैं।

शोधकर्ता द्वारा क्षेत्र का अवलोकन करने के बाद भी कई अधिकारियों का न मिलना शोध के लिए प्रशासनिक दावा का अनुमति देना महत्वपूर्ण होता है। तभी शोध का कार्य पूर्ण हो सकता है।

2. आकड़ों की समस्याएं— शोधक्षेत्र में जाने से तथा अवलोकन करने के बाद भी कभी कभी आकड़ो की प्राप्ति नहीं होती है जिससे शोधकार्य प्रभावित होता है। सही आकड़े प्राप्त न होने से निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं होती है। बिना आकड़ो के शोध कार्य नहीं किया जा सकता।

शोधकर्ता ने जब दोनों मिलों का तुलनात्मक अध्ययन किया तो पहले आकड़े एकत्रित करने में भी बहुत समस्याओं का समस्याओं का सामना करना पड़ा।

3. पारिवारिक समस्याएँ— मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ जिम्मेदारियाँ होती है। हम जानते हैं कि मानव पांच तत्वों से मिलकर बना होता है इसलिए शोधकर्ता के लिए तपस्या और तप की आवश्यकता होती है जो हर मानव में कुछ न कुछ विद्यमान होती है। शोधार्थी को भी अपनी शोध कार्य को पूर्ण करने पर पारिवारिक समस्याओं का सामना पड़ा।

पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करना भी शोधार्थी का कर्तब्य होता है। कभी–कभी शोध के लिए परिवार को भी त्यागना पड़ता है।

4. परिवहन (यातायात) के साधन की समस्याएँ: शोधार्थी द्वारा जो शोध क्षेत्र का चयन किया गया है वे दोनो हि अलग–अलग राज्यों में स्थित होने के कारण आने–जाने के लिए यातायात की समस्याओं का सामना करना पड़ा। चूंकि शोध का कार्य लम्बे समय के लिए होता है इस कारण हर समय में यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होते है चाहे रेलवे हो या बस की सेवा इससे भी शोध कार्य प्रभावित होता है। जिससे शोधार्थी की समस्याएँ बढ़ती है।

5. शोध क्षत्र की समस्याएँ: शोधार्थी जब शोध का अवलोकन किया जाता है तो वहाँ स्थानीय स्तर की कई समस्याएँ आती है जैसे–भाषा की समस्या, तकनीकी समस्या, परिवहन की समस्या आदि।

शोधकर्ता द्वारा दोनो मिलों का अवलोकन का आकड़े एकत्रित किये तथा एक मिल नेपा लि. (अखबारी कागज मिल) चूंकि महाराष्ट्र के बार्डर में स्थित होने के कारण वहाँ भाषा की समस्याएँ देखने को मिली जिससे शोध कार्य प्रभावित हुआ।

6. वित्तीय समस्याएँ: शोध कार्य जो विद्यार्थी करना चाहते है उनको ये अधिकार होता है कि वे अच्छा और उपयोगी शोध कार्य करें। लेकिन शोधार्थी के पास सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न होती है वे वित्त (पूंजी) की समस्या रहती है। सरकार द्वारा तुरंत तो कोई पूंजी की सुविधा नहीं देती कुछ योजनाओं को छोड़कर वित्त की समस्याएँ एक शोधार्थी की मन–मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करती है। जिससे शोध कार्य प्रभावित होता है और हो सकता है कि वे सही शोध कार्य न कर सकें।

वित्त की समस्या के कारण वर्तमान समय में गरीब व्यक्ति अगर शोधकार्य का कार्य करना चाहे तो भी वह नही कर सकता है, वित्तीय समस्या सभी शोधार्थी को प्रभावित करती है।

7. पत्राचार की समस्याएँ: जब शोधार्थी किसी विषय पर शोध प्रबंध लिखता है तो वह किसी न किसी इकाई का चयन करता है तभी वह शोध कार्य कर सकता है अगर वह किसी निर्माण क्षेत्र में करता है तो यहाँ शोधार्थी के सामने शोध स्थल में जो समस्याएँ आती है वे इसमें समाहित है चूंकि इकाई का चयन कर लेने के बाद शोधकर्ता जिस भी कालेज या विश्वविद्यालय से शोधार्थ के रूप में पंजीकृत होता है उनके द्वारा शोधार्थी से संबंधित किसी भी प्रकार की शोध स्थल को जानकारी नहीं देते है जिससे शोधार्थी को कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है जैसे–पहचान बताना, कार्य के प्रकार एवं उद्देश्य बताना, प्रबंधन का अनुमति न देना। शोधार्थी का विचार है कि संस्था द्वारा शोध कार्य स्थल को पत्राचार के माध्यम से जानकारी देनी चाहिए।

8. प्रबंधन की समस्याएँ:– शोधकर्ता द्वारा दोनों मिलों में प्रबंधन की समस्याएँ भी सामने आई शोधकार्य के लिए आकड़ों का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ये आकड़ो को ही एकत्रित करने के लिए शोधस्थल में अलग–अलग विभागों की जानकारी लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगर हम शोध कार्य के लिए कार्य स्थल में जाते है तो प्रबंधक द्वारा किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं किया जाता है। जिससे शोधार्थी के मन में नकारात्मक विचार जन्म लेता है। लेकिन किसी न किसी प्रकार से शोधार्थी द्वारा अपना शोध कार्य को पूर्ण किया जाता है।

अतः शोध कार्य स्थल में भी प्रबंधन की समस्याएँ शोध कार्य को प्रभावित करती है।

9. श्रमिकों की शिक्षा व्यवस्था:– शोधकर्ता द्वारा दोनों मिलों का अध्ययन करने पर शोध क्षेत्र में अनेक समस्याओं का अध्ययन किया जो ऊपर वर्णित है इन्हीं समस्याओं में एक समस्या श्रमिकों की शिक्षा व्यवस्था की है। मिलों में अनुबंध आधारित श्रमिक अधिकांशतः अशिक्षित है। वे सामूहिक सौदेबाजी और संघ का महत्व समझ पाने में असमर्थ होते है। धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और शोषण का शिकार सामान्य मिलो के श्रमिक सहज ही श्रम–संघ का सदस्य बनने के लिए तत्पर नही होते शोधकर्ता द्वारा शोधस्थल में श्रमिकों की शिक्षा व्यवस्था भी एक समस्याओं में है।

C. शोधकार्य का निष्कर्षः– किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण का मार्ग सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारत देश सामाजवादी समाज की रचना पर विश्वास करने वाला देश है और हमारे समाज में श्रमिकों का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योकि उनके कारण ही देश में उनके द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। श्रमिकों की सर्वप्रथम नागरिक होना जवाबदारी न होकर उन्हे कल्याणकारी का सीमित रूप में विचार न करते हुए उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विचार करना आवश्यक है क्योंकि इस आधुनिक वर्तमान काल में उत्पादन में वृद्धि अनुपात पर समाज का स्थान निश्चित किया जाता है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध का अनुमानित परिणाम "पेपर मिल्स में कार्यरत् श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन म0प्र0 के विशेष संदर्भ मे" प्रस्तुत किया गया है। जिसमें शोधकर्ता द्वारा अलग–अलग अध्यायों में विभाजित कर अध्ययन किया गया है जिसका साराशं (निष्कर्ष) अध्याय के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय– 1

शोध प्रबंध का अध्याय–1 "प्रस्तावना एवं विषय परिचय" है इस अध्याय में शोधकर्ता द्वारा पेपर मिल्स की पृष्ठभूमि भारत में पेपर मिल्स की पृष्ठभूमि जिसमें ओरिएंट पेपर मिल तथा अखबारी कागज मिल (नेपा लि.) का प्रस्तावना तथा विस्तारित किया गया है। इसके साथ ही शोधकर्ता अपने शोध प्रबंध में शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व में जिसमें शोधकर्ता द्वारा स्थानीय अनुबंध (ठेका) आधारित श्रमिकों सामाजिक और रहन–सहन की व्यवस्था दैनिक तथा वेतन भोगी श्रमिकों की आर्थिक विकास एवं अनुबंध आधारित श्रमिकों की अस्थाई व्यवस्था पर चर्चा की गयी है। शहडोल पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण ओरिएंट पेपर मिल का भी अध्ययन किया गया है। तथा एशिया की अखबारी कागज मिल का भी औद्योगिक रूप से विशेष महत्व है।

शोधकर्ता अपने शोध प्रबंध में विषय परिचय का भी उल्लेख किया गया है जिसके अन्तर्गत शोध क्षेत्र का परिचय, ऐतिहासिक, भौगोलिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, उद्योग एवं खनिज तथा शिक्षा एवं साक्षरता, यातायात के साधन, मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थिति, भारत में औद्योगिक विकास आदि का उल्लेख विस्तारित रूप से किया गया है।

अध्याय– 2

शोध प्रबंध का अध्याय–2 साहित्य समीक्षा से संबंधित है हम जानते है कि शोध का अर्थ पुनः खोज करना होता है शोधार्थी का विषय "पेपर मिल्स में कार्यरत् श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक–म0प्र0 के विशेष संदर्भ में" पर अब तक की गयी श्रमिकों के आर्थिक विकास तथा श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित शोध पत्र,

शोधकर्ता तथा शोधप्रबंध को भी शामिल गया है इसके साथ ही असंगठित श्रमिकों की आर्थिक से संबंधित शोध पत्र का अध्ययन कर शोधकर्ता अपने उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है।

अध्याय– 3

शोधकर्ता ने अपने शोध प्रबंध का अध्याय–3 में शोध प्रविधि को विस्तारित वर्णन किया गया है जिसके अन्तर्गत शोध की अवधारणा, शोध अभिकल्पना एवं शोध प्रविधि जिसके अन्तर्गत वर्णनात्मक, ऐतिहासिक तथा विवरणात्मक अनुसंधान को शामिल किया गया है। शोधार्थी द्वारा शोध की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख किया है, जिससे मिलों में अनुबंध (ठेका), दैनिक मजदूर तथा संगठित एवं असंगठित श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। इसके बाद समंको का संग्रह प्राथमिक एवं द्वितीय समंको को शामिल किया गया है शोध प्रबंध में शोध परिकल्पनाएँ तथा शोध प्रस्तुतीकरण को दर्शाया गया है। शोधकर्ता ने अपने शोधपत्र में वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया गया है।

अध्याय– 4

प्रस्तुत शोध प्रबंध में अध्याय–4 में शोधकर्ता ने "पेपर मिल में कार्यरत् श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति" का अध्ययन किया गया है जिसके अन्तर्गत शोधकर्ता ने पेपर मिल में कार्यरत् श्रमिकों से संबंधित सरकारी योजनाओं का विस्तारित किया गया है तथा श्रमिक अधिनियम तथा नियमन का भी उल्लेख किया गया है। दोनो मिलो में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति के लिए अपनाये गये मापदण्डों का विस्तारित किया गया है इसके बाद मजदूरी का आधार, असंगठित श्रमिको की स्थिति श्रमिकों को मासिक आय के आधार भी विभाजित किया गया है, जिसमें आयु, लिंग, स्केल के आधार भी श्रमिकों का अध्ययन किया गया है।

शोधकर्ता ने श्रमिकों की सामाजिक स्थिति के अन्तर्गत श्रमिकों की आय, श्रमिकों की मादक पदार्थों के उपयोग के आधार पर विभाजित करके अध्ययन किया गया है एवं श्रमिकों कि व्यवसायिक पृष्ठभूमि, मिलों में मनोरंजन की स्थिति एवं समाज में भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति आदि को आधार का अध्ययन किया गया है आगे के अध्यायओं में दोनो मिलों मे कार्यरत असंगठित श्रमिको की स्थिति का अध्ययन किया गया है जिसमें असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक, सुरक्षा की नीतियों आदि का अध्ययन किया गया है जिसमें शोधकर्ता ने लिखा कि मिलों में असंगठित श्रमिकों को किसी भी अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है एवं इनकों औद्योगिक संस्था में पंजीकृत नहीं किया जाता है बस इनसे कार्य लिया जाता है।

अतः शोधकर्ता ने अतः श्रमिकों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर अपनी सुझाव में उनकी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देने की बात कही है क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति सही होगी तो श्रमिक सामाजिक व्यवस्था एवं स्थितियों को परिवर्तन कर सकता है।

अध्याय– 5

शोधकर्ता द्वारा अपने शोध प्रबंध के अध्याय–5 में दोनो मिलो में कार्यरत् श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन में शीर्षक में ओरिएंट पेपर मिल एवं अखबारी कागज मिलों के कार्यरत् श्रमिकों के आर्थिक विकास का विभिन्न स्तरों पर शोधकर्ता द्वारा तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है जिसमें मजदूरी संबंधी, शैक्षणिक, आर्थिक, श्रमिकों की सुविधाओं शहरी एवं ग्रामीण श्रमिकों की नियुक्ति अनुपात तथा दोनो मिलों में संगठित तथा असंगठित श्रमिकों की स्थिति, मिलों में कार्यरत् श्रमिकों के विवादों एवं विवाद निष्पादन तथा श्रमिकों के शोषणात्मक स्थिति का अध्ययन किया गया है।

शोधकर्ता द्वारा इन्हीं बिन्दुओं का अध्ययन किया गया है जिसके अन्तर्गत मजदूरी की दर कार्यावधि श्रमिकों की संख्या तथा दोनों मिलों से महिला श्रमिकों की संख्या एवं सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। शोधार्थी द्वारा जो बिंदुओ का अध्ययन किया है उसका निष्कर्ष यह निकल कर सामने आया कि अगर इन सभी बिंदुओ पर विचार किया जाये तो औद्योगिक स्थल में श्रमिको की स्थिति तनाव मुक्त तथा उत्पादनोमुखी होगा।

अध्याय– 6

प्रस्तुत शोध प्रबंध में अध्याय 6 में "शोध परिकल्पनाओं का सत्यापन, समस्याएँ, सुझाव, एवं निष्कर्ष" में उद्‌देश्यों को अलग–अलग करके उसका सत्यापन किया गया है तथा शोधकार्य क्षेत्र की समस्याएँ तथा शोधकर्ता द्वारा अपनी विचार को भी सुझाव दिये गये है वे व्यक्तिगत न होकर श्रमिको से व्यक्तिगत संपर्क कर प्रस्तुत किया गया है।

D. शोधकर्ता का सुझावः–

दोनों पेपर और अखबारी कागज मिल में संगठित तथा असंगठित श्रमिको की स्थिति सही नही है। असंगठित श्रमिक एवं अनुबंध आधारित श्रमिकों की स्थिति काफी खराब है वे केवल जीवन यापन चलाने के लिए ही कार्य कर रहे है या दूसरे तरीके से कहे की उनको इतना मजदूरी, वेतन नही दिया जाता की वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ (सक्षम) हो सके। मध्य प्रदेश सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए अनकों अनेकों योजनाएँ लागू

किये है लेकिन किसी भी आद्योगिक इकाई इसे लागू नहीं किये है और न ही असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा श्रमिक अधिनियम 2008 में संशोधन किये हैं। पेपर मिलो में अनुबंध आधारित श्रमिकों के लिए कोई ठोस आर्थिक सामाजिक नीति नही है, श्रमिक बस निश्चित अवधि कि लिए कार्य करते है फिर ठेका (अनुबंध) की समाप्ति होने पर वे फिर से बेरोजगार हो जाते है या किये जाते है।

शोधकर्ता ने इन्ही कुछ बातों नियमों को लेकर अपने विचार व्यक्त किये है ये विचार निम्नांकित है–

1. असंगठित श्रमिकों के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 नियमों में संशोधन करके लागू किया जाये।
2. श्रमिकों की आर्थिक उन्नति (विकास) के लिए समय–समय पर समीक्षा होनी चाहिए।
3. औद्योगिक इकाई में अनुबंध आधारित भर्ती व्यवस्था को समाप्त कर स्थायी व्यवस्था अपनानी चाहिए।
4. श्रमिकों के लिए कार्यशाला का आयोजन कर उनके महत्व, कर्तव्य अधिकार, जिम्मेदारियों का बोध कराया जाए तथा उनकी सामाजिक संरचना व्यवस्था के बारे में चर्चा की जाये।
5. ठेका श्रमिक तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक प्रायः ज्यादातर अशिक्षित एवं कम पढ़े लिखे होते है, जिनको शिक्षा के माध्यम से मजबूत बनाया जाए।
6. औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत् श्रमिकों के पास आर्थिक समस्या बहुत आती है, इसलिए निःशुल्क बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाये।
7. महिला श्रमिकों के लिए अवकाश में वेतन मजदूरी देनी की नीति तथा बोनस की व्यवस्था होनी चाहिए।
8. श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य, आवास की व्यवस्था तथा वे भविष्य में श्रमिक ही न बाने ऐसी विचार धारा लागू की जानी चाहिए।
9. अनुबंध (ठेका) श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधा दी जानी चाहिए।
10. असंगठित श्रमिकों को बचत, निवेश आदि की योजनाएँ भी औद्योगिक स्थल में लागू किया जाना चाहिए।
11. औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करते समय स्थानीय लोगों को शिक्षा के आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए।

12. ठेका श्रमिक तथा असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा विधान, मातृत्व निः–शक्तता और मृत्यु की आकस्मिकताओं में कामगारों हेतु चिकित्सा देखभाल और नकद हितलाभ की व्यवस्था होनी चाहिए।

13. औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण रोकथाम के लिए प्रदूषण रोकथाम अधिनियम का पालन करना चाहिए तथा श्रमिकों को भी जागरुक करना चाहिए।

14. औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों के सुरक्षा संबंधी का नियमपूर्वक पालन करना चाहिए।

15. पेपर मिलों में चौकीदार (गार्ड) की भर्ती के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए, ज्यादातर गार्ड की नियुक्ति निजी कम्पनियों द्वारा किया जाता है। अगर संस्था द्वारा नियुक्त किया जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा होगा तथा नियंत्रण की स्थिति भी बेहतर होगी।

16. पेपर मिलों में संगठित श्रमिक तथा असंगठित श्रमिकों को मिलकर कार्य करना चाहिए।

17. पेपर मिलों में संगठित श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं जैसा असंगठित श्रमिकों को सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाना चाहिए।

18. संगठित श्रमिकों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहिए।

19. असंगठित श्रमिकों की कार्य अवधि संगठित श्रमिकों के समान ही होनी चाहिए।

20. श्रमिक संघ का सहारा तभी लेना चाहिए जब अधिकारों का हनन हो रहा हो।

————00————

संदर्भ ग्रंथ सूची

शोध पत्र एवं पुस्तकें

1. प्रवीर सी0 भट्टाचार्य (1993) आर्थिक विकास में ग्रामीण शहरी प्रवास। जर्नल आफ इकोनॉमिक सर्वे/खण्ड–7, अंक 3/243–281
2. कुणाल सेन, (2015) आर्थिक विकास के राजनीतिक निर्धारकः एवं विशेषणात्मक समीक्षा। ओ.आर.जी. समावेशी विकास की राजनीति–35–59
3. अतुल सूद, परितोष नाथ और संगीता घोष (2014) पूंजी को विनियमित करना, श्रम को विनियमित पूंजी को विनियमित करनों, श्रम को विनियमित करना भारत में विनिर्माण क्षेत्र में गतिशीलता इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल वीकली जे.एस.टी.ओ.आर. वैल्यू–49 संख्या–26/27, 58–68
4. टी मुरलीधरन, बिलों पॉल, जीडी, आशुतोष विष्णु मूर्ति, (2014) क्या भारतीय विनिर्माण में श्रमिकासें की वास्तविक मजदूरी बढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली वैल्यू–49 संख्या–30, 153,–162
5. कुणाल सेन, देब कुसुम दास (2015) कहां गए सारे मजदूर? संगठित भारतीय विनिर्माण में घटती श्रम तीव्रता की पहेली। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली वैल्यू–50, संख्या–23, 108–115
6. सुनीता मिश्रा, इन्दुवाला (2019). भिलाई बैठने की स्थिति में संचार के लिए सामाजिक विज्ञान में समीक्षा और अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। खण्ड–7, अंक–2 आई.एस.एस.एन. '2454–2687
7. प्रीति साकेत (2019). अध्ययन कार्यक्रम के लिए वैश्विक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान में समीक्षा और अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। खण्ड–7, अंक–3
8. एम0के0 अहिरवार जी.एस. गुप्ता (2017) ओरिएन्ट पेपर मिल अमलाई एवें सोन नदी में जल, जिला–शहडोल के बहिस्त्राव का अनुश्रवण, पर्यावरण संरक्षण के भारतीय जर्नल 37(3), 228–232
9. नेहा पाण्डे, देवेन्द्र, एन पाण्डे (2010) ओरिएन्ट पेपर मिल अमलाई जिला–शहडोल (म0प्र0) से अवशिष्ट जेल का भौतिक रसायनिक विश्लेषण। ई–आई.एस.एस.एन. नं0–2395&0269 Journal of Applied & Universal research.

10. डॉ. अंजनी कुमार तिवारी (2021) आदिवासी श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और भर्ती प्रथाओं का अध्ययन, GJMS ISSN:2348-0459, VOLUM 9, FEB 2020.

11. अशोक कुमार तायदे (1974) पेपर मील में श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन।

12. ज्योति गुप्ता (2003) ईट भट्टो मे अनौपचारिक श्रम के नियमन की जरूरत है, Economics and Political Weakly ISSN No. 3282-3292.

13. मरावी, एच.एल. (2013). जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रियो का आर्थित विश्लेषणात्मक अध्ययन.

14. भुकुठों, औगेन्द्र, (2005) बालश्रम और ऋण बन्धन दक्षिण पूर्व भारत में ईट भट्टों के कामगारों की एक केश स्टडी, Journal of Asian and African Studies, 40(4), Page No 287-302.

15. Economics development and female Labor forces participation in India. आर लाहोटी, एच. स्वॉमीनाथन – IIM बैंगलोर रिसर्च पेपर (2013) नारीवादी पत्रिका, अर्थशास्त्र 22 (2), 168–195 (2016)
निष्कर्ष– आर्थिक विकास और महिला श्रम आपूर्ति के बीच संबंधों की पड़ताल करता है। इन्होंने आर्थिक विकास और महिला श्रमशक्ति भागीदारी के बीच यू (U) आकार के संबंध का सुझाव देते हैं।

16. लैडेलियस, टॉर्स्टन (1965) अपने शोधग्रंथ श्रमिक, नियोक्ता और सरकारें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 1919–1964 में प्रतिनिधिमंडलों और समूहों का एक तुलनात्मक अध्ययन
स्टॉकहोमः स्टैट सवेटेंस्काप्लिगा इंस्टिट्यूशन 1965, पृ. 553।

17. जेंसलेर्चे (2007), शोधपत्र– जबरन मजदूरी के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन युक्त श्रम, नव–उदारवादी वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जर्नल– जर्नल ऑफ एग्रेरियन चेंज 7(4), 425–452 (2007), प्रकाशक– ब्लैकवेल पब्लिशिंग लिमिटेड।

निष्कर्ष– इन्होंने अपने शोधपत्र में भारत में बंधुआ मजदूरी के संबंध में हालिया सैद्धांतिक बहस और भारत में बंधुआ मजदूरी पर हाल के अनुभवजन्य कार्य का सर्वेक्षण करता है। यह तर्क देते हैं कि 120 जबरन श्रम को घेट्टोइज करता है और मौजूदा सिद्धांत इसका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि वे उच्चस्तरीय ऐतिहासिक मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

18. झा, प्रवीण (2009), समकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रम की भलाई, सक्रिय श्रम बाजार नीति का इससे क्या लेना–देना है ? जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।

19. एन. नीता (2004), महिला कमाने वाली महिला बनाना, दिल्ली में घरेलू महिलाओं का प्रवास और सामाजिक नेटवर्किंग। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक 1681–1688।

20. सिंह, पी.के., देशभ्रातर, पी.बी. रामटेके, डीस (2012), मिट्टी के रंग और सी.ओ.डी. हटाने की क्षमता की निगरानी और पेपर मिल अवशिष्ट जल के साथ और फसल वृद्धि के विकास प्रदर्शन का आकलन एक लाइसीमीटर अध्ययन केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल, 187,1–9, 2012।

21. पात्रा,सुधाकर और साहू ,के. के. (2012) किसान क्रेडिट कार्ड के तहत क्रेडिट के निर्धारकों का अर्थमितीय अध्ययन कलाओं वाणिज्य के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 1(2), 100–113।

22. सैनी, देवी, एस (2010), ठेका श्रम अधिनियम 1970 मुद्दे और चिंताए। इंडियन जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन्स, पेज नं. 32–44।

23. करण, ए.के. और सैल्वराज, एस. (2008), भारतीय में मजदूरी और आय में रुझानः एक खंडित श्रम बाजार में वेतन, अंतर में वृद्धि ILO 1-54 एशिया–पैसिफिक वर्किंग पेपर श्रंखला।

24. बनर्जी, अभिजीत और दत्ता, सौगतो, ऐथिल (2009), दिल्ली में श्रम बाजार में भेदभाव, एक क्षेत्र प्रयोग से साक्ष्य तुलनात्मक अर्थशास्त्र का जर्नल। खण्ड 37, अंक 1, मार्च 2009, पृष्ठ 14–27।

25. केसरी, खुशबू (2020), औद्योगिक क्षेत्र में कार्यारत् श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन। सामाजिक विज्ञान में प्रगति के अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल (IJASS) ISSN 2454-2679, Value-8, A&V Publication.

26. शुक्ला, आराधना (2016), रायपुर क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र में बाल–श्रमिक के मजदूरी का आर्थिक अध्ययन। सामाजिक विज्ञान में प्रगति के अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल (Int. J.Adv. Social Sciences G (2)) : April-June 2016 : Page 69-70, ISSN 2454-2679, A&V Publication.

27. अग्रवाल, रुचि (2021), महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यम–आर्थिक विकास के इंजन। सामाजिक विज्ञान में प्रगति के अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल। ISSN 2454-2679, Value-9, Value-3, A&T Publication Page No. 150-151.

28. धर, एन.एस. (2012), ग्रामीण श्रमिक परिवारों के रोजगार के दिनों में। कृषि अध्ययन–2 की समीक्षा। ISSN –(2369-2021-100), 2012

29. सांधी, एस.ए. श्रीजा, एस. एस. विजय (2015) भारत में ग्रामीण महिला श्रम शक्ति की भागीदारी में गिरावटः कारणों पर एक पुनर्विचार। सेज जर्नल विकल्प 40 (3), 255–268, 2015

30. भगत, मंजू (1997), असंगठित कामगारों को संगठित करना। इंडियन जर्नल आफ इंडस्ट्रियल रिलेशन्स 32 (4), 504–506

31. मोनियां, विनीता (2019), शहरी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिलाओं की आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन। सामाजिक विज्ञान में समीक्षा और अनुसंधान के अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल। आई. एस. एस. एन. 2454–2687 खण्ड 7, अंक–3

32. सिंह, संगीता (2017), ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में पुस्तकालयों की भूमिका। Researcher Today ISSN : 2231-4369 Value 07, No 25

33. भट्ट, विनीता (2021), भारतीय कृषि और किसानः समस्याएँ, प्रयास एवं समाधान Research Gate.

34. चमार, रामजस (2019), "मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में अधोसंरचना की भूमिका–एक अध्ययन"। नवीन शोध संसार, नेशनल रिफ्रेश्ड (Refreshed)/ Peer Review Research Journal, ISSN 2320-8767, Value-1

35. बेहरे, डॉ दीपाली (2014), मध्य प्रदेश में श्रमिकों से संबंधित कानूनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। नवीन शोध संसार आई.एस.एस.एन. 2320–8767 Oct. to Dec 2014 पेज नं. 123–124।

36. मिश्रा, डॉ. निशा (2014), गाँधीजी कर आर्थिक चिन्तन। नवीन शोध संसार An international Multi disciplinary Refreshed Journal. ISSN 2320-8767 Oct 2014, पेज नं. 125–127।

37. मिश्रा, डॉ. संजय शंकर, द्विवेदी अम्रता (2019) असंगठित नगरीय श्रम बाजार में बाल श्रमिकों का आय एवं रोजगार का अध्ययन। कौटिल्य शोध पत्रिका ISSN : 0975-9220 Page No. 53-58

38. नायर डॉ. अनीता (2016) भारत में आदिवासिओं का सामाजिक और आर्थिक विकास नवीन अन्वेषण Value No.5, July 2016, ISSN-2395-3497 Page No. 153-163

39. शाह डॉ. प्रीति (2014) औद्योगिक विकास केन्द्र पीथमपुर–एक अध्ययन। नवीन शोध संसार (अनतराष्ट्रीय शोध पत्रिका) ISSN-2320-8767 Page No. 92-93.

40. खान, डॉ. टी. एम. (2014) आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण, नवीन शोध संसार (अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) आई.एस.एस.एन.–2320–8767 पेज नं. 130–131

41. गुप्ता, राकेश कुमार (2014) कृषि विकास द्वारा आर्थिक परिवर्तन के आयाम। नवीन शोध संसार (अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) ISSN-2320-8767 पेज नं. 128–129

42. परिहार, डी. एस. (2018) उत्तराखण्ड में जनजातियों का आर्थिक परिवेशः तहसील मुनस्याही का एक प्रतीकात्मक अध्ययन। ISSN-2454-2415, Value 5, May 2018, 151 K-61 (International Journal of Innovative Knowledge concepts,6(5)

43. पोरवाल, डॉ. ऋतु (2014) आटा मिलों का लागत लाभ विश्लेषण। ISSN-2320-8767 Page No. 84-86 नवीन शोध संसार (अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका)।

44. ग्रेवाल, डॉ. विजय (2014) भारत के आर्थिक विकास में कुटीर उद्योगों की भूमिका और योगदान। ISSN-2320-8767, Page no. 67-69 नवीन शोध संसार अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका।

45. कुमार, कल्पना, डी., डॉ. सीमा (2021) बाल श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक, स्थिति का अध्ययन। International Journal of Applied Research page no. 247-251

46. श्रीवास, डॉ. आराधना (2014), बालक–बालिकाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन। नवीन शोध संसार (अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) ISSN-2320-8767, Page No. 38-41.

47. पिंजानी, कुमारी मीना (2018), छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की भूमिका पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, NET/1063/342128.

48. चतुर्वेदी, गोपाल (2017), भारतीय मजदूर संघ एवं अन्य श्रमिक संघ, विचार प्रकाशन, श्री जय नारायण पी.जी. कॉलेज, लखनऊ, आनलाइन ISSN-0974-4118, Value 10 (01) April 2017.

49. देवांगन, साह, गजपाल, अशोक कुमार, फलेन्द्र कुमार, डॉ. एल. एस. (2022), वैश्विक महामारी कोविड–19, का प्रवासी महिला श्रमिको के सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर प्रभाव एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। Journal of Ravishankar University, भाग–A, ISSN-0970-5920, Value-28, ISSUE-1, Year 2022.

50. शुक्ला, डॉ. अवध प्रताप, अली, रुकसार (2019), रीवा जिले में औद्योगिकीकरण का प्रभाव, कौटिल्य (शोध पत्रिका), ISSN-0975-9220, Page No. 49-52.

51. पी. लीला राज, जी. पी. (1993), अखबारी कागज के आयात पर भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता इंडियन इकोनॉमिक जर्नल बाम्बे, Value – 40 (3), Page No. 123

52. मिश्रा, सुनीता (2005), मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की नवीन प्रवृत्तियां 1991 के बाद डॉ. हरी सिंह गौर विश्व विद्यालय शोध पत्रिका

53. लाल, प्रीता, जोशी, विनोद (2015), भारत का आर्थिक विकास एवं जनांकिकी घटको का विश्लेषणात्मक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान में प्रगति के अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल। ISSN-2454-2679, खण्ड–3, अंक–4, Page No. 148-151

54. साकेत, प्रीति (2019) शोधकार्य ने अपने शोधपत्र "संगठित औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन" में सुझाव दिये कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रसारित करना चाहिए तथा संगठित श्रमिक को निःशुल्क ऋण की सुविधा, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करनी चाहिए।

55. पाण्डेय, डॉ. पी.पी. (2021), शोधकर्ता ने अपने शोध प्रबंध " वैश्वीकरण के पश्चात मध्यप्रदेश का सतत् आर्थिक विकास" , पृष्ट क्र. 115–155

A. शोध पत्र

1. अंबती, डॉ. येलास्वामी (2017), वाल्यूम–7, Paper industry in India- An analytical study.
2. अजीविका ब्यूरों (2008), असंगठित क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों के विवाद एवं अध्ययन
3. भट्टाचार्यजी, डॉ. सोमेन्द्र (2016), Safety facilities in the paper mills under a public sector enterprise in media-A case study Value-28.
4. त्रिपाठी, जय गणेश (2014), In century (शताब्दी), Value-4.
5. गुप्ता, डॉ. अंकिता (2018), श्रम कल्याण अर्थशास्त्र विभाग, M.G. Kashi Vidyapith, वराणसी
6. साकेत, प्रीति (2019), संगठित औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन, Value-7, Issue-03, IJRRSS, ISSN 2347-5145.
7. शव, लक्ष्यमना (2015), भारतीय कागज उद्योग के विशेष संदर्भ में उद्योग विश्लेषण, University of petroleum and energy studies, देहरादून, भारत
8. लोक सभा सचिवालय (2014), असंगठित कामगार, मुद्दे और चुनौतियां, आई.बी. –13
9. ठाकुर, इंदु, तिवारी,दीपमाला, त्रिपाठी,आर.एस. (2020), श्रमिकों का शोषण,

10. राजे उषा, गुप्ता महेश (2019) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन Advance in Management, Value-12
11. खान, हसन, Prof Jabiv, Alam Parvez, Ahmed Nisar (2015) Socio-Economy.

B. पुस्तकें

1. डॉ0 चतुर्भुज मामोरिया, (2013), सेविवर्ग प्रबंध एवं औद्योगिक संबंध।
2. के.वी.एस. मदान, अंशुबाला मदान (2021) शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। पेज नं.– 2.7 – 2.10
3. डॉ0 आलोक गुप्ता, (2021), सांख्यिकीय के सिद्धांत पेज नं.–1, 35–41, 71–78, 81–90।
4. डॉ0 वी.एन.गुप्ता (2013), सांख्यिकयकीय के सिद्धांत पेज नं.–12–57।
5. डॉ. रामरतन शर्मा (2015) विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन, म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल
6. डॉ. श्रीमती मीना जैन (2013), समाज शास्त्रीय विचारों का आधार म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल
7. डॉ. वी.सी. सिन्हा, डॉ. पुष्पा सिन्हा (1991) औद्योगिक अर्थशास्त्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद (उ0प्र0)
8. प्रो0 एस0 एल0 कोठारी, डॉ0 मिलिन्द कोठारी (2016) परिणात्मक पद्धतियां, म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
9. म.प्र. सामान्य ज्ञान 2013, पुणेकर (पृष्ठ क्र. 68–70)
10. म.प्र. सामान्य ज्ञान 2023–24, वैष्णवी प्रकाशन (मुकेश महेश्वरी) पृष्ठ क्र. 301–302

C. समाचार–पत्र एवं पत्रिकाएँ

1. म0प्र0 आर्थिक सर्वेक्षण–आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय (म0प्र0) वर्ष 2022–23
2. प्रतियोगिता दर्पण
3. दैनिक भास्कर
4. पत्रिका
5. लोक मत
6. समय टाइमस
7. हिन्दुस्तान टाईम
8. निष्पक्ष मत

D. **अन्य स्त्रोतः मासिक या वार्षिक पत्रिकाएँ**

1. इण्डिया टुडे
2. योजना मासिक
3. कुरूक्षेत्र
4. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित पत्रिका
5. समाज कल्याण विभाग का समाचार
6. राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र

E. **अधिनियम एवं राजपत्रः–**

1. राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, भारत सरकार श्रम रोजगार मंत्रालय रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, पृष्ठ 08, 23, 40।
2. श्रम मंत्रालय एवं रोजगार, भारत सरकार पृष्ठ 6, 7, 8।
3. पृष्ठ भूमि, SWOT विश्लेषण एवं जिला दृष्टि सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0)
4. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, भारत का राजपत्र
5. Sveep Plan 2020, जिला बुरहानपुर
6. दृष्टि–पत्र (2016), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (म0प्र0)
7. नए भारत का नया लेबर कोड़, भारत सरकार
8. ठेका श्रम अधिनियम 1970
9. म.प्र. एवं भारत की आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23

F. **वेबसाइट एवं पोर्टल–**

- www.orientpaper.com
- www.ckbirlagroup.com
- www.researchgate.net
- www.indianfoline.com
- www.labour.gov.in
- http://labourbureau.nic.in

- PMEGP Portal- https://www.kviconline.gov.in
- PIB Portal - https://pib.gov.in
- https://www.nepamills.co.in
- https://burhanpur.nic.in
- https://shahdol.nic.in
- https://hi.wikipedia.org
- https://thepulpandpapertimes.com
- https://www.linkedin.com
- https://m.mp.punjabkesari.in
- https://ptsnsuniversity.ac.in
- IGNTU Facebook Page
- Social Media: Facebook
- https://www.naidunia.com
- https://secr.indianrailways.gov.in
- https://indiarailinfo.com

साक्षात्कार प्रश्नावली

पेपर मिल्स में कार्यरत् श्रमिकों के आर्थिक विकास का अध्ययन म.प्र. विशेष संदर्भ में।

1. इकाई का नाम एवं पता ....

2. इकाई का स्वरूप ....एकाकी/साझेदारी/कम्पनी

3. कार्य की प्रकृति ....अनुबंध (ठेका)/श्रमिक/असंगठित श्रमिक

4. इकाई का पंजीयन क्रमांक ....स्थापना वर्ष

5. श्रमिको का नाम ....

6. आयु ....

7. शिक्षा का स्तर ....

8. वैवाहिक स्थिति .... विवाहित/अविवाहित/बिदुर/विधवा

9. कार्य की स्थिति ....स्थाई/अस्थाई

10. मजदूरी ....ठीक है/नाखुश/मजबूरी है

11. बच्चों की संख्या

A. लड़कों की संख्या ....
B. लड़की की संख्या ....

12. मासिक आय ....मजदूरी वृद्धि/नही होनी चाहिए/होनी चाहिए

13. श्रमिकों के प्रकार ....कुशल/अर्ध कुशल/अकुशल

14. श्रमिकों की संख्या–

क्रमांक	श्रमिकों के प्रकार	वैवाहिक स्थिति		शिक्षा की स्थिति	मसिक आय
		आयु	स्थिति		
1	कुशल				
2	अर्धकुशल				
3	अकुशल				

15. औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत् श्रमिकों का विवरण–

श्रमिकों की संख्या	तकनीकी		गैर तकनीकी		प्रबंधकीय		वेतन

16. औद्योगिक इकाई की श्रेणी ....सर्वश्रेष्ठ/श्रेष्ठ/औसत

17. प्रबंधक के प्रति आपकी धारणा ....अच्छा/कुछ सही नही/औसत

18. ठेकेदारी व्यवस्था ....सही है/नही है/समय खराब करना

19. औद्योगिक इकाई में प्रशिक्षण प्राप्त किया ....हाँ/नहीं

20. प्रशिक्षण की अवधि .... 6 माह/1 वर्ष/नहीं

21. प्रशिक्षण के दौरान मजदूरी/वेतन ....हाँ/नहीं

22. प्रशिक्षण के समय सुरक्षा का ध्यान कितने प्रतिशत का लागू किया जाता है .... (40%/60%/100%)

23. कार्य के समय (दौरान) सुपरवाइजर या अन्य अधिकारियों का आचरण .... (सही है/कुछ सही है/अच्छा नहीं है)

24. कार्य करते समय प्रेरणा और अभिप्रेरणा की चर्चा की जाती है कि नहीं..............हाँ/नहीं

25. महिला श्रमिकों की क्या–क्या सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था दी जाती है .... (अवकाश/मातृत्व अवकाश/कोई अवकाश नहीं)

26. औद्योगिक स्थल में ड्रेस कोड लागू है ....हाँ/नहीं

27. श्रमिकों को सरकारी योजना का लाभ प्राप्त होता है ....हाँ/नहीं

28. ओवर टाइम (अतिरिक्त समय का कार्य) करने पर बोनस दिया जाता है............हाँ/नहीं

29. प्रबंधक या ठेकेदारों द्वारा कोई व्यक्तिगत कार्य में तो नहीं लगाया जाता.......... हाँ/नही

30. पूर्व की आर्थिक स्थिति ....अच्छी थी/खराब थी

31. आपकी श्रम संघ की भागीदारी है... है/नहीं है

32. भारतीय समाज में जो त्योहार, तीज, जश्न की सुविधा दी .... हाँ/नहीं

33. भविष्य में आगे बढ़े इसके लिए औद्योगिक इकाइयों द्वारा योजना/नीति.........है/नही है

34. औद्योगिक इकाइयों की कौन–कौन सी सुविधाएं मिलती ....

1. बच्चों को विद्यालय ☐
2. चिकित्सा ☐
3. भविष्य निधि ☐

35. आपको श्रमिक कहने में कैसा लगता है...
(अच्छा/बुरा/शिक्षा नहीं है इसलिए श्रमिक है)

36. अन्य जानकारी जो इस प्रश्नावली में आने से रह गई हो व आप साझा करना चाहते हैं

....

....

संगठित श्रमिकों की साक्षात्कार प्रश्नावली

<u>पेपर मिल्स में कार्यरत् श्रमिकों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन</u>
<u>(म0प्र0 के विशेष संदर्भ में)</u>

1. संस्था प्रमुख का मीटिंग (बैठक) के समय कार्य व्यवहार कैसा रहता है.........................
(अच्छा / बहुत अच्छा / संतोषजनक)
2. संस्था प्रमुख बैठक के समय किन–किन मुद्दों पर ज्यादा बातें करते है ....
(कार्य योजना के बारे में / सामाजिक व पारिवारिक के बारे में / राजनीतिक के बारे में)
3. संस्था प्रमुख से आपकी क्या क्या उम्मीदें रहती है ....
(अच्छा व्यवहार करे / वेतन वृद्धि के बारे में / संस्था के सभी कार्यो में)
4. अवकाश के दिनों का वेतन मिलना चाहिए ....(हाँ / नही / केवल कार्य का)
5. आपकी स्वास्थ्य स्थिति सही नही होने पर क्या विभाग / संस्था प्रमुख सपोर्ट करते हैं...
(हाँ / नही / बहुत करते है)
6. किसी दुर्घटना में आपकी मृत्यु होने पर संस्था से क्या उम्मीदें है ....
(आर्थिक के साधन बनायें / परिवार को सहायता / नौकरी दे)
7. संस्था में नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए..
(शिक्षा एवं प्रत्यक्ष / शिक्षा एवं अप्रत्यक्ष / अन्य)
8. कार्य के समय में परिवर्तन होना चाहिए................................(हाँ / नहीं / जो है सही है)
9. अतिरिक्त कार्य करने के बाद आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है..........................
(ठीक / असंतुलित / थकान)
10. अतिरिक्त कार्य से अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलने पर आपको कैसा लगता है ....
(अच्छा / बहुत अच्छा / सामान्य)
11. औद्योगिक इकाइयों में नौकरी करना सही या नहीं करना चाहिए ....
सही ☐ नहीं करना चाहिए ☐ मजबूरी है ☐
12. वेतन वृद्धि की प्रतिशत हर साल बढ़ती है................................(हाँ / नहीं / कभी–कभी)

13. कार्य के समय (दौरान) क्या राजनीतिक दबाव रहता है ....
(हाँ / नहीं / ऐसा कुछ नहीं)

14. कार्य के दौरान प्रबंधक क्या किसी भी प्रकार का दबाव बनाते हैं..................(नहीं / हाँ)

15. औद्योगिक स्थल में कार्य करना जीवन के लिए खतरा है ....
(हाँ / नहीं / नौकरी है करनी है)

16. औद्योगिक स्थाई कर्मचारी संघ क्या आपको सपोर्ट करते हैं..
(हाँ / कभी नहीं / कभी–कभी)

17. विभाग में आपसी मतभेद तो नहीं रहता......................(रहता है / नहीं / कार्य के दौरान)

18. आप किस प्रकार के संगठित श्रमिक हैं...........................(कुशल / अर्धकुशल / अकुशल)

19. औद्योगिक स्थल में संगठित श्रमिकों की संख्या –

क्रमांक	संगठित श्रमिकों के प्रकार	शिक्षा	आयु
1	फिटर	––	18–58 वर्ष
2	वेल्डर	––	18–60 वर्ष
3	ऑपरेटर	––	18–62 वर्ष
4	खलासी	––	20–65 वर्ष

20. असंगठित श्रमिकों के प्रति कार्य के समय आपकी विचार धारा ....
(अच्छी रहती है / ठीक / औसत)

21. औद्योगिक स्थल में प्रशिक्षण के समय असंगठित एवं अनुबंध आधारित श्रमिकों से आपको क्या उम्मीदें रहती है...
(प्रशिक्षण पूरा लें / समय पर उपस्थित रहे)

22. प्रशिक्षण एवं कार्य के समय सुरक्षा का कितने प्रतिशत ध्यान रखा जाता है ....
(100 / 50 / 30 / नही)

23. सरकारी संस्था की कौन–कौन सी सुविधा मिलती है ....

बच्चों की शिक्षा	☐	वाहन	☐
चिकित्सा	☐	आवास	☐
बोनस	☐	भोजन पानी	☐

24. आपकी प्रबंधन में भागीदारी रहती है ....(हाँ /नहीं/कभी–कभी)

25. क्या आपको कभी या हमेशा औद्योगिक स्थल में अलग कार्य की आवश्यकता है .... (हाँ/नहीं)

26. सेवा निवृत्त होने के बाद क्या आपकी सेवा को आगे बढ़ाना चाहिए................................ (हाँ/नहीं/कह नहीं सकते)

27. औद्योगिक स्थल में प्रदूषण की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है .... (सरकार/संस्था/कर्मचारी/सोसाइटी)

28. संस्था में वेतन भुगतान के लिए विवाद तो नहीं करना पड़ता .... (नहीं/कभी–कभी करना पड़ता है/संस्था के नीति के आधार पर)

29. क्या आप आयकर दाता हैं .... (हाँ/नहीं)

30. संस्था आपसे कोई अन्य कर या अन्य रुपये तो नहीं वसूलती... (नहीं/वसूलती है)

31. औद्योगिक विवाद होने पर क्या किया जाता है .... (विवाद समाधान कमेटी बनती है/आपसी सहमती से सुलह होती है/मामला संस्था प्रमुख या न्यायालय तक जाता है।)

32. आपसी विवाद पर क्या दंड दिया जाता है.. (वेतन कटौती/संस्था से बाहर कर दिया जाता है/समझाइस)

33. इस प्रश्नावली में कुछ और प्रश्न रह गये हों तो कृपया अपने प्रश्न यहाँ लिखें ....

....

....

....

....

International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 • Website: www.ijfmr.com • Email: editor@ijfmr.com

औद्योगिक क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन-म.प्र. के विशेष संदर्भ में।

अजय कुमार पटेल[1], डॉ. धीरेन्द्र ओझा[2], जयकांत गुप्ता[3]

[1]Research Scholar, AKS University Satna (M.P.)
[2]Associate professor & HOD, Commerce, AKS University Satna (M.P.)
[3]Assistant Professor (Commerce), Indira Gandhi Home science girls PG college, shahdol

सारांश

असंगठित श्रमिक से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो प्रत्यक्षतः या किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से एक या अधिक अनुसूचित नियोजन में लगा हुआ, चाहे मजदूरी के लिये हो या बिना मजदूरी के लिए असंगठित श्रमिक कारखाना अधिनियम 1948 में नही आते हैं। असंगठित उद्योगों में सलंग्न श्रमिकों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि इनका क्षेत्र अत्यंत व्यापक व विस्तृत रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या 3.15 करोड़ थी जिसमें से 90 प्रतिशत है से अधिक कार्यशील जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत थी।

असंगठित श्रमिक नाम से ही स्पष्ट है जो श्रम कानून के अधीन नहीं आते हैं जिनको सरकार की किसी भी योजनाओं में लाभ नहीं दिया जाता है। जो केवल संस्था में मजदूरी के लिए कार्य करते है। भारत में कुल कार्यबल का 90 प्रतिशत असंगठित कामगार है। असंगठित कामगार की परियोजना में ठेका श्रमिक, नैमत्तिक कामगार, घरों में कार्य करने, घर पर रहकर कार्य करने वाले, कृषि कामगार, महिला और बाल श्रमिक और वृहद मजदूर श्रमिक शामिल किये जाते हैं। असंगठित श्रमिकों के नियोजन में मौसमी और अनिष्चित रोजगार, अलग-अलग कार्यस्थल, नियोक्ता, कर्मचारी संबंध का अभाव, खराब कार्य स्थितियां, अनिश्चित और लम्बे कार्य घंटे और कम परिश्रमिक जैसी समस्याएँ आती है। उन्हें अपनी अलिखित स्थिति और संगठनात्मक सहायता के अभाव के कारण अत्यधिक सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। ओरिएंट पेपर मिल और नेपा. लि. (अखबारी कागज मिल) उद्योग को विकास के इंजन के रूप में और मध्य प्रदेश को निर्माण करने वाले राज्य बनाने हेतु सरकार के हाल के प्रयासों का उद्देश्य असंगठित कामगार को मुख्य धारा में लाना भी है ताकि वे भी राज्य और राष्ट्र के उत्थान में सहयोग कर सकें और उनके लिए सम्मानपूर्ण जीवन और कार्य करने का अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सकें।

असंगठित कामगारों की परिभाषा और वर्गीकरण असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में असंगठित कर्मकार को जो किसी भी अधिनियम तथा संस्था में पंजीकृत नहीं किया गया हो जिसे मजदूरी करने वाले मजदूरों के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रस्तावनाः-

श्रमिक किसी भी राज्य की महत्वपूर्ण सम्पत्ती होते हैं जिनका मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास एक राज्य की औद्योगिक इकाई के लिए परमावश्यक होता है। असंगठित श्रमिकों के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है उसकी स्थिति में शैक्षणिक प्रोत्साहन को महत्व देना चाहिए। क्योंकि इनके श्रम बल पर ही औद्योगिक इकाइयों की उन्नती का मार्ग खुलता है। हम जानते है कि असंगठित श्रमिक को औद्योगिक इकाईयों द्वारा किसी भी अधिनियम द्वारा पंजीकृत नहीं किया जाता है और न ही उनकी पारिश्रमिक देने का कोई मापदण्ड होता है। असंगठित क्षेत्र औद्योगिक इकाईयों के उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है तथा वे राज्य औद्योगिक स्थल के श्रमिक होने के कारण काम का अधिकार, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य व्यवस्था, निर्वाह मजदूरी, मातृत्व लाभ तथा उचित जीवन स्तर के बराबर रूप से हकदार है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिक वर्ग अपने हितो कि रक्षा के लिए संगठन बनाता है। ये संगठन नियोजकों पर विभिन्न प्रकार के दबाव डालकर मजदूरी में वृद्धि करवाते है, इनके प्रयास से भी प्रायः काम की दशाओं मे सुधार होता है। श्रमिक और नियोजकों के बीच सदैव संघर्ष रहा है। लेकिन असंगठित श्रमिकों के लिए कोई श्रम संघ नहीं होता क्योंकि अद्योगिक स्थल मे उनकी नौकरी स्थायी नहीं रहती है। इनको हम अगर मौसमी श्रमिक बोलें तो कोई गलत नही होगा। असंगठित श्रमिकों को संगठित श्रमिकों के श्रेणी मे लाने के लिए शिक्षा कि महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शैक्षणिक पिछडापन के कारण ही श्रमिकों को असंगठित श्रमिक कि भूमिका में कार्य करना पड़ता है। इसके साथ ही ओद्योगिक स्थलों में कार्य के आधार पर अस्थायी श्रमिकों कि नियुक्ति (भर्ती) की जाती है, जिसमे शैक्षणिक स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है अद्योगिक स्थलो से कार्य कि समाप्ति पर उनको संस्था से बाहर कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन ने असंगठित कर्मकार अधिनियम 2003 के अनुसार पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को शासकीय और अनुदान प्राप्त कॉलेजों मे स्नातक और सनातकोत्तर दोनों कक्षाओं में नियमित पाठ्क्रमों में प्रवेश लेने पर शैक्षणिक शुल्क से छूट दी जायेगी। इसमें कोई जाती, धर्म, आय, पात्रता का बंधन नहीं होगा। वही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित विक्रमादित्य शिक्षा योजना में असंगठित कर्मकार (श्रमिकों) के बच्चों को भी पात्र माना जायेगा।

मुख्य शब्द : असंगठित श्रमिक, असंगठित श्रमिक सामाजिक अधिनियम-2008, मानसिक शोषण

शोध कार्य का उद्देश्य-

"शोधकर्ता द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मे असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन" शोध पत्र मे शोधकर्ता द्वारा निम्नांकित उद्देश्यों का अध्ययन किया जायेगा।

1. औद्योगिक स्थल में असंगठित श्रमिकों को किस मापदंड के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है विश्लेषण करना।
2. असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति मे परिवर्तन होने पर भविष्य में उनकी स्थिति क्या होती है।
3. औद्योगिक स्थल में असंगठित श्रमिक संघ कि महत्त्व कि विवेचना करना।
4. असंगठित श्रमिक कि प्रबंधन मे क्या भूमिका रहती है, इसका अध्ययन करना है।
5. असंगठित श्रमिक जो लगातार कई वर्षो तक अपनी सेवा देने के बाद उनके लिए भविष्य मे क्या योजना रहती है का अध्ययन करना।
6. औद्योगिक स्थल में असंगठित श्रमिकों कि शिक्षा स्तर का अध्ययन करना।
7. असंगठित श्रमिकों को निर्माण स्थल मे मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन।

साहित्य समीक्षाः-

1. राजे उषा एवं गुप्ता महेश (2019) शोधकर्ताओं ने "असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन एक अध्ययन" शोध पत्र में असंगठित श्रमिकों के विभिन्न मापदंडो के आधार पर अपने सुझाव दिये जिसमे शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं प्रोत्साहन की प्रक्रिया शामिल है।
2. पासवान, रंजीत कुमार (2018) भारत में श्रमिक आंदोलन का उदय और विकास "शोध पत्र मे श्रमिक से सम्बंधित श्रम आंदोलनो की चर्चा की है।
3. मोंगिया, विनीता (2019) "शहरी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिलाओं की आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन" शोध पत्र मे सुझाव दिया कि असंगठित श्रमिकों को शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक शोषण को रोकने के लिए श्रम कानून को सक्ति से पालन करना चाहिए एवं महिलाओं को निः शुल्क शिक्षा की व्यवस्था देनी चाहिए।

महत्वः-

शिक्षा समाज परिवर्तन लाती है जैसे जैसे शिक्षा ग्रहण की जाती है शिक्षित व्यक्ति का भी विकास होता है "औद्योगिक क्षेत्र मे असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति" शोध पत्र मे अगर श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है -

1. औद्योगिक स्थल मे कार्यों कि समझ एवं उत्पादन मे वृद्धि होती है।
2. आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में वृद्धि होती है।

3. शिक्षित असंगठित श्रमिकों में श्रम संघ, नियोक्ताओं में समन्वय कि समस्या की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।
4. एक संस्था से दूसरे संस्थाओं मे जाने मे सुविधा होती है.
5. अन्य

शोध परिकल्पना:-

शोध कि निम्न परिकल्पनाएं है:-

H0 - औद्योगिक क्षेत्र मे शिक्षित असंगठित श्रमिकों का कोई महत्व नहीं है।

H1 - औद्योगिक क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों की भर्ती उनकी शिक्षा के आधार पर होती है।

H2 - असंगठित श्रमिकों की कार्य प्रणाली सही नहीं होती है।

शोध पद्धति:-

शोधकर्ता द्वारा अपने शोध पत्र में निम्नांकित शोध विधियों का प्रयोग किया गया है-

- **आंकड़ों का संकलन-** शोधकर्ता द्वारा अपने शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीय समंको से संबंधित आंकड़ों को शामिल किया गया है।
- **सर्वेक्षण**- शोधकर्ता ने पेपर मिलो मे कार्यरत असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति का सर्वे के माध्यम से समंको का प्रयोग किया गया है
- **साक्षात्कार**- शोधकर्ता ने मिलों में कार्यरत् श्रमिक साक्षात्कार (व्यक्तिगत) का आकडो को शामिल किया गया है।
- शोध से संबंधित प्रश्नावली, अनुसूची,वर्गीकरण,सारणीयन,माध्य आदि का प्रयोग किया गया है
- **न्यादर्श**- शोधकर्ता नें न्यादर्ष के रूप मे लगभग 300 श्रमिको से आकडो का चयन किया गया
- शोध कार्य से संबंधित शोधकर्ता ने शोध के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध की सीमाएँ- शोधकर्ता ने पेपर मिलों में कार्यरत अनुबंध आधारित श्रमिक एवं असंगठित श्रमिको को ही अपने शोध कार्य मे सम्मिलित किया हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रश्नावाली के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया है। आंकड़ों के माध्यम से देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन एवं मजदूरी में अंतर को सारणी के माध्यम से विश्लेषण कर सकते हैं-

International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 • Website: www.ijfmr.com • Email: editor@ijfmr.com

सारणी क्र. 1.1

सर्वेक्षण के आधार पर असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति

क्रमांक	शैक्षणिक योग्यता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	अशिक्षित	380	38
2	साक्षर	240	24
3	प्राथमिक स्तर	220	22
4	माध्यमिक स्तर	160	16
	योग	1000	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित, 2022-23

चित्र: 1.1

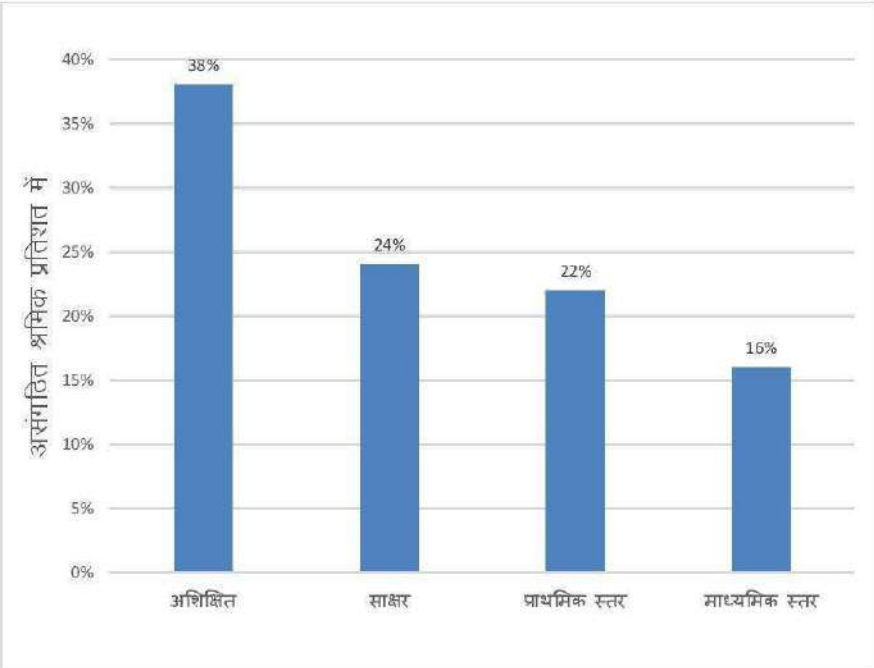

उपर्युक्त तालिका 1.1 से स्पष्ट होता है कि असंगठित क्षेत्र के 38 प्रतिशत श्रमिक अशिक्षित है वही जिन्हे मात्र अपना नाम लिखना आता है व थोड़ा बहुत अक्षर का ज्ञान है 26 प्रतिशत है। अशिक्षा का यह स्तर बहुत चिंताजनक है एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समझने व लाभ प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है।

International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 • Website: www.ijfmr.com • Email: editor@ijfmr.com

श्रमिकों को अशिक्षित होने का मुख्य कारण इनके परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति है इनमें से कोई श्रमिक काम की तलाश मे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते है। एक स्थान पर लम्बे समय तक निवास नहीं करते है इस कारण भी इनके बच्चे लगातार स्कूल में नहीं जा पाते है। सामाजिक सुरक्षा योजना के मूल उद्देश्यों तथा असंगठित श्रमिकों के सामाजिक व आर्थिक विकास के मार्ग में अशिक्षा सबसे बडी बाधा है। इस हेतु इनकी शिक्षा के लिये सार्थक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

तालिका 1.2

दोनों मिलों में श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा	आयु	ओरिएंटल पेपर मिल			अखबारी पेपर मिल नेपा लि.			कुल श्रमिक		
		पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
अशिक्षित	18-24	34	19	53	37	18	55	71	37	108
5वीं	24-30	33	34	67	44	54	98	77	88	165
8वीं	30-36	30	44	74	54	49	103	84	93	177
10वीं	36-42	25	36	61	40	56	96	65	92	157
12वीं	42-48	49	54	103	29	32	61	78	86	164
स्नातक	48-54	52	45	97	29	26	55	81	71	152
स्नातकोत्तर	54-60	27	18	45	17	15	32	44	33	77
	कुल	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**		**500**	**500**	**1000**

स्त्रोतः- व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2023

विश्लेषण -तालिका 1.2 से स्पष्ट होता है कि दोनों मिलों में अशिक्षित से लेकर स्नातकोत्तर तक के श्रमिक कार्य करते हैं। अशिक्षित श्रमिक जिनकी आयु 18-24 है ओरिएंट पेपर मिल में महिला 19 तथा पुरूष 34 हैं, वहीं अखबारी कागज मिल में पुरुष 37 तथा महिला 18 हैं, कुल पुरुषों की कुल पुरूषों की संख्या दोनों मिलों में 71 तथा महिलाओं की संख्या 37 है। दोनों मिलों में शिक्षा के स्तर निरक्षर से लेकर स्नातकोत्तर तक हैं। कुल पुरुषों की संख्या में 8वीं स्तर के श्रमिक 84 हैं, एवं महिला श्रमिकों की संख्या

International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)

E-ISSN: 2582-2160 • Website: www.ijfmr.com • Email: editor@ijfmr.com

93 है, जो 8 वीं स्तर तक षिक्षा ग्रहण किये हुए हैं। ओरिएंट पेपर मिल में सबसे ज्यादा स्नातक स्तर के श्रमिक जिनकी आयु 48-54 है, तथा (महिला 42-48) अखबारी कागज मिल में सबसे ज्यादा श्रमिक पुरूषों में 8वीं स्तर के श्रमिक हैं, जिनकी आयु 30-36 है, एवं महिलाओं में 10वीं स्तर के श्रमिक हैं जिनकी आयु वर्ग 36-42 है, दोनों मिलों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए अलग से मिलों द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है, जिसमें तकनीकी शिक्षा एवं अनुभव को प्राथमिकता दिया जाता है। दोनों मिलों में श्रमिकों के शिक्षा के स्तर को रेखाचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं।

चित्र: 1.2

श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति

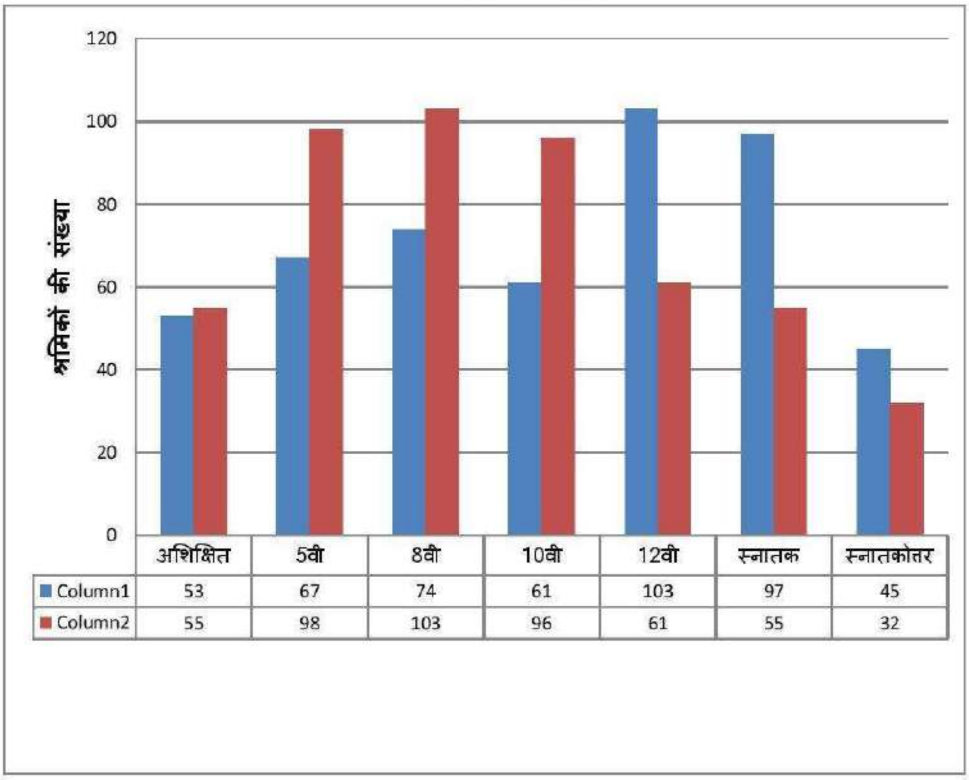

ओरिएंटल पेपर मिल में कुल महिला एवं पुरूषों की संख्या

अखबारी कागज मिल में कुल महिला एवं पुरूषों की संख्या

निष्कर्षः-

मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों मे असंगठित श्रमिकों की लगातार वृद्धि देखने को मिलती है। वर्तमान परिदृश्य स्वरोजगार की ओर बढना है. मध्य प्रदेश शासन असंगठित श्रमिको के बच्चों के लिए तो निःशुल्क शिक्षा कर दी लेकिन जो श्रमिक निर्माण स्थल में कार्य के आधार पर रखे जाते है फिर कार्य समाप्ति पर उन्हें बाहर कर दिया जाता है सरकार को इन सब मुद्दों पर भी नितियां बनाएं तो अच्छा होगा। असंगठित श्रमिकों को भोजन के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक उन्नति के लिए नियमित रोजगार कि भी आवश्यकता पड़ती है। श्रमिकों की नियमित मासिक आय इतनी होनी चाहिए कि वे अपना और अपने आश्रित परिवार का पालन पोषण कर पायें।

सुझावः-

औद्योगिक स्थलों मे असंगठित श्रमिकों की स्थिति काफी दयनीय है। अतः यह देखते हुए मध्य प्रदेश शासन को उनके रोजगार को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। असंगठित श्रमिकों मे शिक्षा स्तर भी नीचा या कम पढ़े लिखें रहते है, इसके लिए उनको शिक्षित करने का संस्था मे ही नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे वे भी उच्चतर शिक्षा को हासिल कर सके. असंगठित श्रमिकों को मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार मजदूरी का भुगतान करनी चाहिए इसके साथ ही उनको भी अवकाश तीज त्यौहार का लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भी वही कार्य करते जो कार्य एक नियमित कर्मचारी करते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

शोधपत्र

1. राजे ऊषा एवं गुप्ता महेष (2019) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा का प्रबंधन एक अध्ययन Advance in management value-12 (v) March 2019।
2. पासवान, रंजीत कुमार (2018) भारत में श्रमिक आंदोलन का उदय और विकास IJRSS Value 8, ISSUE 3, March 2018, ISSN2249-2496।
3. मोंगिया, विनीता (2019), शहरी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिला श्रमिकों की आर्थिक विकास का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में समीक्षा और अनुसंधान के अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल ISSN 2454-2687 Value 07, ISSUE-25।
4. शुक्ला, डॉ. अवध प्रताप, अली, रुकसार (2019), रीवा जिले में औद्योगिकीकरण का प्रभाव, कौटिल्य (शोध पत्रिका), ISSN-0975-9220, Page No. 49-52।
5. मिश्रा, डॉ. संजय शंकर, द्विवेदी अमृता (2019) असंगठित नगरीय श्रम बाजार में बाल श्रमिकों का आय एवं रोजगार का अध्ययन। कौटिल्य शोध पत्रिका ISSN : 0975-9220 Page No. 53-58।

वेबसाईट

1. www.india.gov.in
2. www.labour.mp.gov.in

म0प्र0 शासन श्रम विभाग वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20

समाचार पत्र

1. दैनिक भास्कर
2. पत्रिका
3. नई दुनिया।

International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 • Website: www.ijfmr.com • Email: editor@ijfmr.com

पेपर मिल्स में श्रमिकों की शोषणात्मक स्थिति का अध्ययन म.प्र. के विषेष संदर्भ में।

अजय कुमार पटेल[1], डॉ. धीरेन्द्र ओझा[2], जयकांत गुप्ता[3]

[1]Research Scholar, AKS University Satna (M.P.)
[2]Associate professor & HOD, Commerce, AKS University Satna (M.P.)
[3]Assistant Professor (Commerce), Indira Gandhi Home science girls PG college, shahdol

सारांश

म.प्र. में श्रमिकों की स्थिति सामान है। ये किसी भी संगठित और निजी संस्थाओं में देखने को मिल सकती है। म.प्र. में राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर दो ही पेपर मिल्स कार्यरत् हैं। इन्हीं मिलों में कार्य करने वाले तिहाडी असंगठित श्रमिक एवं अनुबंध आधारित श्रमिकों की शोषणात्मक स्थिति का अध्ययन कर विषय विषय को जानने की कोशिश है। अगर हम म.प्र. में श्रमिकों का पंजीयन देखें तो लगभग 1 लाख 80 हजार के आसपास है जो किसी न किसी संस्था में कार्यरत् है। वहीं अगर भारतवर्ष में श्रमिकों की संख्या का अध्ययन करें तो भारत की कुल आबादी का लगभग 42 प्रतिशत से 45 प्रतिषत श्रमिकों की संख्या है। भारत में श्रम बाजार विषाल है अनौपचारिक और असंगठित प्रकृति के उद्यमों और प्रतिष्ठानों में श्रमिक काम करते है। इसमें तिहाडी श्रमिक भी शामिल है। जिन्हे निजीकरण और उदारीकरण के समय में परिवर्तन किया गया है। श्रम बाजार के परिपेक्ष्य नए है, परंतु उनके शोषण की स्थिति में परिवर्तन ज्यों का त्यों बना हुआ है, इसी कारण आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होन पर भी श्रमिकों स्थिति में ज्यादा कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ।

शोधकर्ताओं द्वारा पेपर मिल्स में कार्य करने वाले श्रमिकों की शोषणात्मक स्थिति का ही शोध पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें ओरिएंट पेपर मिल अमलई (शहडोल) एवं अखबारी कागज मिल नेपानगर (बुरहानपुर) के द्वितीय आंकडों की जानकारी के आधार पर श्रम शोषण की स्थितियों का विश्लेषण किया गया है। तिहाडी कमजोर सामाजिक वर्ग के मजदूर अधिक पीडित है। स्थानीय ओरिएंट पेपर मिल के श्रमिकों की शोषणात्मक स्थिति के लिए अनुबंध आधारित व्यवस्था एवं दैनिक मजदूरी व्यवस्था उत्तरदायी है।

मुख्य शब्दः अनुबंध आधारित व्यवस्था, असंगठित श्रमिक, असंगठित सामाजिक वर्ग नीति 2008।

प्रस्तावनाः-

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति पर प्रकाश डालना है। शोध का पद्धतिशास्त्र, गुणात्मक तथा स्तरित दैव निदर्शन से पूरा किया गया एवं संदर्भित किया गया है। श्रमिक एक विशुद्ध सामाजिक व्यक्तिगत अवधारणा है। जिसका प्रयोग सामाजिक रूप से जो व्यक्ति उपेक्षा, शोषण और उत्पीड़न का शिकार हुआ है। श्रमिक शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जा रहा है जिन्हे अमानवीय व्यवहार, अन्याय, भेदभाव, दुराचार ऊँच-नीच की भावना कार्य की प्रधानता न देना सामाजिक निर्योग्यताओं, सामाजिक प्रताड़ना राजनीतिक एवं आर्थिक वचंनाओं और असुविधाओं का लम्बे समय में गुजरना पड़ रहा है। इन्हीं क्रियाओं को श्रमिकों का शोषण वर्तमान समय में पेपर मिल्स में किया जा रहा है।

श्रमिकों का शोषणात्मक स्थिति में उनको प्रताड़ना जैसे कि कम मजदूरी देना, यातनाएं देना ही शामिल नहीं है बल्कि, उनको मानसिक प्रताड़ना भी शामिल है। जिनसे उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। हम जानते हैं कि श्रमिक श्रम बेचता है अपने आपको नहीं, श्रमिक अपना श्रम यानी कौशल आर्थिक लाभ के लिए बेचता है अपने आपको नहीं यानी उसका अपने कौशल पर उसका स्वामित्व रहता है। श्रम शब्द को परिभाषित करते हुए प्रो. मार्शल कहते है कि श्रम का अभिप्राय मानसिक या शारीरिक से लिया जाता है, जो पूर्णतया या आंशिक रूप से आनंद की प्राप्ति के लिए न होकर लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता है। श्रमिकों की आजीविका उनकी शारीरिक श्रम पर आधारित होती है। खासतौर पर तिहाडी श्रमिको की जिन्हे घण्टों के आधार पर मजदूरी दी जाती है, ऐसे वर्ग को श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है।

हमारे भारतीय संविधान में श्रमिको का विशेषाधिकार प्राप्त हैं। कुछ जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्राप्त है। किन्तु ये आरक्षण का लाभ आज भी सभी वंचित व्यक्ति को शत-प्रतिशत नहीं मिल पा रहा है और न ही सरकार इस पर समीक्षा करती है। आज जिन श्रमिकों के वंशज श्रमिक थे वर्तमान में भी वे श्रमिक का कार्य करने के लिए मजबूर है। इनकी सामाजिक निर्योगिताओं एवं आर्थिक, शैक्षणिक, पिछड़ापन दूर करने तथा इन्हे विशेष सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक सुरक्षा प्रदान की गई है। गरीबी, गंदगी, बीमारी और अशिक्षा का शिकार ये वर्ग समाज से बहिष्कृत और नागारिक अधिकारों से वंचित रहा है। हालांकि औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार ध्यान दे रही है जिससे इनकी आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

शोषणः-

शोधकर्ता द्वारा पेपर मिल्स में कार्यरत् श्रमिकों का शोषणात्मक स्थिति का अध्ययन शोध पत्र में किया गया है। शोषण का तात्पर्य उन सभी प्रकार के उत्पीड़न से है जो समाज के उच्च एवं सम्पन्न वर्गो से अपना रक्षा कर पाने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं। सामान्यतः शोषण की श्रेणी में अमानवीय

International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 • Website: www.ijfmr.com • Email: editor@ijfmr.com

व्यवहार कार्य को महत्व न देना मजदूरी के लिए परेषान करना, लालफीता -शाही, ऊंच-नींच की भावना, भेदभाव, अन्याय हिंसा सम्बधी, दुर्घटनाएं आदि से है। जिसमें श्रमिकों को मानसिक पीडा होती है जिससे उनकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति बदल सी जाती है। जिससे श्रमिकों की कार्य करने की क्षमता अवरुद्ध होती है जिसका असर उनके भविष्य पर भी पड़ता है। कभी-कभी तो श्रमिक वर्ग इतने शोषित होते हैं कि ये आत्मघाती कदम उठा लेते हैं एवं इनकी मौत भी हो जाती है।

शोषण निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत श्रमिक वर्ग के विरुद्ध उच्च एवं सम्पन्न वर्गों द्वारा अस्पृष्यता के भेदभाव सहित किये गये 27 प्रकार के अपराधों कों सम्मिलित किया गया है। ऐसे सभी शोषण जिनको जिला श्रम कल्याण प्रकोष्ठ में भारतीय दण्ड विधान संहिता, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955, तथा शोषण निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत पंजीबद्ध किये गये हैं। ये सभी शोषण की श्रेणी में आते हैं।

शोध कार्य का उद्देश्यः-

शोधकर्ता द्वारा ''पेपर मिल्स में श्रमिकों की शोषणात्मक स्थिति का अध्ययन' शोध पत्र में कार्यरत श्रमिकों की शोषण (मानसिक एवं शारीरिक) शोध पत्र में निम्नांकित उद्देश्यों की चर्चा की गई हैं-

- अनुबंध आधारित कार्यरत् श्रमिकों की व्यवहारात्मक स्थिति को जानना।
- मजदूरी भुगतान विधियों में अन्तर की विसंगतियों का अध्ययन करना।
- कार्यरत् श्रमिक कार्यस्थल में क्या स्वतंत्रता के आधार पर कार्य कर रहे हैं कि नहीं।
- अनुबंध आधारित कार्यरत् श्रमिकों पर संविधा श्रम नियम - 1970 को लागू किया जाता है कि नहीं इसका भी अध्ययन शोधकर्ता द्वारा किया जाना।
- पेपर मिल्स में असंगठित एवं अनुबंध (ठेकेदारी) कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
- कार्यरत श्रमिको की कार्य के दौरान समय-सीमा एवं अधिक समय के लिए क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती है यह जानना।
- पेपर मिल्स में अशिक्षित श्रमिकों के लिए मजदूरी व्यवस्था क्या रहती है, इसको भी अध्ययन करना।
- कार्यरत श्रमिकों को धर्म, जाती, नस्ल, रंग, अमीर-गरीब आदि के आधार पर तो प्रताड़ित नहीं किया जाता है। इसका शोधकर्ता द्वारा अपने अध्ययन में शामिल किया गया है।

शोध पद्धतिः-

शोधकर्ता द्वारा अपने शोध पत्र में निम्नांकित शोध विधियों का प्रयोग किया गया है-

- **आंकड़ों का संकलन**- शोधकर्ता द्वारा अपने शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीय समंको से संबंधित आंकड़ों को शामिल किया गया है।
- **सर्वेक्षण**- शोधकर्ता ने पेपर मिलों में श्रमिकों के शोषणात्मक स्थिति का अध्ययन शोध पत्र में फील्ड सर्वेक्षण का भी प्रयोग किया गया है।
- **साक्षात्कार**- शोधकर्ता ने मिलों में कार्यरत् श्रमिक साक्षात्कार (व्यक्तिगत) का आकडो को शामिल किया गया है।
- शोध से संबंधित प्रश्नावली, अनुसूची, वर्गीकरण, सारणीयन, माध्य आदि का प्रयोग किया गया है ।
- **न्यादर्ष**- शोधकर्ता नें न्यादर्ष के रूप मे लगभग 300 श्रमिको से आकड़ो का चयन किया गया ।
- शोध कार्य से संबंधित शोधकर्ता ने शोध के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है।
- **शोध की सीमाएँ**- शोधकर्ता ने पेपर मिलों में कार्यरत अनुबंध आधारित श्रमिक एवं असंगठित श्रमिको को ही अपने शोध कार्य मे सम्मिलित किया हैं।
- आंकड़ों का विश्लेषण- अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार सांख्यिकीय तकनीकियों जैसे- प्रतिशत, माध्य, रेखाचित्र, पाई, आदि का भी प्रयोग किया जायेगा। आंकड़ों के माध्यम से जानते हैं कि पेपर मिल्स में कितने एवं तरह-तरह से शोषण की स्थिति श्रमिक के लिए अपनाई जाती है।

सारणी 1.1

शोषण करने के प्रकार

क्र.	सन्	अधिक समय लेना, मजदूरी कम देना	डरा-धमका कर कार्य लेना	अवकाश के दिनों की मजदूरी न देना/ वेतन कटौती	अमानवीय व्यवहार	भेदभाव, दुराचार	मानसिक प्रताड़ना	कुल
1	2013	28	14	7	11	12	9	81
2	2014	21	10	9	9	7	7	63
3	2015	30	13	9	7	11	6	76
4	2016	25	15	5	6	5	6	62
5	2017	15	15	12	10	5	9	66
6	2018	21	14	13	11	8	10	77
7	2019	16	13	12	10	9	12	72

8	2020	11	10	13	9	9	13	65
9	2021	16	15	12	10	10	11	74
10	2022	35	14	10	11	9	12	91
11	2023	35	13	12	9	9	15	93
कुल		**253**	146	114	103	94	110+	820
प्रतिशत		30.85	17.80	13.90	12.56	11.46	13.41	100

स्त्रोत - व्यक्तिगत सर्वेक्षण

सन् 2013 से 2023 तक शोषण के प्रकार में कुल पीड़ितों द्वारा पंजीबद्ध कराए गए कुल 820 मामलों में 30.85 प्रतिशत मजदूरों के साथ, काम करवाने के लिए अधिक समय लिया गया और साथ ही कम मजदूरी दी गई। 17.80 प्रतिशत श्रमिकों से डरा धमका कर कार्य लिया जाता है। कई श्रमिक 13.90 प्रतिशत ऐसे भी मिले जिनसे अवकाश के दिनों में भी काम लिया गया और मजदूरी नहीं दी गई तथा कइयों के वेतन में कटौती की गई। 12.56 प्रतिशत मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार, 11.46 प्रतिशत के साथ भेदभाव व दुराचार, वहीं 13.41 प्रतिशत श्रमिक मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुए।

सारणी 1.2

शोषण से पीड़ित श्रमिकों का आयु समूह

क्र.	सन्	18-24	24-30	30-36	36-42	42-48	48-54	54-60	कुल
1	2013	11	26	13	6	5	2	1	64
2	2014	18	16	11	7	1	2	1	56
3	2015	13	19	12	5	6	3	2	60
4	2016	11	10	12	8	2	2	2	47
5	2017	15	15	9	2	5	2	3	51
6	2018	11	9	6	5	5	1	2	39
7	2019	13	15	5	6	2		1	42
8	2020	15	14	13	10	1	1	2	56
9	2021	14	15	6	6	2	1		44

10	2022	12	16	8	9	3	2	1	51
11	2023	18	15	11	10	7	1	1	63
कुल		**151**	**170**	**106**	**74**	**39**	**17**	**16**	**573**
प्रतिशत		**26.35**	**29.66**	**18.49**	**12.91**	**6.80**	**2.96**	**2.79**	**100**

स्त्रोत - व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

सारणी: इससे स्पष्ट होता है कि श्रमिकों पर होने वाले शोषण से 18 वर्ष से लेकर 60 से भी अधिक आयु के स्त्री-पुरुष श्रमिक पीड़ित हुए है, जिसमें आयु समूह 24 से 30 वर्ष की आयु वाले सभी स्त्री-पुरुष श्रमिकों की संख्या अधिक पीड़ित पाई गई है जो 29.66 प्रतिशत है। सारणी में दिए गए आंकडों के अनुसार 24 से 30 वर्ष तक की आयु समूह के श्रमिक (स्त्री-पुरुष) शोषण का शिकार अधिक हुए है जिनका संयुक्त योग 573 है।

सारणी 1.3

पीड़ित श्रमिकों द्वारा पंजीबद्ध कराये गये मामलों में निर्णय

(ओरियंट पेपर मिल एवं नेपा मिल्स लि.)

क्र.	सन्	दर्ज मामलों की संख्या	दोष सिद्ध	बरी	राजीनामा	विचाराधीन
1	2013	70	1	10	1	58
2	2014	51	6	9	2	34
3	2015	60	11	8	3	38
4	2016	48	8	6	2	32
5	2017	54	7	11	5	31
6	2018	42	8	22	2	10
7	2019	53	11	29		13
8	2020	54	12	28	5	9
9	2021	46	9	23	4	10
10	2022	52	18	21	3	10
11	2023	75	15	26	5	29
कुल		605	106	193	32	274
प्रतिशत		100	17.52 %	31.90 %	5.28 %	45.28 %

स्त्रोत - व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

सारणी: सन् 2013 से 2023 तक 605 मामले पंजीबद्ध हुए, जिसमें 17.52 प्रतिशत व्यक्ति दोषी पाए गए। 193 व्यक्ति (31.90%) बरी हुए। 32 व्यक्ति (5.28%) ने राजीनामा किया तथा 274 मामलों का विचाराधीन होना न्याय प्रणाली की शिथिलता को प्रदर्षित करता है।

उपलब्ध साहित्य का पुनरावलोकन- "शोधकर्ता ने पेपर मिलों में श्रमिकों की शोषणात्मक स्थिति का अध्ययन" शोध पत्र से संबंधित पूर्व में कुछ शोधकर्ताओं द्वारा शोध कार्य किये गए है जिसका संक्षेप में पुनरावलोकन किया गया है:-

1. सिद्दीकी डॉ. शाहेदा, गुप्ता दीपिका (2018) - शोधकर्ताओं ने अपने शोध पत्र में कार्यरत् श्रमिकों की प्रमुख समस्या एवं निदान के विषय में अपने सुझाव दिये है।
2. पुलियम, मार्क एस (2019) इन्होंने अपने शोध प्रबंध में "श्रम का शोषण और अन्य संघ मिथक" में नियोक्ता एवं कर्मचारी के बीच संबंध को अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की है।
3. ली. यिबो (2023) शोधकर्ता ने "कारखाना उद्योग में महिला सषक्तिकरण और बढती महिला शोषण का एक अध्ययन" शोध पत्र में महिला श्रमिकों की संख्या उद्योगों में बढ़ना वरदान एवं अभिशाप दोनों माना है। उद्योगों में महिलाओं का बढ़ना देश की आर्थिक प्रगति में वृद्धि होती है, दूसरे पत्र में महिलाओं के हिंसा, शोषण उत्पीड़न आदि उनके लिए अभिशाप है। शोधकर्ता ने उद्योगों में महिला कार्यबल का बढ़ना शोषण की तुलना से अधिक सशक्त हो रही है।
4. देसाई, किरण (2020), शोधकर्ता ने शोषण और मुक्ति, सूरत में असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों का केस अध्ययन शोधपत्र में महिला श्रमिकों को सभी गतिविधियों में शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दायित्व का उनके कार्यभार को बढ़ा देती है।
5. डॉ. अंजनी कुमार तिवारी (2021) आदिवासी श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और भर्ती प्रथाओं का अध्ययन, GJMS ISSN:2348-0459, VOLUM 9, FEB 2020।
6. लैडेलियस, टॅस्टन (1965) अपने शोधग्रंथ श्रमिक, नियोक्ता और सरकारें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 1919-1964 में प्रतिनिधिमंडलों और समूहों का एक तुलनात्मक अध्ययन। स्टॉकहोम: स्टैट सवेटेंस्काप्लिगा इंस्टीटूशन 1965, पृ. 553।
7. सैनी, देवी, एस (2010), ठेका श्रम अधिनियम 1970 मुद्दे और चिंताए। इंडियन जर्नल आॅफ इंडस्ट्रियल रिलेशन्स, पेज नं. 32-44।
8. बनर्जी, अभिजीत और दत्ता, सौगतो, ऐथिल (2009), दिल्ली में श्रम बाजार में भेदभाव, एक क्षेत्र प्रयोग से साक्ष्य तुलनात्मक अर्थषास्त्र का जर्नल। खण्ड 37, अंक 1, मार्च 2009, पृष्ठ 14-27।

शोध परिकल्पनाः-

शोधकर्ता द्वारा निम्नांकित परिकल्पनाएं की गई है-

International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 • Website: www.ijfmr.com • Email: editor@ijfmr.com

शून्य परिकल्पना- H0-पेपर मिलों में श्रमिकों से पेरणात्मक तरीके से कार्य कराया जाता है।

वैकल्पित परिकल्पना- H1-पेपर मिलों में अनुबंध आधारित श्रमिकों का शोषण हिंसा उत्पीड़न तथा धर्म, जाति का भेदभाव किया जाता है।

निष्कर्षः-

वर्तमान समय में जिस प्रकार कार्य एवं कार्यबल की आवश्यकता पड़ रही है उसे देख कर लगता है कि श्रमिक की महत्वा हमेशा बनी रहेगी। श्रमिकों से कार्य लेने के लिए उनको मानसिक एवं शारीरिक रूप से उन्हें समृद्ध बनाना होगा, उनको किसी भी प्रकार से शोषणात्मक स्थिति का शिकार नहीं होने देना है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक श्रम शक्ति बदल रही है। औद्योगिक श्रमिंकों के ऊपर मानसिक शोषण करना, औद्योगिक स्थल के लिए घातक (खतरनाक) साबित होता है वे मानसिक रूप से मजबूत एवं स्थिर नहीं हो पाते है। प्रेरणा और अभिपे्ररणा स्थिति से श्रमिको का सशक्त बनाया जा सकता है। शिक्षित समाज की कल्पना करने के लिए हमें श्रमिकों की शिक्षा के लिए भी प्रयासरत करना चाहिए। शोषणनात्मक स्थिति को समाप्त करने के लिए अनुबंध आधारित श्रमिक असंगठित श्रमिकों जितना ज्यादा हो सके उनको प्रोत्साहित करना चाहिए प्रोत्साहन का तरीका कुछ भी हो सकता है जैसे- बोनस, अवकाश में वेतन (मजदूरी) कार्य की महत्ता किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं आदि।

सुझावः-

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधकर्ता द्वारा निम्नांकित सुझाव की बातें लिखी है-

1. श्रमिकों के कार्य को महत्व देना चाहिए।
2. श्रमिकों के ऊपर किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव नहीं डालना चाहिए।
3. औद्योगिक श्रमिकों को अपने-अपने फील्ड से संबंधित शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए।
4. औद्योगिक स्थल में श्रमिक संवाद या श्रमिक सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए जिससे उनको कार्य में और प्रगति का मौका मिल सकें।
5. नियोक्ता और श्रमिकों का संबंध मधुर होना चाहिए विवाद की स्थिति में नियोक्ता और श्रमिक संघ दोनों मिलकर पहल करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः-

शोधपत्र

1. सिद्दीकी, डॉ. शाहेदा, गुप्ता दीपिका (2018) कालीन में कार्यरत श्रमिकों की प्रमुख समस्या एवं निदान, IJSREST, Valye-4, ISSUE-7, Print ISSN 2395-1990।
2. पुलियम, मार्क एस (2019) श्रम का शोषण और संघ मिथक, The Independent Review a journey of politics economy, खण्ड (Value) 24, क्रमांक-3, शीतकालीन 2019-20।
3. देसाई, किरन (2020) शोषण और मुक्तिः सूरत में असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिक एक अध्ययन Sage journals value 50, issue-1।
4. विभिन्न समाचार पत्र एवं वेबसाइट जैसे Goggle.com, www.labour.mp.gov.in आदि।
5. ली. यिबो (2023) कारखाना उद्योग में महिला सषक्तिकरन और बढ़ती महिला शोषण का अध्ययन, साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेषन, 2023, ISSN 2165-4328।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

वेबसाईट

1. www.labour.mp.gov.in
2. www.india.gov.in

समाचार पत्र

1. पत्रिका
2. हरिभूमी
3. राज एक्सप्रेस

म.प्र. शासन श्रम विभाग वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19।

PERSONAL PROFILE

AJAY KUMAR PATEL

Mob. :+ 91 9712245956

Email : ajaycome6@gmail.com

Address: Gram Majhouli, Post-Pachgaon, Tehsil- Sohagpur, Distt Shahdol M.P.) 484001

CAREER OBJECTIVE:-

I would like to be associated with an organization that enhances the skills that I already have as well as provide the opportunity for personal and professional growth.

EDUCATIONAL QUALIFICATION:-

Qualification	Subject	Board/University	Year	Percentage
High School	All Subject	MP Board Bhopal	2003	53 %
Higher Secondary	Commerce	MP Board Bhopal	2005	76.67 %
B.Com	Commerce	APS University Rewa M.P.	2008	57.77 %
M.Com	Commerce	APS University Rewa M.P.	2010	73.33 %
PGDCA	Computer Application	AISECT University Bhopal M.P.	2017	69.8 %
M.Phil	Commerce	Govt. TRS College Rewa	2020	80.67 %
Ph.D	Commerce	A K S University Satna	2021	Appearing

PERSONAL DETAILS:-

Father's Name	:	Shri Ramesh Prasad Patel
Mother's Name	:	Smt. Anita Patel
Date of Birth	:	08/12/1987
Nationality	:	Indian
Gender	:	Male
Marriage Status	:	Married
Category	:	OBC (NCL)
Religious	:	Hindu
Language Knowledge	:	Hindi & English

EXPERIENCE:-

S.No.	Designation	Year	College/University
1	Guest Faculty	2011-2013	PT.SNS Govt. PG College Shahdol
2	Guest Faculty	2014-2016	Govt. Indira Gandhi Home Science Girls College Shahdol
3	Guest Faculty	2016-2018	PT. SNS University Shahdol M.P.
4	Guest Faculty	2020-2022	PT. SNS University Shahdol M.P.
4	Guest Faculty	2022-2024	Govt. Indira Gandhi Home Science Girls College Shahdol

DECLARATION:-

I hereby declare that the above information furnished by is true to the best of my knowledge and belief.

Place: Shahdol

Date:

Ajay Kumar Patel